Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३८ वां दिवस [संख्या २८

शुक्रवार, दिनांक ५ अप्रैल, १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ११:२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सिंचाई, राजस्व, वन, पंचायत, वित्त, श्रम, आयुर्वेद, विकास, सामान्य प्रशासन, सहकारी, समाज कल्याण व नियुक्ति-विभाग]

प्रश्न संख्या ८२७

प्रश्नकर्ता : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

भीलवाड़ा में म्युनिसिपल कर्मचारियों व व्यापारियों में झगड़ा।

८२८. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तारीख ५ मार्च, १९६३ को भीलवाड़ा में म्युनिसिपल कर्मचारियों व व्यापारियों के मध्य कोई झगड़ा हुआ? अगर हां, तो यह झगड़ा क्यों हुआ?

(२) क्या यह सही है कि हरिजनों को बुरी तरह पीटा गया जिससे एक हरिजन के काफी चोट आई और वह अस्पताल में इलाज करा रहा है? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

(३) क्या नगरपालिका कर्मचारियों का व्यापारियों के साथ कोई गैर कानूनी हरकतें करने से यह झगड़ा हुआ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : १. जी हां। ऐन्क्रोचमेंट हटाने के सम्बन्ध में।

Page No 2

(श्री दौलतराम सारण)

२. जी हां। अस्पताल में इलाज करा रहा है। पुलिस कार्यवाही जारी है।

३. जी हां।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने नाजायज कार्यवाही व्यापारियों के साथ की जिससे झगड़ा हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या जिन लोगों ने व्यापारियों के साथ इस तरह की हरकत की और कार्यवाही की उसके लिये उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल का कोई हुक्म था ?

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने म्युनसिपल कानून के प्रावधान के अन्तर्गत ही वहां जाकर कार्यवाही की थी और जो सामान फुट-पाथ पर रखा था उसको हटाया तो वे लोग सामना करके हाथा-पाई को आ गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या हरिजनों के सिवाय दूसरे कोई म्युनिसिपैलिटी के पास इस काम के लिये कर्मचारी नहीं थे ?

श्री दौलतराम सारण : म्युनिसिपैलिटी के पास जो कर्मचारी थे उसमें हरिजन भी थे और सेनिटरी इन्सपेक्टर के साथ गये थे।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट, श्री डूंगाराम राजोरिया।

अस्पताल, प्रसूति-गृह तथा बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर—चौकड़ी गंगापोल, जयपुर

८२९. **श्री डूंगाराम राजोरिया** (जमवा-रामगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर नगर की चौकड़ी गंगापोल में, जिसकी ४० हजार की आबादी है, कोई अस्पताल, प्रसूति-गृह बर्थ कन्ट्रोल सेंटर है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : चौकड़ी गंगापोल में मोती कटला नामक राजकीय डिस्पेन्सरी है तथा रामगंज में एक राजकीय प्रसूति-गृह है, जहां पर प्रसव सम्बन्धी व बर्थ कन्ट्रोल की सुविधायें प्राप्त हैं। उक्त रामगंज प्रसूति गृह जहां पर बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर भी है चौकड़ी गंगापोल से बहुत नजदीक है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप बहुत नजदीक बताते हैं, लेकिन वह बहुत दूर है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह दोनों के बीच में है और दोनों तरफ से पास में पड़ता है; दूर नहीं है। काफी पास में है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : करीब एक या डेढ़ मील का फासला है। आप इसको कैसे नजदीक बताती हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

नहर के कारण रास्ते का रुक जाना—ग्राम अयाना, तहसील इटावा

८३०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील इटावा के ग्राम अयाना के तालाब के दक्षिणी हिस्से की तरफ नहर निकली है ?

Page No 3

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या इस नहर के निकलने के कारण तालाब में पानी आने का जो रास्ता था वह रुक गया है और इस कारण तालाब खाली रहता है और जनता बड़ी परेशान है ?

(३) क्या यह सही कि ग्राम अयाना की जनता ने इस संबन्ध में प्रार्थना-पत्र सिचाई विभाग में भेजा था ?

(४) अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) जी हां, कुछ पानी की आय में अन्तर आ गया है।

(३) ऐसी कोई सूचना नही है

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार तालाब को भरना चाहती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : तालाब को भरने की कोशिश की जावेगी, लेकिन इस प्रकार की कोई मांग सरकार के पास नहीं है। जब पानी के लिये मांग आवेगी तो पानी दिया जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार यह अपनी जिम्मेदारी नही समझती कि जनता को पानी की तकलीफ है इसलिए पानी दिया जावे। दरख्वास्त देने से पहले सरकार अपना फर्ज नहीं समझती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जनता की मांग से पहले पानी बेकार जाता है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार अपना फर्ज नहीं समझती जनता को पानी देने का ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, बिना मांगे तो मां भी बोबा नहीं देती है।

एक माननीय सदस्य : यह तो अकलमन्द मां का काम है कि वह अपने बच्चे को पहले ही बोबा पिला दे ताकि वह बच्चा रोवे ही नहीं।

प्रश्न संख्या ८३१.

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

लैण्ड रेवेन्यू की अधिक वसूली व बेदखल किये गये व्यक्तियों के मामले

८३२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग, राजस्थान ने एक सर्कुलर के तहत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को जारी करते हुए, धारा १५ व १६ के काश्तकारों को रेगुलेराइज करना चाहा है ? यदि हां, तो यह सर्कुलर कब जारी हुआ ?

(२) क्या इस सर्कुलर के अनुसार जो भी अतिक्रमणकारी १ अप्रेल, १९६२ पर भूमि पर काबिज हैं तो उसे प्रार्थना-पत्र तहसील में हस्ब कायदा पेश करना चाहिये ? यदि हां, तो जिला टोंक की तहसीलों में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र पेश किए गए हैं ? कृपया तहसीलवार संख्या बतलावें।

(३) क्या यह सही है कि इन प्रार्थना-पत्रों के बाद भी तहसीलदारों ने उन व्यक्तियों

Page No 4

(श्री दिग्विजयसिंह)

से लैंड रेवेन्यू का १५ गुना और ६ गुना वसूल किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि साथ ही उन व्यक्तियों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत बेदखल किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कहां तक ठीक है ?

(५) क्या राज्य सरकार इन प्रार्थना-पत्रों का फैसला और मामलों को रेगुलराइज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कोई परिपत्र प्रचलित नहीं किया गया कि जिसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा १५ व १६ के तहत काश्तकारों के अधिकारों को रेगुलराइज कराने के सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी की गई हों। अलबत्ता एक परिपत्र संख्या एफ. ३ (६६) राज ख ग्रुप २। ६२ दिनांक १-९-६२, अवश्य जारी किया गया है कि जिसके तहत राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा ९१ के तहत राजकीय भूमि के नाजायज कब्जों को रेग्युलराइज करने की हिदायतें जारी की गई हैं, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त परिपत्र संख्या एफ. ३ (६६) राज ख ग्रुप २। ६२ दिनांक १-९-६२ में प्रचलित हिदायतों में यह उल्लेख है कि जिन व्यक्तियों का नाजायज कब्जा ३१-१२-६१ तक है उन्हें अपने कब्जे को नियमित कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिनांक ३०-९-६२ तक संबंधित तहसीलदार को पेश करने होंगे। इसी आधार पर जिला टोंक की तहसीलों में जितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं उनका विवरण निम्न-प्रकार है :–

क्रमांक नाम तहसील	संख्या-प्रार्थना पत्र
१. टोंक	३४०
२. निवाई	१३८८
३. अलीगढ	११९८
४. देवली	२०२९
५. टोडा	१७७२
६. मालपुरा	११६७

(३) उक्त सक्यूलर के अनुसार अतिक्रमी के कब्जे में नाजायज भूमि सहित १५ एकड़ भूमि उसके खातेदारी में छोड़ी जाती है व बाकी भूमि से उसको बेदखल करके उससे उक्त परिपत्र में निहित आदेशों के अनुसार वाजिब पेनल्टी व लगान भी वसूल होता है।

(४) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड (३) में दिया जा चुका है।

(५) उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे मामलों का निर्णय किये जाने की अंतिम तिथि १० अप्रेल, सन् १९६३ नियत की हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : आपने फरमाया कि ३ में दे दिया गया है ४ का उत्तर तो प्रश्न के भाग ३ में तो आपने लिस्ट दी है। मैंने यह पूछा है कि, "क्या यह सही है कि इन प्रार्थना-पत्रों के बाद भी तहसीलदारों ने उन व्यक्तियों से लैंड रेवेन्यू का १५ गुना और ६ गुना वसूल किया है ?" मैंने तो यह पूछा है और आपने लिस्ट बता दी। मेरा पूछना है कि सक्यूलर के बाद धारा ९१ के तहत इजेक्ट करने की और १५ गुना, ६ गुना वसूली की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

Page No 5

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जिनका कब्जा इस प्रकार नाजायज था ३१-१२-६१ तक का था. ३० सितम्बर, १९६२ तक दरख्वास्त दे दी उसको रेगुलराइज करने की कार्यवाही अलग से हो रही है। पर जिन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, धारा ९१ के तहत कार्यवाही चल रही थी, तो यदि दरख्वास्त नहीं देने से ९१ के तहत कार्यवाही की गई है तो जायज है; फिर भी मैंने गत बार निवेदन किया था कि ऐसे केसेज, जिन्होंने प्रार्थना पत्र नहीं दिये हैं उनमें यदि धारा ९१ के तहत कार्यवाही चल रही है और इस परिपत्र की सीमा में आते हैं तो उनको रेगुलराइज करने के आदेश दिए जायेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : जो भूमि पर काश्त करते थे उनके लिये है या उनके कब्जे में बाड़े हैं उनको भी दे दिया जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाड़े अलग चीज हैं, एग्रीकल्चर की बात है।

श्री दिग्विजयसिंह : बाड़े एग्रीकल्चर पर्पज के लिये ही हैं, बैलों के लिये घास वगैरह रखा जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनके लिये मैंने सदन में हुई बहस के दौरान में बताया था कि सरकार ने इसके सम्बन्ध में निर्णय किया है उसके मुताबिक आदेश दिए जायेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने तो यह फरमाया था कि ९१ के तहत आदेश दे दिए हैं। पर मैं निवेदन करूं कि धारा ९१ यह कहती है कि उसके होल्डिंग्ज के ऊपर बाड़े बना रखे हैं तो अधिकार दे देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, मैंने यह निवेदन किया था कि उनकी खुद की होल्डिंग्ज के अलावा गवर्नमेंट की कृषि की जमीन, गैर-मुमकिन लैंड चारागाह भी होगी तो उस सीमा तक निश्चय निर्णय के अनुकूल करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रश्न यह उठता है कि जो सर्क्युलर निकाला, जिसका ६१ तक कब्जा होगा उसको मान्यता दे दी जायगी पर इसमें कलेक्टर द्वारा इन्टरप्रिटेशन किया जाता है कि खेती की गई हो और पटवारी के रेकॉर्ड में दर्ज होगा, घास की जमीन में भी........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : घास की जमीन को एग्जेम्प्ट करने की मंशा नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : पटवारियों के रेकॉर्ड भी सही नहीं हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को पता नहीं है कि इसमें पंचायत समितियों को भी पूछा जाता है, एडवाइजरी बॉडी, कमेटी, अलॉटमेंट की बोडी है उससे भी पूछा जाता है; पंचायतों की सलाह से काम होता है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि एडवाइजरी बोर्डों की राय के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही तहसीलदारों ने कर दी है? अगर तहसीलदारों ने कर दी है तो क्या आप उसका खारिज कर देंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके नियम बने हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस रेगुलराइजेशन की कार्यवाही में जायज कब्जे की ही शामिल है या नाजायज कब्जे को भी है?

Page No 6

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिल्कुल स्पष्ट है, जायज और नाजायज दोनों का जोड़ १५ एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिये। १५ एकड़ तक रेगुलराइजेशन हो; इससे अधिक है तो बेदखल करने के अधिकार सरकार ने रखे हैं और कानून भी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जिन व्यक्तियों ने चारागाह पर कब्जा कर लिया है तो आपने कहा कि रेगुलेराइज कर दिया जावेगा........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। उसको रेगुलेराइज करने का फरमाया, पर यह रेगुलेराइज करेंगे तो चारागाह में कमी आयेगी, चारागाह नहीं रहेंगे........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन मैं कह रहा हूं कि चारागाह को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए रेगुलेराइज करने का नहीं कहा है। किसी ने रेजिडेन्शियल हाउस बना लिया है तो उसके लिए कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कुछ जिलों में इस नोटिफिकेशन को सस्पेन्ड कर रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलवर, भरतपुर में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके सम्बन्ध में सरकार कब तक डिसीजन ले लेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन आधारों पर स्थगित कर रखा है उनके सम्बन्ध में उचित निर्णय ले लिए जाने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने समय में फाइनल डिसीजन ले लिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें समय का सवाल नहीं, चारागाह का सवाल है, सेटलमेंट के कम्प्लीशन का मामला है और दूसरे मामले हैं। उनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही होने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : चारागाह में जो लोग खेती कर रहे हैं और पटवारी के रेकॉर्ड में दर्ज हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : Next question.

(उप-मंत्री, श्री निरंजननाथ ने अगले प्रश्न संख्या २६३ का उत्तर देना आरम्भ कर दिया)

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : एक बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन रह गया है........

सिरसका शिकारगाह

८३३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर में सिरसका शिकारगाह (गेम्स सेंक्चुरी) की सीमायें क्या हैं ?

(२) इस शिकारगाह की सीमा के अन्दर कौन कौन गांव आबाद हैं ?

(३) क्या राजस्थान में और भी जगह ऐसी शिकारगाहें हैं जिनके बीच में गांव आबाद हैं ? अगर हां, तो कौन कौन सो ?

Page No 7

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) क्या यह सही है कि इस शिकारगाह में जंगली जानवरों को मारने की आम जनता पर पाबन्दी है ?

(५) क्या यह सही है कि इस शिकारगाह की सीमाओं में बसे गांवों की जनता की जंगली जानवरों से जान, पशु और फसलों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है ?

(६) क्या यही सही है कि इस शिकारगाह के अन्दर जंगली जानवरों द्वारा आदमियों और मवेशियों को मारने तथा फसलों को उजाड़ने की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इस क्षेत्र की जनता ने इस प्रकार की शिकायतें की हैं ?

(७) सरकार को इस क्षेत्र में शिकारगाह रखने से प्रति वर्ष कितना आर्थिक लाभ होता है और किस प्रकार से ?

(८) क्या सरकार इस शिकारगाह को (अ) बिल्कुल समाप्त करने, (आ) उन सीमाओं के अन्दर अन्दर सीमित कराने, जिससे दो मील के अन्दर अन्दर कोई गांव आबाद न हो, (इ) इन सीमाओं को ऐसे फेन्सिंग द्वारा सुरक्षित करने जिससे जंगली जानवर शिकारगाह की सीमा को लांघ कर पड़ोस की आबादी को नुकसान न पहुंचा सकें, का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) सीमा इस प्रकार है :

पूर्व : डोंगरवाड़ा, बोरेदा, तीसरानया गांव, मंडौली, बेलड़ा, गुनावरा, चांद पहाड़ी निर्माणपुरा, पृथ्वीपुरा, हम्मीरपुरा और धर्मपुरा गांव है ।

पश्चिम : मुनावड़ा, रेछमाला, ढूहरमाला, थानागाजी, अमर का वास, जोधावास, श्यामपुरा, राजपुरा, गोपालपुरा और जैतपुरा गांव है ।

उत्तर : मुडवड़ा, मानावास गांव, ओड़ा माला का वन क्षेत्र, राई का गुवारा और कालीजोल वन क्षेत्र ।

दक्षिण : सिली वेरी का क्षेत्र, काल्यावार गांव, तिलवाड़ी वनक्षेत्र, इवकां, टहलाछंवर छाव का पास, मुरतीपुरा, नांदू गांव और टहला राजगढ़ सड़क ।

(२) सीमा के अन्दर आबाद गांवों के नाम इस प्रकार हैं : सरिस्का, सुलोला, कुन्डला, डावली, करनो का वास, लगवाल, रौलकावाला, किराका, सेलीवेरी, उनीरी, डावरी, सोनाभाऊ ओंगरन, वन्दीमूल, हरिपुरा, कंकवारी, पीलापानी करमावास, मित्रावत, राजेरगढ़ और मोथीघाटी ।

(३) जी हां, दो और शिकारगाहों में गांव आबाद हैं उनके नाम ये हैं (अ) दड़ा (कोटा) व (ब) आबू ।

(अ) दड़ा में आबाद गांवों के नाम इस प्रकार हैं : गांगरोन, नीलाव, लक्ष्मीपुरा, नारायणपुरा, मशालपुरा, घाटी, देड़ा दामोदरपुरा, गिरधरपुरा, कोलीपुरा, आवरा, तालीबावड़ी ।

(ब) आबू : आबू सीटी, देलवाड़ा, अचलगढ़, आरनाथ, जोरिया हेटमजी, ढुढ़ाई गोवागांव जवाई ।

(४) जी हां, लेकिन जानवर यदि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो किसान उन्हें चमका सकते हैं या स्वयं के बचाव में उन्हें मार भी सकते हैं । सुरक्षा के लिए राज-

Page No 8

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्थान वन्य पशु-पक्षी संरक्षण अधिनियम, १९५१ की धारा ७ (१) के तहत कोई भी आदमी अपने या अपनी जानमाल की रक्षा के लिए किसी भी जंगली जानवर को मार सकता है। सरकार भी किसी व्यक्ति या श्रेणियों के व्यक्तियों को एग्जेम्प्शन दे सकती है। गेम सेन्क्चूरीज में भी मारने की इजाजत दी जा सकती है, यदि जानवर आदम व मवेशी खोर हो गया हो। इस सम्बन्ध में राजाज्ञा एफ. १० (५) रा. क. ५६ दि० २८-९-५६ प्रचलित की जा चुकी है।

(५) जी नहीं। अलावा अमलाजंगल के गेम सेन्क्चूरीज में गेम वार्डन और गेम वाचर्स तैनात हैं जिनके द्वारा इनकी निगरानी होती है और खूंखार जानवरों को जैसा कि पहले बताया गया है मारने का प्रबन्ध किया जा सकता है। विलम्ब का प्रश्न नहीं होता।

(६) जंगली जानवरों द्वारा आदमियों और पशुओं को मारने की दुर्घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

(७) सेंक्चूरीज की कायमी आर्थिक दृष्टि से नहीं है। जानवरों की नस्ल को कायम रखने का उनकी हिफाजत शिकारियों के आघात से बचाने के लिए है। सरिस्का गेम सेन्क्चूरीज में विजिटर्स को जंगली जानवर दिखाने का प्रबन्ध है; इसमें ६१-६२ में ५३०३ रु० ६२ न. पै. की आमदनी हुई है।

(८) जी नहीं, यह संभव नहीं है।

(अ) यदि गांवों को सेन्क्चूरीज के बाहर निकाला जावेगा तो गांव वालों को हर्जाना देना पड़ेगा और यदि सेन्क्चूरीज को हर गांव से दो मील की दूरी तक कर दिया जावे तो सेन्क्चूरी निरर्थक हो जावेगी।

(इ) फेन्सिंग से सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जंगली जानवर सेंक्चूरीज के बाहर भी पाये जाते हैं। गेम सेंक्चूरीज के जानवरों की हिफाजत के लिए जैसा कि पहले कहा गया है वन विभाग का अमला व गेम वार्डन, गेम वाचर्स तैनात हैं; वे देखभाल करते रहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतनी घनी आबादी आपने बताई सेन्क्चूरीज के अन्दर, क्या यह सही है कि अलवर स्टेट में पहले सेन्क्चूरी के अन्दर कोई गांव नहीं था और सेन्क्चूरी की सीमा वहां रखी जाती थी जिसमें कोई आबादी नहीं हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल अलहदा प्रश्न है कि अलवर में पहले क्या व्यवस्था थी। इसके लिए मेरे पास तथ्य नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि उस एरिया के अन्दर सेन्क्चूरी है। उस एरिया के अन्दर लोग बसते हैं। लोगों पर आम तौर पर जानवरों को मारने की पाबन्दी है, अगर मारें तो केस चल सकता है। यह उसकी डिफेन्स में था या नहीं, यह तो बाद में जाकर प्रूव करना पड़ता है। ऐसी हालत में गवर्नमेंट आर्थिक स्थिति के आधार पर मेन्टेन नहीं कर रही है, सिर्फ नस्ल को मेन्टेन करने के लिए कर रही है। गवर्नमेन्ट नस्ल मेन्टेन करने के लिए इतने इन्सानों की जिन्दगी को खतरे में क्यों डालना मुनासिब समझती है? ऐसे क्षेत्र जहां पर आबादी नहीं है, उनके अन्दर इस तरह की सेन्क्चूरी क्यों कायम नहीं की जाती; पहाड़ों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के सिरों पर जैसे पहले के राजाओं के समय में होता था उस प्रकार सैन्क्चूरी कायम क्यों नहीं करते हैं, जिससे कि इन्सानों की और वाइल्ड लाइफ की जिन्दगी बच सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया है कि इन खतरों के लिए निम्न प्रकार के प्रबन्ध है : पहला ग्राम वार्डन और वाचर्स तैनात हैं, जो उनका प्रबन्ध रखते है। दूसरा सेल्फ डिफेन्स में उनको पूरे अधिकार हैं। तीसरा एमर्जेन्सी के पोइन्ट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि लाइसेन्स दे दे। चौथा सी. सी. एफ. को अधिकार है कि लाइसेन्स दे दे। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई खतरे की बात पैदा नहीं हुई है। ऐसी हालत में आपका यह कहना है कि कायम क्यों किये जायं, मैं कहूंगा कि इससे फौरन एक्सचेन्ज मिलती है; साथ ही नस्ल को कायम रखना भी मुश्किल है। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए रियासत के सामने एक प्रश्न है। मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं आयी है कि खतरा पैदा हो गया हो और खतरा पैदा होता है तो सामान्य व्यवस्था इस में है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एक प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न महत्व का है। जहां इन्सानों की जिन्दगी खतरे में पड़ी हो, चारों तरफ आग लग रही हो और बीच में कोठी हो तो उसको यह कह दिया जाय कि हमें अच्छा लगता है, इन्सानों की जिन्दगी खतरे में पड़ी है.........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : दूसरे बोल रहे हैं, माननीय सदस्य बैठते नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय पसन्द करेंगे कि अपनी कोठियों में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करने की कोशिश करें ? गांव वालों की जिन्दगी को क्यों खतरे में डालते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वहां तो प्रिजर्व हो रही है।

(विराम)

श्री नाथूलाल करोल।

पंचायत समिति, चाकसू के भवन निर्माण एवं उद्घाटन पर व्यय

८३४. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) [श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत समिति, चाकसू जिला जयपुर के भवन निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ और इसका उद्घाटन करवाने में समिति के बजट से कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ख) उद्घाटन करने में जो पैसा खर्च हुआ है वह पंचायत समिति के बजट के किस मद से खर्च किया गया है, और क्या यह खर्चा नियमानुसार किया गया है ?

उप मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) क्रमशः २१,४८६.११ नये पैसे व ३०१.३८ नये पैसे।

(ख) उद्घाटन का खर्चा पंचायत समिति की निजी आय से किया गया है। यह खर्चा अनियमित था।

Page No 10

श्री जयनारायण सालोदिया : आप बताते हैं उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह उनकी इन्कम से खर्च किया है। प्रार्थना करेंगे तो रेगुलराइज कर दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अनियमितता बताते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। खर्चा किया है तो अपनी इन्कम से किया है। यदि वे लिखेंगे तो उसको रेगुलराइज कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल।

डग गंगधार के काश्तकारों को बागड़ के लिये झाड़ एवं कांटे

८३५. **श्री जयलाल (डग) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि डग गंगधार के काश्तकारों को रेन्ज विभाग के लोग झाड़, कांटे बागड़ निमित्त नहीं लाने देते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री जयलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता को झाड़, कांटे, बागड़ के लिए वन वाले नहीं काटने देते है। धन-दौलत की रक्षा करने का हक है। किसानों की फसल, जो कि उनकी धन-दौलत है, जंगल में रहती है। जानवरों से मेल हो जाती है। जंगलों से झाड़ वगैरह नहीं काटने देते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आवेगी तो जांच की जायगी।

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : वहां पर जंगल विभाग द्वारा किसानों को झाड़ काटने नहीं दिया जाता।

श्री निरंजनलाल आचार्य : वन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कांटों का जहां तक सम्बन्ध है यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई इन्कारी हो।

एक माननीय सदस्य : क्या ऐसी आज्ञा जारी कर दी जायगी कि जो काश्तकारों को हक मौजूद हैं वे बदस्तूर जारी रहने दिये जायं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सर्कुलर निकालने की आवश्यकता नहीं है। यह आज्ञा पहले ही मौजूद है। ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): कोई एम. एल. ए. प्रश्न उठाता है तो शिकायत है। इसीलिए तो प्रश्न उठता है। आप इसको ही शिकायत समझ कर ही आश्वासन देंगे कि इस प्रकार की मनाही नहीं की जायगी और काटने दिया जायगा।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य: हमारे यहां शिकायत है ही नहीं, तो शिकायत कैसे मान लूं ?

श्री विजयसिंह झाला : कोई विधायक विधान सभा में प्रश्न रखता है तो इसका

Page No 11

(श्री विजयसिंह झाला)
तात्पर्य यह है कि वहां पर इस प्रकार की समस्या है। शिकायत की आप क्या परिभाषा समझते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : शिकायत में आधार होता है। शिकायत शिकायत हो तो शिकायत ही रहती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जिला परिषद् ने ध्यान आकर्षित किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था न होने से फसलों में नुकसान पहुंचता है। पंचायत समिति ने भी राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, क्या यह आप उचित नहीं समझते हैं ?

श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या शिकायत आवे तब ही आप मानते हैं, मांग नहीं मानते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि कोई शिकायत नहीं आई। जिला परिषद् और पंचायत समिति की कोई शिकायत है या नहीं यह अलग से प्रश्न है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of Order, Sir, व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक द्वारा कोई बात रखी जाती है, प्रान्त की समस्या के बारे में शिकायत न मान कर मंत्री महोदय इसको टाल देते हैं। तो वह व्यवस्था का प्रश्न है और इसलिए चेयर से व्यवस्था दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : टालने का प्रश्न नहीं है, जनरल बात थी।

श्री विजयसिंह झाला : शिकायत थी।

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री जयलाल (डग) : जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि जनसंघ वालों के पास जाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़ वगैरह के लिए, कांटे वगैरह के लिए अन्दिश है और नहीं काटने देते। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि सक्युलर इश्यू करने की आवश्यकता नहीं है और उनको काटने का हक है। या तो शिकायत बतायें। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट ऑफिसर को इसके विषय में कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस प्रकार प्रश्न आने पर मंत्री महोदय को जिले से मालूम करना चाहिये। केवल कानून के अनुसार अधिकार है, यह कहना उचित नहीं होगा। दरअसल कानून की अवहेलना हो रही है, यह जिले से मालूम करना चाहिये तब ही उत्तर देना चाहिये।

प्रश्न संख्या ८३६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों को उधार दी गई धनराशि

८३७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 12

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(१) सन् १९६२-६३ में किन-किन नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को राज्य सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि उधार में दी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस रकम के पहले की राज्य सरकार की कितनी कितनी रकम इन नगरपालिकाओं व नगरपरिषदों पर बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त रकम को वसूल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज तक क्या कदम उठाये गये हैं तथा किस हद तक रकम वसूली में सफलता मिली है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची संलग्न है।

(२) प्रश्न के खण्ड (१) की सूची में दिखाई गई है।

(३) नगरपालिकाओं को बकाया रकम जमा कराने हेतु लिखा जा रहा है और यह भी तय किया गया है कि कर्जे की किश्त, उनको दी जाने वाली सहायता में से काट ली जावे।

बीकानेर व पिलानी से वसूल कर ली गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान की नगरपालिकाओं के अन्दर राज्य सरकार का कुल कितना रुपया ऋण के रूप में अब तक बाकी है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग सवाल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेड़ता नगरपालिका को १ लाख रुपया पॉवर हाउस के लिये दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की राय ली गई थी, टेक्निकल ओपीनियन ली गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकायें स्कीम बनाकर भेजती हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट की राय से ही भेजती हैं और उनकी ओपीनियन से ही स्वीकृति दी जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक लाख रुपया दिया गया है तो टोटल इन्वेस्टमेन्ट पॉवर हाउस में कितना होगा ?

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सेन्ट प र्सेन्ट ऋण दे दिया गया, जब कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना रखा है। उसको मार्फत इन्वेस्टमेन्ट कराया जाना चाहिये जो इससे बहुत रिलेटेड है। सेन्ट पर्सेन्ट आप दे रहे हैं बोर्ड है उसकी मार्फत इन्वेस्टमेन्ट करवा देते।

श्री दौलतराम सारण : जनरल प्रश्न पूछा था वह बता दिया, विशिष्ट सूचना आपको चाहिये तो उसके लिये अलग से पूछिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक लाख रुपये देते समय यह तो देखते कि म्युनिसिपेलिटी कितना इन्वेस्टमेन्ट कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण : कई नगर-पालिकाओं को इस प्रकार का ऋण दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह ऋण का सवाल नहीं है। इस प्रकार का इन्डीवीजुअल ऋण देने के बजाय क्या सरकार की यह नीति नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ऐसे काम कराये जायं ? सीधी बोर्ड से बात कर ले।

Next.

कुशलगढ़ क्षेत्र में बांध बनाने की योजना

८३८. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में बांध बनाने हेतु सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया व्यय हुआ और इस क्षेत्र में सरकार कहां कहां बांध बनाने का इरादा रखती है और कब से ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): इस क्षेत्र में प्रस्तावित कलिंजरा बांध की सर्वे जारी है। लगभग ७२१) रुपये का व्यय भी हो चुका है तथा आगे सर्वेक्षण जारी है। अन्य जगहों पर जांच के पश्चात् ही बांध बनाने के बारे में कहा जा सकता है।

श्री हीराभाई : जांच कब से शुरू की है ?

श्री दिनेशराय ६२ के अन्दर शुरू की गई है।

श्री हीराभाई : यह तो १९५० से शुरू हो रही है। कलिंजरा, बियावड़ा की सर्वे १९५० से हो रही है। आप कैसे कह रहे हैं १९६२ से है ?

श्री दिनेशराय डांगी : १९६२ से हो रही है।

श्री हीराभाई : अब आप क्लीयर बताइये कि इस बांध का काम कब से शुरू हो जायगा ? जांच का काम शुरू है; स्कीम ठीक जंची तो काम शुरू कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : क्लियर बतलाइये।

Next.

विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर के श्रमिकों की बकाया का भुगतान

८३९. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या विजय कॉटन मिल्स तथा राष्ट्रीय मिल्स मजदूर संघ, विजयनगर के बीच २९-१-५८ को न्यूनतम वेतन के एरियर्स और छुट्टियों के बकाया पैसों के एरियर्स को चुकाने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ?

(२) यदि हां, तो क्या उस समझौते के अनुसार उन श्रमिकों को पैसा दिया गया ?

(३) यदि नहीं, तो क्या उस पैसे को लाने और समझौते को लागू कराने की सरकार ने कोई कोशिश की ?

(४) क्या श्रमिकों को इस प्रकार पैसा न देकर समझौता भंग नहीं हुआ ?

(५) क्या इस अवैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

Page No 14

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना,: (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) न्यूनतम वेतन के एरियर्स के सम्बन्ध में मिनिमम वेजेज ऑथोरिटी के सामने जो क्लेम फाइल किया था उसके खिलाफ मालिक कारखाना ने हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई।

अतः इस सम्बन्ध में अधिक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। छुट्टियों के बकाया रकम के सम्बन्ध में फैक्ट्री इन्सपेक्टर, ब्यावर ने पेमेन्ट वेजेज ऑथोरिटी के सम्मुख क्लेम दायर किये जो ऑथोरिटी ने स्वीकार कर डाइरेक्शन जारी की परन्तु मिल कारखाना ने इसके विरुद्ध अपील की जो सिविल जज, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है।

(४) औद्योगिक न्यायालय, जयपुर ने अपने फैसले के अन्तर्गत जो मुकदमा नं० १२।५९ पर दिनांक १३-५-६० को क्या तारीख २९-१-५८ के समझौते को बंधन रहित घोषित किया है। अतः इस विषय में समझौता भंग की कार्यवाही करना उचित प्रतीत नहीं होता।

(५) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कुमारानन्द : एरियर्स कितने बाकी है, जो दिये नहीं गये? उनके लिये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं इसका ठीक जवाब दीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मामला कोर्ट में चल रहा है।

श्री कुमारानन्द : बिजयनगर मिल्स राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की संस्था के मजदूरों के एरियर्स जो बाकी हैं उसके लिये क्या कर रहे हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया, एक तो हाई कोर्ट ने रिट स्वीकार कर ली और दूसरा मामला सिविल जजी में है, विचाराधीन है।

श्री कुमारानन्द : पी० डी० आर० के तहत विजय कॉटन मिल्स के मालिक के खिलाफ २२ हजार का देना हुआ था, ७ हजार का देना हुआ था लेकिन लेबर कमिश्नर ने चिट्ठी लिख दी अजमेर कमिश्नर को कि यह रुपया न दिया जाय।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने कार्यवाही करने के बजाय जो कार्यवाही हो रही थी उसको रोका है।

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस तरह के एरियर्स थे अटैचमेन्ट के ऑर्डर्स निकल जायं, लेबर कमिश्नर बजाय मजदूरों को एरियर्स दिलाये एटैचमेन्ट के ऑर्डर्स थे इस पर अमल न किया जाय इस प्रकार की कार्यवाही होती है। आखिर लेबर कमिश्नर मजदूरों के लिये है या पूंजीपतियों के लिये?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस विभाग को लेबरर्स का पक्ष लेकर उनके मामले की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सुलझाना चाहिये वहां उल्टा विभाग जो गड़बड़ की है उसको दबा रहा है, श्रमिकों को जो दिलाया जाना चाहिये उससे वंचित रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या श्रमिकों की बकाया है, उस रकम के बारे में प्रश्न है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : लेबर कमिश्नर श्रमिकों के हित के खिलाफ निर्णय ले तो वह लेबर कमिश्नर कहां हुआ, वह तो पूंजीपतियों का कमिश्नर हो गया ऐसी सूरत में लेबर की जगह 'पूंजीपति कमिश्नर' यह डेजिग्नेशन होना चाहिये। लेबरर्स ने जो एलीगेशन लगाये हैं उनके लिये सरकारको जांच करनी चाहिये।

श्री कुमारानन्द : लेबर कमिश्नर के खिलाफ आप क्या एक्शन लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न समझौते के बारे में है कि जो रकम बकाया है उसके बारे में लेबर कमिश्नर ने लिखा है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन पर डिक्री हो गई थी लेकिन लेबर कमिश्नर ने उसको रुकवा दिया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना ; किस बकाया के सिलसिले में कह रहे हैं ?

श्री कुमारानन्द : पी० एफ० का रुपया था उसको हजम करके बैठे थे पी० डी० आर० के तहत दावा किया।

श्री अध्यक्ष : उस समझौते को रद्द माना गया, हाई कोर्ट में चला गया।

श्री कुमारानन्द : पी० डी० आर० के तहत २२ हजार और ७ हजार की डिक्री हुई थी, लेबर कमिश्नर ने उसको रुकवा दिया।

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्ट बतलाइये कि समझौते के सम्बन्ध में क्या बकाया है ?

श्री कुमारानन्द : प्रोविडेन्ट फन्ड का रुपया खा गये उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है। Next.

श्रमदान द्वारा नहर खोदने का कार्य—सालेरा तालाब, तहसील गंगरार

८४०. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सालेरा तालाब, तहसील गंगरार की नहर आजोल्या का खेड़ा से सुवानिया की ओर जाने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया ? अगर हां, तो कब ?

(२) यह कार्य सरकार की ओर से सम्पन्न हुआ या किसी ठेकेदार द्वारा कराया गया ? अगर ठेकेदार द्वारा कराया गया तो क्या कुल चुकारा नहर का कर दिया गया ?

(३) क्या इस नहर को खुदवाये जाने में आसपास के काश्तकारों से श्रमदान लिया गया ? अगर हां, तो क्यों और क्या उस श्रमदान की उजरत ठेकेदार को चुका दी गई ?

(४) इस नहर द्वारा जहां पर काश्तकारों ने श्रमदान किया उन्हें पानी दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 16

उप-मंत्री सिंचाई, (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सालेरा तालाब की नहरें प्राजोल्या का खेड़ा मेढ़ी खेड़ा तक सन् ६०-६१ में बनवाई गई। सुर्वानिया गाव की ओर कोई नहर नहीं बनाई गई।

(२) यह कार्य ठेकेदार के द्वारा करवाया गया। ठेकेदार द्वारा करवाये गये कार्य का कुल पेमेन्ट कर दिया गया।

(३) नहर खुदवाने में आसपास के काश्तकारों से कोई श्रमदान नहीं लिया गया; अलबत्ता काश्तकारों ने अपने अपने धोरे जरूरत मुताबिक बनाये हैं। अतः श्रमदान के काम का ठेकेदार को कोई रकम चुकाने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) नहर खुदवाने में कोई श्रमदान नहीं लिया गया। अतः कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : ठेकेदार को कुल रकम कितनी दी ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : माननीय मंत्री महोदय को बतादूं, नहर के धोरों के अलावा नहर भी खुदवाई गई और जिसमें श्रमदान लिया गया।

श्री दिनेश राय डांगी : श्रमदान नहीं लिया। अपने खुद के स्वार्थ के लिये धोरे बनाये।

श्री अध्यक्ष : जो धोरे बनाये गये वे ठेकेदार के काम में शामिल थे या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं।

जगर बांध से सिंचाई हेतु नहर योजना

८४१. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या सरकार ने जगर बान्ध के पानी को सिंचाई के काम में लाने के लिये ग्राम रारे से खेड़ी होकर होती हुई अटवाड़े तक कोई नहर निकालने की योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ होगी ?

(३) क्या यह सही है कि यहां की जनता इस नहर के लिये श्रमदान करने के लिए तैयार है ?

(४) क्या भी सही है कि यह नहर जहां से होकर जायेगी उस क्षेत्र के किसानों को जमीन के बारे में कोई ऐतराज नहीं है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस नहर की सर्वे भी हो चुकी है।

(६) यदि हां, तो सरकार ऐसी परि-स्थिति में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस विभाग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं, है सम्भव है वे श्रमदान करने को उत्सुक हो।

(४) इस समय ऐतराज का प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : आगे इसकी कब तक योजना बनाने का विचार है ?

Page No 17

श्री दिनेशराय डांगी : कौनसी योजना ?

श्री श्रवणलाल : यह तो जहां से नहर रारे से खेड़ी हेवत होती हुई जटवाड़े तक नहर निकालने की योजना है इसमें जनता श्रमदान देने को तैयार है, जमीन देने को तैयार है, तो फिर सरकार को क्या हिचक है नहर निकालने में ?

श्री दिनेशराय डांगी : अलग से निकालने की योजना नहीं है।

श्री श्रवणलाल : पानी का सवाल है तो सरकार पानी क्यों नहीं देती ?

श्री दिनेशराय डांगी : भगवान मेह ही इतना नहीं बरसाते। जितना बरसाते हैं वह वहीं काम में आ जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस बांध से सिंचाई की योजना जो थी उसमें शुरु से ही ये गांव सम्मिलित थे ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं।

नगरपालिकाओं के चुनाव

८४२. **श्री मोहनलाल सारस्वत** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की जिन नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हैं उनके चुनाव करवाने की कार्यवाही कब तक की जा सकेगी ?

(२) चुनाव करवाने में देरी के कारण क्या हैं ?

(३) प्रशासक नियुक्त किये जानेके क्या क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) चुनाव कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) नगरपालिकाओं के वार्डों तथा सीटों का सन् १९६१ की जन-गणना के आधार पर गठन होना एवं आम चुनाव व संकटकालीन स्थिति घोषित की जाने से चुनाव का रोका जाना।

(३) नगरपालिकाओं को भंग करने व मयाद समाप्त हो जाने पर चुनावों के समय पर न होने से।

श्री मोहनलाल सारस्वत : क्या क्या कार्यवाही की जा रही है इस सम्बन्ध में ?

श्री दौलतराम सारण : जो जो नियमों के अनुसार आवश्यक होती है; मसलन सीटों का निर्धारण, वार्डों का निर्धारण, लिस्टों का निर्धारण।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कितना समय इसमें लग जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : जल्दी ही करवाने की चेष्टा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : एक तारीख बताएं।

श्री रामकिशन (वैर) : जिनका यह काम पूरा हो गया है वहां कब तक करा देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : जल्दी ही कराने का प्रयास है।

Page No 18

श्री अध्यक्ष : जो इस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ती है सामान्य तौर से उसमें जितना समय लगता है उतना समय लगाने से तो आगे नहीं बढ़ जावेंगे।

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री रामकिशन : वहां तो तारीख ही फिक्स करनी है इसके लिए आपका क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ८४३

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल !

(अनुपस्थित)

गांवों में पीने के पानी की समस्या

८४४. श्रीमती **गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि गांवों में पीने के पानी की समस्या को सुलझाने को प्राथमिकता दी जाय ?

(ख) अगर हां, तो इस समस्या वाले निम्न प्रकार के गांवों के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं :—

(अ) जिन गांवों के कुओं में खारा पानी ही निकलता है ;

(ब) जिन गांवों के कुओं में नीचे पथरीली चट्टानें निकल गई हैं व जहां किसानों का श्रम बेकार हो गया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) (अ) (व) (ब) : साधनानुसार इस प्रकार के कुछ गांवों में या तो नजदीक के गांवों में जहां मीठा पानी उपलब्ध है पानी लाया जाता है अथवा सिंचाई के बन्धों तथा नहरों से पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए कुण्ड, टांका, डिग्गी या पक्के तालाब बनाये गये हैं अथवा ऐसे स्थानों पर ट्रायल बोरिंग करके मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है या नहीं, इसकी जांच की जाती है।

श्रीमती गौरी पूनिया : अब तक कितने कुओं का ट्रायल बोरिंग हो चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : इसके फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोर किये गये हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : सिंचाई के बन्धों से पीने का पानी मांगा जाय तो आ सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : पीने के पानी को सिंचाई के साथ साथ ही दिया जाता है आवश्यकतानुसार।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : प्रति वर्ष इस क्षेत्र में कितने पानी की जरूरत है ?

श्री दौलतराम सारण : एक कमेटी द्वारा मालूम किया गया है।

सैटलमेंट विभाग के सर-लस कर्मचारी

८४५. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सेटलमेण्ट विभाग के सर-लस कर्मचारियों को राजस्व

(श्री नत्थीसिंह)

विभाग में स्थान देने के लिए प्रशिक्षित एवं काफी दिनों से कार्य करने के कारण अनुभवी गिरदावर (इन्सपेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स) एवं कानूनगो को रिवर्ट किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिलेवार क्या है और उनके प्रशिक्षण पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि सेटलमेन्ट विभाग ने जिन लोगों को इन स्थानों पर लगाया है वे राजस्व एवं लेण्ड रेकॉर्ड के कार्य से अनभिज्ञ हैं और उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ?

(३) सेटलमेन्ट विभाग के जिन कर्मचारियों को उक्त स्थानों पर लगाया गया है क्या उनमें से कुछ शुतर–सवार भी थे ? यदि हां, तो कितने ?

उप-मंत्री, राजस्व(श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं।

(२) सेटलमेन्ट विभाग के व्यक्ति मूल रूप से लेण्ड रेकॉर्ड्स के सिद्धान्तों से तो अवगत होते हैं। और अधिकांश लेण्ड रेकॉर्ड्स के कागजात से भी परिचित होते हैं, लेकिन नित्य प्रति काम में आने वाले लैण्ड रेकॉर्ड सम्बन्धी नियम और विशेष हिदायतों से उनको कहीं कहीं जानकारी न हो तो वह इन्सपेक्टर का कार्य करने पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी और उन्हें भी रेवेन्यू इन्सपेक्टरों की तरह प्रशिक्षण दिया जावेगा जो अनिवार्य है।

(३) जी नहीं।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि भरतपुर के जिलाधीश ने जब आपने वहां सरप्लस कर्मचारी भेजे थे तो यह लिखा था कि हमारे यहां से जो गिरदावर ट्रेन्ड लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके स्थान में इनको लगाया जावेगा तो कार्य में बाधा आवेगी और एफीशियेन्सी घटेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी मेरे पास तो नहीं है, पर सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो अस्थायी और एफीशियेन्ट व्यक्ति थे १–९–६१ से अस्थायी तौर पर इन्सपेक्टर नियुक्त किये थे उनको ही रिवर्ट किया था।

श्री नत्थीसिंह : उनकी संख्या क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी प्राप्त करके बता सकूंगा।

रणछोड धर्मशाला, बाड़मेर की भूमि

८४९. **श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगर–पालिका बाड़मेर ने वह जमीन जिस पर रणछोड धर्मशाला, बाड़मेर का मकान बना हुआ है, अपना दफ्तर बनाने के लिए एक्वायर करने की कानूनी कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो उस कार्यवाही को स्थगित क्यों किया गया ?

(२) क्या नगरपालिका बाड़मेर ने उक्त धर्मशाला बनाने वाले को कोई खास शर्तों पर यह जमीन दी थी ? अगर हां, तो वे शर्तें क्या थीं ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। यह जमीन धर्म-शाला के लिए बिक गई थी।

Page No 20

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जमीन नहीं दी गई। धर्मशाला बनाने की इजाजत जिन शर्तों पर दी गई थी वे निम्न प्रकार हैं:—

(क) हर एक मुसाफिर को बिना जाति व धर्म के भेदभाव के ठहरने व उतरने का हक होगा।

(ख) धर्मशाला की नीचे की स्टोरी की कोई भी आय होगी वह इसी धर्मशाला के काम में लगाई जावेगी।

(ग) पोल पर धर्मशाला का नाम पत्थर से खुदा हुआ होगा।

(घ) इस मकान की नीचे की मंजिल धर्मशाला रहेगी।

श्री उम्मेदसिंह : धर्मशाला के लिये जमीन खरीदी जाती है या बिना पैसे के दी जाती है?

श्री दौलतराम सारण : यह बहुत पुराना मामला है। उस समय दी गई थी

गंदा नाला सीमेंट कम्पनी, लाखेरी

८४७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक ४ अक्टूबर, १९६२ को स्वायत्त शासन मंत्री ने सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी के गन्दे नाले का निरीक्षण किया था? यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): जी हां।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो गन्दा नाला सीमेन्ट कम्पनी ने मिला रखा है उसे उसके अन्दर नहीं मिलाकर उसे साफ रखा जाय। लोग उस पानी को····

श्री अध्यक्ष : यह तो सदन अच्छी तरह जानता है, आप कई बार बता चुके हैं इसके बारे में तो।

Next.

सैनिकों को आवंटन हेतु सुरक्षित भूमि

८४८. **श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कॉलोनाइजेशन (भाखरा प्रोजेक्ट गवर्नमेन्ट लेण्ड अलॉटमेण्ट) रूल्स, १९५५ के आधीन राज्य सरकार ने सैनिकों को आवंटन किये जाने हेतु भूमि सुरक्षित की है? यदि हां, तो कितनी?

(२) इस भूमि का आवंटन कौन करेगा? क्या इस दृष्टि से कोई नियम बनाये गये हैं?

(३) इस निमित्त और कितनी भूमि कहां कहां पर सुरक्षित की गई है? उसके आवंटन की क्या व्यवस्था है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, १,००० बीघा।

(२) नियम बनाये जा रहे हैं।

(३) दो लाख एकड़ राजस्थान केनाल में सुरक्षित की गई है, इसके भी नियम बन रहे हैं। १ हजार बीघा चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में भी सुरक्षित की गई है।

Page No 21

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स बनाने की कार्यवाही कब से प्रारम्भ की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन घोषणाओं के तत्काल बाद ही प्रारम्भ हो गई और रूल्स बनाये भी जा चुके हैं। फॉर्मल केबिनेट सेंक्शन बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : गंग केनाल में भी सुरक्षित है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं ।

श्री दयोपतसिंह (हनुमानगढ़) : वे तो एक्स सर्विसमेन के हैं जो पहले से प्रचलित हैं उनके अनुसार हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह रिजर्व लैंड किसको देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :यह नेफा लद्दाख के किल्ड और डिसएबल्ड सैनिकों के परिवारों को ।

श्री अध्यक्ष : और इसके नियम बन रहे हैं मन्त्री महोदय बता चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो नियम आलरेडी मौजूद हैं उनके तहत अलॉटमेन्ट की कार्यवाही क्यों नहीं होती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके तहत तो रिजर्व करने का प्रावधान है। क्योंकि ये तो जनरल अलॉटमेन्ट के रूल्स हैं। अब कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड वालों को कितनी कितनी मिले, वह डिटेल इसमें नहीं की जा सकती थी। तो इसके लिये स्पेशल रूल्स बनाये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या गंग केनाल के लिये भी स्पेशल रूल्स हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी : जो एक्टिव सर्विस में गये हैं उनके लिये है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इस वक्त तो जो किल्ड और डिसएबल्ड हैं उनके लिये हैं।

नगरपालिका कुचामन की भूमि के किराये की वसूली

८४९. **श्री हनुमानसिंह** (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नगरपालिका कुचामन की अस्थाई भूमि के किराया की रकम करीब ३ साल पुरानी श्री हरि कपड़ा मार्केट के व्यापारियों में बकाया निकल रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि श्री हरि कपड़ा मार्केट में मौजूदा अध्यक्ष श्री रंगलाल की दूकान श्री रामप्रसाद महादेव के नाम से चली थी और उसमें भी किराया की रकम बकाया है ?

(३) यदि हां, तो यह वसूली आज तक क्यों नहीं की गई और इसके लिए अध्यक्ष के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि मेसर्स रामप्रसाद महादेव की दूकान के सामने गत तीन वर्ष से लगातार सरकारी जमीन पर अब भी तख्ता रखा हुआ है और उसके किराये का बिल भी नहीं भेजा गया ?

Page No 22

(श्री हनुमान सिंह)

(५) यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां, श्री रंगलाल अब अध्यक्ष नहीं हैं। वर्तमान में प्रशासक कार्य कर रहे हैं।

(३) तत्कालीन अध्यक्ष ने वसूली नहीं की। बोर्ड भंग हो चुका है।

(४) जी हां, तख्ता रखा गया है। बिल भेजा गया था।

(५) प्रशासक द्वारा नियमित कार्यवाही की जा रही है।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिस आदमी में म्युनिसिपैलिटी की बकाया होती है वह म्युनिसिपल एक्ट के तहत मेम्बर रहने के लिए डिस्क्वालिफाइड होता है ?

श्री दौलतराम सारण : जो नियमों के अन्तर्गत प्रावधान हैं उनसे आप परिचित हैं।

श्री हनुमानसिंह : ३ साल की बकाया के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री दौलतराम सारण : नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री हनुमानसिंह : अभी तक कोई वसूली हुई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : अभी जानकारी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार अभी प्रशासक नियुक्त हुए हैं और व वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

लकड़ी से आमदनी, बारां क्षेत्र

८५०. श्री **दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां क्षेत्र की रेन्ज किशनगंज, जलवाड़ा एवं शाहबाद रेन्ज में सन् १९५७ से ६२ तक कितने क्षेत्र में कल्चरल ऑपरेशन हुआ और उसमें राज्य सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ और उस कल्चरल ऑपरेशन की लकड़ी से कितनी आमदनी हुई ?

(२) क्या यह सच है कि कल्चरल ऑपरेशन की लकड़ी वन विभाग द्वारा नीलाम की गई ?

(३) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र के किसानों को कृषि के काम में आने वाली लकड़ी नहीं दी गई ?

(४) क्या यह सच है कि कल्चरल ऑपरेशन के डांडे, बसीड़े आदि पंचायत समितियों के द्वारा किसानों को वितरित नहीं करवाये गये ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई ?

उप-मन्त्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १९५७-५८ से १९६१-६२ तक ९२० एकड़ बांस व २,३०० एकड़ सागवान को कल्चरल ऑपरेशन किशनगंज व जलवाड़ा रेंजों में किये गये। सन् १९६२-६३ में १,०७५ एकड़ क्षेत्र में कल्चरल ऑपरेशन का कार्य शाहबाद व किशनगंज रेंजों में किया गया।

Page No 23

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सन् १९५७-५८ से १९६१-६२ तक कुल ५४,८२०) रुपये खर्च हुए हैं तथा ८५,५९९) रुपये की आमदनी हुई। कल्चरल ऑपरेशन का कुछ स्टॉक का अभी भी विक्रय हो रहा है।

(२) जी हां, कुछ लकड़ी भी नीलाम की गई।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं, कृषकों को अपने उपयोग की लकड़ी ग्राम पंचायत की तस्दीक पर दी गई। पंचायत समितियों को स्टॉक की सूचना भी दे दी गई थी।

श्री दयाचन्द सोन : यह जो कल्चरल ऑपरेशन हुआ है यह विभाग द्वारा हुआ या ठेका दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठेके पर भी है और विभाग द्वारा भी है।

श्री दयाचन्द सोन : कौन कौन से ठेके पर दिये गये ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मैं इस समय नहीं कह सकता। स्टेटमेन्ट है मेरे पास और आप चाहें तो देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

मोई कलां, तहसील सांगोद में सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने की योजना

८५१. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम मोई कलां, तहसील सांगोद (जिला कोटा) में टाबा तालाब की मरम्मत में कितना रुपया कब कब खर्च किया गया है ?

(२) इस तालाब से मरम्मत करने के पहले कितनी सिंचाई होती थी और मरम्मत करने के बाद कितनी हो रही है ?

(३) अब मोई कलां में सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाने की क्या योजना सरकार के समक्ष है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न देरी से प्राप्त हुआ, इसलिए इसकी सूचना कलेक्ट नहीं की जा सकी है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इसका उत्तर इनको भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप लिखित में भिजवा दें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट पर व्यय—पंचायत समिति निम्बाहेड़ा

८५२. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में आई. ई. ओ. के पद पर किस योग्यता के व्यक्ति को नौकर रखा गया है ?

(२) क्या पंचायत समिति निम्बाहेड़ा ने अब तक कोई इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट किया है ? यदि हां, तो क्या क्या कार्य किये गये

(श्री अब्दुलजब्बार)

हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) पद अभी रिक्त है ।

(२) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री अब्दुलजब्बार : यह पद कितने अर्से से रिक्त है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : करीब ६ महिने से ।

श्री अब्दुल जब्बार : इस पद पर जो पहले काम करते थे उनकी क्या क्वालिफिकेशन्स थीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्योपतसिंह ।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, इसमें ४६ हजार रुपये ३ साल में..........

श्री अध्यक्ष : तो आप यह क्यों नहीं पूछते क्वालिफिकेशन्स और कितने अर्से से पद रिक्त हैं ? यह सब क्यों ?

नेक्स्ट; श्री श्योपतसिंह ।

हनुमानगढ़ की नई मंडी के किसानों की जमीन का नाली एरिया में तबादला

८५३. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) हनुमानगढ़ जंक्शन की नई मंडी और बागात स्कीम में कितने किसानों का कितना रकबा रिजर्व किया गया है ?

(२) अब तक ऐसे कितने किसान बाकी हैं जिनको रिजर्व की गई भूमि का तबादला नहीं किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि बहुत से किसानों को जमीनों का तबादला नाली एरिया में दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं जिनकी जमीनें पिछले ४–५ सालों से नाली की बाढ से प्रभावित हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) हनुमानगढ़ जंक्शन की नई मंडी व बागात में कुल ४१४ आसामियों को ७६३५।) रकबा रिजर्व किया गया है ।

(२) ऐसे कुल ८ आसामियान हैं ।

(३) हां, ऐसे कुल ३२ आसामियान हैं जिनको कि नाली एरीया में तबादले में रकबा दिया गया है और जिनकी जमीनें नाली बाढ़ से प्रभावित हैं ।

श्री श्योपतसिंह : क्या यह सही है कि लगातार इन ३२ आसामियो की जमीन उस जमीन के तबादले में लगातार बाढ़में आती रहती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जमीन के तबादले के बाद लगातार हर साल बाढ़ में आती रही या नहीं, यह तो कहना सम्भव नहीं है; लेकिन इतना निवेदन कर सकता हूं कि दो साल से लगातार वह बाढ़ से प्रभावित है ।

श्री श्योपतसिंह : तो सरकार उनकी जमीन ले चुकी है और उनके बागात की नीलामी करा चुकी है और जो उनको एवज में जमीन मिली है नाली एरिया में वह ५ साल से बराबर फ्लड में आती है तो क्या सरकार उचित नहीं समझती है कि उनको जमीन दूसरी जगह अलॉट करे ?

— श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि नाली के अन्दर जिनको जमीन अलॉट हुई है और जो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहती है वह व्यक्ति अगर दूसरी जमीन लेना चाहे तो उसके लिये वह प्रार्थना-पत्र दें तो तबादले में उनको दूसरी भूमि दे दी जायेगी।

श्री श्योपतसिंह : यह तो आपने जनरल फैसला लिया है····

श्री अध्यक्ष : इस फैसले का फायदा इस इलाके को भी मिलेगा।

श्री श्योपतसिंह : वह तो जनरल फैसला लिया है सारे इलाके के लिए। इन लोगों ने दर्ख्वास्तें दी हैं सरकार के पास। इसके बावजूद भी ५ साल से सरकार उनकी जमीन को नीलाम करके लाखों रुपया इकट्ठा कर रही है। इसके बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी दर्ख्वास्तों पर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फैसला ३१-५-६२ को हुआ है। उन्होंने कोई बहुत अर्से से दर्ख्वास्तें दे रखी हों, यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता। इस ३१-५-६२ को जो फैसला हुआ उसमें यह है कि ऐसे अलॉटीज को जिनको जमीन दे दी जाये, जब कि यह बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो यह फैसला ही ३१-५-६२ को हुआ। हमारे पास प्रार्थना-पत्र नहीं हैं। लेकिन अगर अब दें तो भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

श्री श्योपतसिंह : उनसे दर्ख्वास्तें भी आ चुकी हैं और अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं हुआ ············

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी हो जायेगा।

(विराम)

नैक्स्ट! श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

सफाई के साधन तथा पक्के रास्ते बनाने की योजना, जयपुर

८५४. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर नगरपालिका के पास जयपुर नगर में सफाई के साधन उपयुक्त हैं ?

(२) क्या पुरानी बस्ती में हाथी टीबा पर कोई नई बस्ती का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने पानी की व्यवस्था की है ?

(३) क्या जयपुर नगर में चौकड़ी पुरानी बस्ती व गंगापोल में अब भी अधिकांश भाग में कच्चे रास्ते हैं ? यदि हां, तो कितने रास्ते कच्चे हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार इन रास्तों को पक्का बनाने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत रामसारण) : (१) आधुनिक समय में साधनों का यंत्रीकरण आवश्यक है। इसकी पूर्ति बिना साधन उपयुक्त नहीं समझे जा सकते ; फिर भी साधारण तथा सफाई के साधन हैं।

(२) जी नहीं।

(३) चौकड़ी पुरानी बस्ती में करीब १३ व गंगापोल में करीब ६ रास्ते कच्चे हैं।

(४) इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : साधनों की कमी है, लेकिन काम चलाऊ सभी हैं। तो जयपुर में कितने मार्ग कच्चे हैं, जयपुर में यह बता सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी संख्या तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह मैंने निवेदन किया जेसा उत्तर में है कि जयपुर में कुछ कमी है, पर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इस वजह से प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यकतानुसार साधन बढ़ाये जायें।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : नगरपालिका की स्थिति तो वर्षों से गिरी हुई है और गिरती जा रही है। इसके कभी ठीक होने की बात है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: Next question please.

श्री दुर्गालाल बाढ़वार: मैंने क्वेश्चन नं० २ में पूछा है कि जो नई बस्ती का निर्माण हुआ है वहां न बिजली का इन्तजाम है, न पानी का............

प्रश्न संख्या ८५५

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलिया राम।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम घारू (सिवाना–सु०) : प्रश्न सं० ८५५।

श्री अध्यक्ष : No. Next Kanwar Shri Mahendra Singh.

विकास विभाग द्वारा लगाई गई सरकारी रकम–ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुर

८५६. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के पास लड़कों की तलाई व हरिपुरा ग्राम के तालाब में विकास विभाग द्वारा कुछ सरकारी रकम लगाई गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन दोनों तालाबों में एक इंच पानी नहीं ठहरता ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (**श्री भवानीशंकर नन्दवाना**) : (१) जी हां, ग्राम रांवठा की तलाई पर ६.१९४) रु० व हरिपुरा तालाब पर ३,६९२) रु०।

(२) जी नहीं।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : आपने दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने पूछा कि क्या इन दोनों तालाबों में एक इंच पानी नहीं ठहरता; मैंने कहा, "जी नहीं"। इसमें दिसम्बर-जनवरी तक पानी रहता है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : कितनी रकम का दुरुपयोग किया गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : दुरुपयोग का सवाल ही नहीं है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : क्या सरकार उस तालाब में पानी को रोका जा सके, उसके लिए कुछ धन खर्च करने के लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : उस तालाब को सुधारने की ओर ध्यान दिया जाये ताकि पानी रुक सके।

Page No 27

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर लोग तैयार हो गए और पंचायत प्रस्ताव भेजेगी तो विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

ग्राम पंचायत नूनियां के सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव

८५७. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या ग्राम पंचायत नूनियां गोठड़ा, जिला झुंझुनू के सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया था ?

(ख) यदि हां, तो कब ? उस पर विचार करने के लिए कौनसी तारीख रखी गई तथा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था ?

(ग) क्या बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक में पहुंचा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या फिर दुबारा उसी सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया ? यदि हां, तो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसको मनोनीत किया गया ?

(ङ) क्या बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति नियत समय पर वहां पहुंचा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(च) क्या फिर तारीख २५-१२-६२ को उसी सरपंच के खिलाफ तीसरी बार अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय नियत किया गया ? किस व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया गया ?

(छ) उस बैठक का क्या परिणाम रहा ?

(ज) क्या चौथी बार उसी सरपंच के खिलाफ फिर अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया ? यदि हां, तो कौनसी तारीख तय की गई ?

(झ) उक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसे मनोनीत किया गया ?

(ट) क्या उस मीटिंग में दो पंचों को मत नहीं देने दिया गया, जब कि अदालत से उनके मत लेने का आदेश हो चुका था ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

(ख) ४ अक्टूबर, सन् १९६२ को। तारीख २२-१०-६२ की बैठक रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता के लिए तहसीलदार, चिड़ावा को नियुक्त किया गया था।

(ग) तहसीलदार चिड़ावा के सख्त बीमार हो जाने से बैठक में नहीं पहुंचे।

(घ) जी हां, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट झुंझुनू को मनोनीत किया गया।

(ङ) जी नहीं, क्योंकि गांव भोरकी में शांति भंग होने का आदेश होने से अचानक मजिस्ट्रेट को वहां जाना पड़ा।

(च) जी हां, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर झुंझुनू का अध्यक्षता के लिए मनोनीत किया गया।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(छ) बैठक के समय के कुछ देर पहले दो पार्टियों के बीच में बलवा हो जाने से बैठक नहीं हो सकी।

(ज) जी हां, ७–१–६३ ।

(झ) स्वयं कलेक्टर झुंझुनूं ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

(ट) जी हां, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार उन दो पंचों के पहले ही अध्यक्षता से खारिज कर दिया गया था। अदालत से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने यथा-स्थिति कायम रखने के आदेश दिये थे। किन्तु मत देने के समय ये दोनों सदस्य बैठक में मौजूद नहीं थे।

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न (ग) के उत्तर में आपने जो कहा है तो क्या जानबूझ कर अविश्वास के प्रस्ताव को टालने के इरादे से मजिस्ट्रेट झुंझुनूं की ड्यूटी बोर्ड को शांति भंग होने के बहाने से लगाई थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : जैसा कि आपने आखिरी प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं कहती हूं कि वे दोनों पंच वहां उपस्थित थे और सिविल कोर्ट का फैसला था उसके बाद में भी कलेक्टर ने उनको मत नहीं देने दिए। यह जो गलत सूचना आपको दी गई है उसके लिए गलत सूचना देने वाले ऑफिसर के खिलाफ क्या सरकार कोई इरादा रखती है कार्यवाही करने का ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर माननीय सदस्या जानकारी रखती हैं तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा : मैं कहती हूं कि दोनों पंच वहां पर उपस्थित थे और सिविल कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कलेक्टर ने उनको मत नहीं देने दिया और आपके पास इसकी गलत सूचना आई है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर ऐसा हुआ है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है और उन सदस्यों को अधिकार है कि वह कोर्ट में प्रार्थना कर सकते है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जब कि कोर्ट ने आदेश दे दिए; उसके बाद कलेक्टर महोदय ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। इस मामले को पहले [illegible]ी हाउस के सामने रखा गया था और इसके [illegible] वजूद भी सरकार ने कलेक्टर महोदय से [illegible] पूछा कि आपने उन सदस्यों को वोट क्यों नहीं देने दिए। यह सरकार के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। सरकार कलेक्टर से जवाब तो तलब करे कि उसने ऐसा क्यों किया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं कह चुका हूं कि जांच करा ली जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : केवल जवाब तलब करने की ही बात नहीं है अगर कलेक्टर ने कोई एक्शन ले लिया, लेकिन उस अविश्वास के प्रस्ताव पर २ वोटों से जो इधर या उधर फैसला हुआ

(१२ मध्यान्ह)

Page No 29

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इसके निर्णय पर उसका असर होना चाहिये वर्ना इस तरह कोर्ट की अवहेलना करके नहीं होना चाहिये था। डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला होना चाहिये था। उसको इधर उधर कर दिया जाय, फिर एक्शन कराया जाय, इससे अधिकारों का हनन होता है। इसका प्रतिकार नहीं किया जायगा तो क्या सरकार विश्वास दिलाती है कि कलेक्टर ने कोर्ट का फैसला नहीं माना था इसलिये अविश्वास के प्रस्ताव पर दुबारा मत लिये जायेंगे?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मामला अदालत के सामने चल रहा है......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अदालत का नहीं है। अमुक दिन जब अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये मीटिंग हो रही थी उसमें भाग लेने का जिनको हक था, मत देने का जिनको अधिकार था उनको इससे वंचित क्यों रखा गया; इस बारे में जांच करा ली जाय। कलेक्टर के खुद के खिलाफ बात आती है इसलिये दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से जांच कराई जाय जो अच्छी तरह से जांच कर सके।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : जांच हो तो आप सारी बातें बता दें।

श्रीमती सुमित्रा : मैं यह पूछना चाहती हूं कि जिस दिन भोरकी में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई उस दिन वहां पर कौनसी बात थी जिसके कारण इतने इम्पोर्टेन्ट कार्य को छोड़कर उसकी ड्यूटी वहां लगाई गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका जवाब आना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सरकार के लिये यह लज्जा की बात है।

चार-चार बार अविश्वास के प्रस्ताव रखे जावें और इस तरह की गड़बड़ी हो। मैं कहता हूं कि इसकी सार्वजनिक जांच की जाय, सदन की समिति बनाई जाय जो जांच करे और दोषी व्यक्तियों को इम्पीच किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब पार्टी के लोगों के साथ ही यह व्यवहार है तो विरोधियों के साथ किस तरह का व्यवहार होगा?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उसमें भी जो मानवता की प्रतीक महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की बात होती है तो यह बहुत बुरी बात है।

श्री अध्यक्ष : जो अधिकारी जांच करे उनसे यह कह दें कि सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनके बारे में जांच करें।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैंने १३१ का नोटिस दिया था इस प्रश्न को देखते हुए सूची में होते हुए भी नहीं लिया था, यह कहकर कि मेरा प्रश्न आगे आने वाला है। मैंने सब से पहले नोटिस दिया था, मैं जानकारी चाहता हूं। मेरे इस प्रश्न का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : और भी बहुत से प्रश्न रह गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूचना भी आई है, कल आपने इसलिये नहीं रखा था कि कल मेरा प्रश्न आ रहा है, इसलिये उस कंसीडरेशन को ड्रॉप कर दिया जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इसका जवाब मुझे मुख्य मंत्री जी के द्वारा मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कौनसा महत्वपूर्ण विषय है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न संख्या ८७४ है इसके बारे में केबिनेट से डिसीजन भी हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक सवाल बकाया रह गया है।

श्री अध्यक्ष : आप अनुपस्थित थे इसलिये स्थान ग्रहण करें।

जिला जालोर में सरकारी दफ्तर

८७४. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि जिला सिरोही में जिला जालोर के मुकाबले में ज्यादा राजकीय दफ्तर रखे गये हैं। अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं, जब कि जिला जालोर की जन-संख्या सिरोही से बहुत अधिक है?

(२) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिला जालोर में सिरोही के मुकाबले में ज्यादा राजकीय दफ्तर जनता के हित के लिए व एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स के लिए रखे जायेंगे। अगर हां, तो अब तक इस निर्णय को कार्यरूप में क्यों नहीं परिणित किया गया है और भविष्य में इसकी तामील कब तक होगी?

(३) क्या यह सच है कि जिला जालोर से शिक्षा निरीक्षक का दफ्तर हटा कर सिरोही ले जाया गया? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे? वापिस इस दफ्तर को जालोर लाना क्या सरकार उपयुक्त नहीं समझती? अगर हां, तो यह दफ्तर वापिस कब तक आने की सम्भावना है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। मंत्रि-मंडल सचिवालय के आज्ञा दिनांक २०–९–६२ के अनुसार जिला सिरोही में ७ और जिला जालोर में ५ दफ्तर रखे गये हैं। ऐसा करने के कारण जन-संख्या के अलावा शासकीय सुविधा, तहसीलों और विकास खंडों की संख्या, क्षेत्र में वसूल किये जाने वाले भू-राजस्व, मुकामी अहमियत और भिन्न-भिन्न विभागीय इकाइयों द्वारा किये जा रहे कार्य-कलापों की मात्रा एवं संस्थाओं की संख्या इत्यादि हैं। इस विधि से खर्चे में भी बचत हो गई है, क्योंकि प्रत्येक जिले में सभी विभागीय अधिकारियों के दफ्तर नहीं रखे गये हैं।

(२) जी नहीं। मंत्रि-मंडल की इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई, न ऐसा कोई निर्णय लिया गया, इसलिए कार्यरूप में परिणत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 31

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) जी हां, इस सम्बन्ध में कृपया प्रश्न नं० (१) का उत्तर देखिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक बार केबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह तय किया था कि ४ दफ्तर सिरोही में रहेंगे और ३ जालोर में रहेंगे। उस पर दरख्वास्तें आने पर दुबारा केबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ उसको एबेयेन्स में रखा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि जालोर जिले की आबादी सिरोही जिले के बनिस्पत ज्यादा है, वहां पर ५॥ लाख की आबादी है जब कि सिरोही जिले की आबादी ३ लाख है, जालोर में ज्यादा दफ्तर खोलने के सरकारी डिसीजन को इम्पलीमेंट नहीं करने के कौन से वजूहात हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने प्रश्न (२) का जबाब दिया उसमें 'जी नहीं' कहा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा प्रश्न यह है कि जो केबिनेट ने दुबारा डिसीजन लिया उसके अनुसार ऑर्डर भेजकर भी उसका इम्पलीमेन्टेशन रोक दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का क्या यह कहना है कि यह जो निर्णय हुआ है उससे तो आप सन्तुष्ट हैं, लेकिन कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसको एबेयेन्स में रख दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एबेयेन्स में रखने का सवाल नहीं है। जालोर में ५ दफ्तर और सिरोही में ७ दफ्तर खोलने का निर्णय हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का दफ्तर पहले सिरोही में मुकर्रर हुआ था, उसके बाद रिप्रेजेन्टेशन हुए, तो विभाग का आर्डर चला गया कि युनिफाइड कर रहे हैं और केबिनेट में फैसला हो गया था, फिर उसको एबेयेन्स में रखने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले सिरोही के लिये तय हुआ था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले सिरोही के लिये तय हुआ, फिर पुनर्विचार हुआ तब जालोर के लिये तय हुआ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ओरीजिनल केबिनेट डिसीजन है उसका इम्पलीमेन्टेशन है।

श्री अध्यक्ष : यदि पुनर्विचार हो तो फिर पुनर्विचार करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दुबारा केबिनेट डिसीजन क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

दिनांक २२ मार्च, १९६३ का स्थगित प्रश्न

श्री राम किशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिकिशन जी का प्रश्न संख्या ३६४ और ले लिया जाय। अनुसूचित जातियों के बारे में नयी व्यवस्था हुई है, उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन नं० ३६४.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति को राज्य सेवाओं में संरक्षण

३६४. श्री हरिकिशन (राजगढ़)—श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जब से अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं में संरक्षण दिया गया है तब से इन जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती (नियुक्ति) करने के लिए राज्य सरकार ने क्या तरीका व व्यवस्था अपनाई है और वह व्यवस्था सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए कहां तक सफल रही है ?

(२) क्या एक साल में सुरक्षित स्थानों की पूर्ति न होने पर दूसरी साल राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों की पूर्ति के लिए वे स्थान रिक्त रखती है ? यदि ऐसी व्यवस्था रखी गई है, तो विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कहां तक इसका अनुपालन किया गया है और यदि नहीं रखी गई है, तो उसका क्या कारण है ?

(३) क्या राजस्थान सरकार ने शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित व अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के बारे में अब तक राजस्थान प्रान्त भर से आंकड़े इकट्ठे किये हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का क्या प्रयास किया है तथा भविष्य में इस ओर राजस्थान सरकार की क्या नीति रहेगी ?

(४) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जन-जातियों व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के बारे में आदेश क्रमशः १२-२-१९५८ व नं० एफ. २५ (४२) जी.ए. (ए) । ५१ दिनांक सितम्बर, १९६१ जारी हुए, उनकी तामील विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कहां तक की गई है ? उसकी प्रगति की रिपोर्ट देने की कृपा करें और यदि उपरोक्त राज्य सरकार के आदेश की तामील विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं की गई है तो उनकी इस लापरवाही के निस्बत राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(५) अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये राजस्थान सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी उसने राजस्थान सरकार को कब रिपोर्ट पेश की है और उसकी सिफारिशों पर राजस्थान सरकार क्या और कब निर्णय लेने जा रही है ?

(६) जब राजस्थान में अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जातियों के सुरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है, तो माह मई १९६२ से इन जातियों के उम्मीदवारों को राज्य सेवा में कमी के कोटे को पूर्ति करने की अपेक्षा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाना कहां तक उचित है ?

(७) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आदेश क्रमांक एफ. १ (१३) ।१। एफ. (जी. ए.) । ६१ दिनांक ३ अगस्त, १९६२ के अनुसार स्पेशल रिक्रूटमेन्ट बोर्ड का गठन किया है तो उसमें कौन कौन सदस्य रखे गये हैं और क्या अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के गैर सरकारी सदस्य भी रखे गये हैं ?

उप-मंत्री, समाज-कल्याण (श्रीमती प्रभा

Page No 33

(श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

मिश्रा(१) अनुसूचित जन–जाति व अनुसूचित जातियों को राज्य सेवा में संरक्षण दिये जाने के विषय में राज्य सरकार ने अनेक आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार प्रत्येक विभाग में रिक्त स्थानों में से १२।। प्रतिशत गजटेड सबोर्डिनेट तथा मिनीस्टीरियल सेवाओं के लिए तथा १५ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। जो पद जन सेवा आयोग के दायरे से बाहर हैं उनके लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित विभागों की नियुक्ति विभाग द्वारा प्रेषित किये जाते हैं। विभागाध्यक्ष भी अपने यहां रिक्त स्थानों के लिए एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम मांगते हैं और अखबारों में इस बारे में सूचना प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक वर्ष में की गई नियुक्तियों का विवरण भी विभागाध्यक्षों से मंगवाया जाता है और यह विवरण मंत्रि मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्य में काफी सफलता मिली है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से विदित होगा :—

राज्य सेवा	१-४-४८ से ३१-३-६०	१-४-६० से ३१-३-६१	१-४-६१ से ३१-३-६२
गजटेड	२.५	३	४.७
सबोर्डिनेट	११	८.४	८.६
मिनिस्टीरियल	११	१२.५	१७.५
चतुर्थ श्रेणी	२३.६	३०.३	२४.३

इन आंकड़ों से विदित होगा कि चतुर्थ श्रेणी में इन लोगों की भर्ती १५ प्रतिशत के विरुद्ध ३०.३ प्रतिशत तक और मिनिस्टीरियल सर्विस में १२–१।२ प्रतिशत के विरुद्ध १७.५ प्रतिशत हुई है। अन्य सेवाओं में कमी का मुख्य कारण योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का अभाव ही है।

(२) जी हां। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अधिकतर इसका पालन किया गया है।

(३) जी नहीं, किन्तु रोजगार दिलाने का जो प्रयास किया गया है उसका प्रश्न (१) के उत्तर में उल्लेख है।

भविष्य में भी राजस्थान सरकार की यह नीति रहेगी कि निश्चित कोटा के अनुसार इन लोगों की भर्ती होती रहे।

(४) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न नं० (१) के उत्तर में सम्मिलित है। चतुर्थ श्रेणी और मिनिस्टीरियल सेवा में भर्ती संतोषजनक रही है। सबोर्डिनेट और गजटेड सेवाओं में भर्ती कम होने का कारण योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का अभाव है, इसलिए किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई; अलबत्ता जिन अधिकारियों ने वार्षिक विवरण नहीं भेजा है उनको चेतावनी दी गई है।

(५) रिपोर्ट तैयार हो गई है जो राज्य सरकार को शीघ्र ही पेश की जावेगी।

(६) चतुर्थ श्रेणी और मिनिस्टीरियल सर्विसेज में भर्ती निश्चित् कोटा से अधिक हुई है, जैसा कि प्रश्न (१) के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से विदित है। सबोर्डिनेट सर्विस में १-१-५९ से ३०-६-६१ तक के रिक्त स्थानों में भर्ती के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की नियुक्ति की गई है और उसके द्वारा चयन किये गये व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं है।

(७) स्पेशल रिक्रूटमेन्ट बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

१. डॉ० बी. एल. रावत, सदस्य, जन सेवा आयोग चेयर मेन

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

२. सचिव, समाज कल्याण विभाग सदस्य
३. संबंधित विभागाध्यक्ष सदस्य ।

कोई गैर-सरकारी सदस्य इस बोर्ड में नहीं शामिल किया गया है ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सातवें प्रश्न का जवाब है, इसमें जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधियों को सरकार इस बोर्ड में रख ले तो क्या आपत्ति है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार ने जैसे उचित समझा है वह किया है । इसलिए तीन व्यक्तियों को इसमें रखा गया है, गैर सरकारी आदमी को नहीं रखा है ।

श्री रामकिशन : यह सरकार के ध्यान में है कि देश में जाति प्रथा है ? इसमें तीनों सवर्णों को रखा है, तो क्या समानता की दृष्टि से उनको प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं समझती सरकार ? इसमें क्या दिक्कत है ? यह मैं आरोप की दृष्टि से नहीं कहता ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह विचारधारा घातक है । इसके लिए उपयोगी नहीं हो सकती ।

श्री रामकिशन : घातक यह विचारधारा है, हम जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें यह घातक है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह दृष्टिकोण का अन्तर है !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जाति और जन-जाति के व्यक्ति है, उनको रखना ही लाभदायक है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप यह क्यों सोचते हैं कि दूसरी जाति के लोग इनकी सुरक्षा के लिए काम नहीं करेंगे ।

श्री रामकिशन : यही मतलब है । सोचिए इसको जरा........

श्री मुरलीधर व्यास : अगर अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के प्रतिनिधि रहते हैं तो उनको जानकारी रहेगी कि उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं, काम हो रहा है या नहीं । अगर उनके व्यक्ति हों तो ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है । आपका लक्ष्य भी सुरक्षा देना है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : समाज-कल्याण मंत्री खुद हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार की नीति है कि जिस तरह अपोइन्टमेन्ट्स के अन्दर रिजर्वेशन है, उसी तरह प्रमोशन में कुछ रिजर्वेशन रखा जाय ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कानून है कि नहीं रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : उस संबंध में कुछ निर्णय हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : मध्यप्रदेश की हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : सुप्रिम कोर्ट का फिर हुआ है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : गैर सरकारी सदस्य को नहीं रखना चाहते तो सरकार के विभाग के शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बड़े अधिकारी हों, जिनकी

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

क्वालिफीकेशन, जो दूसरे मेम्बर इसमें अपोइंट किये गये हैं उनके बराबर या कम हो तो उनको इस बोर्ड का मेम्बर बनाने का विचार करें तो क्या हर्ज है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई): इस सवाल को इस तरह देखा जाय तो अविश्वास का प्रश्न पैदा हो जाता है । मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य मैम्बर हैं और जब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन गठन किया उसके अन्दर इस प्रकार का विचार नहीं किया तो इस प्रकार का प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें कोई जिद्द का प्रश्न नहीं है । यदि रिजर्वेशन देना चाहते है सर्विस में, और तीन आदमीयों का सिलेक्शन बोर्ड रखा है तो उसमें एक उनका भी हो, जो आलरेडी आपकी गवर्नमेंट सर्विस में है, जिसकी हाई क्वालिफिकेशन है, उसको रखने में कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इस तरह का जवाब शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मंत्री ही दे रहे हैं ।

श्री रामकिशन : वह देना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्टर खुद बहुत से लोगों को कहते रहते हैं बाद में ।

एक माननीय सदस्य : आपने जवाब दिया है, उसमें बताया है कि योग्यता और अनुभव न होने के कारण बहुत से स्थान रिक्त रह जाते हैं । क्या आप बता सकते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में कितने पढ़े-लिखे बेकार हैं ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): सरकार पंजाब सरकार से उदाहरण ले सकती है, जहां सिलेक्शन बोर्ड में कम से कम एक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर रहता है ।

श्री अध्यक्ष : पी. एस. सी. में भी ।

श्री रामकिशन : मध्य प्रदेश में भी रखा है । कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी इस तरह का सुझाव रखा गया है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : यहां केबिनैट में भी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह प्रिन्सिपल, तरीका या नीति है, क्या सरकार इसे उसूलन गलत समझती है किजिस जाति के लिए रिजर्वेशन है उस जाति का आदमी सिलेक्शन बोर्ड में नहीं होना चाहिए ? क्या इस उसूल पर विचार नहीं करना चाहती ?

एक माननीय सदस्य : सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है कितने पढ़े-लिखे बेकार दफतरों के चक्कर काटते हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): प्रिन्सिपल की बात यह है कि उनको उचित रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए । लेकिन उचित रिप्रेजेन्टेशन मिलने के लिए एक मेम्बर को बोर्ड में रख देने से रिप्रेजेन्टेशन मिल जायगा, यह आवश्यक नहीं है । इसलिए उस लिहाज से प्रश्न के ऊपर विचार करने के बजाय दरअसल उनको मदद मिल सके, उसके लिए रूल्स में और दूसरी चीजों में जितनी सुविधा हो सकती है उतनी सुविधा देने की राज्य सरकार की नीति रही है ।

Page No 36

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस प्रश्न पर............

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय अपनी जाति और पिछड़ी जाति के सही प्रतिनिधित्व का पर्याप्त उपयोग नहीं करते हैं तो दूसरा आदमी जो कर सके उसको रखा जाय ।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न था, पढ़े-लिखे बेकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में मौजूद हैं और सरकार कहती है कि पर्याप्त मात्रा में मिलते नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टीरियल और क्लास फोर के लिए जितना संरक्षण है उससे ज्यादा है. लेकिन अपर क्लास के कर्मचारी हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में योग्य और अनुभवी नहीं मिलते हैं ।

श्री रामकिशन : इस सर्विस के लिए भी मिलते हैं, लेकिन लिया नहीं जा रहा है । इसके आंकड़े होते तो मालूम हो जाता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपका क्वेश्चन है इसका उत्तर नहीं आया कि प्रमोशन के प्रश्न पर गवर्नमेंट ने रिज़र्वेशन रखा है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : क्लास फोर और क्लास थ्री सर्विस के बारे में विषय सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के विचाराधीन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रमोशन के अन्दर भी रिज़र्वेशन होना चाहिए और यह अगर हो तो वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जायगा ? इस प्रकार का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, उसकी लाइट में गवर्नमेंट प्रमोशन के अन्दर इतना ही पर्सेन्टेज रिज़र्व करने की कोशिश करेगी जैसा अपोइन्टमेंट में है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने निवेदन किया पहले सदन के सामने कि ये सारे प्रश्न ऑल इंडिया पॉलिसी के प्रश्न हैं; जैसे प्रमोशन के अन्दर किस पालिसी को अडॉप्ट किया जाय । जनरल क्लास थ्री और फोर्थ के बारे में भी ख्याल किया जाता है कि प्रमोशन के अन्दर भी इस प्रकार का रिज़र्वेशन किया जा सकता है । इस तरह के रिज़र्वेशन के बारे में भारत सरकार होम मिनिस्टरी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स की ओपीनियन के बाद किसी निर्णय पर पहुँचेगी और राजस्थान सरकार भी तदनुसार कार्यवाही करेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की अपनी निजी राय क्या है जो केन्द्र के सामने रखना चाहती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने जो कुछ कहना था वह कह दिया । ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं । इस मौके पर अलग अलग बताना उचित नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के अन्दर प्रावधान है कि राज्य सरकार स्वयं ऐसी व्यवस्थायें कर सकती है कि छोटी जातियों के व्यक्ति सिलेक्शन बोर्ड में आयें । क्या संविधान के अनुच्छेद का पालन करना सरकार अपना फर्ज नहीं समझती ?

Page No 37

श्री केदारनाथ गंगानगर) : रिलीजियन कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या एक कास्ट वाला दूसरी कास्ट में कन्वर्ट हो सकता हैं, अगर एक कास्ट वाला दूसरी कास्ट में जाना चाहे ?

एक माननीय सदस्य : प्रमोशन का जो प्रश्न है इसमें फैसला हो जाय कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रमोशन में रिजर्वेशन हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह बात आ चुकी है । बार-बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है । यह सरकार के विचाराधीन है ।

एक माननीय सदस्य : जो रिजर्वेशन रखा गया है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं किया गया है । वे कहते हैं कि अनुभवी और योग्य आदमी नहीं मिलते हैं । मैं जितने वे चाहें उतने दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये यह विचाराधीन है । रिजर्वेशन नहीं हुआ है इसलिए चर्चा हुई है । जो आप कह रहे हैं वही बात ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई है ।

एक माननीय सदस्य : जो स्थगित प्रश्नों के उत्तर सदन में नहीं आ सके हैं उनके उत्तर सदन की मेज पर रखने का आदेश दें ।

(अवशिष्ट प्रश्नोत्तर हेतु कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

(१२.२० म० प०)

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(सदन की मेज पर रखना)

सचिव राजस्थान विधान सभा श्री अनोपसिंह) : मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा इस सत्र में पारित निम्न विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(१) राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३.

(२) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३.

(३) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२.

(४) राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२.

(५) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३.

(वित्त रेवन्यू एण्ड इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की सूचना

(सदन की मेज पर रखने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न एवं उसे सदन की मेज पर रखना)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, sir, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री, वित्त रेवेन्यू एण्ड इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की अधिसूचना सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं । यह २४ जनवरी, १९६३ को शाया की गई । रूल्स बने हुए हैं कि इस प्रकार की अधिसूचना हो वह जल्दी से जल्दी सदन सामने पेश की जावे । जब यह जनवरी में शाया की गई तो ज्यों ही एसेम्बली का अधिवेशन प्रारंभ हो उस समय सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी क्योंकि सदन को अधिकार है कि यदि माननीय सदस्य कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो १५ दिन के अन्दर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसमें हेर फेर भी कर सकते हैं । आज

(श्री भैरोंसिंह)

जब कि सदन का सत्र समाप्त होने जा रहा है तो यह अधिसूचना हमारे सामने रखी जावे, तो हम हमारे राइट्स से वंचित रह जाते हैं और हम कोई संशोधन उसमें नहीं ला सकते। यदि इस प्रकार से आखिरी दिन अधिसूचना हमारे सामने मेज पर रखी जावे तो उसके मेज पर रखने का सारा मतलब होता है वह खत्म हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी के बाद फरवरी में सत्र प्रारंभ हुआ उस समय सरकार को इसे सदन की मेज पर रखना चाहिये था, ताकि हम कोई संशोधन १५ दिन के अन्दर लाना चाहते तो संशोधन करा सकते थे। आज के दिन जब इस अधिसूचना को रखते हैं तो हमारे अधिकार सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से अधिसूचना को अंतिम दिन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जावे और इसको दुबारा सरकार रखे ताकि हमें, इसमें कोई संशोधन कराना चाहें, तो उसका अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्ष (वित्त मंत्री को संबोधित करते हुए) : कुछ देरी के कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : क्योंकि बजट सेशन था उसमें काफी व्यस्त होने के कारण इसमें देर हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : हुई है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को सिर्फ इतना सा पढ़ना पड़ता है : "श्री बालकृष्णकौल, वित्त मंत्री, वित्त (रेवेन्यू ड इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ७(८)/ई० एण्ड टी०।६० दिनांक २४ जनवरी, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।"

इतने से कष्ट के लिए इसमें आपके तीन महीने लग गए। यह आधा मिनट का काम था। करोड़ों रुपयों का टैक्स लगाया है। आधा मिनट के लिए आप इसको रख सकते थे। मैं समझता हूं कि सरकार की यह दुर्भावना है। यदि थोड़ा बहुत माननीय मंत्री अपनी जिम्मेदारी महसूस करते कि रूल्स के अनुसार सरकार की अधिसूचना मेज पर रखनी है, अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करते तो आधा मिनट का काम था। आपने भी इस सम्बन्ध में कई दफे रूलिंग दिए हैं। मगर फिर भी बार बार उलाहना खाकर बराबर इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपके आदेशों का भी उल्लंघन है और हमारे अधिकारों का भी हनन है। इसलिए इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् मैं कह चुका हूं कि यह गलती है।

एक माननीय सदस्य : भूल जरूर है, बेईमानी नहीं है।

श्री बालकृष्णकौल : मैं आपकी ताइद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा इसे समय पर पेश किया जावेगा ताकि माननीय सदस्य चाहें तो समय पर संशोधन प्रस्तुत कर सकें। आपने पहले दिन के बजाय आखिरी दिन पेश किया है।

श्री **बाल कृष्ण कौल** : अध्यक्ष महोदय, मैं (वित्त रेवेन्यू एण्ड इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ७(८) ई० एण्ड टी० । ६० दिनांक २४ जनवरी, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

सदन की मेज पर रखे गए अन्य पत्र

(क) टेक्नो इकोनोमिक सर्वे ऑफ राजस्थान की प्रति

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं टेक्नो इकोनोमिक सर्वे ऑफ राजस्थान की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का दसवां प्रतिवेदन

श्री **भीखाभाई** (समाज कल्याण मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की दसवीं रिपोर्ट, १९६०–६१ (भाग १ व २) सदन की मेज पर रखता हूं ।

जिला भीलवाड़ा में सेमी कण्डक्टिंग रौक की खोज सम्बंधी विषय पर ध्यान दिलाना

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में सेमी कन्डक्टिंग रोक (semi conducting rock) की खोज से सम्बन्धित विषय पर उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मन्त्री, खनिज) अध्यक्ष महोदय, एक अखबार के कटिंग के आधार पर इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । कटिंग की जानकारी से मालूम होता है और राजस्थान सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त की गई, उससे यह प्रकट हुआ कि १९४८ में प्रो० दत्ता भीलवाड़े में मेवाड़ टेक्सटाइल में आग लग जाने से क्लेश के सिलसिले में आये थे और वहां पर उनको यह पता लगा कि यहां पर ऐसा रोक (rock) है जिससे कुछ पार्ट बन सकते हैं । उन्होंने इस रोक को किसी के जरिये मंगाया और १० वर्ष बाद इन्वेस्टीगेशन किया और उन्होंने कुछ तथ्य बताये; उसके आधार पर यह कहा जाता है कि उससे कुछ ट्रान्जिस्टर्स तैयार किये जा सकते हैं और कम कीमत में । इसकी सूचना आने पर हमने उनको लिखा और लिखने पर जो जानकारी मिली वह मैंने प्रस्तुत की है ।

कुछ समय पूर्व पार्लियामेन्ट में **प्रो० कबीर** ने एक प्रश्न के दौरान बताया कि लेबोरेटरी में इन्वेस्टीगेशन हुआ और डिमोन्स्ट्रेशन से पता लगता है कि जो भीलवाड़ा में एक प्रकार की रौक मिलती है उससे ट्रान्जिस्टर तैयार किये जा सकते हैं और उसकी कोस्ट बहुत कम हो सकती है । उन्होंने १०, ११ ट्रान्जिस्टर्स और रेडियो सेट्स डिमॉस्ट्रेशन में दिये । वे पेटेन्ट राइट के लिये थे । यह भी पता लगा है कि मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने एश्योरेन्स दिया है प्रो० दत्ता को कि उन्हें पेटेन्ट राइट दिया जा सकेगा । इसका सर्वे हुआ, उसमें इस प्रकार की रौक्स स्माल क्वान्टिटी में एवेलेबल हैं । उसके आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम डिपार्टमेन्ट से जांच करवा रहे हैं । जांच के

Page No 40

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बाद यदि नतीजा निकलेगा कि आया यह काफी क्वान्टिटी में निकलती है जो इकोनोमिकल है, और ट्रान्जिस्टर बनाने में काम में लिया जा सकता है या नहीं। इसलिये जब तक इसकी पूरी सर्वे और इन्वेस्टीगेशन नहीं हो जावे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम अपने विभाग द्वारा उचित कार्यवाही कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि उक्त जो डॉक्टर दत्ता हैं उनसे इन्होंने जो डिस्कवरी की है उसके पेटेन्ट राइट्स तमाम वर्ल्ड के लिये खरीदने के लिये किसी फोरिन कन्ट्री का किसी फर्म ने उनको ऑफर दिया है? यदि ऐसा है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं इस मामले में कुछ करती?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : फोरिन कन्ट्री की किसी फर्म ने उनको ऑफर दी है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता; पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के मिनिस्टर इन्चार्ज ने उनको एश्योर किया है उनके पेटेन्ट के लिये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से कोई कोरेस्पोन्डेन्स की है, इस जानकारी के मिलने के बाद में कि राजस्थान सरकार के इसमें अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके और शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा सके?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायगी, अभी तक कुछ नहीं की गई है।

(१२.३२ म० प०)

(आधे घंटे के वाद-विवाद सम्बन्धी)

श्री **अध्यक्ष** : आधे घंटे की चर्चा। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से सूचना मिली है कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिये इस पर चर्चा आज न की जाकर किसी और समय की जाय।

श्री **तेजाराम गहलोत (सोजत)** : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४९ (४) के प्रोविजो की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। उसके अनुसार इस पर चर्चा आज ही की जा सकती है, आज के बाद किसी दिन चर्चा नहीं हो सकती। आज चर्चा नहीं होने का मतलब होगा कि नोटिस दिया और श्रीमान् ने स्वीकार किया, फिर भी उसको अवोइड किया जा रहा है। सरकार अभी इसका उत्तर नहीं देना चाहती, इसका मतलब यह हुआ कि इसका उत्तर वह देना ही नहीं चाहती, क्योंकि आज सेशन समाप्त हो रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न चर्चा नहीं होने का नहीं। चर्चा आज हो सकती है, पर सरकार की ओर से कहा गया है कि पूरे तथ्य उनके पास नहीं आ सके हैं। चर्चा का समय रखा है, चर्चा हो सकती है पर सारे तथ्य उनके पास नहीं आ पाये हैं, सारे तथ्य इकट्ठे होने पर ही सदन के समक्ष सूचना रखी जा सकती है। इसकी सूचना सरकार ने दी है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, इस रूल के अनुसार यह मोशन एडमिट हो जाने के बाद और हाउस के प्रोग्राम में एजेंडा में रखे जाने के बाद इस नियम में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिसके अनुसार इस एजेंडा को आगे स्थगित किया जा सके। अभी सरकार के पास जितनी सूचना है उतनी ही सूचना

Page No 41

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस चर्चा के दौरान में दे दें, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो सरकार और समय मांग सकती है और कभी इस प्रश्न को उठाया जा सकता है।

२६ तारीख को नोटिस दिया गया था। उसके बाद इतना समय गुजर गया है और यह प्रश्न अपने आप में मौलिक नहीं, दूसरे प्रश्न से उठा था उससे ज्यादा तथ्य जानने की ही बात है। ऐसी हालत में सरकार के पास समय पर्याप्त नहीं था, यह दलील ठीक नहीं। एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, इसको इस तरह टाला नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : वह बात तो माननीय सदस्य को सुविधा के लिये है। उनके पास जो तथ्य हैं, उन्हीं के आधार पर जवाब हो तो इसमें कोई बात नहीं, फिर चाहें कि आगे हो तो भविष्य में नियमों के अनुसार जो कर सकते हैं नहीं कर सकेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जब २६ तारीख को नोटिस दे दिया था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The Question is not this. प्रश्न इस बात का है कि एड्मिट कर लिया है तो सरकार के पास जितना उत्तर है दे देगी। आप प्रश्न उठायें, जितना उत्तर मिल सकेगा मिल जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व): सवाल इस बात का है, जिस प्रश्न को पूछना चाहते हैं, जो सवाल आपके सामने तीन-चार पेज में आता है उसके जवाब के सम्बन्ध में पूरी जानकारी के बगैर तो मैं कोई आइडिया सदन के सामने नहीं रख सकता। इस समस्या के बारे में पूरी जानकारी हो सके, ३३ केसेज हैं, उनकी फाइल्स को देखना है, लीगल जजमेंट्स कोर्ट्स के हैं, गवर्नमेन्ट के आॅर्डर्स हैं, उनको जाच करने के बाद ही सही स्थिति सदन के सामने रखी जा सकती है। सदन के समक्ष कोई चीज रखते वक्त सारी मर्यादाओं, फेक्चुअल व लीगल जानकारी करके ही रखी जा सकती है। छिपाने का प्रश्न नहीं। छिपाने का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता कि जितने डिसीजन, केसेज हैं सब डिसाइडेड हैं। मैं चाहूं, कोई चाहे तो भी तब्दील नहीं कर सकता। कुछ समय बाद वह पूरी जानकारी दे सकता हूं। आज वह जानकारी नहीं दे सकता, जिससे सदन के सामने सब तथ्य आ सकें। जो रेकॉर्ड में है, वह आज रखने में मैं असमर्थ हूं, छिपाने की कोई बात नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, उस दिन भी मन्त्री महोदय ने यही कहा था।...............

/

श्री अध्यक्ष : इस चर्चा में न पड़ें। यदि आप यह चाहते हैं कि जितनी जानकारी सरकार के पास है वह जानकारी आपको दे दें तो आप पूछ लें और यदि आप यह चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी दी जाय तो नेक्स्ट टाइम के लिये रख लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नेक्स्ट टाइम पर रख लें।

स्थगन प्रस्तावों इत्यादि सम्बन्धी जानकारी

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं।

Page No 42

(श्री रामकिशन)

मैंने एक प्रश्न जोधपुर के मामले का सदन के समक्ष रखा था। आपकी व्यवस्था भी उसमें हो चुकी है कि सदन का समय समाप्त होने से पहले सूचना दे दी जायगी। तो वह सूचना गृहमंत्री मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष : वह है और एक अन्य कवियों वाला प्रश्न है; ४ कवि जयपुर से गये हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना हो तो दे दी जाय।

श्री कुमारानन्द (व्यावर) : On a point of Information Sir, मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने एक एड्जर्नमेंट मोशन दिया था। आपने मूव नहीं करने का आदेश दिया।

श्री अध्यक्ष : आप विषय बताइये।

श्री कुमारानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि गोठड़ा वासलपुर गांव, करौली में हजारों रुपया लूट कर ले गये तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरा भी एक एड्जर्नमेंट मोशन था....

श्री अध्यक्ष : यों तो आप हर एक बात पर एड्जर्नमेंट मोशन उठा सकते हैं। मैंने रिजेक्ट कर दिये, क्योंकि लोक महत्व के नहीं। फिर भी दो-एक का जवाब देने के लिए कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यापक के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : Order please! I don't want any mention of that.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मेरा, चार आदमी मेले की भीड़ में मारे गये, इसके सम्बन्ध में था। यह सरकार मेले की भीड़ का इन्तजाम नहीं कर सकती........

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है, उनकी बातें आपके सामने आयेंगी।

(१२.३८ म. प.)

गृह मंत्री महोदय के वक्तव्य

(क) राजस्थान के कवियों की मद्रास पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इस तरह का काम रोको प्रस्ताव पेश हुआ था, जिसके बारे में राजस्थान के चार कवि दक्षिण में भारत की यात्रा के लिए, राष्ट्रीय रक्षा कोष में रुपया इकट्ठा करने के लिये निकले थे। उन कवियों ने यहां से आन्ध्र का दौरा किया। वहां से मैसूर स्टेट में गये, फिर केरल गये और फिर मद्रास गये और अब इस वक्त मालूम पड़ा है कि वे उड़ीसा स्टेट में हैं। वे चार कवि गये तो इसमें उन कवियों की भावना थी कि कवि भी देश की सुरक्षा के लिये धन-राशि इकट्ठा करने में सहयोग दें और इस भावना को लेकर राजस्थान के चार कवि निकले थे। श्री कृष्णकुमार शर्मा, जो कि 'अधिकार' साप्ताहिक के सम्पादक थे वे उनके नेता थे। वे यहां से गये और वहां बंगलोर मैसूर स्टेट में उनका बहुत स्वागत हुआ। मैसूर के चीफ मिनिस्टर ने ५० हजार की धनराशि उनको दी। और जगहों पर भी वे गये। वहां उनका स्वागत हुआ। करीब १० हजार रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, इन ५० हजार के अलावा। मद्रास पहुँचे तो वहां कवि

Page No 43

(श्री मथुरादास माथुर)

गोष्ठि की। वहां आपस में इनके मतभेद हुआ, जिसकी वजह से बृजमोहन शर्मा, जो आदर्श नगर, जयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने वहां पर मद्रास के एक पुलिस थाने में शिकायत इस अमर की पेश की कि जो नेशनल डिफेन्स फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको इसके जो नेता महोदय कवि गोष्ठि के हैं वे लेविशली खर्च कर रहे हैं और रुपया काफी जाया किया जा रहा है और उनको खतरा है कि इस रुपये का कहीं मिसएप्रोप्रियेशन न हो जाय। इसकी रिपोर्ट उन्होंने मद्रास के न्यू बाग स्ट्रीट के पुलिस थाने में की। मद्रास की पुलिस ने इसकी प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी की और हमारे जयपुर के एस. पी. को सिग्नल भेजा कि इन चार आदमियों के बारे में आप की क्या राय है, कैसे व्यक्ति हैं। जब उन्होंने यहां यह सिग्नल भेजा तो बृजमोहन ने, जिसने कि शिकायत पेश की थी, लिखित में एक दर्खास्त पेश की कि यह जो मैंने शिकायत पेश की है, जल्दबाजी में कर डाली है, जो मैंने एलिगेशन्स लगाये हैं ठीक नहीं हैं। मैं अपनी दर्खास्त को वापिस लेता हूं। ये दोनों दरख्वास्तें पेश हुई और हमारे यहां २७ मार्च, ६३ को जो सिग्नल एस. पी. को मिला, ३० मार्च को उसके जवाब में भेजा कि इनका रेकॉर्ड कोई खराब नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सूचनाएं थीं उनके आधार पर वापिस लिखा और ३१ मार्च, ६३ को कम्प्लेन्ट को ड्रोप कर दिया। कम्प्लेनेन्ट ने खुद ने ड्रोप कर ली और लिख कर चला गया। इस पर वह ड्रोप कर ली गई। न उनको कभी गिरफ्तार किया गया, न पुलिस थाने में बुलाया गया। कम्प्लेन्ट पेश हुई थी। मद्रास पुलिस ने राजस्थान सरकार से इन्क्वायरी की। बिथड्रा कर ली गई तो उसकी इन्क्वायरी करना मुनासिब नहीं समझा। अब ऐसे समाचार मिले हैं कि वे उड़ीसा की तरफ गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि इन चार कवियों को जयपुर से रवाना होने पर मुख्य मंत्री महोदय ने इन्ट्रोडक्टरी लेटर दिया था?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां, यह सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो इन्ट्रोडक्टरी लेटर दिया गया था, जो धनराशि के चन्दे के रूप में इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए राजस्थान सरकार की अधिकृत रसीद दी गई होगी, इसकी तसल्ली कर ली गई होगी, नहीं तो यह किसकी जिम्मेदारी है कि बिना तसल्ली किये ही उनको परिचय-पत्र दे दिया गया?

श्री मथुरादास माथुर : उनको इन्ट्रोडक्टरी लेटर दिया गया कि राजस्थान के कवि हैं। वे कविता करना चाहते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा फन्ड के लिए पैसा एकत्रित करना चाहते हैं। उनको रुपयों की रसीद दी गई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न इतनासा है कि चन्दा किसे दें? रसीद राजस्थान सरकार की चीफ मिनिस्टर फन्ड की है। उनके पास थी या नहीं, उनको दी गई थी या नहीं? नहीं दी गई तो उनको इन्ट्रोडक्टरी लेटर नहीं देना चाहिये था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : वे रसीदें ले गये या नहीं, मैं नहीं कह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
सकता ऑर्डिनरिली उनको ले जाना चाहिये था। उनको इन्ट्रोडक्टरी इसीलिए दिया गया कि वे सारे देश में अपनी कविताओं के द्वारा, उस वक्त के वातावरण को देखते हुए, भावनायें पैदा करना चाहते थे, सुरक्षा के लिए धन एकत्रित करना चाहते थे इसलिए उनको प्रोत्साहन दिया गया।

श्री राजा श्री मानसिंह (डीग) : Has the Rajasthan Government made any contribution to the National Defence Fund in the same irresponsible manner in which another provincial Government has done?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने उनके जरिये कोई नेशनल डिफेन्स फंड में कान्ट्रिब्युशन नहीं भेजा, हमने जो भेजा वह डाइरेक्टली भेजा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब सरकार को पूर्णतया मालूम नहीं है कि रसीदें ली या नहीं, एक उन्हीं के साथी ने मद्रास में पुलिस स्टेशन पर कम्प्लेन्ट दर्ज की किसी परस्थिति वश उसको वापिस विथ्ड्रा लिया, तो जो उन पर एक एलीगेशन लगाया गया, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि रसीदें ले गये या नहीं, मद्रास की पुलिस से, जब कि उसने राजस्थान सरकार से जांच की तो सरकार यह कह सकती थी कि सुरक्षा फन्ड के लिए आयन्दा चन्दा इकट्ठा न करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा है। जानकारी तो अब आयी है। बीच बीच में चीजें आती रही, हमारे पास भी आती रही है कि जहां जहां भी वे गये हैं वे कार्य अच्छा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, मैसूर बेंगलोर गये हैं। पुलिस में शिकायत हुई या दूसरा हुआ यह तो सदन में और पत्रों में समाचार आये तो हमने भी जानकारी की। अगर वे अपने साथ में राजस्थान के द्वारा तैयार की हुई रिसीट्स को नहीं ले गये हैं तो आगे स्पष्ट तौर पर हिदायतें दी जावेंगी कि रसीदों के सिवाय कलेक्ट न करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : सारे तथ्य आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन और है, अध्यक्ष महोदय। क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि खुद जांच कराये? राजस्थान सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी से कलेक्शन करने गये। यह एक मेटीरियल पोइन्ट है। उनके एक साथी ने कम्पलेन्ट की, विथ्ड्रॉअल किसी परिस्थितिवश कर लिया होगा। सरकार को खुद की इसकी जांच करानी चाहिये। इसमें राजस्थान और सरकार दोनों की और साथ साथ कवियों की भी बदनामी है। विथ्ड्रॉअल कर लिया तो सोचा होगा कि हम सब गिरफ्तार हो जावेंगे। उन्होंने जो चार्ज लगाये और फैक्ट्स लिये हैं शिकायतों के रूप में उनकी स्वयं सरकार जांच कराये और जो दोषी है उसको दंड दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फैक्ट्स हमारे सामने आ जायं। होम मिनिस्टर, जो शिकायत की मद्रास में, उसकी इन्क्वायरी कर सकते हैं और आवश्यक इन्क्वायरी के बाद इसको देख सकते हैं। हमारे पास कम्प्लेन्ट नहीं, जानकारी नहीं, हम क्या कर सकते हैं?

Page No 45

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को सारे तथ्य सदन के सामने दे दिये गये हैं.........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक प्रश्न और है.........

श्री अध्यक्ष : Order please! दूसरा.....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : राष्ट्रीय डिफेन्स फण्ड.........

श्री अध्यक्ष : Order please ! मैं नहीं समझता कि इसमें अब आगे बहस हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है। हम यह समझ कर चलें कि अच्छी भावनाओं से गये हों और हम यहां पर अभी चर्चा करके निर्णय पर पहुंचना चाहें, जिन भावनाओं से कविताएं करके घूम रहे हैं और यह कहें कि गड़बड़ी कर दी तो यह अच्छा नहीं होगा। जानकारी तो करें, यह मैंने कह दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। वहां.........

श्री अध्यक्ष : Order please ! काफी जानकारी दे दी गई है.........

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्शन कर सकते हैं.........

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्शन करना ठीक था.........

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य सुन नहीं रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो एक....

श्री अध्यक्ष : Order please ! कृपया स्थान ग्रहण करिये ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो.........

(घंटी-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! देखिये। मैं माननीय सदस्य को इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। इस तरह सदन की भावनाओं का.........

श्री मुरलीधर व्यास : मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं। एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सब माननीय सदस्य जानना चाहें तो यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। हरएक पक्ष के माननीय सदस्यों ने बातें पूछ ली हैं। सारे प्रश्न आ गये हैं। अब आगे चर्चा का विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि वास्तविक स्थिति को रख दें। उन्होंने रख दी। मुख्य मन्त्री जी ने भी कह दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्शन करने की आज्ञा किसने दी ?

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please ! कुछ तो अनुशासन रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : सुरक्षा फण्ड के लिए.........

श्री अध्यक्ष : Order please ! कुछ तो अनुशासन रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : एक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न १०० मेम्बर पूछें तो कैसे काम चल सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : एक ही प्रश्न····

श्री अध्यक्ष : Order please ! २० प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सब तरह का स्पष्टीकरण आ गया है। गृह मंत्रीजी कृपया दूसरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : जो स्वामीजी ने प्रश्न रखा उसके लिए ?

(ख) करौली जिले में डकैतियें

श्री अध्यक्ष : डकैती की बात।

श्री मथुरादास माथुर : गढ़ी की डकैती के बारे में।

माननीय अध्यक्ष, गढ़ी के डाके के बारे में काम रोको प्रस्ताव रखा है। मुझे यह सूचना देनी है कि माधोसिंह गेंग, जो धौलपुर, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में ऑपरेट करता है, उसने हमारे यहां पर सवाई माधोपुर जिले के अन्दर विलेज गढ़ी, पुलिस स्टेशन मसलपुर में डकैती हुई और माननीय अध्यक्ष वह डकैती २६ तारीख को हुई; दुबारा २७ तारीख को हुई। पुलिस और उसका मुकाबला हुआ। तीन स्टेजों पर पुलिस और डाकुओं का मुकाबला हुआ। पहला मुकाबला ३१ मार्च को हुआ, जिसमें एक डकैत सीरियसली इन्जर्ड हुआ और उसमें कुछ माल भी बरामद किया। दूसरा एनकाउन्टर ३ अप्रेल को हुआ, मगर डकैत निकल चुके। तीसरा एन्काउन्टर डकैत निकल कर जब सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले से होकर मध्यप्रदेश की तरफ जा रहे थे उन डकैतों के साथ आर० ए० सी० और डीवाई० एस० पी०, धौलपुर का हुआ। मुकाबले के अन्दर कन्हैया लाल जिसको किडनैप किया गया उसको रेस्क्यू किया। दूसरा किडनैपी जब एन्काउन्टर कर रहे थे वह वहां से निकल चुका। दोनों किडनैपी वापिस आ गये। इस मुकाबले के अन्दर एक बन्दूक १२ बोर गन, १ एम० एल० गन, ३ हैण्ड ग्रेनेड्स और दूसरे मामूली पार्ट्स, इस तरह से करीब तीन हजार का माल पुलिस के हाथ लगा। इतने समाचार हमारे तक पहुंच पाये हैं। कल चार तारीख थी। डकैती के जो समाचार पहुंचे उसमें दो वारदातें और थी। उसमें सवाई माधोपुर की पुलिस के साथ एन्काउन्टर हुआ, धौलपुर में एन्काउन्टर हुआ। ३१ मार्च, २ अप्रेल, ४ अप्रेल को इस गेंग के साथ मुकाबला हुआ। दोनों किडनैपीज बरामद कर लिये गये और प्रोपर्टी और आर्म्स एण्ड एम्युनिशन हमें प्राप्त हुआ उसकी सूची मैंने आपको दे दी। बहरहाल पुलिस पार्टी डकैतों के पीछे है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आप डकैती रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : डकैतों का मुकाबला कर रहे हैं स्वामीजी, जब हाथ में आ जायेंगे तो मार दिये जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मसलपुर के डाके से सम्बन्धित मोशन था, जिसमें १८ डाकुओं ने एक साथ हमला किया था। आप, गृह मन्त्री

Page No 47

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
महोदय किसी और डाके की बात कह रहे हैं। जिसके यहां डाका डाला गया वहां पर घर वाली को तेल डालकर उसकी अंगुलियां जलाकर उससे पूछा गया कि धन कहां है। जब धन बता दिया गया तो डाकू लूट ले गये। लगातार पांच-छः डकैतियों की घटनायें हो रही हैं। तीन तारीख को हुई घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

श्री मथुरादास माथुर : सवाई माधोपुर करोली सब डिवीजन के अन्दर २९ से ३१ मार्च के बीच जो डकैतियां हुईं उनमें वही पार्टी है, उसका धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में एनकाउन्टर हुआ, दो किडनेपीज और जो माल बरामद किया वह मैंने आपको बता दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महावीरजी में तीन तारीख को घटना हुई थी उसके संबंध में क्या कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : तीन तारीख को हमारा एनकाउन्टर धौलपुर के अन्दर हुआ, इसी माधोसिंह गेंग से हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बलात्कार के केस का क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : आप बलात्कार के केस के बारे में जानने के ज्यादा उत्सुक हैं तो मैं आपको बता दूं मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री रामकिशन (वैर) : मेरे प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्री प्रकाश डालेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : लिखित रूप में निवेदन कर दिया गया है मुकदमा पुलिस द्वारा रजिस्टर कर लिया है। उसके रजिस्टर होने के बाद फोटोस्टेट कॉपी भी पेश की गई। दूसरी ओरीजिनल की भी मांग की थी वह आपने नहीं दी।

श्री रामकिशन : वह डी. वाई. एस. पी. को दे दी गई थी।

श्री मथुरादास माथुर : इन्वेस्टीगेशन के दौरान में असली डॉक्यूमेन्ट हासिल कर लिया गया। इन्वेस्टीगेशन शुरु है। दौरान इन्वेस्टीगेशन कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामकिशन : ओरीजिनल दी गई है और उसकी रसीद भी ली गई है।

श्री मथुरादास माथुर : हम उसको लाये हैं।

श्री रामकिशन : आप लाये हैं तो किस पर एहसान किया है ? मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विधाई कार्य।

(१२. ५५ म. प.)

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा प्रत्याप्ति विधेयक, १९६३

औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Point of order, Sir नियम ६१ में यह लिखा हुआ है :—

"(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the bill is passed into law.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, इस नियम के अनुसार फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम दिया जाना चाहिए, वित्तीय ज्ञापन इस अधिनियम के साथ होना चाहिए। मुआवजे के रूप में कन्सोलीडेटेड फण्ड से कितना दिया जायगा, कितने रेकरिंग, कितने नॉन रेकरिंग एक्सपेन्सेज होंगे, इस प्रकार का एस्टीमेटेड वित्तीय ज्ञापन दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था भी चेयर से हो चुकी है कि फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम नहीं हो तो उस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई। अतः फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम होना चाहिए। रफ एस्टीमेट के रूप में ही सही नॉन रेकरिंग और रेकरिंग का एस्टीमेट होना चाहिए। इस विधेयक में जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, इसके पृष्ठ संख्या १७ पर लिखा हुआ है, मुआवजा साधारण आय से सात गुना होगा। उसका भुगतान तीस वर्षों की किश्तों में किया जायगा। आखिर में जब आप तीस किश्तों में भुगतान करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में आपके पास रफ एस्टीजमेट तो होंगे। रेकरिंग एक्सपेन्डीचर कितना होगा, नॉन रेकरिंग कितना होगा, यह बात सदन में आपको बतानी होगी। इसके बिना नियम ६१ की पूर्ति नहीं होती। पहली व्यवस्था के अनुसार सदन में इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है; बाध्य किया गया कि रफ एस्टीमेट बना कर दें। इस संबंध में एस्टीमेट बना कर रख दें चार बजे तक ! उसके बाद अनुमति प्रदान कर दें। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) :– अध्यक्ष महोदय, चूंकि विधेयक बहुत महत्व पूर्ण है जो माननीय सदस्य ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम होना चाहिए, अभी जो हमारे सामने मोशन आया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसलिए गवर्नमेंट के पास काफी समय रहेगा। इस सदन के सामने इस बिल पर विचार होगा उससे पहले सरकार इस प्रकार का फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम दे सकती है।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : रेकरिंग और नोन रेकरिंग खर्चा इसमें होगा, इसका एस्टीमेट तो लिया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि मुआवजा शुद्ध आय का सात गुना होगा और उसका भुगतान तीस वार्षिक किश्तों में किया जायगा। यह बात कम्पेन्सेशन के बारे में कही है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि कम्पेन्सेशन का अमाउन्ट इसमें नहीं बताया गया; रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों का। इस विधेयक का मैं भी स्वागत करता हूं। इसकी अनुमति मिलनी चाहिये और प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि यह विधेयक जो सदन के समक्ष आया है राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट बिल इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम नहीं है, जो है वह अपर्याप्त है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि निश्चित धन-राशि नहीं बताई है इसलिए इसको अपर्याप्त मानना चाहिए। लेकिन जिन केसेज

Page No 49

(श्री अध्यक्ष)
में अनुमान निश्चित रूप से नहीं लगाये जा सकते उस के लिए अगर आंकड़े नहीं दिये जा सकते तो यह समझता हूं कि उस हालत में यह अनिवार्य नहीं है कि बिना फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम के लिए नहीं जा सकता। फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम के बारे में ठीक अच्छी प्रकार से जांच कर लें और बाद में निश्चितता लाकर इसको रखने का प्रयास करें। मैं नहीं समझता कि इसके अभाव में आगे कार्यवाही न की जाय। इसलिए मैं इस आपत्ति को अस्वीकार करता हूं।

(१२.५६ म. प.)

राजस्थान भूमि–सुधार तथा भू–स्वामियों की भू–सम्पदा अवाप्ति विधेयक १९६३

(प्रवर समिति को)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लेन्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम फिर प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि-सुधार तथा भूस्वामियों की भूसम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) माननीय अध्यक्ष महोदय, I move that the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estates Bill, 1963 be circulated for eliciting public opinion there on upto first week of the next session.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के समर्थन में आपके द्वारा राजस्थान सरकार और इस सदन के समक्ष दो शब्द कहना चाहूंगा।

जैसा कि प्रतीत होता है, बिल नम्बर १३ (६३) भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्ति से ताल्लुक रखता है। इस सदन के दो बजट सेशनों में दुर्भाग्यवश इन भूतपूर्व नरेशों के प्रति कुछ आक्षेप भरे शब्द मैंने सुने। किन्हीं ने कहा कि ये प्रीविपर्स बन्द कर देनी चाहिये, घटा दी जानी चाहिये और उनकी सम्पत्ति ले ली जावे। और भी न मालूम कई आक्षेप करते हुए यहां तक भी कहा गया जिन्हें रिपीट करते हुए मुझे अत्यन्त दुख होता है। पर XXX जैसे शब्दों का प्रयोग भी इस सदन के समक्ष किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप उनको वापिस प्रयोग न करें तो ठीक है।

रावल श्री अमरसिंह : मैं तो इसकी भूमिका बताते हुए निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जो बात आप स्वयं ठीक नहीं समझते, तो उसे कम से कम आप स्वयं तो रिपीट न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज में तो और लिखवा दिया आपने तो।

रावल श्री अमरसिंह : खैर, कुछ भी हो ....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : It is all in good faith.

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये

रावल श्री अमरसिंह : तो उनको सम्पत्ति पर आक्षेप करने योग्य बातें कही गई हैं। मैं संक्षेप में उन माननीय सदस्यों का और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिरकार जो एक समय के नरेश, शासक थे, यह निर्विवाद सत्य है कि भूत में उनकी पोजीशन कुछ भी रही हो, पर देश के हित की भावना को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने अपनी उस पोजीशन का भी त्याग करके नई पोजीशन ग्रहण की। इस बात को हम नहीं भुला सकते। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इनके पीछे कई शताब्दियों और सहस्राब्दियों का इतिहास है, एक संस्कृति है, इतिहास है और इस सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के लिये भारतवर्ष आज भी गौरवान्वित है। उनको इसके लिये कि वे नरेश रहे कोई खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

आपका ध्यान इन नरेशों की परम्परा की ओर मैं खींचना चाहूंगा। ये ही वे नरेश थे जिन्होंने इस राजस्थान का गौरवशाली इतिहास अपने रक्त की आहुतियां देकर बनाया। यह राजस्थान का ही इतिहास है जिसमें आपको मिलेगा कि एक ही दिन में १३ क्राउन हैड्स ने अपने आपको रण संग्राम में बलिदान कर दिया और अपने देश की आन की रक्षा की। ये सब बलिदान इस बात के साक्षी हैं कि उनको अपना देश, अपनी प्रजा, अपनी परम्परा और अपने देश की स्वाधीनता प्यारी थी। अपने देश की मान मर्यादा, आन और शान, स्वाधीनता और वे सब बहुमूल्य तथ्य जिनके लिये आज हम गौरवान्वित हैं, की रक्षा के लिये ये कुर्बानियां की गई थीं।

देश-शक्ति सहस्राब्दियों से अपने वहीवट को ठीक रखते हुए, प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए सुशासन देने का सतत् प्रयत्न वे करते रहे थे। आज उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है और जब समय की यह मांग भी सामने आई कि देश को एक करना है और इसके लिये यह नरेशों की संस्था पुरानी पड़ गई है, राजतन्त्र का अब समय नहीं रह गया है, तो मैं यह कहना चाहूंगा, कि देश की इस आवाज को भी उन्होंने अपनी उसी परम्परागत देशभक्ति के भाव के साथ सुना और समझा और उस पर आचरण करने में उन्होंने बड़े से बड़ा त्याग करने से भी संकोच नहीं किया और अपनी वंश परम्परागत शक्ति भी देश के हवाले करके उन्होंने एक नया स्थान ग्रहण किया।

अध्यक्ष महोदय, उस स्थान को जब उन्होंने स्वेच्छा से ग्रहण किया और अपनी देशभक्ति का पूरा-पूरा परिचय दिया तो इसके एवज में देश ने भी देश की तरफ से हमारी केन्द्रीय सरकार ने उनको कुछ आश्वासन दिये, उनको कुछ कन्सेशन्स दिये, मैं आज उन्हीं का स्मरण आपको दिलाना चाहता हूं। आज उन आश्वासनों और कन्सेशनों को हमारे देश के पवित्र संविधान में भी आबद्ध किया गया है। तो जब उनको कुछ आश्वासन और कन्सेशन दिये गये हैं। तो आज उनको भंग करना अच्छा प्रतीत नहीं होता, उनको अपनी पर्सनल प्रोपर्टी रखने का आश्वासन दिया गया; उनको प्रिवीपर्सेज देने का वादा किया गया तो आज उनमें कटौती करने की या समाप्त करने को उठाना एक सम्मानीय कदम नहीं कहा जा सकता।

तो यदि हम यह जानना चाहें कि लोगों की धारणा और उनकी भावनाएं क्या होंगी तो

Page No 51

(रावल श्री अमरसिंह)
मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस बिल को बजाय सिलेक्ट कमेटी में भेजने के इसे जनता की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि जिस जनता की तरफ से यह सरकार काम कर रही है उस जनता की भावना और उसके विचार इन नरेशों के प्रति और उनको दिये गये आश्वासनों के प्रति और उनकी प्रिवीपर्सेज और प्राइवेट प्रोपर्टी को बनाये रखने के प्रति क्या है, यह जाना जा सके। अगर जनता की भावना यह हो, जैसा कि मुझे विश्वास है यही होगी कि आश्वसनों को कायम रखा जावे, तो इस बिल को दफना दिया जावे। इसके बाद आप चाहें तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार; जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, in accordance with Rule 281, I move a closure motion.

मन्त्री महोदय अगर उत्तर दे सकें तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हम भी इसमें ज्यादा लम्बा तो बोलना नहीं चाहते, पर कुछ कहना जरूर चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बहस करने की कोई व्यवस्था हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नहीं रखी गई। यह सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाने वाला था। तो इस पर अधिक वाद-विवाद नहीं होगा आज। इस पर क्लोजर मूव कर दिया जावे, दफा ७९ के अन्तर्गत क्लोजर मूव कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्लोजर मूव करने के बजाय मन्त्री इस पर कुछ कह दें। अब इस पर बहस नहीं होगी आज।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि इस पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कृपया उत्तर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मान्यनीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह सदन अधिक समय के लिये बैठने वाला होता तो शायद मैं सदन से यह निवेदन करता कि इस पर बहस कर ली जावे। पर चूंकि सदन भी अधिक समय तक बैठने वाला नहीं है और इसलिये भी कि चूंकि यह एक इन्नोसैन्ट तरीके का बिल है, इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाना है वह तुरन्त कर दिया जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्यों रखा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए कि यहां पर रखने के बाद और उस पर विचार कर लिया जाये। उसमें एतराज की बात नहीं है। लेकिन इस बिल के द्वारा जो डाइरेक्ट रिलेशनशिप में ले आये हैं, इस जगह भी उनकी डाइरेक्ट रिलेशनशिप में लाने का प्रावधान रखा है और जो यह कहा गया कि जो वायदे किये गये इन्टीग्रेशन के समय में उनकी एक तरह से अवहेलना की जा रही है या और बात हो तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कॉवेनेन्ट बना या व्हाइट पेपर्स इनके बारे में निकले उन सब में जहां तक लैण्ड का सवाल है वह ऑर्डिनरी स्टेट्स

Page No 52

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मॉज से गाइड होगा। इसके बारे में उस समय भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। इसलिए ऐसा प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है। कमिटमेन्ट किया गया उसके विपरीत यहां पर इस कानून को लाया गया हो तो मैं समझता हूं कि वह विचार उपयुक्त नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Point of information, Sir, क्या १५ वर्ष से आप सो रहे थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह देर लगी, यह आक्षेप हो सकता है। लेकिन जब आया है तो मैं समझता हूं कि फिर उसमें पब्लिक-ओपीनियन के लिए भेजने में देर न लगाएं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : श्री मानसिंह महार! आपका सुझाव है कि रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसको हाउस भी स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं कि इसमें और अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है और जो पब्लिक ओपीनियन के लिए रेफर करने का प्रश्न है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के पूर्व उपस्थित कर दे, जिसके मेम्बरों की सूची सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is one amendment.

श्री अध्यक्ष : उसी पर तो ले रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That should be put first.

श्री अध्यक्ष : We can do that first.

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को जनमत के लिए प्रसारित किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के पूर्व उपस्थित कर दे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१.१९ म० प०)

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३

(प्रवर समिति को)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनी लेण्डर्स बिल, १९६३ को एक प्रवर समिति के, जिसके नाम अभी दिये जायेंगे, सुपुर्द किया किया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनी लेण्डर्स बिल, १९६३ को प्रवर समिति के

Page No 53

(श्री अध्यक्ष)

सुपुर्द किया जाये, जिसके नामों का ऐलान कर दिया जायेगा, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे,

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१.२० म० प०)

राजस्थान भू–राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान लैण्ड रेवैन्यू (सरचार्ज) (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

(विराम)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मोशन तो मेरा है।

श्री माथुराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक बिल और पेश करना है। इसलिए इसके लिए निश्चित समय हो जाये तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष : ४ बजे तक इसको पास कर दिया जाये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हमें थोड़ा बोलने का मौका तो दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : जितने बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रखे थे आज के लिए उसके अलावा आज दो बिल और ले लिये गये। इस पर बोलने का मौका दिया जाये और जो कैटल वाला बिल है उसको जल्दी ही पास कर दें।

श्री अध्यक्ष : ५ बजे से पहले इसको पास कर देंगे और फिर जैसी माननीय सदस्यों की मन्शा है आधा घन्टे में कैटल वाले बिल को पास कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मोशन तो भैरोंसिंहजी का है। अब इन्होंने मौका ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह १९ आदमियों ने मोशन मूव किया है और इसलिए उसमें टाइम डिवाइड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : टाइम की व्यवस्था यही रहेगी कि विभिन्न पार्टियों के नेता बोलेंगे और अपनी-अपनी पार्टी के विचार रखेंगे। इसलिए सारे माननीय सदस्य विभिन्न पार्टियों के इस बात पर बोल सकते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवैन्यू (सरचार्ज) (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ जो प्रस्तुत हुआ है उसके विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह समझा था कि सरकार को उनकी टैक्सेशन की नीति के बारे में उन्हीं के पक्ष के लोगों ने जब दबाया है और जब वे अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं तो उनके दिमाग कुछ ठंडे हो गए। मैं समझ रहा था अध्यक्ष महोदय, कि सरकार अपनी टैक्सेशन की जो नीति है

(श्री मानसिंह महार)

उसको काश्तकारों के लिए एक चीज पर से हटाकर शायद किसी और तरीके से टैक्स वसूल करने का तरीका अपनायेगी। लेकिन यह दुख का विषय है कि सरकार ने अपनी उसी नीति को एक दूसरे तरीके से इस सदन में पेश किया है। यह बहुत दुख का विषय है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने पहले जो कानून बनाने की व्यवस्था की थी उससे भी एक खतरनाक चीज सदन में रख दी है। मैं आपसे निवेदन करूं कि पहले जो लैण्ड रेवेन्यू सैस के आधार पर वसूल करना चाहते थे उसके अन्दर कम से कम यह व्यवस्था तो थी कि और जो पंचायत समितियां वगैरह टैक्सेज लगाना चाहती थी उनको रोकने की बात तो थी लेकिन अब तो वह बात भी नहीं रही। अब इन्होंने लैण्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगा दिया और उसके अन्दर अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी एक खूबी आयेगी कि ४५ एकड़ जमीन और ५०) रुपये का एक प्राव–धान कर दिया। यह एक ऐसी चीज कर दी कि वह लैण्ड रेवेन्यू सैस में जो अमेन्डमेन्ट लाये थे उससे तो कुछ काश्तकारों को राहत मिलती थी लेकिन इसमें तो राहत का सवाल ही नहीं रहता। मैं निवेदन करूं कि जयपुर जिले के अन्दर फॉर्मर जयपुर स्टेट का जो एरिया है उसके लिए तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यह सरचार्ज ९० परसैन्ट आदमियों पर लगेगा। जब इन्होंने १० एकड़ की छूट दे दी थी उस समय ७५ परसेन्ट आदमी बच जाते थे, जो छोटे काश्तकार थे वे बच जाते थे। लेकिन अब जो यह सरचार्ज का बिल लाये हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा १० परसैन्ट ही कुल काश्तकार बचेंगे और बाकी सब पर लगेगा। यह मैं समझता हूं कि इसको इस तरह से नहीं लगाकर बैकडोर एन्ट्री के रूप में जो सरचार्ज के रूप में लाया गया है यह भी क्षेत्रीय भावना का नमूना है।

मैं फिर कहूंगा कि यह सरकार ने जो ४५ एकड़ और ५०) रुपये का जो प्राव-धान रखा है वह क्षेत्रीय भावना से रखा है। वह यह समझते थे कि पहले उन्होंने जो लैण्ड रेवेन्यू सैस रखा था उसके लिए कांग्रेस के आदमी हैं; 'Within the Congress' एक प्रकार का रिवोल्ट किया, तो उस रिवोल्ट से बचने के लिए एक क्षेत्रीय भावना से, क्योंकि उस पक्ष में बैठने वाले अधिकतर आदमी उदयपुर या उसके आसपास के एरिया से आये हुए हैं जहां कि लैण्ड रेवेन्यू कम है।

जब यह सवाल लैंड रेवेन्यू सरचार्ज का आया तो उन्होंने ४५ एकड़ और ५० रुपयों का खास करके प्रावधान रखा। वह इसलिये रखा है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट और आस-पास के एरिया को कभी लाभ नहीं हो। वे चाहते हैं कि यहां के लोगों को कभी छूट नहीं मिले, राहत नहीं मिले। मुझे मालूम है उस पक्ष में बैठने वाली एक माननीय सदस्या ने रेफरेन्स दिया था कि यदि ४५ एकड़ रखा जायगा तो झुन्झुनू जिले में कोई बचेगा नहीं। यदि आप यह प्रोविजन रखते हैं तो जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, सवाईमाधोपुर टौंक, कोटा और गंगानगर–गंगानगर को छोड़ देते हैं तो इन जिलों के लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इस सरचार्ज से बच जाय सरकार ने यह बताने की कोशिश की थी कि हम काश्तकारों के हितैषी, सरकार दुनिया को दिखाना चाहती है कि चुनाव के समय काश्तकारों से वादा किया था उसके माफिक

(श्री मानसिंह महार)

यह कायम रहना चाहती है । लेकिन हम यह जानते हैं कि जब उस पक्ष के आदमियों में से कोई ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठ जाते हैं तो जनता को दिये हुए वायदे, वायदे नहीं रहते, धोके की टट्टी बन जाते हैं·······

श्री **हरीप्रसाद शर्मा** (पाटन) : यह धोके की टट्टी क्या है ?

श्री **मानसिंह महार** : झोंपड़ी बन जाती है धोखे की । आप शायद समझे नहीं हैं । आप हमारी भाषा नहीं समझते हैं इसलिये ऐसा कह रहे हैं लेकिन निवेदन मैं करूं, खास कर मैं उप-मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे शायद साल, दो साल तक अपनी चालबाजियों से उदयपुर जिले के काश्तकारों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि यदि ट्रेजरी बेन्चेज पर उनको बैठना है तो उदयपुर जिला ही दुनिया नहीं है उनको कूप मंडूक विचार से अलग होना पड़ेगा पूरे राजस्थान की दृष्टि से सोचना पड़ेगा । मैं आपसे निवेदन करूं कि सर चार्ज कैसा अन्याय है । यह हमारे इलाके के काश्तकारों के लिये तो बड़ा भारी अन्याय है । हमारे यहां कोई मेजर इरिगेशन वर्क नहीं हैं, खेती के लिये कोई खास सुविधा नहीं है । हमारे यहां के किसान छोटे छोटे कुओं से बैलों के जरिये पानी निकालते हैं और सिंचाई करते हैं । यहां के किसान बहुत गरीब किसान हैं । इसके बावजूद भी हमारे इलाके में कहीं १०) कहीं १२) और कहीं १४) रु. तक की रेन्ट रेट्स हैं, जो इस सरकार की कायम की हुई हैं जो कि अपने आपको जनता की सरकार कहती है । इस सरकार द्वारा कायम की हुई इतनी ऊंची रेन्ट रेन्ट्स है और इस रेट के ऊंची होने से आप विडंबना देखिये ५०) रुपये का क्लॉज लगाने से क्या गलत चीज होती, है इस ओर ध्यान दीजिये । मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये उप-मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो इलाके अधिक लैण्ड रेवेन्यू दे रहे है जिनके ऊपर ओल्ड बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू हाई है वे वंचित नहीं हो सकते । ५०) रु० से कम का कोई काश्तकार नहीं आयेगा । हमारे यहां सवाया लगान हो गया तो हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय और उनके इलाके में अपने आदमियों के लिये सरकारी अफसरों पर दबाव डाल कर रेन्ट रेट कम लगा दिया ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री राजस्व) : कब ?

श्री **मानसिंह महार** : कब क्या ? जब कि आप एम. एल. ए. थे, हमारी तरह ही घूमते थे, उप-मंत्री तो अभी हुए हैं । जैसा कि पहले निवेदन किया था यह मेरी निश्चित भावना है, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें । सरचार्ज बहुत महत्वपूर्ण भाग है । कुछ इलाके ऐसे है जहां ऊंचा रेन्ट है, कुछ ऐसे हैं जहां नीचा रेन्ट है । यदि आप ५०) रु० की बात रखते हैं तो मैं कहूंगा कि यह कोई मायने नहीं रखता है । मैं सुझाव देता हूं यदि प्रवर समिति को रेफर किया जायगा तो सरकार की आमदनी बढ़ने के लिए प्रवर समिति को सुझाव दूंगा । आप ५०) रुपये और ४५ एकड़ को हटा दीजिये, हर आदमी पर लगा दीजिये तो कुछ न्याय होगा । आज ऐसा अन्याय हो रहा है कि जो आलरेडी ज्यादा दे रहे हैं उन पर तो सवाया कर दिया और जो बहुत कम लगान दे रहे हैं उनको इसमें भी रियायत दे रहे हैं । यह अन्याय

Page No 56

(श्री मानसिंह महार)

है । हम तो इस अन्याय को अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये उधर बैठने वाले मित्रों के सामने रख देते हैं । हम यह जानते हैं कि उनके कान भी होंगे सुनने के लिये, आंखें भी होंगी देखने के लिये । लेकिन जब वाजिब बात कही जाती है तो उनके कान बहरे हो जाते हैं, वे सुनते नहीं हैं, लेकिन मुख की तरफ देखना भी पसन्द नहीं करते शायद अपनी आंखो को भी फोड़ लेते हैं । जब हमें दुःख होता है अध्यक्ष महोदय, तभी ये बातें कही जाती हैं । यह वास्तविक बात है । जब आपकी पार्टी में विद्रोह हुआ तो उनको ढाढस बंधाने के लिये, उनको शान्ति दिलाने के लिये इस बिल में इस तरह का प्रावधान किया है जिससे कि कोई और बात न हो जाय । जब आप कुर्सियों पर बैठते हैं तो इन छोटी-मोटी बातों को छोड़ देना चाहिये । मुख्य मंत्रीजी उदयपुर के हैं, उप-मंत्री जी भी उदयपुर के हैं, उनको इन क्षेत्रीय भावनाओं को छोड़ना चाहिये और ऊंचा उठना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, आप जब इस आसन पर बैठते हैं तो कभी नहीं सोचते कि आप जोधपुर के हैं या ये जयपुर के हैं । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठने वाले जितने आदमी हैं वे क्षेत्रीय भावना से दबे हुए हैं । मैं उनका विरोध करता हूं और कहता हूं कि उनको राजस्थानी कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि उनकी क्षेत्रीय और संकीर्ण विचारधारा है । मैं जब सदन में उधर बैठे हुये मंत्रियों की बात सुनता हूं तो सही अर्ज करता हूं, बहुत दुःख होता है मुझे........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दुबले हो गये हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तगड़े हो गये है ।

श्री मानसिंह महार : उदयपुर की बात आ जाती है या कांग्रेस के गुट विशेष की बात आ जाती है, जैसे आज पंचायत के सरपंच के खिलाफ अविश्वास की बात आई थी तो बताया गया कि ५ बार चुनाव रोक दिया गया । जब न्याय मांगा तो उप-मंत्री चुप हो गये । मैं कहता हूं कि यह सरकार अन्याय की वेदी पर बनी हुई सरकार है । यह सरकार वह सरकार है जिसको हम इधर बैठने वाले लोगों को उधर बैठने वाले लोगों में से १०.५ को जो ईमानदार लोग हैं उनको इधर लाना पड़ेगा और इधर लाकर इस सरकार को जो अन्याय की वेदी पर बनी हुई है उसको हटा कर खत्म करना पड़ेगा । लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ी हम को दिक्कत आती है । मैं आपसे दिक्कत निवेदन करूंगा । अब हम तो इधर का बहुमत बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उधर बैठने वाले ये कौरव लोग हैं । मैं तो इसको कौरव, और पांडवों की लड़ाई मानता हूं........

एक माननीय सदस्य : आप धृतराष्ट्र हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार : मैं तो इनको दुर्योधन ही कहूंगा । हम तो इधर बैठने वाले पांडव हैं । पांच पार्टियां हैं जो पांच पांडव हैं और उधर बैठने वाले ८०-९० कौरव हैं और दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के पांडव है । लेकिन अंत में विजय पांडवों की हुई थी, यह सरकार को मालूम होना चाहिये । लेकिन मुझे दुःख है हमारे इधर कुछ विभीषण थे.......

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पांडवों में कोई विभीषण नहीं हुआ था, यह रामायण कहां से ले आये बीच में ?

श्री मानसिंह महार : मैं रामायण पर भी अभी आ जाता हूं। मैं धार्मिक सरमन्स देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। हम में से भी जयपुर, झुन्झुनू या कोटा-बूंदी, से जो लोग आते हैं और उन कुर्सियों पर बैठ गये हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि वे हमारे साथ अन्याय करते हैं। वे हमारे भाई हैं लेकिन उधर बैठ कर उनकी भी बुद्धि खराब हो जाती है, वे अपने इलाके का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जब इन कुर्सियों पर बैठते हैं तब दबी जबान से कहते हैं रेन्ट रेट हाई (high) है। सारे राजस्थान में एक समान रेंट रेट होनी चाहिए, यह वे भी मानते है। प्राइवेटली आप भी अपने चेम्बर में बात कर लें, अध्यक्ष महोदय, तो आपको भी निवेदन कर देंगे। लेकिन जब यहां कुर्सी पर आ जाते हैं तो उन पर जादू हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, जोधपुर से जो मित्र आये हैं, अगर उनसे बाहर जाकर बात की जाय तो कहेंगे—'बिल्कुल'। जोधपुर में हाई रेट है और सवाया लगान लगा रहे हैं, यह अन्याय है। यह कह देंगे और किसानों के सामने जायेंगे, तो जरूर कहेंगे मीटिंग मे—अपने यहां लगान अधिक है, लगान कम करावो। लेकिन जब वोट देने का मौका आयेगा तो यहां कुर्सी पर बैठ कर 'हां पक्ष' में वोट देंगे। 'ना पक्ष' में वोट देने की उनकी हिम्मत नहीं है। हजार, डेढ़ हजार रुपये के लिये अपनी सब आजादी को खो देते हैं और मैं आपसे कहूं कि उस वक्त वे 'हां पक्ष' में जायेंगे। यह नहीं सोचते हैं कि जरा इन लोगों के साथ चलें और बिल के सम्बन्ध में न्याय संगत बात कहें। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये उप-मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे राजस्थान के लिए एक आदर्श बनें। वे सदन में अपने आपको तैयारी करके आने वाले उप-मंत्री समझते हैं। वे जवाब भी इसी प्रकार से देते हैं और जब कभी पकड़ में आने का मामला आ जाता है तो यह कह कर टाल देते हैं कि बड़ा लम्बा-चौड़ा मामला है, जुडिशियल मामला है; मैं सब मामलात को देख कर जवाब दूंगा, यह वह कह देते हैं। यह उनकी काबलियत है। अध्यक्ष महोदय, अगर वे काबलियत दिखाना चाहते हैं तो आज वे न्याय करें कि राजस्थान में समेरी सेटलमेंट करायें।

जहां पर अधिक रेन्ट रेट्स हैं वहां नीचे लाने की कोशिश करें और जहां कम रेन्ट रेट्स हैं वहां पर ऊंची करें। जब जागीर रिजम्प्शन हुआ तो जहां अनसेटल्ड जागीर थी, अध्यक्ष महोदय, वहां यह प्रावधान लागू किया गया और उसमें भी पक्षपात हुआ, यह मैं आपको कह दूं। आप बतायें, मालपुरा-डिग्गी में जल्दी क्या थी कि वहां पर समेरी सेटलमेंट करा दिया गया? लेकिन कहीं, जैसे जालौर में इधर किसी जागीरदार को फायदा देना था तो वहां नहीं किया गया और कच्ची आय पर मुआवजा दे दिया गया दो करोड़ रुपये का और जिसको अब छिपाने के लिये उप-मन्त्री जी को एक बात के लिए १०० बार झूंठ बोलना पड़ता है। क्या यह वाजिब बात थी कि एक जागीरदार को दो करोड़ रुपया दिया गया? उस पक्ष में बैठने वाले मेरे एक मित्र ने पूछना चाहा कि आपने रेवेन्यू बोर्ड से मुकदमा विथड्रॉ कर लिया। आप-दो, तीन मुकदमों की बात करेंगे। वह बात एक पर्टीक्यूलर आदमी की थी, जिसको आपने उड़ा दिया। खैर, उड़ा दिया! आपकी मर्जी है! लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सब बातें उड़ा

(श्री मानसिंह महार)

दीजिये लेकिन किसान की बात की ओर ध्यान दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कलेजा बाहर आने लगता है जब राजस्थान के काश्तकारों की बात आती है । मैं आपसे कहूं कि उधर बैठने वाले जितने भी नकली काश्तकार हैं, आप से कहूं, आज दुर्भाग्य है कि असली और नकली काश्तकारों में फर्क नहीं समझते । उधर बैठने वाले सब लोगों ने जमीन ले ली है । मैं निवेदन करू कि करीब जितने अच्छी हैसियत के हैं किसी न किसी किसान की मुकदमे में सहायता करके जमीन ले ली है । यहां कह दिया कि मोल ली है, सरकार से क्या मतलब ? इस सदन में कल जवाब मिला कि मैंने जमीन सरकार से नहीं ली, मैंने तो किसान से ली है । अजी जनाब, आप यह भी जानते हैं कि हल किस तरह चलाया जाता है, जमीन तो ले ली ? मैं खास तौर पर उन नकली काश्तकारों की बात कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आज जो काश्तकारों पर अन्याय हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि नकली काश्तकार हैं; ये काश्तकारों के बारे में नहीं समझते । जहां जयपुर में बैठे-बैठे, विधान सभा में बैठकर बातें कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि असली काश्तकार जो हल को चला कर जमीन को जोतता है उसकी क्या मुसीबतें हैं । मंत्री जी बैठे हैं । मुमकिन है उनके बाप दादाओं की जमीन हो, होल्डिंग हो । मैं इसको चैलेंज नहीं करता । उनकी भी जमीन होगी । उनको भी कहता हूं, आप काश्तकार नहीं हो । आप जमीन के बारे में कुछ नहीं जान सकते·······

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : आपसे ज्यादा खेती के बारे में मैं जानता हूं ।

श्री मानसिंह महार : मेरे से ज्यादा आपके बाप-दादा नहीं जानते होंगे, आप तो क्या जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह की बात न करें ।

श्री मानसिंह महार : मैं माफी चाहूंगा । मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा था । मैं चैलेंज करता हूं, जिस बैल के नाम पर वोट लेकर जीते हैं, मेरे फार्म पर आयें— उनके पास कुछ नहीं है तो मेरे साथ मेरे फार्म पर चल कर मेरे ट्रैक्टर को चलायें । जानते हैं तो मेरे साथ बैलों से जमीन जोतें । अगर मेरे से ज्यादा खेत जोतते हैं तो मैं मान जाऊंगा । कहने से नहीं हो जाता कि ज्यादा जानते हैं । ज्यादा जानते हैं ! आपने सिर्फ कागजी कार्यवाही की होगी । मैं कहता हूं, असली-नकली को देखिये । मैं निवेदन कर रहा था, असली-नकली का भेद देखिये । इनके दिमाग में यह चीज भर गई है कि हम तो असली काश्तकार हैं । लेकिन वास्तविकता यह है कि वे काश्तकारों की चीज को समझते नहीं है । इनमें वह चीज नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कोई बी० ए०, एम० ए० पास करके काश्तकार नहीं बन जाता है । काश्तकार बनने के लिए तजुर्बा चाहिए । वे सुबह उठकर पांच बजे हल लेकर खेत पर चले जाते हैं । वह तजुर्बा आप में नहीं है········

एक माननीय सदस्य : बैल की जगह जुत जाइये ।

श्री मानसिंह महार : आपको मालूम होना चाहिए, बिना नाथ के बैल को लेकर वोट मांगे हैं। बैल हैं, लेकिन बिना नाथ के। हम बैल की कद्र करते हैं, जिस बैल की नाक में नाथ होती है। लेकिन यह उनके दिमाग में नहीं आयेगी। उन काश्तकारों की मजबूरियों को वे समझते नहीं हैं, काश्तकारी के बारे में उन्हें मालूम नहीं है। मुझे मालूम है, एक ऑफिसर से एक गरीब काश्तकार ने कहा, मैंने मेरी पांच झोटी दे दी। भैंस को झोटी कहते हैं। वे कहते हैं, What is this Jhotadi". यह हालत है! उप-मन्त्री जी, आप इन सारी बातों को देख लीजिये। आप काश्तकारों के मामले में कुछ नहीं समझते हैं। जो खेती के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, उन्होंने जयपुर में जमीन ले ली है। सब ने नाजायज़ रूप से जमीन ली है। मैं चैलेंज करता हूं, यहां अधिकांश ने जमीन ले ली है। यह सब होने के बाद भी किसानों के दुःख दर्द दूर करने की बात नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आप समेरी सेटलमेन्ट की बात मान लीजिये। जैसा आपने कहा, आप खेती के बारे में जानते हैं और इसे न्यायोचित मानते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप वाकई में देश का भला चाहते हैं, प्रान्त का भला चाहते हैं तो समेरी सेटलमेंट करा दीजिये। अगर सरकार को डर लगे कि समेरी सेटलमेंट से रेन्ट रेट गिर जायेगी, तो मैं कहता हूं कि उस चीज को भी मैं छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे यहां दस-बारह रुपये बीघा की रेट है उसको स्टेन्डर्ड रेट मान लीजिये और फिर सारे राजस्थान में उस माफिक रेट कर दीजिये। मैं समझता हूं कि हमारे यहां की रेट को स्टेन्डर्ड माना तो उदयपुर में चुनाव में पांच वोट नहीं आयेंगे। उदयपुर में पांच-छः जगह जनसंघ वालों ने पराजित कर दिया। अगर ऐसा किया तो अगले चुनाव में पांच-सात जो इस समय आये हैं वे भी खत्म हो जायेंगे। इसलिए अगर जनता से डरें और लगान वहां का नहीं बढ़ायें तब तो हमारा लगान भी कम करें और यदि जनता से नहीं डरें और निर्भीक हों तो हम लगान देते हैं वह कम करें और आपके यहां कम लगान है उसे ऊंचा करें। यह मेरी मांग है। मैं लगान कम करने के लिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं और मुख्य मन्त्री जी को भी कहना चाहता हूं। वे कमरे में हैं, यह मैं जानता हूं, इसका मुझे दुःख है, लेकिन उप-मन्त्रीजी को खास तौर पर कहना चाहता हूं कि दो तरह की जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, इससे यदि किसानों को मिटाना चाहते हैं तो वह नहीं चलेगी। इस राजस्थान में आपको रेन्ट रेट बराबर करनी पड़ेगी। आपने बराबर करने की बात को तो छोड़ दिया, उसके उल्टे हमारे इलाके में जो हमेशा से दुगुना लगान देता है आपने सवाया कर दिया। हम सवाया और दुगुना भी दे देते, यदि आप हमें सहूलियत दूसरे इलाकों से ज्यादा देते। लेकिन, मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर में क्या एक भी मेजर इर्रिगेशन है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेजर इर्रिगेशन बनाया हो तो बता दें? जिस गंगानगर जिले की डींग हांकते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा दिया है, बहुत सोना भी दिया है नेशनल डिफेंस फण्ड के लिए, वहां पर जो इर्रिगेशन के साधन हैं वे भी आपकी करतूत नहीं है। वह भी गंगासिहजी की करतूत है। आपके वक्त में केनाल बन रही हैं, वे आगे-आगे बन रही हैं और पीछे टूटती जा रही हैं और वाटर लोगिंग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है- यह आपकी इनएफीशियेन्सी है। मैं

(श्री मानसिंह महार)
निवेदन कर दूं कि गंग केनाल की एफीशियेन्सी आपकी नहीं है। यह आप समझ लें। गंगानगर, हनुमानगढ़ में यह कर दिया, वह कर दिया– वहां का यह नमूना है। लेकिन हमारे यहां आप कुछ करेंगे तब आपको काबिल मानेंगे।

अब तो यह सरकार हर काम में जिसको कि इसने अपने हाथ मे लिया फेल हुई है। आज मैं आपको कहूं कि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में भी कम्प्लीट फेल्योर हुई है और अगर मुझे आप इसमें नम्बर देने के लिए मास्टर बना दें तो मैं तो १० नम्बर में से एक नम्बर इसको दूं। यदि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के काम हुए हैं, उसके लिए कहा जावे तो उसमें मैं १० में से आधा नम्बर दूं। करोड़ों रुपये इसमें लगते हैं लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। कल चीफ मिनिस्टर साहब बोले कि हम उधार रुपया इसके लिए लेते हैं। मैं यह कहूंगा कि हमको किसी बात का विरोध नहीं है, अगर है तो एक ही बात का विरोध है और वह यह कि सरकार को चाहिए कि एक रुपया खर्च करे तो उसके बजाय १।) रु० का रिटर्न ले। मगर यहां पर हमें दुख इस बात का ही है कि हमारी सरकार के पास जितने पैसे वह लगाती है उसका एक आना रुपये का रिटर्न भी नहीं आता है। आज सरकार हमारे पर टैक्स पर टैक्स लगा रही है और टैक्सों के बोझ से किसानों को भी नहीं छोड़ा जिनको आपने चुनावों के समय आश्वासन दिये थे और कहा था कि हम जागीरदारों को हटा देंगे और तुम्हारा शोषण बन्द करेंगे। हम जागीरदारों को गये आज १० वर्ष हो गये, लेकिन फिर भी वही जागीर का फोबिया उनके दिमाग में है। न मालूम वह जागीर फोबिया उनके दिमाग से कब निकलेगा। जब कभी हम लोग पब्लिक ओपीनियन के लिए कहते हैं और बोलते हैं तो कहा जाता है कि राजाओं का समर्थन करते हैं। हमको कहते हैं कि हम किसानों का खून चूसते थे। राजस्थान की जनता यह चाहती है कि लगानों की दरें समान होनी चाहिए। यह गलत चीज है कि कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ लगान हो। मैं मानता हूं कि उप-मंत्रीजी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं और कोई पोइन्ट टच नहीं करूंगा। राजस्थान में लगान की एक दर नहीं है। समझ में नहीं आता कि जब ये दरें लगाई गईं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट्स रेवेन्यू की क्यों लगाई गई? पहले तो यह कहा जाता था कि अलग अलग जगह के अलग अलग रेवेन्यू मिनिस्टर थे और अलग अलग सेटलमेंट कमिश्नर थे उन्होंने लगाई थी। अब इस चीज को आपको एक कर देनी चाहिए। जब राजस्थान एक हो गया तो अपको लगान की दर भी एक तय कर देने चाहिए। आप यह तय करलें कि लगान की दर किस किस्म की जमीन के लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप यह कहते हैं कि २०) रु० होगी तो गंगानगर में आप २०) रु० लगावेंगे तो हमारे तो कहीं जाकर दो रुपये करीब आवेगी। अगर आप ४) रु. लगाते हैं तो हमको एक रुपया आवेगी। अगर कुम्भलगढ़ में २०) रू० लगावें तो हमको यह तीन या चार रूपये आ जावेंगे, इसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। यह एक आदमी की मांग नहीं, यह सारे राजस्थान की मांग है। जो आप १० वर्षों मे अन्याय कर रहे हैं इसको रेटिफाइ करिये। अब आप इसको टाल

(श्री मानसिंह महार)
नहीं सकते। शायद अब आप कहेंगे कि हम इसकी सर्वे करावेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप समेरी सैटलमेंट कराइये और हमसे जो आप लगान लेते हैं वह सवाया या ड्योढ़ा लेते हैं, इस लिए उन पर भी सवाया लगान लेना चाहिये। अगर नहीं लेते हैं तो यह न्याय नहीं है। राजस्थान में क्रान्ति लाने वाली चीज है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हम शांति चाहते हैं। चीनी हमले के लिए वह भावना बनी कि जो आक्रमणकारी चीन ने हमारी भूमि पर हमला किया तो किसानों ने मुक्त हाथों से चन्दा दिया और सहयोग दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और उस किसान की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने किसानों के लिए नहीं सोचा और पूंजी वालों पर और संकीर्ण मनोवृत्ति पर ही बैठे रहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के किसान, जिस तरह से आपको जयपुर जिले से उखाड़ कर फेंक दिया उसी तरह से सभी जगह से आपको वे उखाड़ कर फेंक देंगे। यह मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। आप देखेंगे कि ६७ के चुनावों में आप अगर ८९ की बजाय ४० भी आ जावें तो बहुत है। यह आपको सोच कर चलना है। आपको अब किसानों ने पहिचान लिया है कि कौन नकली किसान है और कौन असली किसान है? कौन नाजायज तरीकों से किसानों की जमीन को हड़पना चाहता है। कौन ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जयपुर के १० मील के एरिया में हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है? मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पंचायत समिति झोटवाड़ा में आपके लिए यह कहा जाता है, आप मेरे साथ जरूर पधारिये। आपको मालूम होगा। आपसे न्याय की मांग करते हैं और सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे मेरे साथ चलें तो मैं उनको बता दूंगा कि लोगों की क्या धारणा है ....

श्री रामकिशन (वैर) : सभी नेता चलें।

श्री मानसिंह महार : आपको तो देता ही कौन है? आप कोशिश करें तो भी देख लेंगे/ उधर से जब बहुत से तजुर्बे हासिल किये और.........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : लिख कर दिया है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा और उप-मंत्री से एक बात का जवाब चाहूंगा कि आप असली और नकली किसान को पहिचानें आप असली किसान को नहीं पहिचानते हैं। हम जयपुर में बैठे लगान दे रहे हैं। १२५) रुपये आसानी से दे देंगे। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि सरचार्ज पर ५०१) रु० देने पड़ेंगे तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आवेगी। मैं कहता हूं कि गरीब किसानों को आप देखिये। मैं कहता हूं कि आप ५०) रु० की चीज को हटाइये। मैं कहता हूं कि आप ५००) रु० से ज्यादा वालों पर १।। कर दीजिये। हम जैसे बड़े किसानों पर १।। करें तो हम जरूर देंगे। लेकिन यह छोटे किसानों पर सवाया लगान लगाते हैं, यह उनके साथ बड़ा अन्याय है और आपके लिये बड़े शर्म की बात है। यह किसानों के बलबूते पर भी नेता लोग जीत कर आये हैं। यह उनके लिये देखने की बात है। इसलिये आप ५०) रु० की चीज को हटाइये। मैं इसके बाद

(श्री मानसिंह महार)
सदन से निवेदन करूंगा कि उप-मन्त्री आज विश्वास नही दें कि हम राजस्थान में समेरी सैटलमेंट करेंगे। रेन्ट रेट का सवाल है उसमें जिस समय डिविज़न होगा मैं समझता हूं कि अगर व्हिप नहीं हो तो वे लोग भी हमारे साथ आवेंगे, जिस समय वोटिंग का मामला हो, किसानों का मामला है। अब तो यहां नकली किसान भी आ बैठे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं यह कहना चाहता हूं कि नकली·······

श्री अध्यक्ष : पहले आप पान खा लें।

श्री मानसिंह महार : राजस्थान का किसान मुंह में पान का बीड़ा चबा कर कभी नही आता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो जमीन पर पैदा करते हैं उनके जमीन है, जमीन उनके बाप-दादों के साथ नहीं आई थी·······

श्री मानसिंह महार : हमारे तो बाप-दादों के साथ आई थी, आपके नहीं आई थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ए बे!······· चुप रह। क्या समझता है अपने आपको ?

श्री मानसिंह महार : चुप रह, तेरे जैसे कई देखे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आ जा, बाहर निपट लेते हैं।

श्री मानसिंह महार : आ जा, बाहर देख लेते हैं। लड़ ले कुश्ती।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हप्प।

श्री मानसिंह महार : हप्प।

क्या समझ रखा है अपने आपको। कुछ लोग ऐसे सदन में आ जाते हैं जो इस प्रकार की बातें करके और ब्लेकमेलिंग करके चीप पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चीप पोपुलेरिटी की कोई बात नहीं है·······

(व्यवधान, अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order! Please Order !!

श्री मानसिंह महार : यह कौल साहब नहीं हैं जो दब जावेंगे। गलत प्रकार से पैसे ले लिये और ऊपर पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हैं और आरोप से चुप हो जाते हैं। कभी जनसंघ की मदद लेते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : १० दफे हारे हो। जनसंघ की मदद से आये हो। हार कर गये थे।

श्री मानसिंह महार : १० दफे हारा हूं; क्या बात है ? इन सदस्य की आदत पड़ गई है बीच में उछल-उछल कर बोलने की। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने भी आप जैसे बहुत देखे हैं।

श्री अध्यक्ष: Order ! Please order !!

श्री मानसिंह महार : कांग्रेस में गुण्डा-गर्दी पैदा हो रही है, इसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े संयम से बातें कह रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि

Page No 63

(श्री मानसिंह महार)

इस प्रकार की बातें न आयें। माननीय वित्त मंत्री जी को दबाते हैं। यह पोलिटिकल ब्लैकमेल है। माननीय सदस्य इस प्रकार के ब्लैकमेल के आदी हैं। हमको भी हमारे विचार नहीं कहने देना चाहते, पर हम कहेंगे, हम दबेंगे नहीं। हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। हमारा पक्ष न्याय का पक्ष है। हम अन्याय को लेकर नहीं चलते। हम ऐसे नहीं कि झूठे प्रिन्टिंग प्रेसेज के नाम से पैसे ले लें, किसानों से जमीन ले लें। मैं ये वही बातें कहता हूं जो राजस्थान के मन्त्री ने कही हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने हाउस से एन्क्वायरी चाही है.........

श्री मानसिंह महार : एन्क्वायरी तो होती तो.........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इनकी तो आदत पड़ी हुई है। जो कोई भी माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनके बीच-बीच में बोलने की इनकी आदत पड़ी हुई है। ये आदत से बाज नहीं आते ....

श्री मानसिंह महार : हर बोलने वाले को इन्टरप्ट करेंगे, उनके भाषण को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर इस प्रकार की परम्परा डालेंगे तो कांग्रेस पक्ष क्या, गवर्नमेंट पक्ष वालों का बोलना बन्द हो जायगा। पर हम परम्परा कायम रखना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं ३ दिन से कि किस प्रकार वे वित्त मंत्री जी के पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस जैसी इम्पोर्टेन्ट पार्टी के सेक्रेटरी के नाते उनका जो व्यवहार रहा है वह निन्दनीय है। वही व्यवहार हमारे साथ करना चाहते हैं; यह नहीं चल सकता। तो माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन में एक ऐसा एलीमेंट आ गया है जो सदन की परम्पराओं को खत्म करना चाहता है, जो पहले बाहर जाकर इस तरह की बातें करता है कि आज कोई न कोई मसला सदन में उठाना है, सेन्सेशन क्रियेट करना है।

अब मैं और ज्यादा न कह कर मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मेरी समेरी सेटलमेंट की बात की तरफ ध्यान दें।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष, मैं एक व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने 'अबे' और 'गधे' कहा है, उन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगर सारी बातें निकलवा दी जायं तो कुछ रहेगा ही नहीं। मैं समझता हूं इस तरह की बातें निकालने से ही कोई समस्या हल नहीं हो जायगी। भविष्य जाने कि सदन के माननीय सदस्य किस तरह बोलते थे। अगर माननीय सदस्य इस चीज को महसूस करेंगे तभी समस्या हल होगी। दो शब्द इधर के निकाल दिये, दो शब्द उधर से निकाल दि, इससे कोई मतलब हल नहीं होगा। आपस में किस तरह व्यवहार करना चाहिये, यह जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक समस्या हल नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस तरह की हल्की बातें यहां नहीं करें। दुख तब होता है जब कि वरिष्ठ सदस्य इस तरह की बातें करते हैं। नये सदस्य यहां आये, जिनको यहां की परम्परा का, सामाजिक जीवन का अनुभव नहीं हो और वे इस तरह

(श्री अध्यक्ष)

की बातें करें तब तो और बात है; बोल सकते हैं पर जो माननीय सदस्य वर्षों से यहां काम कर रहे हों और कई जिम्मेवारियों की जगह पर काम कर रहे हों, वे इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा दुःख होता है। 'दुःख' से ज्यादा मैं और नहीं कह सकता। मैं समझता हूं इसका उन पर असर पड़ेगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष, मैं बहुत ही संयम से बोल रहा था, पर उनकी जैसी आदत है, उन्होंने डिस्टर्ब किया और आपने देखा कि कैसा वातावरण बनाना चाहा। वह तो मैं बच के निकल गया, नहीं तो वे चाहते थे कि सदन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया जाय। इसलिये उनको अधिक एड्मोनिश किया जाय। आपने आध घंटा भाषण सुना, मैंने तो टू दी पोइन्ट बातें कहीं। उन्होंने ही इस तरह का वातावरण पैदा किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आपने इस समय कहा, उसके लिये मुझे बहुत इज्जत है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक बात आपकी इजाजत से कह दी। सही तो यह होता कि उसके बारे में सदन जांच करवाता। पर मुझे दुख हुआ, उन्होंने मेरे आते ही कहा, नकली किसान आ गया। 'नकली किसान' इस शब्द के क्या अर्थ हैं, यह हर एक भाषा का पण्डित समझता है।........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है तो बाद में समय ले सकते हैं। सदन का समय जा रहा है, अभी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : खेद भी प्रकट कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ सरकार की ओर से सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा अब तक का जो अधिभार का अधिनियम था, उसमें भूमि के लगान के ऊपर जो सरचार्ज निश्चित किया गया था—उसमें संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा ४५ एकड़ भूमि और जिसका ५०) रुपया लगान लगता है उस पर प्रति रुपया २५ नये पैसे का सरचार्ज चालू किया जायगा। जिस समय राजस्थान में यह सरचार्ज लागू किया गया था उस समय तीन प्रकार के सिलेबस इन्ट्रोड्यूस किये गये थे। पहले के अनुसार जिनका ७५) रुपये का लगान होता था, उनको किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं देना पड़ता था, ७५) रुपये से लेकर २५०) रु० तक का जिसका लगान था उनको ६ नये पैसे प्रति रुपया के हिसाब से लगान देना पड़ता था और जिनका २५०) रु० से ऊपर था उनको १२ नये पैसे के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ता था। अब इसको बदल कर हमारी सरकार ने फ्लेट रेट इनट्रोड्यूस की है, जिसके आधार पर ४५ एकड़ भूमि तथा ५०) रु० का लगान है इससे कम वाला मुक्त रहेगा। इससे ऊपर पर सरकार को २५ नये पैसे का अधिभार लगान के साथ जमा कराना पड़ेगा। मैं समझता हूं सरकार के वित्तीय संकट को दूर करने के माध्यम जो सरकार ने अपनाये हैं उनमें यदि सबसे बुरा

(श्री भैरोंसिंह)

माध्यम अगर कोई है तो वह लगान पर सरचार्ज लगाना है। यह सरचार्ज लगाने से पहले सरकार को विचार करना चाहिये था कि हम जिस प्रकार का अधिभार लागू करना चाहते हैं इससे राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि इसका थोड़ा बहुत भी ध्यान रखा होता तो इस प्रकार के फ्लेट रेट इन्ट्रोड्यूस करने के कारण सरकार को नजर नहीं आते।

सरकार ने आरम्भ में २५० लाख के हैवी टैक्स लगाये। सदन में उनका घोर विरोध हुआ। उसको सरकार ने स्वीकार किया और उससे हटाकर यह अनुमानित अधिभार सदन में रखा है। मैं इसे मंजूर नहीं करता कि इस प्रकार का अधिभार लागू करने के बाद सरकार को केवल २५ लाख की आमदनी होगी। सरकार ने जो सैस की व्यवस्था कर रखी थी उसके अनुसार सरकार को ८ लाख प्रति वर्ष इस मद से मिलता था; जिसमें ७५) रुपये से कम वाले मुक्त थे। ७५) रु० से लेकर २५०) रु० से नीचे थे उनको ६ परसेंट देना पड़ता था और २५०) रु० से ऊपर वालों को इस हिसाब से कम देना पड़ता था उसको खत्म कर के ४५ एकड़ से अधिक भूमि वालों पर २५ प्रतिशत अधिभार लगाते हैं तो इससे आपको न केवल दुगुनी या तिगुनी आमदनी ही होगी, बल्कि ५० लाख की आमदनी होगी। इससे हमारी सरकारी केवल २५ लाख की आमदनी होगी और ५० लाख की उस हालत में होगी जब कि सरकार ने छूट दे दी है कि पंचायतें और पंचायत समितियां अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस प्रकार का टैक्स लागू कर सकती है

• राजस्थान की पंचायत समितियां, यह बात सही है, कि आज के दिन आर्थिक स्थिति के कारण काफी दबी हुई हैं, उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार प्रशासनिक खर्चा बढ़ाया है उसको देखते हुए उनके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे किसी न किसी प्रकार अपने साधन जुटावें और सरकार की ओर से ग्रान्ट-इन-एड के रूप में या बाकी नॉन एक्सपेन्डीचर के रूप में सरकार से पैसा मिलता है वह भी इतना पर्याप्त नहीं है कि वे अपने बढ़े हुए प्रशासनिक खर्चे को मीट कर सकें। उनको मजबूर होकर लैंड पर सरचार्ज लगाना पड़ेगा। लैंड के ऊपर २५ नये पैसे राजस्थान सरकार ने सरचार्ज लगाया और भारत सरकार ने भी, किसानों को सेविंग करनी पड़ेगी, यह कहा। भारत सरकार के वित्त मन्त्री ने पार्लियामेन्ट के अन्दर अपनी बजट स्पीच में यह घोषणा की कि किसान को ५० परसेन्ट सेविंग करनी पड़ेगी और वह पैसा सरकार को जमा कराना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो किसान १००) देता था लगान के रूप में अब उसको १७५) रुपया देना होगा। २५) रुपया सरचार्ज के रूप में राजस्थान सरकार को, और ५०) रु० भारत सरकार को सेविंग के रूप में देना होगा। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अपने राजस्थान के किसान की पिछले वर्षों में यह स्थिति कर दी है कि वह दुगुने से थोड़ा कम लगान जमा करा दे? नहीं, यह स्थिति पैदा नहीं की है। आपको चाहिये तो यह था कि किसान पर जो लगान का भार है उसको कम करें, जिससे किसान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनीशियेटिव बढ़े और दूसरी तरफ राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और खाद्यान्न की

Page No 66

(श्री भैरोंसिंह)
समस्या की पूर्ति कर सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार विपरीत दिशा में आचरण करने की चेष्टा कर रही है। उस दशा में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अधिभार किसान पर लगा कर आप किसान की हालत को सुधार नहीं पायेंगे, और जब किसान की हालत नहीं सुधार पायेंगे तो किसान के द्वारा जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं वह भी नहीं हो सकेगा और प्रोडक्शन भी अधिक नहीं हो पावेगा।

दूसरा सबसे बड़ा मसला आता है, पिछली बार भी मैंने इसको उठाया था और आज भी मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, राजस्थान के अन्दर रेट्स का स्टेन्डर्डाइजेशन अब तक नहीं हुआ है। एक बार नहीं, अनेक बार मांग की गई कि राजस्थान में जो वेरियेशन्स हैं उनका स्टेन्डर्डाइजेशन किया जाय। भूमि किस क्वालिटी की है, पर एकड़ कितनी ईल्ड है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर फिर जमीन का लगान निर्धारित किया जाय। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। पहले सरकार ने और जागीरों ने १।३, १।४ पर निर्धारित किया और जब वर्तमान सरकार ने शासन सम्हाला तो १/६ कर निर्धारित कर दिया। आज किसान को १/३, १/४ और १।६ से लगान देना पड़ता है और इस प्रकार वेरियेशन्स में आप सरचार्ज इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो किसान जागीर के समय तीसरा और चौथा बांटा निर्धारित हुआ था उसके कारण उत्पीड़ित था, हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा वह उत्पीड़ित हो और उस पर अधिभार डाला जाय, यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरचार्ज की रेट को एम्हान्स करने के लिए सरकार को सबसे पहला दृष्टिकोण अपनाना है तो यह है कि सारी रेट्स का स्टेन्डर्डाइजेशन करे। यदि रेट्स का स्टेन्डर्डाइजेशन हो जाता है तो कितनी उसकी एग्रीकल्चर केपेसिटी है, कितना मेन्युअल पॉवर है, उस पर कितना टेक्स दिया जा सकता है दिया जावेगा। चाही जमीन का कहीं पर २५) रु० फी एकड़ है तो चाही जमीन का कहीं २ रु० ३ आना भी है। कहीं आप २५) रु० फी एकड के हिसाब से वसूल करते हैं और कहीं आप २ रु० ३ आने के हिसाब से वसूल करते हैं। किसान को २५)रु० का सरचार्ज और २ ३ आ. रु. पर सरचार्ज देना होगा। इसी प्रकार नहरी और बारानी जमीन के वेरियेशन्स हैं, बंजर जमीन के वेरियेशन्स हैं। उन पर किसी प्रकार का सरचार्ज इन्ट्रोड्यूस किया जाय, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं नहीं कहता। यदि मैं यह कहूं कि सरकार विचार नहीं करेगी कि विरोधी दल का सदस्य होने के नाते इस तरह की बात कह रहे हैं। किन्तु यह जो मैं बात कह रहा हूं वह माननीय उपमन्त्री, रामप्रसादजी लड्ढा को कही हुई बात है। यह बात उन्होंने ५८ में कही थी, आज नहीं। दैवयोग से उस समय वे मंत्री नहीं थे उस वक्त यदि वे मंत्री होते तो उन्हें यह बात कहने में संकोच होता। उन्होंने यह बात १९५८ में कही। किस लेंगवेज में कही, वह मैं दो-तीन सेन्टेन्सेज में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा है:—

"When the basic rates are uneven the levy of a surcharge would only accentuate the inequalities of incidence already existing. For this reason the rates of assessment in some States were adjusted in relation to a common price level before levying surcharges"

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी बात उन्होंने कही थी :

"In Rajasthan, the levy of a surcharge on land revenue at a flat rate per every rupee of assessment would not be appropriate in the existing conditions."

तीसरी बात उन्होंने कही :

"Under present tenancy law 1/6 th of the value of gross produce is also the highest rate of rent which a landlord may legally demand from his tenant. It would be awkward if the Government, by imposing a surcharge on the rent rate, exceeded the limits of rent that it has set for private landowners."

फिर आगे उन्होंने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का हवाला दिया ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : फिर भी आगे कुछ और लिखा है ।

श्री भैरोंसिंह : आगे की बात भी बता देता हूं । आगे आपने कहा है कि हर हालत में सरचार्ज लगाया जाय । लेकिन सरचार्ज लगाया कितना जाय, यह मैं बताता हूं :—

'For these reasons we recommend that in place of the agricultural income tax a surcharge on land revenue may be levied as indicated below —

Where the amount of land revenue payable

(1) exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 250 — 6¼%

(2) exceeds Rs. 250 but does not exceed Rs. 500 — 12½%

(3) exceeds Rs. 500 — 25% on the entire revenue payable.

मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन एक्जिस्टिंग कन्डीशन्स में, जिस एक्जिस्टिंग कन्डीशन में, इस प्रकार की रिपोर्ट ड्राफ्ट की, आपने मेहनत करके इन बातों का उल्लेख किया, उन एक्जिस्टिंग कन्डीशन्स में किसान की दृष्टि से आज की हालत में और उस हालत में क्या अन्तर पड़ा है ? यदि प्राइसेज इन्डेक्स को देखना चाहें तो आपको यह भली भांति मालूम हो सकेगा कि किसान की हालत सुधरी नहीं है, लगान का स्टेन्डर्डाइजेशन नहीं हुआ है, किसान के लिए वेदर फेवरेबल हो गयी हो, इस प्रकार की भी स्थिति पेश नहीं हुई और आप यह मंजूर करके चलें कि पर एकड़ प्रोडक्शन ईल्ड गिरी है, बढ़ी नहीं । १९५८ में जिस समय रिपोर्ट पेश की उस समय जो किसान की हालत थी और आज जो किसान की हालत है उसमें अन्तर है । और यह अन्तर गिरावट की ओर है और जब गिरावट की ओर अन्तर है उस वक्त आप सरचार्ज लगाना चाहते हैं, चौगुना आप लगाना चाहते हैं यह किस प्रकार औचित्य-पूर्ण है ? मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं । मन्त्री महोदय और सरकार इसका उत्तर दें ।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ४५ एकड़ से यह रेट लागू की है । सीलिंग बिल के अनुसार सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

ने नियम बनाये हैं उनको देखें। किस प्रकार की जमीन कितनी रखें? जो एक रेंज का हिसाब दिया है उसको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि बहुत कम राजस्थान में ऐसे स्थान होंगे जिनको ४५ एकड़ से कम रखना होगा। ४५ एकड़ ज्यादातर किसान रखेंगे। यह इकोनोमिक होल्डिंग जिसकी आमदनी ३,६००) रु० वार्षिक की अनुमानित है; यह आमदनी मीनिमम है, यह मीडियम भी नहीं हो सकती। ३००) रु० किसान को खेती करने के बाद मिलें, पांच-सात व्यक्तियों का परिवार है, यह तो किसान की दुर्दशा का चित्र है। उसकी ३,६००) रु० की आमदनी में कटौती करना चाहें ४५ एकड़ पर, यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है। थोड़ी भी भूमि अच्छी है तो लगान ज्यादा लगा रखा है, ५०) रु० का लगान रखा है। ५०) रु० की सीमा रख कर लगान लेना चाहेंगे तो कोई किसान नहीं बचेगा।

आपने एक रिपोर्ट और देखी होगी। लैंड युटिलाइजेशन कमेटी ने इस सदन में प्रस्तुत की थी। उस कमेटी ने राजस्थान को जोन्स में बांटा-ड्राई जोन्स में; दस इंच से अधिक रेंज नहीं हो सकती, इस प्रकार के जोन्स में बांटा है और वे जोन्स हैं डिस्ट्रिक्ट बीकानेर, डि० बाड़मेर, डि० जैसलमेर, डि० जालौर, डि० झुंझुनू, डि० सीकर, डि० नागौर, डि० पाली बीकानेर जोन, बाड़मेर जोन, और जालौर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली; इनमें कुछ तहसीलें निर्धारित की हैं, इसी आधार पर ड्राइ जोन्स इस आधार स्वीकृत हुए हैं कि पर-एकड़ इन्कम कम होती है। किसान के पास ज्यादा जमीन है। ४८ एकड़ का जो एवरेज दिया गया है, कई जगह ३८ एकड़, ४२ एकड़, ४७ एकड़; बीकानेर में सबसे ज्यादा दी है। जैसलमेर में कहीं अधिक एवरेज कूंता है वहां जो सीमा निर्धारित की है वह ज्यादा है। आपने जो ४५ एकड़ का एवरेज निर्धारित किया है वह किस आधार पर किया है? लगान की सीमा निर्धारित की है वह कौन से बेस को आधार रख कर की है? सीकर, झुंझुनूं, जयपुर की बारानी जमीन का हिसाब लगा कर देखें तो सीकर में सब से ज्यादा, झुंझुनू में सब से ज्यादा, जयपुर में सबसे ज्यादा। यदि यहां के हिसाब से ४५ एकड़ रखा तो किसान बेचारा मर जायगा। जिस पर पचास रुपया लगान देना पड़ता हो तो उस लगान के आधार पर किसान पर सरचार्ज लगेगा। यह जो सरचार्ज लगाया गया है वह सरचार्ज मान्यताओं के विपरीत लगाया गया है। ड्राइ जोन्स के डेवलपमेंट का कार्य पिलानी और सीकर में चल रहा है ताकि एग्रीकल्चर पोटेन्शियल ज्यादा बढ़ सके। इस व्यवस्था का और जगह नामोनिशान नहीं। जो चीजें किसान पैदा करता है उस पर किस प्रकार से अतिभार लगाया जाय, इस प्रकार की हम चेष्टा करते हैं।

इसके अलावा हमारे किसान की इकोनोमिक कन्डीशन किस प्रकार की है? इसमें छः ड्राइ जोन्स बताये हैं, पानी की किल्लत है। जहां चाही जमीन नहीं, प्रोडक्शन नहीं वहां पर किसानों की इन्कम किस प्रकार से लगाई गई है? जैसलमेर में पर-केपिटा इन्कम राजस्थान पर-केपिटा इनकम है उससे बहुत कम है। इसी आधार पर बूंदी में कम, सवाई माधोपुर में कम, जोधपुर में कम; उसी प्रकार झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जालोर, अलवर, भरतपुर, नागौर और उदयपुर में भी बहुत

(श्री भैरोंसिंह)

कम है। जो आपने इसमें पर-केपिटा इन्कम बताई है, जिनके पास खेती की सीमा अधिक है वहां पर-केपिटा इन्कम कम है। जहां पर पर-एवरेज ईल्ड कम है फिर भी आप उस पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं। हमारी सरकार का केवल एक ही दृष्टिकोण है कि किसान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से टैक्स लगाया जाय। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि पहले आप इस पर विचार करें। हिन्दुस्तान के अन्दर, सिवाय आसाम स्टेट को छोड़ कर, हमारे यहां सबसे ज्यादा किसानों पर कर लगता है। हिन्दुस्तान की पर-केपिटा इन्कम है उससे राजस्थान में एवरेज कम आता है। आपने जो रेट्स निर्धारित की हैं हिन्दुस्तान की कई स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा हैं पर-केपिटा इन्कम भी और स्टेट्स से कम है। ऑल इण्डिया एवरेज जो ईल्ड है उसके आधार पर राजस्थान में कम है। इन तीनों बातों को सामने रख कर यदि सरकार चलती तो यह सरचार्ज लगाने की अधिकारी सरकार नहीं थी। अगर सरचार्ज लगा कर वित्तीय स्थिति को सुधारना है तो २५ लाख रुपये की आय करना मामूली बात है। जैसे आज एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा २५ लाख का गबन किया गया। यह २५ लाख ऐसे हैं जिनको आप स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उनको आप कह दें एक साल में यह अमाउन्ट देना पड़ेगा। एक तरफ तो अध्यक्ष महोदय, इस अतिभार से डेढ़ करोड़ जनता प्रभावित है और उससे केवल २५ लाख रुपया प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ४००-५०० अधिकारी हैं जिनको आप स्पेशल पे देते हैं, जिसमें २५ लाख रुपया खर्च कर देते हैं। जब आप डेढ करोड़ किसानों को २५ लाख के लिए परेशान कर रहे हैं तो इन अधिकारियों की स्पेशल पे बन्द कर दें; इमर्जेन्सी है तो यह २५ लाख रुपये का घाटा पूरा हो सकता है। किसानों को भी अपने पेट पर पट्टी बांध कर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपका घाटा पूरा हो जावेगा। आपका लाखों और करोड़ों रुपया बकाया है। आप वसूल नहीं कर सकते। उसको तो आप वसूल नहीं कर सकते और घाटे की पूर्ति के लिए किसानों पर सरचार्ज लगायेंगे? आप यह मानिये, अगर आपने किसानों के साथ इस प्रकार का बर्त्ताव किया तो निश्चित् रूप से किसान आपके खिलाफ बगावत करेगा फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा और आगे चल कर इसके भयंकर परिणाम होंगे।

मितव्ययता के नाम पर आप किसानों को कहते हैं कि आप अपने खर्चे में कमी करिये। मितव्ययता आप अपने यहां से शुरू करिये। आप मितव्ययता का अभियान लेकर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पर उतारू हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। जो अतिभार आपने लागू किया है वैसी हालत में आपको सोचना पड़ेगा कि इन सब टैक्सेज के बाद हम केवल यह सन्तोष करलें, ऐसी बात नहीं।

हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के के लिये ३२ करोड़ रुपये का प्रावधान करना है, उसके लिए साधन जुटाने है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हर मद के ऊपर उनका टैक्स लगाने का इरादा नहीं है, वे यदि आश्वाशन नहीं भी देते हैं तो अब सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते।

(श्री भैरोंसिंह)
मैग्जिमम सेल्स टैक्स का जो बेसिस है ऑल इण्डिया वाइज, वह वे लगा चुके । उसके अलावा इन्डस्ट्रीज पर ज्यादा टैक्स इम्पोज कर देवें, यह भी बात नहीं; क्योंकि इससे उद्योग पनप नहीं सकते । एम्पलॉयमेंट का पोटेन्शियल खत्म हो जायगा ।

अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या ३२ करोड़ रुपये का प्रावधान किसान के ऊपर टैक्स लगाकर किया जायगा या कैसे ? सरकार मौका रहते सम्भल जाय और इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि किसानों पर और ज्यादा टैक्सेज का भार न लग सके । अगर किसान के ऊपर भार पड़ेगा तो भारत के किसान को इससे बचाने की चेष्टा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, १९५१ में इसी विधान सभा में एक प्राइवेट रिजोल्यूशन मूव किया गया था । उसमें यह था कि अन-इकोनोमिक होल्डिंग्ज हैं उनको लगान से मुक्त किया जाय । उसके बाद हर सैशन में इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये और सरकार ने इस बात को मंजूर किया कि अनइकोनो-मिक होल्डिंग्ज जिनके पास हैं उनके पास इतना भी धन नहीं है कि वे अपने जीवन-यापन का खर्चा चला लें । उनके लिए सबस्टें-न्शियल बिजनेस और होवे तब जाकर वे अपना जीवन-यापन कर सकते हैं । आज से दो दिन पहले भी असेम्बली मेम्बर्स क्लब के अन्दर भाषण देते हुए भारत के योजना मंत्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कहा था कि जब हम गरीब किसान पर लगान लगायें तो जो अनइकोनोमिक होल्डिंग है उसके लिए हमारा पुनीत कर्त्तव्य और हमारा धर्म हो जाता है कि हम उसके द्वारा प्राप्त एक एक पाई का सदुपयोग करें, एक एक पाई का हिसाब बतायें ।

(२. १९. म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस पैसे का किसी भी प्रकार दुरुपयोग न होने पावे ।

आज हम देखते हैं, हमारी इस सरकार में काम करने वाले लोगों द्वारा २५ लाख रुपये का गबन है । पर्चेजेज में घोटाले हो जायं, लाखों रुपया स्पेशल अलाउन्सेज के नाम पर देना पड़े, इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ न कहकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसानों के साथ एक प्रकार से, 'धोखे' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, 'गद्दार' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके साथ विश्वासघात किया जाकर किसानों के पेट में छुरा भोंकने का षड्यन्त्र कर रही है ।

इस सरकार को यह समझकर चलना चाहिए, खास तौर से उप-मन्त्रीजी को कि ५८ में वे क्या समझते थे और आज वे क्या बतला रहे हैं । परन्तु यह जो उनमें अन्तर आया है वह उप-मन्त्री बनने के बाद आया है । जब वे साधारण सदस्य थे तब उन दूसरे उप-मन्त्रीजी के लिए तो कुछ कहूंगा नहीं मैं, पर आपके लिए यह जरूर कहूंगा कि जब आप साधारण सदस्य थे तब बड़ी जिम्मेदारी से बात करते थे, पर जिस समय से मन्त्री, उप-मन्त्री हो गये तब से गैर जिम्मेदारी से बात करना शुरू किया ।

(श्री भैरोंसिंह)

आपने जो यह २५ नये पैसे का सरचार्ज रखा है यह अतिरिक्त भार है किसानों पर। जो पहले से ज्यादा लगान देते हैं उन पर और भी ज्यादा भार है, जिनमें कई कन्डीशन्स हैं।

इसके अलावा लैंड यूटिलाइजेशन कमेटी ने एक संकेत और किया है कि राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है और उनमें भी कई जिले जिसकी लिस्ट उन्होंने बताई है; बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर आदि उनमें लगातार अकाल की स्थिति रहती है, और उनके कुछ पोर्शन्स तो ऐसे हैं जिनमें तीन तीन वर्ष तक लगातार अकाल की स्थिति रहती है, तो जहां तीन तीन साल तक लगातार अकाल पड़ते हैं, जहां पर खेती करने के साधन नहीं हैं, इरिगेशन के साधन नहीं हैं, पीने का पानी भी मिलना मुश्किल होता है उन इलाकों के किसानों पर यदि इस प्रकार का टैक्स आप लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं होगा और अन्ततोगत्वा इन टैक्सों का विरोध करते हुए मैं सदन से अपील करूंगा कि किसानों को बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उस का विरोध किया जाय।

श्री रामकिशन (वेर) : राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर मेरा सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट से लेकर अब तक सरकार की तरफ से जितने भी कर प्रस्ताव आये हैं, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उन पर किसी न किसी तरह से अपने विचार प्रकट किये हैं और सरकार ने भी चाहे वे किसी प्रकार के कर प्रस्ताव हों, उनके समर्थन में दलीलें दी हैं।

तो यह जो जमीन पर सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव है, वह भी उनसे भिन्न नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि जिन कारणों से टैक्स लगाने की दलीलें दी जाती हैं कि हमें देश का विकास करना है, हमें नहरें बनानी हैं, बांध बनाने हैं, निर्माण के कार्य करने हैं और इन तरक्की के कामों के कारण सरकार निरन्तर टैक्स प्रस्ताव रखती जा रही है, फिर इन करों का रूप कैसा भी हो, इसकी सरकार को परवाह नहीं है। उसे तो विकास के काम पूरे करने हैं। वह टैक्स कभी लैंड वाला हो, सरचार्ज वाला हो, कुछ भी हो, सरकार इन टैक्सों के जरिये किसानों और उपभोक्ताओं पर निरन्तर वजन डालने की कोशिश करती आ रही है।

हिन्दुस्तान में शहरी वर्ग और श्रेष्ठि वर्ग के स्वार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, पर किसान और उपभोक्ताओं के हित, चाहे वे कैसे भी हों, शहर वालों के भी और गांव वालों के भी, उन पर हिन्दुस्तान की सरकार और क्या यह राजस्थान की सरकार दोनों निरन्तर प्रहार करती रहती हैं। आज जो दुबारा सरचार्ज का प्रस्ताव आया है वह भी एक तरह से इसी योजनाबद्ध आक्रमण का परिणाम है, जो ये सरकारें किसान और उपभोक्ताओं पर करती आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इसके लिये भी कोई तर्क देने की जरूरत होगी

(श्री रामकिशन)

कि राजस्थान में अभी तक जमीन का सेटलमेन्ट नहीं हुआ है। राजस्थान बनने से पहले राजस्थान कई रियासतों में अलग अलग बंटा हुआ था, उनमें अलग अलग तरह की सोइल्स थीं और उनकी अलग अलग तरह की दरें थीं। कहीं तो इतनी कम भूमि की दर थी कि उसे उचित नहीं कहा जा सकता है और कहीं यह दर इतनी ज्यादा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैं मिसाल के लिये एकदो जगहों के नाम प्रस्तुत करता हूं। धौलपुर में बसेड़ी तहसील है। उसमें १८ रु० बीघा का लगान था और आज भी है। इसी तरह बहरोड़ नीमराणा में १८) रु०, १६) रु० और १५) रु० बीघा तक का लगान है जो पहले था, वही आज भी चला आ रहा है। इसका सेटलमेन्ट और दरो का एकीकरण आज तक सरकार ने नहीं किया है। तो अब स्वतः सरकार को विचार करना चाहिये कि अगर सरकार ५०) रु० लगान देने वाले को अतिभार से मुक्त कर देगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास बहरोड़ और बसेड़ी जैसी जगहों पर तीन बीघा जमीन है उसी को छूट दी गई है, बाकी पर तो सब पर यह टैक्स लागू हो जावेगा। इसलिए सरकार की तरफ से सवा दो करोड़ रुपए इकट्ठे होने का जो अनुमान पहले सेस लगाने पर था और अब उसमें से केवल २५ लाख रुपया ही इससे वसूल होने की बात कही जा रही है तो यह सरकार का अनुमान इन दृष्टान्तों को देखते हुए गलत होगा। और जिलों का हिसाब भी देखा जावे तो वहां भी भिन्न भिन्न दरें हैं।

इसके लिए मेरा पहला निवेदन तो यह है कि जब तक सरकार सारे राजस्थान में सेटलमेन्ट का कार्यक्रम न अपना ले तब तक इस प्रकार के कर न लगाएं। इसके अभाव में इस प्रकार के करों के लिये कोई वैधानिक आधार नहीं बन सकता है। इसके बदले तो सेस का जो बिल था पहले उसमें कुछ तो छूट थी। पर यहां तो यह है कि जहां ज्यादा लगान होगा वहां लाभ नहीं होने वाला है किसान का।

जहां तक मेरा और मेरे दल का सवाल है हम सरचार्ज के खिलाफ नहीं हैं। पर हम केवल यह चाहते हैं कि जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर सरकार टैक्स लगावे, पर जिनकी आमदनी थोड़ी है उन पर नहीं लगावे। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह माना भी था और वे कहते थे कि हम जानते हैं कि राजस्थान के किसान की आज हालत ठीक नहीं है। फिर उन पर इस प्रकार के कर लगाना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है।

इसी तरह दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है हमारी राजस्थान की कर-व्यवस्था के बारे में। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान की जो कर-व्यवस्था है वह दूषित व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वह गलत प्रणाली है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मुगलकाल में जैसी व्यवस्था थी, करीब करीब उसको ही अंग्रेजों ने अपना लिया और ब्रिटिशकाल में जैसी व्यवस्था रही थी उसी को हमारी इस हिन्दुस्तान की सरकार ने विरासत में अपना लिया है।

इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र-संघ की है, जिसकी आर्थिक सलाहकार समिति के श्री हिक्स ने वह रिपोर्ट लिखी है

(श्री रामकिशन)

उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। रिपोर्ट अंग्रेजी में है क्योंकि अंग्रेजी उनकी लोक भाषा में है, इसलिए उनकी उस लोक भाषा को ही उद्धृत कर दूंगा। उन्होंने यह बतलाया है.......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको तो उसकी हिन्दी करके बोलना चाहिए।

श्री रामकिशन : वह तो उनकी अपनी भाषा है, मैं तो उनकी भाषा बता रहा हूं; अपनी थोड़ी कह रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : (श्री मुकुटबिहारीलाल की ओर इशारा करते हुए) अंग्रेजी बोलने में उनको तो ऐतराज नहीं होगा ?

श्री रामकिशन : क्यों ऐतराज करेंगे वे ? उनको तो ऐतराज नहीं है। मैं तो उनकी जबान है, भाषा है, उसी में उन्होंने लिखा, वह बता रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ये हमारे माननीय सदस्य उस तरह के नहीं हैं, जिनके मां-बाप ही अंग्रेजी है, भारतीय होते हुए भी वे अंग्रेजी के मानसपुत्र हैं, गुलामी के दिनों की भाषा बोलने में शर्म नहीं खाते। ये तो अंग्रेजों की बोली बतला रहे हैं कि वे इस तरह कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : तो उन्होंने हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में, जमीन की लगान की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो उल्लेख रिपोर्ट में किया है, वह सारी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। जो आवश्यक होगा उतना ही पैरा पढ़कर बताऊंगा, उसी से पता लग जावेगा कि हमारी लगान की अर्थ-व्यवस्था की क्या प्रणाली पहले थी और अब है। सन् १९५४ में जांच पड़ताल की थी उन्होंने तो उनकी रिपोर्ट में लिखा है :

"In a study undertaken for the United Nations, Mrs. Hicks has observed that Indian Public finance bears on every page the imprint of the British tradition, as it was developed at home and transplanted with minor adjustments to India and other colonial territories. That it was very British in character was its weakness as well as its strength in the circumstances of post Independence India. The financial system of British India was strong in the sense of being safe. If it achieved little, it was because it never aspired to achieve much. It lacked the ampl tude of the legal system for example"

जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है : "Nothing symbolised the narrowness and passivity of the British Raj more than the financial system (if indeed it can be called as such) that Britain gave to India."

यह जो खास पैरा है, साफ जाहिर करता है कि हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था है क्या :

"It was hardly related to the economic climate of the country. It was oriented to the needs of civil and military administration".

(श्री रामकिशन)

तो उन्होंने यह कहा है इस रिपोर्ट में कि आज तक भी हिन्दुस्तान की अर्थ–व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने जिन अपने स्वार्थों की सुरक्षा के लिये कायम की थी वही आज भी चालू है। हिन्दुस्तान की सरकार ने उसी को अपना लिया है, उसी अर्थ–व्यवस्था को हिन्दुस्तान की सरकार चालू किये हुए है। यह व्यवस्था विदेशी सरकार के लिये उचित थी, कि सबसे कमजोर और दबे हुए, सबसे कम विरोध करने वाला जो वर्ग है उस पर टैक्स लगाया जावे, उस पर भूमिकर लगाया जावे। अंग्रेजों के जमाने में जमीन का वैज्ञानिक कोई आधार तय नहीं किया गया था। जमीन पर टैक्स चूंकि उनको लगाना था, क्योंकि जमीन पर काम करने वाला किसान अनपढ़ था, भोला था, दबा हुआ था और किसी तरह का विरोध नहीं कर सकता था इस लिये जमीन पर जो उनके जी में आया, टैक्स उन्होंने लगाया और उसकी वसूली की। उसी को इस कांग्रेसी सरकार ने अपना लिया है। वह भी आज इस वर्ग को सबसे अधिक कमजोर और दबा हुआ मानती है और इसलिये उसने भी यह अवसर देखा है।

तो मुझे निवेदन यह करना है कि जो यह सरकार बार बार दुहाई देती है कि उसे विकास के लिये पैसा चाहिये तो मेरा यह भी कहना है कि पैसा उसके पास है विकास के लिये। अनेकों माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये हैं, कि बिना किसान पर टैक्स का भार डाले भी सरकार पैसा जुटा सकती है, पर सरकार उन पर विचार करना नहीं चाहती।

सरकार कहती है कि इस सरचार्ज से उसे पच्चीस लाख की आमदनी होगी। सरकार ने अपने हिसाब से दो करोड़ रुपया सैस का टैक्स हटाकर छोड़ दिया। अब उसे पच्चीस लाख रुपया चाहिये। मैं इसके लिये उसको दूसरा सुझाव देता हूं। कल माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जवाब भी दिया था कि मकानों पर टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि लॉ विभाग ने इजाजत नहीं दी। पर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि किराये पर कर लग सकता है तो देखना यह चाहिये कि राजस्थान में शहरों में मकान कितने हैं? ताजा रिपोर्ट तो इस बारे में नहीं है, पर सन् १९५४ में हिन्दुस्तान की सरकार ने एक कमेटी इस बारे में जांच करने के लिये बैठाई थी। उसकी रिपोर्ट है; 'नेशनल इन्कम कमेटी फरवरी, १९५४।' सारी रिपोर्ट तो सदस्यों को पढ़कर मैं नहीं सुनाऊंगा। यह दुख मुझे अवश्य है कि अपनी स्वयं की भाषा होते हुए भी और स्वयं हिन्दुस्तानी होते हुए भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में दी है। इसलिये मैं चूंकि हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं, हिन्दी है इसलिये उसे अंग्रेजी में नहीं पढ़ूंगा, उसका अनुवाद कर देता हूं। अंग्रेजी में रिपोर्ट देने की उनको हिन्दुस्तानी होते हुए जरूरत नहीं थी। उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि हिन्दुस्तान में किन-किन वर्गों की कितनी आमदनी बढ़ी है। हिन्दुस्तान के इनमें से एक श्रीमन्नारायणजी माने हुए अर्थशास्त्री हैं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): माननीय सदस्य बार बार अंग्रेजी पढ़ने का पाप कर रहे हैं, उन्हें रोका जावे।

श्री रामकिशन: मैं तो हिन्दी पढ़ रहा हूं।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, वित्त) : वे जो कुछ पढ़ेंगे वह हिन्दी हो जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दी को भी अंग्रेजी समझ रही है।

श्री रामकिशन : तो स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, उस कमेटी की रिपोर्ट को योजना आयोग के सदस्यों ने और सरकार के पक्ष के लोगों ने माना है कि इन सालों में किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है – जिन काश्तकारों के पास अधिक जमीन है या जो उद्योग-धंधों वाली पैदावार करते हैं उनकी आमदनी में कोई अन्तर अवश्य पड़ा है। लेकिन जो काश्तकार अनाज की पैदावर करते हैं उनकी आमदनी में कोई अन्तर नह पड़ा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है और जैसा कि मैंने भी कई बार निवेदन किया है कि किसानों की कहीं आमदनी बढ़ी भी है तो उद्योग धंधों से कल-कारखानों की पैदावार की कीमतें भी ऊंची चलती जा रही हैं। इसलिए किसानों के पास कुछ बचा नहीं है। सम्भव है सरकार इस बात को मानेकि किसानों की आमदनी बढ़ी है। मैं तो हालां कि इस बात को नहीं मानता हूं। किन्तु जब सरकार की मान्यता बन गयी है कि किसान सम्पन्न हुए तो उस समय सरकार के दिमाग में यह बात नहीं थी कि किसानों के पास जब आमदनी बढ़ी है तो उनकी आमदनी कल-कारखानों के मालिकों के पास चली गयी। किसानों के पास जो कुछ आमदनी बढ़ी, वह कीमतों के बढ़ने के कारण और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी आई और युद्ध के कारण जो मंहगाई बढ़ी उससे किसानों की हालत में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। लेकिन काश्तकारों की इस दौरान में जो भी आमदनी बढ़ी वह कलकारखानों के मालिकों के पास चली गयी।

इसके बाद लोकसभा में अभी कुछ दिन पूर्व एक कमेटी बैठाई गई, तो जब कमेटी बैठाई थी और आज उसके बीच के समय में जो रिपोर्ट आ चुकी है, जिसको अखबारों में उप-मंत्री महोदय ने, मंत्रि-मण्डल के अन्य सभी सदस्यों ने पढ़ा होगा, उसमें भी इसी मान्यता की पुष्टि की गई है कि किसानों को कुछ बचा नहीं है। फिर मैं नहीं समझता कि कर लगाने का आधार क्या किसानों पर हो सकता है ? टैक्स लगाने का आधार यह होना चाहिए कि जो ज्यादा कमाये उससे सरकार ज्यादा टैक्स लें। यह तो कर लगाने का एक साधारण सिद्धान्त है, जिसे सभी मानते हैं। टैक्स लगाने का उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करे, यही नहीं है, बल्कि टैक्स लगाने के तीन–चार आधार होते हैं। एक आधार तो यह है कि टैक्स लगाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि जिन पर टैक्स लगाया जा रहा है उनके उत्साह और प्रेरणा में कहीं कमी तो नहीं आती है। अगर आपने जनता का कोई फायदा नहीं किया है तो आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर आन्तरिक मुद्रा स्फीति है या दूसरे कारण हैं जिसमें हम पूंजी नये निर्माण कार्यों में नहीं लगा रहे हैं तो सरकार को टैक्स के द्वारा बाजार से पूंजी ले लेनी चाहिए। जिन दो रिपोर्टों का मैंने जिक्र किया उन दोनों रिपोर्टों में सरकार ने माना है कि किसानों की हालत में विशेष सुधार नहीं हुआ है।

अब सरकार को पैसों की जरूरत है और विकास के लिए पैसा चाहिये। हम इसको स्वीकार करते हैं। प हमारी यह भी मान्यता है कि विकास कार्य

(श्री रामकिशन)

खूब तेजी से किए जाने चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि योजना में कटौती कर दें। हम कहते हैं कि सिचाई की योजनाएं छोटी हैं। मकानों की योजनायें छोटी हैं स्वास्थ्य की योजनायें छोटी हैं, शिक्षा की योजनायें छोटी हैं। उनमें हम खर्च और बढ़वाना चाहते हैं। एक ओर जहां हम इन योजनाओं में खर्च बढ़वाना चाहते हैं वहाँ दूसरी ओर हम सरकार के लिये निरन्तर सुझाव भी दे रहे हैं। कई तरह के सुझाव आते हैं। राजाओं की पेन्शन बन्द करने के सुझाव आये, जागीरदार जिनको पांच हजार से ज्यादा का मुआवजा मिल रहा है उन के मुआवजों को कर्ज के रूप में लेने का सुझाव आया। लेकिन सरकार ने इन तीनों सुझावों को नहीं माना। 'समाजवाद,' सरकार मुंह से तो उच्चारण करती है, लेकिन जो आचरण होता है वह पूंजीवादी आचरण है। अब चौथा सुझाव है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हम किराये की आमदनी पर टैक्स लगा सकते हैं। परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वे कराया है कि राजस्थान में कितने मकान हैं ? सन् १९५४ की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में शहरी क्षेत्र में कितने मकान हैं, इसका तो उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया, लेकिन उसमें बताया गया है कि भारत में कुल एक करोड़, एक लाख मकान हैं सारे देश में और किराये का हिसाब लगाया तो उसके हिसाब से २४५ करोड़ रुपया साल की फीगर आती है। तो यह सन् ५४ की रिपोर्ट है अगर सारे देश में १ करोड़, एक लाख मकान थे और २४५ करोड़ रुपया सालाना किराया था तो राजस्थान का विवरण तो अलग नहीं दिया है, परन्तु इस हिसाब से मालूम होता है कि राजस्थान में ५-६ लाख मकान हैं। अगर उनकी औसत आमदनी ३००) रुपया सालाना मान लें और उसमें से २०)रुपया भी टैक्स लगायें तो १। करोड़ की आमदनी मकानों के किराये से सरकार को साल में हो सकती है। लेकिन राजस्थान सरकार उधर हिम्मत नहीं करती। मेरी यह मान्यता नहीं है कि सरकार के मन में ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार किन्हीं निहित स्वार्थों से घिरी हुई है क्योंकि सरकार जानती है कि यदि वह शहरों में हाथ डालेगी तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जावेगा क्योंकि जो मकान मालिक हैं वे सरकारी पार्टी के फाइनेन्शियर भी हैं, इसलिए इधर हाथ डालने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसलिए दोस्ती को निभाने के लिये राजस्थान के किसानों पर सरकार टैक्स लगायेगी। मैंने राज्य सरकार के लिए १। करोड़ की आमदनी का जरिया बताया है और सरकार को भी यह साफ हो गया है कि किराये की आमदनी पर इस टैक्स को लगाये और मकानों पर नहीं लगाये, अचल सम्पत्ति पर कर नहीं लगायें। लेकिन इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि किराये से देश की आमदनी में ३ अरब साल की ज्यादा वृद्धि होती है। इस हिसाब से हम राजस्थान का हिसाब लगायें तो १ करोड़ या १। करोड़ के करीब रुपया राज्य सरकार को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से उप-मंत्री महोदय को, मंत्री महोदय को और सभी कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और यह भी हमारी इच्छा है कि कहीं देहात में आप बदनाम न हो जायें। हम यह जरुर चाहते हैं कि कांग्रेस के राज्य का अन्त हो, लेकिन इसके साथ साथ हम यह नहीं चाहते हैं कि जो प्रतीक्रियावादी हैं वह सत्ता में आ जायें। इस लिए हम तो आपकी

(श्री रामकिशन)

भलाई के लिये ही सुझाव देते हैं। आप ऐसा आचरण मत कीजिये कि आप तो डूबेंगे ही लेकिन साथ साथ हमें भी ले डूबेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले पर गंभीरता से सोचें।

कल हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बड़े नाटकीय ढंग से जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि हम तो खर्चे में बड़ी कमी कर रहे हैं। जिस समय उन्होंने वित्तीय विधेयक पेश किया था उस समय तो २ करोड़ रु० का उन्होंने आंकड़ा बताया था और अब २॥ करोड़ रु० का बताया है। तो ५ दिन में ५० लाख की बचत तो की नहीं होगी। आप साथ ही यह भी देखें कि राज्य सरकार का बजट कैसे बढ़ रहा है? लोगों ने समझा कि वित्त मंत्री महोदय ने बड़ा वैज्ञानिक जवाब दिया है। जिस समय हमारा राजस्थान बना था उस समय १६ करोड़ रु० का बजट था और आज ६६ करोड़ का बजट पास किया है। यानी आपने पहले से चौगुना बजट बढ़ा लिया है। अगर आपने अब २ करोड़ की बचत कर भी ली तो आपने कौन सा बड़ा काम किया है। कोई चरित्रवाली सरकार हो तो ६६ करोड़ में से २५ लाख की बचत तो अभी भी कर सकती है। मैं समझता हूं कि हर सदस्य इसको तस्लीम करेगा कि ६६ करोड़ में से २५ लाख की बचत करनी चाहिए, तो एक पैसे का १।६ हिस्सा पड़ता है। कोई बात नहीं है, हम २५ लाख की बचत कर सकते हैं, फिजूल खर्चियों को रोक सकते हैं। किसी भी अविकसित देश में जिस तरह से हिन्दुस्तान में योजनायें चल रही हैं आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी योजनायें नहीं चली है। यहां पहले भवन, स्कीमें और फिर उपकरण आयेंगे और इसके बाद वैज्ञानिक साधन आयेंगे। दूसरी जगह क्या होता है कि पहले मास्टर आयेगा और फिर भवन बनेगा। हमारे यहां विकास अधिकारी बाद में पहुचेंगे और पहले क्वार्टर बनेगा। यह फैशनवाली भावना को हिन्दुस्तान छोड़ दे तो हर साल जो बिल्डिंग वाला बजट रखा है उसमें २५ लाख की बचत की जा सकती है। यह तो सारे राजस्थान के लोग जानते हैं कि राजस्थान में मकानों की कमी नहीं है। क्योंकि हमारे यहां राजस्थान में २६ रियासतें थीं और हर राजा ने थाने, जेल और महल बनवाये हैं। आज बहुत से राजा-लोग इस बात का विरोध करते हैं कि उनके काफी मकान ले लिए गए हैं। परन्तु अब वह समय आने वाला है जब कि वह इनको अपने आप छोड़ देंगे। क्योंकि उनके पास मरम्मत के लिए पैसे हीं नहीं होंगे तो क्या करेंगे? राज्य सरकार अगर थोड़े ढंग से कोशिश करे तो मकानों के ऊपर पैसा खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है। भरतपुर जिले में हमारे यहां थाने थे, लेकिन फिर भी दो-तीन थाने तो अब बहुत सुन्दर बनाये गये हैं।

दुनिया में कहीं भी पहले पुलिस स्टेशन शानदार नहीं बनाये जाते थे। हमारा यह कहना नहीं है कि थानेदार के लिये अच्छे क्वार्टर्स नहीं हों। जब हमारे देश की आमदनी बढ़ जायेगी तब उनके लिए भी अच्छे और सुन्दर क्वार्टर्स बनाइयेगा; तब तक जिस तरह से साधारण गरीब लोग झोंपड़ों में और साधारण मकानों में रहते हैं उसी तरह से इनको भी रहना चाहिये। राजस्थान में २५-३० हजार पुलिस वाले या थानेदार हल्के मकानों में रह जायेंगे तो जुल्म नहीं हो जायगा। हमारी जब

(श्री रामकिशन)
आमदनी बढ़जायेगी तो अमेरीका से भी अच्छे थाने हम बनाने की कोशिश करेंगे। जेल और अस्पतालों के लिये आप मकान जरूर बनावें। लेकिन शिक्षण संस्थाओं के लिये यदि जंगलों में बैठ कर बच्चे पढ़ सकते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ कर भी पढ़ सकते हैं तो फिर, नये भवनों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिये लेकिन जब जनता अपने लोगों से पैसे इकट्ठे करके दे रही है या मकान बना कर दे रही हैं तो आप उनको टैक्स लगा कर मजबूर न करें। आप में से कई लोग शायद शान्ति निकेतन के विद्यार्थी रहे होंगे, वहां कौनसे बड़े बड़े मकानों हैं, फिर भी वहां से जो स्नातक निकलते है वे बहुत बड़े विद्वान् बन कर निकलते हैं। इसी तरह से बनारस विद्यापिठ को देखिये। वहां भी मकान बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे राज्यपाल महोदय वहां पर अध्यापक थे। आज भी वहां पर अच्छे मकान नहीं हैं। १५-२० साल बाद जब अच्छी स्थिति हो जायेगी तो अच्छे मकान बना देंगे। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से बचत कर सकती है। इस तरह से अगर बचत करेंगे तो किसानों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मैंने पहले दो तीन रिपोर्टों का हवाला दिया है। एक यू. एन. ओ. की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, दूसरी भारत सरकार की योजना कमीशन की रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्टों में बताया है कि किसानों की आमदनी इतनी नहीं बढ़ी है कि उन पर टैक्स लगाने की जरूरत पड़े। निर्माण कार्यों के लिये, मकानों के निर्माण के लिए आप ७०-८० लाख रुपए खर्च करते हैं। इसमें आप बचत कर सकते हैं। मकान आपको किराये पर मिल सकते हैं। अगर आप यह बचत कर सकते हैं कि मकान न बनावें तो इससे जो बचत होगी उससे छोटे किसानों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी बड़े किसानों पर टैक्स लगाने के पक्षपाती हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि पहले निवेदन किया था राजस्थान में पूरा सेटलमेन्ट नहीं हुआ है; कहीं पर रेन्ट कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर जमीन कम है, कहीं पर ज्यादा है, बानसूर और बहरोड़ में ३ बीघा जमीन भी इस टैक्स से नहीं बचेगी। इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। हमारा यह कहना है कि टैक्स लगाते समय जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है हमारे योजना आयोग ने और हमारे संविधान ने जो सिद्धान्त निर्धारित किये हैं उनमें साफ कहा है कि देश में जिनकी आमदनी बढ़ी है उनकी आमदनी को ध्यान में रख कर उनसे टैक्स लें। आज जब हम समाजवादी समाज का निर्माण कर रहे हैं तो हमारी चेष्टा यह रहनी चाहिये कि जिस तरह से आमदनी में अंतर पड़ा है उसी तरह से टैक्स लेना चाहिये, उच्च वर्ग से ज्यादा लेना चाहिये जिससे कि अमीर-गरीब का भेद कम हो। टैक्स लगाने का ध्येय केवल राजस्व इकट्ठा करने का ही नहीं है; बल्कि उसका दूसरा ध्येय जो योजना आयोग ने बताया है और दूसरों ने भी बताया है उसके अनुसार लेने की राज्य सरकार निरंतर चेष्टा करे।

कल खाने-पीने की चीजों पर टैक्स लगाने की बात आई थी। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं हुई है जिसने खाने-पीने की चीजों पर टैक्स लगाया हो। फ्रान्स में केवल एक सरकार ऐसी आई थी जिसने,

(श्री रामकिशन)
आपने भी सुना होगा, डबल रोटी पर टैक्स लगाया था। आज आपने जिन चीजों पर टैक्स लगाया है उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। वित्त विधेयक जब पेश हुआ उस दिन वित्त मंत्री जी ने एक बात कही थी कि किसी प्रगतिशील राज्य में राष्ट्रीय आमदनी के २० परसैन्ट तक टैक्स लगा सकते हैं। यह सही है, क्योंकि अमेरिका में ३६ पर्सेन्ट टैक्स लगाते हैं, जितना कमाते हैं उसका ३६ प्रतिशत टैक्स में देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ३६ वां हिस्सा नहीं, बल्कि ३६ पर्सेन्ट लगाते हैं।

श्री रामकिशन : ठीक है, ३६ पर्सेन्ट है। इस मान्यता के लिये कोई प्रगतिशील सरकार देश का विकास करना चाहती है तो २० पर्सेन्ट तक टैक्स लगाती है। मैं समझता हूं वित्त मन्त्री जी की सही भावना थी। किसी माननीय सदस्य ने सूचना दी थी कि बर्मा में १६ पर्सेन्ट, सीलोन में १७ पर्सेन्ट टैक्स है और जापान में १८ पर्सेन्ट है और इंग्लैंड में ३१ पर्सेन्ट है और उन्होंने यह साबित किया कि हमारे यहां कम टैक्स हैं। उन्होंने तीन एशिया के और तीन दूसरे देशों के बारे में बताया है। मैं एशिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर टैक्स इतना है लेकिन क्यों है? जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है। ये एशियाई देश हैं बरमा, सीलोन और जापान इन तीनों देशों की जो इकोनोमी है वह आन्तरिक खपत पर नहीं है उनकी इकोनोमी निर्यात की इकोनोमी है। जैसे बर्मा चावल बाहर भेजता है, लंका चाय बाहर भेजता है और जापान दूसरी चीजें बाहर भेजता है। इसलिये ये कंट्रीज. जो टैक्स लेती हैं उनका इफेक्ट इन देशों की जनता पर नहीं पड़ता है, वह दूसरों पर पड़ता है जो उनसे माल खरीदते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह कैसे?

श्री रामकिशन : आप यू० एन० ओ० की रिपोर्ट पढ़ लें, मुझ को अंग्रेजी में पढ़नी पड़ेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको अंग्रेजी आती नहीं है।

श्री रामकिशन : आपको गलत-शलत आती है, मुझको ऐसी नहीं आती है। हिन्दुस्तान में राजस्थान में सब से ज्यादा टैक्स है। अब तक योजना कमीशन ने जो सूचना दी है उसके आधार पर १२ पर्सेन्ट से अधिक किसी स्टेट में टैक्स नहीं है, पश्चिमी बंगाल में कुछ टैक्स ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उद्योग आदि ज्यादा हैं। लेकिन राजस्थान में तो टैक्स का परसैन्टेज १६ पर्सेन्ट तक पहुँच चुका है। कल जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा था मैं बड़ा परेशान हूं, सर में दर्द है; उनका मतलब साफ है। वे जानते हैं कि टैक्स लगाने की गुंजायश नहीं है, फिर भी उनको लगाना पड़ रहा है। वित्त मंत्री जी ने जो सिर-दर्द बताया उसके लिये मेरी सहानुभूति है। मैं मानता हूं कि उनको दर्द है लेकिन क्योंकि सरकार साथ देना नहीं चाहती, यही उनके सिर-दर्द का शायद कारण है। सरकार का आन्तरिक झगड़ा है, शायद उनको दबाया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सैटलमेंट नहीं हो, जमीन की एक रेट बय

(श्री रामकिशन)
नहीं हो जिलावार और तहसीलवार वैज्ञानिक दृष्टि से तब तक टैक्स नहीं बढ़ावें।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि ४५ एकड़ तक छूट देंगे। यह अजीब बात है। एक तरफ तो कहते हैं, पैसा चाहिये, दूसरी तरफ कहते हैं हम आपकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन इससे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं जो दूसरी तरह से आपकी मदद करते हैं। आप देख लीजिये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में किस तरह से टैक्स लगाया है.........

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): उत्तर प्रदेश में २५ पर्सेन्ट है।

श्री रामकिशन: परसों पढ़ा नहीं होगा आपने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह दूसरा टैक्स है।

श्री रामकिशन: सरचार्ज दूसरी श्रेणियों में विभक्त किया है। ८ एकड़ तक की छूट दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ८ एकड़ का खत्म हो चुका है; माननीय सदस्य को मालूम नहीं है।

श्री रामकिशन: आप सुन लेंगे तो मालूम हो जायगा। समाप्त नहीं किया है; अधिक श्रेणियों में विभक्त किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़ों से ज्यादा लेने की चेष्टा करें और छोटों को छूट दें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशकुमार।

(२.४८. म.प.)

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १६६३ सम्बन्धी वैधानिक आपत्ति

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो रूल ६४ है और उसमें जो प्रोविजो है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें यह लिखा है:

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

इस सम्बन्ध में यह लिखा है कि यदि कहीं भी वैधानिक ऐसा प्रश्न रेज. किया जायगा जिसमें संवैधानिक तरीके से इस हाउस को शिकायत है उससे पहले कानून चल रहा हो और आपत्ति उठाई जाय तो पहले उस आपत्ति का निर्णय होना चाहिये।

मैं आपत्ति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में तीन लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं; एक यूनियन लिस्ट है, जिसमें केन्द्र को संशोधन करने का या कानून बनाने का अधिकार रहता है। इसी तरह से मेरे कहने का मतलब यह है, एक मिनिट में यह बात बता दूं, अभी

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

सरचार्ज लगाने के संबंध में जो बहस की जा रही है वह इस हाउस की क्षमता के बाहर है। इस तरह का कोई टैक्स किसानों की क्षमता के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता। संविधान के अन्तर्गत तीन प्रकार की लिस्ट्स रखी हैं। एक यूनियन लिस्ट के नाम से है; जिसमें कि जो केन्द्र की संसद है, उसको इस बात के लिए अधिकार दिया गया है कि वह इनके सम्बन्ध में कानून बना सकती है। दूसरी स्टेट लिस्ट है, जिसके अन्दर वे हैं जो हमारी विधान सभा कानून बना सकती है, अपनी व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून रख सकती है। तीसरी कॉन्करेन्ट लिस्ट है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, यह जिस प्रकार का कानून है, यह·······

श्री गिरधारीलाल (आसींद) : मंत्री जी मैं बोलें ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ज्यादा होशियार मत बनिये।

हमारे संविधान का सातवां शिड्यूल है, सातवें शिड्यूल की जो स्टेट लिस्ट है, उसकी ४५ मद हैं, उस ४५ मद के अन्तर्गत लैंड रेवेन्यू के रूप में टैक्स लगाने का अधिकार विधान सभा को दिया गया है। इसके मायने यह हुए; इसको मैं जरा पढ़ दूं :—

"Land Revenue, including assessment and collection of revenue and maintenance of land records, survey for the revenue purposes and records of rights and alienation···"

तो निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि यह हाउस क्षमता जो रखता है वह केवल लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में, लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में रेकार्ड मेन्टेन करने, सर्वे सैटलमेंट करने के बारे में अधिकार रखता है। अगर वास्तव में एक्ट की मंशा यह होती कि जमीन से होने वाली किसान की जो आय है, प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं, by way of Land Revenue तो इस हाउस की कॉम्पीटेन्स में आ सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। मगर इस एक्ट के द्वारा यह बात कही गई है कि यह जो लैंड रेवेन्यू इटसेल्फ है, जो टैक्स के रूप में वसूल किया जाने वाला लैंड रेवेन्यू है, उस पर सरचार्ज के रूप में एडीशनल टैक्स लगाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता तो यह है कि लैंड के ऊपर, जमीन के भाग पर लगान के रूप में टैक्स लगाना चाहें तो यह हाउस लगा सकता है। लेकिन जो लगान की राशि आये, लगान की उस राशि पर टैक्स लगायें तो ऐसा प्रावधान संविधान के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

इसके अलावा जो ४६ मद है, उसके अन्दर यह लिखा हुआ है :

"taxes on agricultural income".

इस टैक्स को एग्रीकल्चरल इन्कम के रूप में नहीं मानता। इसके अलावा जो लैंड से सम्बन्धित है तो इस सम्बन्ध में यह कोई ड्यूटी नहीं है, यह कोई फीस नहीं है, यह कोई लैंड रेवेन्यू नहीं है; इस प्रकार की कोई चीज नहीं है।

इसके अलावा ४८ मद है, उस ४८ मद में है :

Duties in respect of succession of agricultural land".

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

ऐसा है, ड्यूटी तो एक दूसरी चीज हो जाती है। तो इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि यह जो टैक्स है, यह लैंड रेवेन्यू के ऊपर लगाया गया है, यह आप नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि लैंड रेवेन्यू की परिभाषा जो इस प्रावधान के अन्तर्गत दी हुई है, वह इस तरह से है— जो फूड प्रोडक्ट पैदा हो उसके एक पोर्शन को गवर्नमेंट लेना चाहती है लैंड रेवेन्यू के नाम पर, जिस तरह माल का सिस्टम है, कहीं डाइरेक्ट है, कहीं इन्डाइरेक्ट है— किसी तरह से है। परन्तु टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज के रूप में लगा दिया गया है— ऐसी संविधान में व्यवस्था नहीं है। एक बात कही जा सकती है; वह यह कही जा सकती है चूंकि यह एक्ट हम लाये हैं, यह तो एक संशोधनात्मक एक्ट है, एक अमेंडमेंट एक्ट है अपने १९६० के एक्ट के लिए। तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर दूं, इस सम्बन्ध में आपत्ति रखी गई तो मैं फिर सदन के सामने अपने विचार इस सम्बन्ध में रखना चाहूंगा इसलिए पहले आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था रखना, इस प्रकार का टैक्स रखना इस हाउस की कॉम्पीटेन्स में है·······

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका ट्रेजरी बैंचेज से जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है, वह इस विषय की है कि लेजिस्लेचर की कॉम्पीटेन्स के बाहर पेश हुआ है यह बिल और उन्होंने कुछ रूल्स उद्धृत किये हैं और कुछ संविधान के आर्टिकल्स उद्धृत किये हैं। इस विषय में, मैं उन रूल्स की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए रूल ६४ के लिए निवेदन करूंगा कि यह आपत्ति प्रथमतः तो इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर उठनी चाहिए। इसके उपरान्त जो आपत्ति उठाई गई है और शिड्यूल इत्यादि का रेफरेन्स दिया गया है, लैंड रेवेन्यू की परिभाषा करने का प्रयास किया गया है— उस विषय में, मैं यह कहूंगा कि सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर है, वह भी लैंड रेवेन्यू ही है और एग्रीकल्चरल इन्कम के ऊपर है वह सरचार्ज है— इस दृष्टि से भी वह उस परिभाषा में नहीं आ सकता है। बाकी इस विषय में जो कोई आपत्ति उठानी थी तो वह इन्ट्रोडक्शन के समय उठानी चाहिए थी। इसलिए यह आपत्ति निर्मूल है और इसमें वाद-विवाद जारी रखने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि यह सरचार्ज एग्रीकल्चरल इन्कम के ऊपर है। लेकिन यह सरचार्ज एग्रीकल्चरल इन्कम के ऊपर नहीं, बल्कि लैंड रेवेन्यू के ऊपर है। लैंड रेवेन्यू का केल्कुलेशन आता है उस पर सरचार्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दूं कि लैंड रेवेन्यू के ही ऊपर सरचार्ज कहा है। यह सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर है, इसलिए लैंड रेवेन्यू का क्षेत्र हो जाता है। इसमें विवाद की आवश्यकता तब है जब एग्रीकल्चरल इन्कम के ऊपर लैंड रेवेन्यू या सरचार्ज हो। यह विवाद का प्रश्न केवल इन्ट्रोडक्शन के समय उठाना चाहिए था। इस समय आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। विवाद जारी रखना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा, यह संविधान से मर्यादित है। एक थोड़ा प्रश्न है, इस बुनियाद को छोड़ दें कि इसके········

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं पोइंट ऑफ आर्डर के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि इस कानून की जिस प्रकार की कार्यवाही है, इस कार्यवाही का असर डेढ़ करोड़ जन संख्या पर पड़ने वाला है। जहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसका सम्बन्ध हमारी डेढ़ करोड़ जनता जो है, उसकी आमदनी से ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि रूल ६४ के तहत इससे पहले की आपत्ति पर जिस तरह की आप आज्ञा देंगे वह तो मान्य है ही, मान्य होगी ही और आपकी व्यवस्था को हम सिर झुका कर स्वीकार करेंगे, परन्तु मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध, में गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो प्रावधान संविधान में मौजूद है उस पर हाउस में डिस्कशन किया जाना चाहिए और अगर, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहें तो इसे एडवोकेट जनरल को रेफर किया जाना चाहिए और एडवोकेट जनरल को कानूनी सलाह देने के लिए बुलाया जाना चाहिए। वे इस कानूनी मसले का अध्ययन करें और इस संवैधानिक आपत्ति के बारे में हमारे सदन को सलाह दें। जब तक यह बात नहीं होती, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा····

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व): यह फैसला कर दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कि इस बहस को पोस्टपोन किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जो मैंने व्यवस्था दी है, उसमें सब बातों को कन्सीडर किया गया है। इसके उपरांत मैं जो पहले रूलिंग इस संबंध में दी जा चुकी है उसके मैं कुछ अंश उद्धृत करता हूं :

"दूसरे पक्ष से जो युक्तियां दी गई हैं वे भी इतनी ही प्रबल हैं। विधान सभा का तो यहीं तक कार्यक्षेत्र है कि विधेयक को पास कर देना और उसके संबंध में इन्टरप्रिटेशन का जो काम है वह जुडीशियरी और कोर्ट्स ऑफ लॉ का है इसके होते हुए भी पहले ही मैं कह चुका हूं कि यह जिस वक्त इन्ट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त आपत्ति उठाने की थी। यह समय नहीं है और इसलिए यह आपत्ति मैंने निमूल समझी है और इसके उपरांत भी।"

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन करना चाहता था, एक तो यह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या कह रहे हैं ?

श्री मानिकचंद सुराणा : मंत्री महोदय से एक्सप्लेनेशन दिलवा दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गवर्नमेंट रिप्लाइ आ जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : I think it would not be necessary. The dicussion can continue.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहता, इस विषय पर ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता।

Page No 84

श्री उपाध्यक्ष : The ruling has been given.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नई बात सामने आ रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहुत आवश्यक है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे डील किया जाता है क्योंकि रूलिंग के द्वारा है सरचार्ज, लेण्ड रेवेन्यू या टैक्स है जो लेण्ड रेवेन्यू की तारीफ में आता है। इसलिए विधान सभा का स्टेट सब्जेक्ट है, यह इस हिसाब से उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत साफ चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी जा चुकी है, Order please! श्री सतीशकुमार।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it a new point of Order.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी आपने जो व्यवस्था दी वह उस संबंध में थी........

श्री उपाध्यक्ष : उस व्यवस्था पर कोई बात नहीं हो सकती है; ऐसी कोई वैधानिक आपत्ति हो तो point of order से होती है, वह उठाई जानी चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर एक सम्पत्ति शुरू में डकैती की सम्पत्ति हो तो डकैतों की सम्पत्ति रह जावेगी जब तक आखिर में वह मालिक के पास नहीं पहुंच जाती। अगर संविधान की अवहेलना हुई और शुरू में कार्यवाही कर दी गई तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि वह अंत तक जब तक कि इस संवैधानिक गलती का अन्त नहीं कर दिया जावे तो वह रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस विषय में सर्वसाधारण व्यवस्था दी है, सब को समझ कर दी है। आपने सुनी होगी। अब इस दृष्टि से कोई पोइन्ट बाकी नहीं रहता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Ppoint of clarification Sir, अभी माननीय मंत्री ने कहा कि यह स्टेट लिस्ट में दर्ज किया है। यह कौन से आइटम पर है?

श्री उपाध्यक्ष : When I have already given a ruling and explained the whole thing, then you need not refer to the Hon'ble Minster's statement.

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे आइटम नम्बर बता दें।

(३.०२ म० प०)

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पूर्व क्रम से विचार-विमर्श)

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बापूजी ने जिस अध नग्न, भूखे किसानों की बहतरी के लिए अपना जीवन लगाया, आज उसी के शिष्य और उनके उसूलों पर चलने वाले उसी अर्धनग्न और भूखे किसान के कपड़े उतार रहे हैं और बापूजी के सपूतों ने संकल्प उठाया है राजस्थान सरकार ने और शायद उनका यह ख्याल होगा कि यह हम विधान सभा में बैठ कर पास कर रहे हैं और विधान सभा में बैठ कर गुड़ फोड़ रहे हैं, यह बात जनता के सामने नहीं आवेगी, मैं कहूंगा कि यह बात जनता के सामने आवेगी और हर पांच वर्षों के बाद आपको जनता की अदालत के सामने जाना है। उस अर्से के बाद आप जावेंगे तो आज जो काम आप कर रहे हैं अर्ध-नग्न और भूखे किसानों के खिलाफ कर रहे हैं वे वहां आपके सामने आवेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम प्रश्न है और वह यह व्यवस्था ही है कि किसी बिल के बारे में कोई भी संवैधानिक आपत्ति उसके पेश करने के साथ उठाई जानी चाहिये। यह आपकी व्यवस्था शिरोधार्य और मानने के योग्य है। इसके विपरीत····

श्री उपाध्यक्ष : आप बड़ी बात कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप घुमा-फिरा कर उसी पोइन्ट पर आ जाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं आपसे यह पोजीशन क्लीयर कराना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति हो और उसको इन्ट्रोड्यूस करते समय नहीं उठाई गई हो तो फिर इस प्रकार की आपत्ति कभी उठाई ही नहीं जा सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के मुताबिक कॉन्स्टीट्यूशनल आपत्ति केवल इन्ट्रोड्यूस होने के समय ही उठाई जा सकती है, उसके बाद नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : किसी भी समय नहीं।

श्री सतीशकुमार शर्मा : यह आपने सर-चार्ज लगाया है यह कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। जैसा आपने कहा कि टैक्स पर टैक्स लगाया गया है, यह आप इस पर रखते हैं जिससे पहले से ज्यादा टैक्स लेते हैं। मैं सबसे पहली बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। आप मीन्स पर टैक्स नहीं लगाते हैं। आप यह समझते हैं कि राजस्थान का किसान कमजोर है। उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती इसलिए आपने दुबले-पतले कमर वाले किसान को पकड़ा है जो अपनी गर्दन नहीं उठा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी पतली गर्दन है या बड़ी है ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : किसान दुबला-पतला है, आपने उस पर टैक्स लगाया है। आप माल पर टैक्स नहीं लगाते हैं, आप उससे जो पैदा होकर आता है उस पर टैक्स लगाते हैं। आमदनी पर टैक्स लगावेंगे तो इस तरह

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

की हालत नहीं होगी कि आपके टैक्स देने के लिए किसी को ब्याज पर पैसे लेकर आपके टैक्स चुकाने पड़ें या लोगों से उधार लेना पड़े। मैं यह कहूंगा कि आप अपने ७० साल के इतिहास को देखें। लगातार आप देखिए कि आप हमेशा अपने भाषणों में लाउडस्पीकरों को लेकर कहते हैं कि यह इनसल्टिंग है जो जमीन के पेट को चीर कर पैदा करता है उस किसान से ज्यादा कर लिया जाए। आप उनको राहत देंगे। जब आप आये तो राहत की जगह आप उन्हें उल्टा ज्यादा टैक्स करते हैं। उम्मीद आपसे वे लोग यह करते थे, टोपीवालों से यह किसान उम्मीद करता था कि कुछ उनको लाभ होगा। लेकिन आप बेशक भाषण देकर चले गये। लेकिन आज आप साइन्टिफिक तरीकों से टैक्स नहीं रखते हैं। आप मीन्स को टैक्स नहीं करके सोर्सेज को टैक्स करते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसको टैक्स करें, मगर वैसा नहीं करके पहले से अनसाइन्टिफिक चीज चल रही है उसको और अनसाइन्टिफिक बना रहे हैं और इस प्रकार के टैक्स लाकर आपने राजस्थान की पब्लिक को परेशान किया है। आपकी ज्यादतियों को देखकर आपके खिलाफ हर नागरिक के चेहरे पर नाराजगी है, हर आदमी की आंखों में आपके प्रति लाल डोरे हैं। यह आपके खिलाफ उन लोगों के चेहरे पर नाराजगी है। क्या वह आपको बाकी छोड़ेगी? यह फिर आपके देखने की बात है। आप इस नाराजगी को समझते हैं या नहीं? आप बड़े आराम से कहते हैं कि २५ लाख कौनसी बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा लेंगे। मगर उन पर तो यह बहुत बोझ लगेगा। आप प्रतिक्रियावादी स्टेप २५ लाख के लिये लेना चाहते हैं। आप कियारर को बदनाम करना चाहते हैं। आप याना को धोखा देना चाहते हैं। आपके सेक्रेटेरी, कलेक्टर आदि सभी जानते हैं। आप उसको आड़ में जनता से १।। करोड़ रुपया लेना चाहते हैं। आपने हमेशा समाजवादी समाज का दावा किया और नारे लगाये, मगर आपका समाजवादी समाज न आया न गया। मगर आप कहते हैं समाजवादी समाज है! मैं यह कहूंगा कि आप १५ वर्षों में जिस प्रकार का समाजवाद लाये हैं उसको हर आदमी ने देखा है। अगर आप इसी तरह का समाजवाद लाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपका समाजवाद किसी दूसरे तरीके का होगा। आप यह चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिये, जिन्दगी को बचाने के लिए अपने मुंह पर भी ताले लगा दें। हमारे मिनिस्टर सुनने वाले नहीं है। क्या हम दीवारों को अपना भाषण सुनाते रहें....

श्री उपाध्यक्ष : The Ministers are there.

एक माननीय सदस्य : यह सुनकर जवाब दे दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : केबिनेट मिनिस्टर को लेवल के होते हैं। केबिनेट में वॉइस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : It is a combined responsibility.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : प्रश्न यह भावना का है। आफिस वाले बेचारों की कद्र नहीं करते और भावना रह ही नहीं जाती है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मंत्री महोदय को बुलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : This attitude of the Chief Minister is very contemptuous. His presence in the lobbies does not mean his presence in the House. It is a very bad thing.

श्री सतीशकुमार शर्मा : टेक्स लगायें और टेक्स लगाने के सम्बन्ध में जब हम अपने विचार रखें तो उनको सुनना न चाहें, यह उचित नहीं।

श्री अब्दुल अब्बार (निम्बाहेड़ा) : It is a matter of great importance.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जिनको जवाब देना है, यहां हाउस में नहीं बैठते, जिनका जवाब नहीं देना है वे बैठते हैं, तो फिर जो हम यहां कहते हैं उनका उनको ख्वाब आ जायगा क्या? क्या जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि इस सदन में पहले भी कई बार यह प्रश्न हुआ है और जब तक कि गवर्नमेंट बैंचेज पर कोई मंत्री हो तब तक यह माना गया है कि गवर्नमेंट सुन रही है। गवर्नमेंट की कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है।

अब बहरहाल उप-मंत्री महोदय आ गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष, हमारी मुराद बुत परस्ती से नहीं, सम्बन्धित मंत्री महोदय से है।

श्री सभापति : Order ! Order please !! Yes.

श्री सतीशकुमार शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, सवालों के जवाब में मंत्रिगण की तरफ से एक वकील की तरह पैरवी की जाती है। इससे उनको कोई मतलब नहीं कि किस तरह का वाका हुआ है, किस मकसद से यह प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है, क्या इर्रेगुलेरिटी हुई है, पर आप तो एक वकील की तरह प्रूव करने के मूड में रहते हैं। इसी तरह इस सदन में कोई बहस उठाई जाती है, इस पक्ष की ओर से या उस पक्ष की ओर से उसमें भी असलियत को परे रख कर एक वकील की तरह प्रूव करने में रहते हैं। तो सदन में जो कोरम है उसको तो पूरा करें। २५ लाख की बात है, २५ लाख के रिप्रेजेन्टेटिव्ज आपसे कह रहे हैं, ७० लाख के रिप्रजेन्टेटिव्ज कांग्रेसी सदस्यों ने कहा है; उसके लिए मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं नेता नहीं रहूंगा, सदन भंग हो जायगा, राष्ट्रपति रूल हो जायगा; किसी को टिकट की धमकी दी किसी को कुछ धमकी दी, किसी को कुछ किया और इस तरह उनकी आत्मा की जो आवाज थी उसको दबाया। और उसी चीज को दूसरी शक्ल में लाकर रख दिया। हम भी दो वक्त भोजन करने वाले हैं, देखते हैं, सब जानते हैं। तो इसको हाउस में तो कन्फर्म कीजिये, मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप यहां बिराजे तो रहिये, जिस तरह के जवाब देते हैं वह तो हम जानते हैं।

दूसरी एनोमोल इसमें यह है कि ग्रेड बनाये २५ परसेंट, १० परसेंट, ५० परसेंट उन से लेंगे, यह पहले आपने बनाया। उसको आपने बदल कर यह किया कि सब पर २५ प्रतिशत लगेगा। तो इस सबका नैट रिजल्ट यह हुआ कि आपने अपने भाई बन्धुओं को, जिनसे आपका गोत मिलता

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

है, उनको रियायत दे दी, जिनसे ५० प्रतिशत लेना चाहते थे उनको २५ प्रतिशत पर रख दिया, कोई मोरल नहीं, कोई रेशनल बेसिस नहीं है, जिनके १२ थे उनके २५ कर दिये, जिनके ५० थे उनके भी २५ कर दिये, जिनके ६ थे उनके भी २५ कर दिये। फिर आप कहेंगे कि असेम्बली में बहस होकर हुआ है। आप एक एक बात का जवाब दीजिये कि क्यों ६ के २५ किये, क्यों ५० के २५ किये ? आप यहां एक एक चीज को सुनकर एक एक का जवाब दें। सेक्रेटरी के लिखे पर अंगूठा लगा कर आपने असेम्बली में पेश किया है, आप दस्तखत करने के काबिल भी नहीं हैं। १८ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू सरकार लेती है। जिस किसान के बारे में सरकार कहती है कि उसकी माली हालत खराब है, डाइरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, तीस-तीस, चालीस, चालीस डाइरेक्टर हैं, पंखों की हवा खाते हैं, सरकार ने १८ प्रतिशत उस खर्च का ले लिया है फिर भी सब्र नहीं है। जिन आदमियों को मोटरों में पैट्रोल का धुंआ उड़ाते देखते थे उसी तरह देखते हैं, उनके खर्चे में कोई कमी नहीं। जिन लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं और खस के टाटों की हवा खाते हैं, इस एमर्जेन्सी में भी इस खर्च में कमी नहीं की। मंत्रियों के दौरों को कम नहीं किया, मंत्रियों की संख्या को कम नहीं किया। उनके खर्चों में, मोटरों के खर्चे में कमी नहीं की। मन्त्रियों की संख्या में कमी करने के लिये कहते हैं तो मुख्य मंत्री कहते हैं कि बार बार कहते हैं; मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि हमारे एक बार कहने से ही मान लें और मंत्रियों की संख्या में कमी कर दें तो फिर हम बार बार नहीं कहेंगे। आपको मन्त्रियों में कमी करने के लिये कहते हैं और आप मानते नहीं हैं इस लिये बार-बार कहना पड़ता है।

यह लड़ाई की हालत हमारे सामने है। हम लड़ाई की हालत में हैं कानूनी तरीके से और अखबारों मे भी पढ़ने को मिलता है कि दुश्मन लड़ाई की तैयारी कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि यह लड़ाई की यह हालत आपके बचाव के लिये आई है वरना आप इस प्रकार के टैक्स लगायें, सेस, एग्रीकल्चरल सरचार्ज लगाये, टैक्स पर टैक्स लगायें, तो जनता आपको कोठियों से यहां नही आने देती यहां आ भी जाते तो अपको कोठियों में वापिस नहीं जाने देती। पर लोगों के दिमाग में यह बात समाई हुई है कि हमारा देश एक संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहा है, लड़ाई की हालत है, हमारी जरूरत हैं उनको पूरा किया जायगा। आप सुरक्षा और डेवलपमेंट के नाम पर लीजिये, पर गरीब किसानों पर इस तरह के टैक्स लगाना अन्याय है। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई खेतों में होगी, खेतों में पैदावर करेंगे। तो क्या आप इस तरह के टैक्स लगा कर खेतों में लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं? बुनियादी तरीके से जो चीज खराब है, काश्तकारों के मोरल को गिराने वाली है और आपके लिये केवल २५ लाख रुपये की बात है इसके लिये आप अपने हाथ से अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहे हैं; पर कहा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आपकी विपरीतबुद्धि हो गई है। अगर आप इसको सुनने को तैयार नहीं हैं तो उस दिन के लिये तैयार हो जाइये जो आने वाला है।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में लैंड रेवेन्यू की डिफरेंट रेट्स हैं।

(श्री सतीशकुमार शर्मा)
वे भी किस हद तक, कहीं तीन रुपया प्रति बीघा चाही पर है तो कहीं ३५ रुपया पर बीघा चाही पर है, बाड़मेर में तीन रुपया और जयपुर में ३५) रुपया है। इसी तरह नहरों में १ रु० १४ आना से लेकर ८ रुपये तक का फर्क है, ३ आने से ८ रू० ६।। आने का फर्क है। इतना अर्सा आपको हुकूमत करते हुआ, आपने सेक्रेटेरियट का इन्टीग्रेशन कर लिया पर किसान जो सारे राजस्थान में बिखरे हुए हैं उसकी लैंड रेवेन्यू रेन्ट रेट्स का आपने आज तक इन्टीग्रेशन नहीं किया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का इन्टीग्रेशन हुए बिना, एकरूपता आये बिना आप राजस्थान के किसानों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते।

इस सम्बन्ध में मैं फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी की एक रिपोर्ट की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाऊंगा। माननीय भैरोंसिंहजी ने जैसा कहा है.........यह लीजिये मिनिस्टर साहब फिर चले गये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैं बैठा हूं।

श्री सतीशकुमार शर्मा : उनसे ज्यादा अहमियत् मैं समझता हूं। डिप्टी मिनिस्टर उनके पास सेक्रेटरी वगैरह नहीं होंगे, पर्ची आई और सुना दिया। उनके अलावा एक्सपर्ट्स, राजस्थान के छंटे हुए एक्सपर्ट्स मौजूद थे उन एक्सपर्ट्स ने, फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें लिखा था कि राजस्थान में यूनिफार्म रेट्स नहीं होंगे, लैंड रेवेन्यू रेट्स का इन्टीग्रेशन नहीं होगा, यह नहीं हो जाय तब त उन्होंने इस सरचार्ज के बारे में लिखा है कि Surcharge is assessed for increasing receipts from existing sources of revenues.

मेरे खयाल से रेवेन्यू मंत्री, जो सौभाग्य से मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने एक लाइन पढ़ ली, सोचा बड़ा आसान है पैसे लगाना। पर आगे लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, But it cannot be applied undiscriminately.

इस तरीके की हालत यहां पर है। आज मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि वह एक्सपर्ट कमेटी आपने बैठाई, मोटी मोटी तनख्वाह भी आपने दीं, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट कहां से आ गये, उस एक्सपर्ट कमेटी को ट्रेसपास कर दिया, आगे चले गये, उस एक्सपर्ट कमेटी की कोई आपने कीमत नहीं की? आपने उनको जो तनख्वाह दी वह फिजूल गयी। एक्सपर्ट २० कमेटी की राय को देखकर और राज्य के और लोगों की भावनाओं को देख कर आते हैं यहां। इधर के सब ही माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। एक इम्पेक्ट हुआ है। किसान का नाम आता है, कांग्रेस के लोगों ने आपोज किया है, सरकार यह चाहती है कि टिकिट की बात करके, इस प्रकार से लोगों को दबा कर उनके ऊपर यह लाद देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह नहीं समझे कि यहां पर लाउड स्पीकर मिलता है, बाहर नहीं कह सकते। यह समझना आपकी गलती है। आप जो बातें कहते हैं आपकी प्रोसीडिंग्ज ले जाकर हम जनता को बतायेंगे कि देखिये चुनाव के समय किस प्रकार आपको ये लोग धोखा देते हैं, किस प्रकार आपको झांसा देते हैं।

(सतीशकुमार शर्मा)

जिस आसानी से आप टैक्स वसूल करते हैं, उस आसानी से आपको टैक्स नहीं मिलेंगे आप आज राय किसी की नहीं मानेंगे तो एक दिन आयेगा कि आपको जबरदस्ती मनवायेंगे। आप उस वक्त कहेंगे आन्दोलन बन्द कर दें, उचित वातावरण हो जाने दें, आपकी बात उचित है, सही है। जिस हाईकोर्ट के बैंच के प्रश्न को लेकर जैसा वातावरण जिस समय बना, आन्दोलन हुआ और आपने माना कि यह सही बात है, आप आन्दोलन बन्द कर दें, पसन्द नहीं है। आज उस चीज को दबा गये। आपको आज आपकी ही एक्सपर्ट कमेटी की राय से समझा रहे हैं, तनख्वाह जिन्होंने ली उन्हीं सदस्यों की बात से हम आपको समझा रहे हैं। फिर भी आप आज नहीं समझते हैं तो आपको आगे समझना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री सतीशकुमार शर्मा : अभी तो मैं और कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : और कहना चाहेंगे ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : I thought you had finished. Please continue.

श्री सतीशकुमार शर्मा : इस सम्बन्ध में कोई भी आप लें, आपको हमको तसल्ली करानी पड़ेगी। आपका दिवाला निकल चुका है। आपको पैसे की जरूरत है। आप उससे लेंगे, जैसे एक माननीय सदस्य ने बताया कि आप जेब कतरे हैं, आपको जेब कतरा बताया है, उस जेब से लेते हैं जिस जेब में कुछ भी नहीं है। आपके बजट को गलघोंटू बजट बताते हैं। हमको आप तसल्ली कराइये कि आपको पैसे की जरूरत है। हम इस बात को समझते हैं, जिनके पास पैसा है आप उनसे नहीं लेते, जिनके अन्दर ड्यूज हैं उनसे आप नहीं लेते। १३।। लाख रुपया तो तीन रूलर्स के खिलाफ बकाया है। अजीब तमाशा कर रखा है आपने।

राजाओं के पास आपने कॉन्स्टेबल और हैड कॉन्स्टेबल रख छोड़े हैं। क्यों रखते हैं ? आपके पास क्या आधार है ? किस एडमिनिस्ट्रेशन को खतरा हो जायेगा ? उन राजाओं को अब कोई खतरा नहीं है। आनन्द में बैठे हैं। किसी का कोई बुरा करते नहीं। किसी का कोई बिगाड़ नहीं करते हैं, न दूसरा कोई उनका बुरा करता है। अलवर से पांच मील दूर पर बैठे हैं। उनको कोई खतरा नहीं है। दूसरा महाराजा जयपुर को लीजिये। उनकी सारी प्रोपर्टी की देखभाल के लिए यदि राजस्थान की सारी पुलिस को भी लगा दिया जाय तो कम है, वह उसकी देखभाल नहीं कर सकती। विदेशों में भी काफी प्रोपर्टी है। त्रिपोलिया को देख लीजिये। मैंने जानकारी की तो यह भी उनका, वह भी उनका, इतनी दूकानें और प्रोपर्टी है कि छाती फट जाती है। कहां तक सिपाही उनकी देख भाल करेंगे ? अलवर में नी[illegible] राणा हैं। १००.५० बीघा जमीन है, यू. पी में। उनके लिए चार कॉन्स्टेबल और १ हैडकॉन्स्टेबल रखे हुए हैं। यह सारा नाटक क्यों करते हैं ?

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

आपको मालूम होना चाहिये कि वे उस गांव के सरपंच हैं। इस सरपंच के पास एक हैड कॉन्स्टेबल और चार कॉन्स्टेबल रखे हुए हैं। हम एग्रीमेंट का स्वागत करते हैं। यह आपके उच्च चरित्र की बात है। आपके पुर्खा थे सरदार पटेल। उन्होंने राजाओं के साथ एग्रीमेन्ट्स किये। राजाओं के साथ एग्रीमेन्ट्स हैं, सोवरिन पॉवर समझे जाते थे। आपके मन में डर है; आप उनके पास नहीं जाना चाहते। उनकी उदारता में पूरा विश्वास है। उनकी गम्भीरता में हमें पूरा विश्वास है और उनकी समझदारी में भी हमें पूरा विश्वास है। यदि नीम के राणा से कहें कि आप यह मान लें तो खुशी से मान लेंगे। जयपुर के महाराजा से कहें तो खुशी से इसको मान लेंगे, काफी उनके पास जायदाद है। लेकिन आपके मन का पाप है और डर है, वह इतना स्थायी हो गया है कि आपका हौसला ही नहीं होता है उनके पास जाने का। इसके लिए सदन की एक कमेटी का गठन कीजिये और पांच, दस आदमियों को मुकर्रर कीजिये, आगे जाकर रूलर्स को प्रिवेल करें, वे अवश्य ही आपकी इच्छा को मानेंगे, बिना एग्रीमेंन्ट को समाप्त किये ही या उनका वायोलेशन के ही वे इसके लिए तैयार हो जावेंगे। जिस पर जिस उदारता से उन्होंने सरदार पटेल के कहने पर अपने राज्य ही छोड़ दिये, जहां सरदार पटेल केवल समझाइश के तौर पर ही उनसे राज्य ले सकते थे क्या आप उनको बिजली और पानी के लिए प्रिवेल नहीं कर सकते ? क्या सरकार है ? जिनके आप सक्सेसर कहलाते हैं, जिन्होंने इतने बड़े काम किये आप इन छोटे-छोटे कामों को भी नहीं कर सकते। ३ लाख, ४२ हजार रुपया तो सिर्फ सालाना का इन कॉन्स्टेबल्स पर खर्च किया जाता है, जो राजाओं के ऊपर कॉन्स्टेबल्स लगाये गये हैं। ३७ हजार रुपया सिर्फ अलवर में लगाये गये कॉन्स्टेबल्स पर खर्च करते हैं। इस तरह की हालत है। एक तरफ हम यह देखते हैं। टैक्स देने के लिए एक आदमी उधार लायेगा। सरकार ने अपनी जरूरत देख ली है लेकिन सरकार ने उसकी जरूरत को देखने की कोशिश नहीं की है। एक मिडल क्लास का आदमी जिसके दो, तीन बच्चे हों, साधारण परिवार हो, स्वयं उसकी पत्नी और दो, तीन बच्चे एक परिवार में होते हैं साधारण रूप में, उसकी हालत को आपने नहीं देखा। विधान में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है किसी को भूखा पेट पसन्द नहीं करेंगे, भूखा पेट नहीं रहने दिया जायगा। महात्मा गांधी ने भी कहा कि पहले पेट भरिये, फिर तन ढंकने के लिए वस्त्र दीजिये। उसी का उल्लेख करके, उसकी ही आपको याद दिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप रोटी दीजिये। साधारण सा परिवार है, दो, तीन बच्चे और दो खुद, यह एक औसत परिवार की संख्या है। उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना है तो स्कूल में सफेद कमीज और नीली नेकर भी चाहिये, कॉन्स्टीट्यूशन में लिखा है कि सब को समान अधिकार हैं लेकिन स्थिति यह है कि यदि चपरासी का लड़का है तो वह चपरासी ही बनेगा और दूसरी तरफ आई. ए. एस. और आर. ए. एस. का लड़का है तो वह आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ही बनेगा। इन झगड़ा बन्दियों से आदमी नहीं निकल सकते। उसके बावजूद आपने टैक्स लगाये हैं। इसमें राजस्थान में आप भयंकर

(श्री सतीशकुमार शर्मा)
आन्दोलन पैदा करने की बात करेंगे। बर्दाश्त करने का जो नतीजा होगा वह आपके सामने होगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

उपाध्यक्ष महोदय, सरचार्ज बिल सदन के सम्मुख उपस्थित है। सैस बिल को वापिस लिया गया और उसकी जगह सरचार्ज बिल सदन के समक्ष उपस्थित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सारा नाटक इस एक महीने के दौरान में हुआ। इस एक महीने में धरती पर लगने वाले टैक्स ने तीन करवटें बदलीं। पहले जब यह सदन में उपस्थित हुआ तो उससे करीब दो करोड़ की आमदनी का अनुमान था, १५ एकड़ से ऊपर २५,३३,५० पर्सेन्ट से अधिक धरती को इसमें लिया गया था।

दूसरे में १० एकड़ धरती को छोड़ा गया। अब जो यह बिल आया है इसमें सैस को खत्म करके, एक नई वस्तु बनाकर उस सारी तड़पन को, उस सारी बेचैनी को अपने अन्दर संजोये हुए सरचार्ज टैक्स बिल सदन के सामने आया है। वह बेचैनी केवल उसी पक्ष के आत्मा की आवाज नहीं थी, बल्कि इधर बैठे हुए लोगों की भी आत्मा की बेचैनी थी जो सरकार को लाचार कर सकी, इस प्रकार का बिल लाने के लिये। वह बेचैनी जो अंग्रेजी शासन से लड़ते समय जो सिद्धान्त उस समय प्रतिपादित किये गये, धरती पर लगान वसूल करने की जो अंग्रेजों की प्रणाली थी उस वक्त इस ओर बैठने वाले या उस ओर बैठने वाले जो भी लोग थे न सब लोगों ने तड़प महसूस की।

अब यह जिस रूप में टैक्स लगाया गया है इससे पचास लाख की आमदनी कूंती गई। ४५ एकड़ धरती से ऊपर २५ पर्सेन्ट, टैक्स, ५० रुपये के लगान के ऊपर २५ रुपया टैक्स। लगान और धरती ये दो जमूरे हैं जिस पर किसान की गर्दन को जकड़ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरचार्ज टैक्स जो पहले लगाया गया था उसमें २५ रुपये लगान एवं सवा छ पर्सेन्ट की रेट से १९५९-६० में जो आमदनी हुई उसके आंकड़े बजट में देखने से पता चलता है प्राप्ति केवल ८ लाख रुपये की हुई है। आज उसको चार गुना कर दिया गया है फिर भी पच्चीस लाख की बात की जाती है। सीधा सा हिसाब है, अगर पहले आठ लाख की आमदनी होती थी तो उसको चार गुना करने से वह ३२ लाख हो जाती है। इसमें अधिकतर वे किसान आयेंगे, ८०-९० प्रतिशत किसान आ जायेंगे जो ५० से ७५ रु० तक का लगान देते हैं। इस सरचार्ज टैक्स से करीब १ करोड़ रुपया वसूल होगा, फिर यह झूठ क्यों? २५ लाख रुपया जो बताया गया है वह झूठ है, इससे तो एक करोड़ रुपये को वसूली होगी। ट्रेजरी बेन्चेज के वे लोग जिन्होंने इस बात की आलोचना की और जिस पर मुख्य मंत्रीजी को बड़ी भावात्मक अपील उनसे करनी पड़ी थी। इसी एक महीने के दौरान में अपनी पार्टी के लोगों को वैधानिक तौर से दबाने के लिये इस प्रकार से रिलीफ का ढोंग रचा गया। इससे वे अपनी पार्टी को बतलाना चाहते हैं कि केवल २५ लाख रुपये की राशि ही इससे प्राप्त होनेवाली है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, लगान के सम्बन्ध में राजस्थान का अपना इतिहास है। जागीरदारी निजाम से लेकर यहां पर प्रजातंत्री सरकार कायम हुई। लगान का एस्टीमेट विभिन्न रियासतों में विभिन्न तरीके का था। सेटलमेन्ट विभिन्न रियासतों में विभिन्न वर्षों के अन्दर हुई। लेकिन अक्सर देखा जाय तो सारे राजस्थान के अन्दर लगान की विभिन्न प्रणालियां हैं। १।३ की लटाई है, १।४ लटाई का यहां कानून आया, उसके १।६ की बात आई। राजस्थान सरकार अपनी धरती का १।३, १।४ का कानून कई जगहों पर कायम है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अगर चाहेगी, नहरी और बारानी, इन तीनों की लगान कीं दर सारे राजस्थान की देखी जाय तो वे दरें बहुत वेराई करती हैं, जितनी सारी भारतवर्ष के अन्दर वेराई नहीं करती। चाही की दर ३५ भी है और ३ भी है। जयपुर में ३५ रुपया है तो बाड़मेर में ३ रुपया।

नहरी की दर २१रु०, १ आ., ६ पा० है वहां १रु०, १४ आना भी है, टोंक में २१ रुपया है, तो पाली में १ रु० १४ आना है।

बारानी और बंजर की दरों पर दृष्टिपात करें, पांच आना ब्यावर के अन्दर दर है, बस्सी, टोंक के अन्दर २रु०. ५ आना ६ पा० है।

इसी प्रकार बंजर की दर देखें तो वे दरें १२ आने से १ रू०. ६ आ० तक वेराई करती हैं। भारतवर्ष का कोई भी प्रान्त ले लीजिये। राजस्थान के साथ लगा हुआ पंजाब सूबा है, उसी को ले लीजिये। वहां पर भी चाही, बारानी और नहरी की दर के अन्दर इतना भेद नहीं जितना राजस्थान के अन्दर है। मैं आपके सामने पंजाब की दरें रखता हूं। चाही की दर १०रु० से २० रु० तक वेराई करती है। बारानी की २ से लेकर ५ तक वेराई करती है।

बंजर की चार आने से १४ आने तक वेराई करती है। यह पंजाब की दरें हैं, जो हमारे बिलकुल निकटवर्ती पड़ोसी राज्य है। इससे राजस्थान के अन्दर पांच गुना छः गुना चाही और बारानी में वेराई करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना वेरिएशन होने के बाद अगर आप सरचार्ज टैक्स लगाते हैं, तो यहां पर पहले से ही अधिक है, उसमें रिलीफ देने की जरूरत है, उस पर भी आप और अधिक टैक्स करते हैं, यह उचित नहीं है।

आपने जो सरचार्ज का टैक्स रखा है ४५ एकड़ की जो युनिफॉर्मिटी की है, उसके साथ आपने २५ परसेन्ट सरचार्ज लागू कर दिया। अपने पहले प्रस्ताव में जिसको सरकार ने वापिस लिया उसके अन्दर ५० पर्सेन्ट तक सेस लगने वाली थी। जिनके पास ५० एकड़ धरती थी बिना इसके कि वे कुछ रियायतें मांगते सदन में आवाज उठाई ६०, १०० और २००, ४०० एकड़, १००० एकड़ धरती जिनके पास है उनको खुद ब खुद रियायत दे दी गई। नीचे के दर्जे के लोगों पर पिछले सरचार्ज से ४ गुना सरचार्ज लागू कर दिया गया।

फाइनेंशियल इन्क्वायरी कमेटी जो १९५८ के अन्दर कायम हुई उन्होंने इस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

टैक्स के बारे में एक रिपोर्ट लिखी है। लैंड रेवेन्यू पर जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इंगित किया है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी जो भारत सरकार द्वारा बैठायी गयी थी, जिसकी रिपोर्ट ५४–५५ में पब्लिश हुई। सरचार्ज टैक्स के सम्बध में स्पष्ट संकेत किया है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

"The taxaion Enquiry commission las pointed out inadvisable the promulgation of surcharge on the existing land........"

उपाध्यक्ष महोदय, मद्रास सरकार द्वारा इन विभिन्न रेट्स का रेशनलाइजेशन करने के बाद जो सरचार्ज टैक्स लागू किया है उसका भी चित्र आप देखियेः—

२५० रुपये तक के लगान पर कोई टैक्स नहीं।

नेक्स्ट		
	१२	न० पै०
५०० पर	२५	न० पै०
उससे ऊपर	५०	न० पै०

मद्रास के विभिन्न रेट्स देखें तो कोई वेरियेशन्स नहीं हैं। उन्होंने लगान की रेट्स का स्टैन्डर्डाइजेशन किया है, रेशनलाइजेशन किया है सोइल ऐनेलेसिस के बाद जहां डिस्पेरिटीज ज्यादा थीं उनको ठीक किया है; उसके बाद सरचार्ज टैक्स लागू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान और मजदूरों का राज कायम करने वाले लोगों, समाजवादी समाज की रचना करने वाले लोगों, लगान के लिये लड़ने वाले लोगों किसानों और मजदूरों के सुन्दर राज्य का स्वप्न बताने वाले लोगों, समाजवाद की कल्पना चित्रित करने वाले लोगों ने इस प्रकार हजारों वायदे किये। जिन्होंने आज उन किसानों पर यह सरचार्ज लगा कर उनके गले को एक फन्दे में डाल दिया है। आज उनको गेहूं पर, अनाज पर और रोजमर्रा की साधारण इस्तेमाल की चीजों तक पर टैक्स लगाते हुए लज्जा नहीं आती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सिद्धान्त का आदमी नहीं हूं कि जो टैक्स लगाने में विश्वास नहीं करता। टैक्स अवश्य लगाये जावें, मैं इस सिद्धान्त पर भी विश्वास नहीं करता और साथ ही यह कल्पना तक भी मैं सहन करके नहीं चल सकता कि राजस्थान केनाल जैसी भव्य योजनाओं में कटौती कर दी जावे, शिक्षा के अन्दर कटौती करदी जावे, टैक्निकल विभागों में और टैक्निकल शिक्षा में कोई कमी करदे, माइनिंग और इन्डस्ट्री में किसी प्रकार की कटौती कर दे। राष्ट्र के देश के बढ़ते हुए चरणों को पूरी शक्ति प्रदान करने में विश्वास करता हूं। हम राजस्थान के सुन्दरतम भविष्य की कल्पना और कामना करते हैं और इसके लिए संघर्ष और प्रयत्न करना चाहते हैं।

पर जिस प्रकार से सरकार इन टैक्सों के द्वारा पैसा इकट्ठा करना चाहती है, जो सरकार की यह टैक्सों की नीति और सिद्धांत हैं, उनसे कोई भी समाजवाद में विश्वास करने वाला सहमत नहीं हो सकता। ऐसे सैकड़ों आमदनी के सोर्स और आइटम हैं, जिनसे सरकार पैसा प्राप्त कर सकती है और अपनी योजनाओं को पूर्ण करने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)
की मंजिल पर पहुंच सकती है। अपने वर्तमान पैसा इकट्ठा करने के तरीकों को छोड़कर सरकार अन्य तरीकों से, कई तरीकों से ऐसा कर सकती है। मैं नमूने के तौर पर बताऊं कुछ।

सरकार अपने नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर को देखे, सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से सम्भाले, उसके खर्चे को कम करे, प्लान के एस्टीमेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टीमेट्स के प्रोपोर्शन को देखे और उसको ठीक करे। यह प्रोपोर्शन आज इतना अनईवन है कि जो स्वयं एक संकेत है कि यह सरकार समाजवाद का कोरा, थोथा नारा लगाती है, उसमें दृढ़ता से विश्वास करने वाली नहीं है। मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अकेले इस एडमिनिस्ट्रेशन को ही सुधार लिया जावे तो आपको यह किसान की कमर तोड़ने वाला टैक्स लगाने की कतई आवश्यकता नहीं रह जावे। इस अकेले एक काम से आप सारी पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूं। राजस्थान सरकार ने एजूकेशन में कटौती की। २०२ करोड़ को काट कर १.५ करोड़ कर दिया। पर किस मद में कटौती की, यह जान कर आपको ताज्जुब होगा। उसने कटौती की टैक्निकल साइड में, पोलीटैक्निकल इन्सटीट्यूशन्स में और साइन्स लेबोरेटरीज में; नाटक एकेडेमीज में कटौती नहीं की। इन्जीनियरों को काटा टैक्निशियनों को काटा, कार्पेन्टरों को काटा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषयांतर हो रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा : इसी तरह सरकार सोचती है। उसके पास सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, असिस्टेण्ट सेक्रेटरी हैं, डाईरेक्टर हैं डिप्टी डाइरेक्टर हैं, असिस्टेंट डाईरेक्टर हैं। इन सारों के बण्डल को बांध कर फेंक दे तब भी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन मजे से चल सकता है। एजुकेशन में ही देखिए, कितने डाईरेक्टर हैं; यहां तो डाइरेक्टरों की फौज खड़ी हो गई है। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं, डाईरेक्टर ऑफ कॉलेज ऐजुकेशन है। डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी एज्यूकेशन है, डाईरेक्टर ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन है, डाइरेक्टर ऑफ वीमन एजूकेशन हैं, मिल्क भी पिलाते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को तो उसका भी एक मिल्क डाइरेक्टर है। यहां तो डाइरेक्टरों की एक बाढ़ सी आ गई। चारों तरफ डाइरेक्टर घूमते नजर आते हैं।

इसके अतिरिक्त हमारा एक पी. डब्लू. डी. विभाग भी है। पिछले सदन में नेशनल कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की योजना की रिपोर्ट पर बहस की थी। आज हमारे यहां सबसे नामी जो बेईमानी का महकमा है वह यह है, इसे तो लोग, Plunder without danger, विभाग भी कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य केवल इस बिल की बहस तक केन्द्रित रहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा : अजी साहब, मैं तो बता रहा हूं आपको ये बचत के सीगे। अगर यह सरकार अपने इन विभागों के एडमिनिस्ट्रेशन को ही ठीक करलें और टैक्निकल साइड में प्रगति करलें तो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेंगे, इन गरीब किसानों का गला काटने की जरूरत उनको नहीं रहेगी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गंगानगर जिले में मसीतों में एक रेगुलेटर बनाया गया, १६ लाख की कीमत का अब उसको तोड़ा जा रहा है, इसलिए कि वह रेगुलेटर प्लान के मुताबिक नहीं बना। इसकी अब मालूम पड़ी उनको। तो वह १६ लाख का रेगुलेटर तोड़ दिया जावेगा। ये तो एक-दो नमूने ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह Plunder without danger, विभाग तो ऐसे नमूनों से भरा पड़ा है। इस सरकार के और विभाग भी ऐसे नमूनों से भरे पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मैंने और मेरे साथियों ने बहुत से प्रोग्राम पहले भी रखे हैं और अब भी रखे हैं। मैं फिर यह निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर सरकार इन विभागों को थोड़ा कन्ट्रोल कर ले तो भी कोई पैसे का अभाव नहीं हो सकता, कोई भी मद उठाकर वे देख लें। अगर रोड़वेज को भी ईमानदारी से कामयाब कर दें तो भी गरीब किसानों की गर्दन रेतने की जरूरत नहीं पड़े। अगर वह प्रोपर्टी टैक्स सौ नये पैसा पर यार्ड भी कर दें तब भी इतना पैसा तो निकल ही आवेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: यह कहां पर बहस चल रही है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह विधान सभा में चल रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार धरती पर सरचार्ज लगा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: Kindly make yourself a bit brief.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक बड़े सिद्धांत की बात है, कोई भी टैक्स धरती पर, किसान पर नहीं लगाया जावे। उसका ताल्लुक किसान की आमदनी से होना चाहिये।

यह कहां का न्याय है कि एक तरफ तो सरकार कॉटन मिल पर टैक्स नहीं लगाती, उसकी मशीनरी पर टैक्स नहीं लगाती, उसकी पैदावार पर लगाती है, मिल मालिक पर नहीं लगाती, उसकी आमदनी पर लगाती है, पर दूसरी तरफ वह किसान की आमदनी पर नहीं लगाना चाहती, वहां तो वह धरती पर लगाना चाहती है? एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाते हैं आप, तो इसमें कोई दलील समझ में आने वाली है। आप छः हजार पर लगाइये, चार हजार पर लगाइये। पर आप किसान के साथ न्याय करना नहीं चाहते। उसकी धरती पर टैक्स लगाते हैं, वह दिन-ब-दिन गरीब होता जा रहा है। आप उसकी जो इन्कम होती है, जो प्रोडक्शन होता है उसमें से उसकी आवश्यकतानुसार छोड़ने के बाद जो बचे उस पर टैक्स लगाइये। आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं। पर आपने तो ब्रिटिश साम्राज्य का तरीका अपनाया है, आप उसकी तरह धरती पर ही टैक्स लगाना ठीक समझते हैं। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आपने संघर्ष किया, जिसे आपने हटाकर दम लिया आज आपने उसी का दकियानूसी तरीका पकड़ लिया है। यह आश्चर्य की बात है।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री): आप तो तब पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक मिनट। घबराइये नहीं।

Page No 97

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्त में मैं यह अर्ज करूंगा कि आप आज अपने एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियों को, अपने अनापशनाप खर्चों को, अपने विभागों की गलतियों को, अपने प्लानिंग की गलतियों को उनमें रहे हुए लेकूनों को देखिये, उनको दूर करिये, उनकी सजा खुद भुगतिये, अपने अधिकारियों को भुगताइये, उसके लिए गरीब किसान मजदूर का गला मत काटिये। अगर अपनी इन गलतियों के लिये उनका गला काटा तो आप यह निश्चित जानिये कि यह किसी प्रकार की आपके हक में जाने वाली बात नहीं है। इसका जवाब आपको निश्चित रूप से जनता के बीच एक न एक दिन देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अजी साहब, वे क्या बोलेंगे?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सरचार्ज के सम्बन्ध में सरकार ने एक संशोधन पेश किया....

एक माननीय सदस्य : चौधरी साहब तो रोज बोलते हैं साहब, दूसरों को मौका दिया जाना चाहिये।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: Order Pleases! Order!! Shri Motilal Choudhary.

श्री मोतीलाल चौधरी : इस पर काफी सदस्यों ने अपने विचार रखे। पहले वाले टैक्स के अनुसार ७५) रु० जिसका लगान है वह माफ था और उसके ऊपर वाले पर ६। परसेन्ट सरचार्ज लगाने की बात थी और यह २५०) रु० तक था। २५०) रु० से ऊपर १२॥ परसेन्ट था।

सरकार की वित्त व्यवस्था के अनुसार सरकार ने जो वित्त विधेयक हाउस में पेश किया इससे करीब २५ लाख रुपया उनको आय करनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि २५ लाख रुपया तो सिर्फ हम इसी आंकड़े को देख लें, यानी ७५ रुपये से ही कर लें और २५ परसेन्ट ले लें तो उसमें आ जाते हैं। वर्तमान में जो ६। परसेन्ट के आधार पर मिलता है वह ८ लाख रुपया कुल मिलता है और यह ८ लाख रुपया ६॥ परसेन्ट के आधार पर मिलता है। उसका २५ परसेन्ट बढ़ाते हैं तो उसके अनुसार सीधे ३२ लाख रुपया हो गया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता था कि नये आंकड़ों के अनुसार जो अमेण्डमेन्ट पेश किया है और जो कई तरह के विचार आये हैं उसमें दो बातें मूल हैं। एक बात तो यह है कि ५० रुपये तक जिनका लेण्ड रेवेन्यू होगा उसके ऊपर २५ नया पैसे प्रति रुपया पर सरचार्ज लगेगा और साथ ही साथ यह भी कन्ट्रोल रखा है कि यदि ४५ एकड़ जमीन है तब तक तो सरचार्ज नहीं लिया जावेगा और अगर उससे ज्यादा है तो लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ एक बात सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहां राजस्थान में रेगिस्तानी करीब करीब आधा हिस्सा है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागोर, चूरू और बीकानेर; इन जिलों के अन्दर

(मोतीलाल चौधरी)

रेगिस्तान होने के कारण काश्तकारों की स्थिति ऐसी है कि उनकी होल्डिंगज बड़ी बड़ी हैं। २५ एकड़ की होल्डिंग के सिवाय वहां आती ही नहीं है। इन इलाकों के अन्दर कोई भी काश्तकार खेती करता है तो बारिश के ऊपर उसको डिपेन्ड करना पड़ता है और बारिश भी खुदा के वास्ते ३ साल में एक दफा होती है। क्योंकि वह रेतीला इलाका होने के नाते वहां की धरती उड़ती रहती है और टीबे बनते रहते हैं और उस जमीन की फर्टीलिटी भी खत्म होती जाती है। तीन साल के अन्दर एक ही बार वहां के काश्तकार खेती करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर करते हैं। इसलिए कोई भी होल्डिंग रेगिस्तान में बाडमेर, जैसलमेर के कुछ इलाकों में ४५ एकड़ के आसपास आप लेते हैं तो कोई भी किसान इससे बच नहीं सकता। एक तरफ तो भगवान के दृष्टिकोण से इस इलाके में बारिश कम है और उनके साथ अन्याय है। समाज का विकास करने के लिए हम उनको सहायता नहीं देते और वहां नहरें भी नहीं पहुँच सकती और जो भी वहां उत्पादन होता है उसको भी वह एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए उनका सहयोग कम से कम हम इस दृष्टिकोण से करें उनकी लेण्ड की होल्डिंगस के दृष्टिकोण से और प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से और उनकी कैपेसिटी के दृष्टिकोण से ज्यादा से ज्यादा उनको सहायता देनी चाहिए और उनके ऊपर भार नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल लेण्ड रेवेन्यू सरचार्ज का हमारे सामने है इस बिल के ऊपर कम से कम सरकार इस दृष्टिकोण से विचार करे कि जिन होल्डिंगज को ४५ एकड़ के दृष्टिकोण से लेते हैं उससे हम किसी भी हालत में रेगिस्तान के इलाके के काश्तकारों को नहीं बचा सकते।

वहां के काश्तकारों की दो तरह से हालत खराब है। एक तो वहां पर बारिश नहीं होती और दूसरे जो विकास के कार्यक्रम हैं जिनसे दूसरे क्षेत्र के काश्तकारों को मदद मिलती है उनको उनसे भी मदद नहीं मिल सकती। आप भले ही वहां पर विकास खण्ड खोल दें, चाहे और दूसरी योजनायें बनालें, चाहे उनमें बीज बांट दें चाहे, फर्टीलाइजर बांट दें, जब वहां पर बारिश ही नहीं होती तो फिर वहां पर खेती करने का क्या सवाल है? इसलिए उस इलाके के लिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां जितना हो सके सरचार्ज से उनको मुक्त करना चाहिए; इसलिए कि उनको और कोई दूसरा सहारा नहीं है। हमारे यहां मारवाड़ी में एक कहावत है कि राजा और राम दो की कृपा होनी चाहिए। तो वहां के लोगों पर राम की कृपा नहीं है तो राजा की कृपा तो कम से कम हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो रेगिस्तान का पार्ट है, जहां राम की कृपा नहीं है वहां पर राजा की कृपा रहे। वहां राजा को सोचना चाहिए कि राम उनसे रूठा हुआ है पर राजा तो रूठा नहीं। इस वैज्ञानिक युग में राजा तो कम से कम उनको संभाले। राम जहां रूठा हुआ है राजा उनको संभाले....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भगवान् ही नहीं सुनता तो राजा क्या सुनेगा?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : राम रूठ गया तो राजा भी रूठ जाएगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं इस थ्योरी नहीं मानता। राम तो कई जगह रूठा हुआ है लेकिन सरकार उस पर विचार कर सकती है। वह कृपा रखेगी, जहां राम की कृपा होने का लक्षण नहीं मिलता है। इसलिए वहां के काश्तकारों पर सरचार्ज का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस इलाके में जो ४५ एकड़ का रखा है मेरे ख्याल से वहां ऐसी स्थिति होगी कि वहां की धरती के दृष्टिकोण से उनके ऊपर बोझ होगा।

लेण्ड रेवेन्यू के दृष्टिकोण से भी वहां लेण्ड रेवेन्यू का बोझ कम है। वे लोग एकड़ के मामले में फँस जायेंगे। या तो आप उसमें "और" लगायें या और कुछ करें। आप इस सरचार्ज को लैन्ड की होल्डिंग पर बेस करके नहीं लगायें; यह मेरा नम्र निवेदन है। सरचार्ज तो हमेशा रेन्ट के ऊपर ही बेस करता है। क्योंकि किसी भी टैक्स के पॉलिसी के दृष्टिकोण से आप दोनों को कवर नहीं कर सकते। एक तो आपने लैण्ड रेवेन्यू पहले ही लगा रखा है और फिर सरचार्ज और लगायेंगे तो दो चीज एक ही जमीन के ऊपर लेना न्यायसंगत नहीं हो सकता। जो लेण्ड रेवेन्यू है और जिसकी सीमा आपने यहां पर ७५) रुपये रखी है अगर उसको आधार रखते हैं तो आपको रुपया मिल जाता है। मेरा ख्याल है कि जहां तक आंकड़े मुझे मिले हैं उनके अनुसार ४० लाख रुपया तो सेस में हो जायेगा ७५) रुपये के ऊपर ही। आज जो आपका सेस है कुल मिलाकर ८ लाख रुपया आता है, जब कि ८ डिस्ट्रिक्ट्स से तो आप लेण्ड रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं करते हैं। २५०)रु० के उपर जो लेण्ड रेवेन्यू है उसका पर्सेन्टेज ३ है। आप वैसे भले ही १०० पर्सेन्ट लगायें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन वे काश्तकार इतने बड़े होल्डर्स हैं, २५०) रु० देने वाला काश्तकार उसको सहन कर सकता है लेकिन जहां तक नीचे के होल्डर्स हैं, ७५) रु० वाले हैं, उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेस आप लेण्ड रेवेन्यू पर लें। आप होल्डिंग के ऊपर बेस न करें; क्योंकि होल्डिंग के ऊपर तो लेण्ड रेवेन्यू पहले से ही है। ७५) रुपया उस समय सन् १९६० में कानून पास किया था; सेटलमेन्ट रेट्स बढी हैं, । ७५) रुपये देने वाली होल्डिंग्ज जितनी थीं उनकी संख्या बढ़ी है और पिछले दो सालों में री-सेटलमेन्ट के कारण भी ऐसी होल्डिंग्ज का नम्बर बढ़ा है और जहां सेटलमेन्ट ड्यू है वहां भी उनका नम्बर बढ़ता जायेगा। इसलिए पर्सेन्टेज आॅफ दी फार्मर्स, जिनके पास में ७५) रुपया लेण्ड रेवेन्यू का देना है उनका पर्सेन्टेज ६० रुपया से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रह है; उनके ऊपर ही बेस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं दो शब्दों से, मैं ज्यादा विचार में नहीं जाना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों पर एक तरफ तो लेण्ड रेवेन्यू का बोझ है और उनके ऊपर सरचार्ज और लगा कर बोझ को डबल न करें और अगर लगाना ही चाहते हैं तो इसको लेंड रेवेन्यू के ऊपर बेस करें और ७५) रुपया के ऊपर हो सके तो ज्यादा अच्छा है। एक रिक्वेस्ट है कि जो कम से कम रोटी खाने के लिए जिनके पास में होल्डिंग है उसको तो आप इससे मुक्ति दो।

Page No 100

(श्री मोतीलाल चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने सेस को उठा कर किसानों के साथ बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और मैं कहूंगा कि इसी तरह से आप उनको इससे भी मुक्ति दें। आशा है, सरकार मेरे सुझाव पर जरूर ही विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको रखता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी रिक्वेस्ट है कि समय बढ़ाया जाये। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। जनरल डिस्कशन के लिए और समय बढ़ाया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): अभी तो क्लॉज-बाई-क्लॉज डिस्कशन और होगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: करीब करीब सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर कर दिये हैं और अब उसमें केवल रिपीटीशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे, केवल एक ही क्लॉज है उसमें और भी बाकी रह जायेंगे तो वह बोल सकेंगे। इसलिए कृपया इस समय जो सरकार की पक्ष से जवाब आना है उसको आने दें।

(४ म. प.)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक वक्ता को चाहे ५ मिनट ही दें, लेकिन इस पर बोलना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी वक्ता एक ही बात को दोहरायें। इसलिये निवेदन है कि आप गुलेटिन करके, चाहे पांच पांच मिनट का ही समय दें, सरकार के लिये यह आवश्यक है कि सबके विचार सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण जब आता है तो उससे काफी समाधान होना चाहिये। उसके पश्चात् यदि आवश्यकता होगी तो देखेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जनरल डिस्कशन दुबारा ओपन नहीं हो सकता।

श्री मानसिंह महार : आधा घंटा हमारे विचार सुनने के लिये और बढ़ा दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)।

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसको मैं नहीं बदल सकता।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, समय ज्यादा बढ़ा दिया जाय, हम बैठने को तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय बढ़ाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यकता होगी तो समय बढ़ा दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): काफी विचार इस बारे में सामने आ चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में इस विधेयक पर जिस वक्त बजट प्रस्तुत हुआ उस समय और उसके बाद और आज काफी वाद-विवाद हुआ और कई विभिन्न पहलू इसके सम्बन्ध में यहां पर प्रस्तुत किये गये।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि लैंड रेवेन्यू पर सैस या सरचार्ज अकेले राजस्थान के अन्दर लिया जा रहा हो और किसी स्टेट में न हो, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी इस सदन में बताया जा चुका है कि कई स्टेट्स के अन्दर इस प्रकार का टैक्स लगाया गया है। पिछले वर्ष, सबको मालूम है, यू० पी० में २५ पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू पर टैक्स लगाया गया। हमारे यहां की परिस्थिति एक विशेष प्रकार की रही है। इस सदन में जब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है तो बहुत से माननीय सदस्यों का यह ख्याल बनता है कि सारी इकोनोमिक्स किसानों की केवल जमीन पर ही निर्भर करती है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन प्रमुख होते हुए भी कई जगह जमीन के साथ साथ एनिमल हस्बेन्ड्री और जमीन दोनों मिल कर किसान की इकोनोमी का बेस बनती हैं और इन दोनों दृष्टियों से हम सारे राजस्थान पर यदि निगाह डालें तो जो कुछ इस बारे में व्यवस्था करने की बात रखी थी वह ऐसी भारी होगी कि किसान उसको उठा ही नहीं सकते और उसकी वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मैं समझता हूं यह सोचना उचित नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों का यह ख्याल है कि जो कुछ रियायतें, लैंड रेवेन्यू अमेन्डमेंट बिल है उसमें प्रस्तुत की है उसके प्रस्तुत करने के बाद ८०-९० प्रतिशत किसानों पर सरचार्ज लग जायगा। इस प्रकार की भावना यहां व्यक्त की गई।

मैं सबसे पहले निवेदन करूं कि राजस्थान में जो हमारा होल्डिंग है जिसके लिये सीलिंग कमेटी भी पहले कायम हुई थी काफी वर्षों पहले और उन्होंने इसके सम्बन्ध में जो राजस्थान में इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद अलग अलग जिलों की जो एवरेज होल्डिंग के बारे में जानकारी दी उस जानकारी को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में जो एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है वह ११.६ एकड़ है। सवाई माधोपुर में ६.७ एकड़, टोंक में १०.४ एकड़, झुन्झुनूं में १४ एकड़, सीकर में १४ एकड़, अलवर में ८, भरतपुर में ६.४ एकड़, जोधपुर में ३२.५, नागौर में १०.४, पाली में २१.५, जालोर में २३.५, बाड़मेर में ३५, सिरोही में ६.८, उदयपुर में ५.९, भीलवाड़ा में ५.६, चित्तौड़ में ६.८, डूंगरपुर में ४.९, बांसवाड़ा में ६, बीकानेर में ६६, चूरू में ३८.७, गंगानगर में २८.४, कोटा में ६.७, बूंदी में ८, भीलवाड़ा में ८ एकड़ और एवरेज राजस्थान में १६.२ एकड़ ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसलमेर का नहीं बताया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसलमेर के फिगर्स नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन ज्यादा ही होगा। तात्पर्य यह है कि आज एवरेज होल्डिंग सारे राजस्थान का जो हमने ४ एकड़ का इस बिल में प्रावधान रखा था उसके अनुसार भी एक बीकानेर जिले में ४५ एकड़ से ऊपर एवरेज होल्डिंग है, वर्ना किसी जिले में एवरेज होल्डिंग इससे ऊपर नहीं है। जब एवरेज होल्डिंग इतना आता है तो कम से कम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि ५० पर्सेन्ट से ज्यादा आदमियों के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पास इससे नीचे का होल्डिंग है, क्योंकि कुछ आदमियों के पास ज्यादा होने से कुछ पर असर हो सकता है, तो भी कम से कम ५० पर्सेन्ट तो निकलेंगे इसको माना जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा निकलेगा। कमेटी की रिपोर्ट में इसके जो आंकड़े एकत्रित किये गये उसके अनुसार १० एकड़ से नीचे की होल्डिंग्ज जो राजस्थान में हैं वह १७,८४,८५५ राजस्थान के अन्दर ऐसे होल्डिंग्ज हैं जो १० एकड़ से नीचे है अब इतने होल्डिंग्ज १७-१८ लाख का मतलब यह हम ले सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। १७-१८ लाख कुल २० लाख करीब या २२ लाख करीब मान लीजिये। इतने ज्यादा होल्डिंग्ज हैं १० एकड़ से नीचे वाले। इन १० एकड़ वालों तक के लिये हमने कहा था कि इनको कम्पलीटली एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। उस समय ख्याल था कि ८०-६० निकल जायेंगे, इसलिये उपयुक्त नहीं है इसलिये हमने कहा कि ४५ एकड़ तक रखा जाय। यदि लगान ज्यादा है तो ४५ एकड़ से ऊपर वालों पर सरचार्ज लागू कर सकते हैं और सरचार्ज की लिमिट की में भी वृद्धि की गई। मैं समझता हूं, इस प्रश्न को हम तार्किक दृष्टि से और जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जो नहीं दे सकते, दरअसल में कमजोर हैं उनके बारे में हम विचार करें, क्योंकि प्रश्न सामने आवे तो विचारणीय बात हो सकती है। इस सरकार ने भी जिसको यह कह दिया कि पोलिटिकल डिबेट है, दूसरा है। हमने इसमें परिवर्तन किया, उसके कई कारण हैं। मैं निवेदन कर दूं कि परिवर्तन करने का कारण यह मान कर चलें कि केवल राजनैतिक कारण से ऐसा फैसला किया हो, यह नहीं है।

असल में जो बिल मूल रूप में प्रस्तुत किया गया था उस समय तक कम्पलसरी सेविंग्ज के बारे में क्या योजना होगी, क्या नहीं। यह योजना हमारे सामने नहीं थी। दूसरा हमें इस प्रश्न को इस तरह से विचार करना है कि राजस्थान में सरचार्ज पहले से ७५) रुपयों से ऊपर की वेल्यू पर और २२५-२५० चाही जमीन के लगान को छोड़कर पहले से लगाया हुआ है। आज राजस्थान में अधिकतर होल्डिंग्ज छोटे हैं और बड़ी हैसियत के नहीं हैं। उनको रिलीफ देने की बात सोचें, इस बात में मतभेद जैसी बात नहीं है। मैं साथ ही साथ यह कह दूं कि मैंने पहले भी सदन में कहा है, आज जिस स्थिति में से हम निकल रहे हैं, सारे देश में जो हमारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, मैं समझता हूं कि विकसित आर्थिक स्थिति होने पर निश्चित तौर से उसके अन्दर भी परिवर्तन आयेगा। लेकिन जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक अपना विकास करने के लिए थोड़ा बहुत वजन सब की तरफ आता है और उसके लिहाज से आज जो टैक्स लगाने की बात आती है वह खड़ी होती है। मैंने यह निवेदन किया था कि आज की इमर्जेन्सी और दूसरी कन्डीशन्स हैं वे नहीं रहती हैं। तो उसके बाद अगर कहीं वजन ऐसा है जो उपयुक्त नहीं है तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ये सारे फैक्ट्स मैंने सामने रखे थे और आज जो यहां रखे गये उनको रखने के बाद इस सदन में एक दलील तो यह दी गई कि जयपुर जिले में खास तौर से कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां का लगान बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लगान होने की वजह से उन लोगों की दस एकड़ की पहली लिमिट थी उसमें ७५ पर्सेन्ट रिलीफ मिल सकता था। लेकिन अब यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कर देने से, लगान ज्यादा होने की वजह से छोटी होल्डिंग्ज़ वालों पर सारी चीज आ जायगी। दूसरी तरफ यह दलील दी गई कि जो रेगिस्तानी इलाका है, उसमें ४५ एकड़ के अन्दर उनके गुजारे की बात या और दृष्टियों से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये होल्डिंग्ज़ बहुत छोटी हैं। ये दोनों प्रकार की स्थितियां यहां प्रस्तुत की गईं। यह सब से बड़ी राजस्थान की विशेष परिस्थिति है इस मायने में कि ज्योग्राफिकली हमारी जमीन और कन्डीशन्स एक दूसरे से भिन्न हैं, लगान के लिहाज से भी यह ठीक बात है कि जयपुर के आस पास ही नहीं, कई और इलाकों में लगान कम हुआ है या ज्यादा हुआ है; यह भी परिवर्तन की बात है, इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। वक्त के साथ यह बात हो सके तो बहुत खुशी की बात होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रश्न के साथ, जब से यह टैक्स का बजट यहां पर प्रस्तुत किया है तब से बराबर राजनीति की बात हो रही है कि कांग्रेस यहां नहीं बैठ पायेगी, वह ऐसी हो जायगी, कब्र खुद जायगी, पछाड़ खा जायगी; न मालूम क्या होगा, क्या नहीं होगा और उधर आमेर से आने वाले माननीय सदस्य तो इतनी जोर से बोले—अब यह करके दिखा दिया है, आयन्दा ध्यान रखियेगा, यहां नहीं कहीं के कहीं होंगे। माननीय सदस्य भूल जाते हैं, उनकी पार्टी की जो स्ट्रेन्थ है उस पर कभी निगाह डालें तो मेरे ख्याल से पता चलेगा कि वे आपसी झगड़े की वजह से वहां बैठे हुए हैं। अगर वे झगड़े वहां नहीं होते तो मैं समझता हूं कि आज उनकी पार्टी को इतना कहने-सुनने का मौका मिला है, वह नहीं मिलता·······

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सीक्रेट बात को क्यों डिस्क्लोज़ करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज कोई पार्टी यह समझे कि देश के अन्दर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, या जनता उसके पीछे टूटी पड़ रही है, यह भ्रम हो जाय तो बहुत गलत है। विरोधी पक्ष में बहुत से माननीय सदस्य आये हुए हैं, अगर कांग्रेस के आपसी झगड़े नहीं होते तो वे यहां बैठे नजर नहीं आते। इसका श्रेय उनको नहीं है·······

एक माननीय सदस्य : झगड़े और बढ़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे तो बढ़ेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं·······

श्री मानिकचंद सुराणा : (कोलायत) : स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों में से कितनों ने कांग्रेस में आने की दरख्वास्त दे रखी है, वह भी बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनता उमड़ी पड़ रही है और न मालूम क्या हो रहा है ? मैं तो यह कहता हूं कि बहुत से परिणाम निकलते हैं, उन झगड़ों के। जैसे स्वतंत्र पार्टी के लिए खास तौर से कहूं कि बहुत से सदस्य कल तक कांग्रेस के सदस्य थे, वे आज वहां हैं। वे अपने प्रभाव से जीते या कांग्रेस के प्रभाव से और बहुतों के प्रभाव से उन्हें जीतने का मौका मिला है, उनको फायदा मिला। इस प्रश्न की वजह से यह समझ कर चलना कि कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया है और दूसरी वजह से ये सारी चीजें पैदा हो गई हैं तो वह मान कर चलने की बात नहीं है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

२५०) रुपये पर सरचार्ज चुनाव के पहले से मौजूद है। फिर सरचार्ज लगाने भाव से उथल-पुथल, उलट-पलट हो जाती है, ऐसा मानने का कोई कारण मैं नहीं समझता। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां पर रखी गई हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब जब क्लॉज बाई क्लॉज इसके बारे में कन्सीडरेशन होने वाला है तो उस वक्त उस कन्सीड्रेशन में गवर्नमेंट की तरफ से हम यह परिवर्तन करना चाहते हैं और सब बातों को देखते हुए कि जो ५०) रुपये बारानी जमीन के लिए और १५०) रुपये चाही जमीन के लिए लगान फिक्स किया गया है उसके साथ जो लिमिट फिक्स किया गया है कि ४५ एकड़ की जमीन की लिमिट हो, उसको हटा दिया जाय और ५० और १५० बीघे से नीचे जो कुछ भी हो उस पर लागू हो जायगा।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका बहुत ज्यादा लगान है और ऐसी जमीन है कि जिसकी तरफ आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया है कि पहले हमने कन्सेशन अनाउन्स किया है, १० एकड़ से नीचे की होल्डिंग कोई भी ऐसी होगी जिस पर ५०, १५० लगान ज्यादा हो जायगा तो उसे उसको एक्जेम्प्ट कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इन दोनों में जो कन्सेशन मिल जाता है उसके बाद १०-१५ मिनट में इस बिल को आप लोग पास कर देंगे।

एक और निवेदन कर दूं, २५० रुपये के ऊपर लगने वाली केटेगरी है, उस पर २५ पर्सेन्ट के बजाय ५० पर्सेन्ट कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया गया

(विराम)

क्लॉज बाई क्लॉज। क्लॉज २

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस घोषणा के लिए जो आवश्यक संशोधन हैं उन संशोधनों को पहले उप-मंत्री या मंत्री पढ़ दें, उसके बाद क्लॉज बाइ क्लॉज कन्सीड्रेशन शुरू होना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : हां, हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है, उसके अनुरूप संशोधन ट्रेजरी बेंचेज द्वारा पेश कर दिया जाय तो क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन शुरू हो।

श्री उपाध्यक्ष : Will you read it ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : (उपमंत्री, राजस्व) For The Table in new Section 3 sought to be substituted by clause 2, substitute the following Table, namely—

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

AMOUNT OF LAND REVENUE	RATE OF SURCHARGE
(a) Where the amount of land revenue payable is less than rupees fifty per annum.	Nil
(b) Where the amount of land revenue payable is rupees fifty or more, but less than rupees two hundred and fifty	25 nP. per rupee on the total amount of land revenue.
(c) Where the amount of land revenue payable is rupees two hundred and fifty per annum or more.	50 nP. per rupee on the total amount of land revenue.

श्री उपाध्यक्ष : This is not clause 2.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This is the same clause, Sir. I am reading...

"(2) In the proviso to sub-section (1) of new section 3, for the words "provided that" substitute the following namely,—'Provided that nothing contained in this sub-section apply to any holding the area of which does not exceed ten acres...."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : It should be circulated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सर्क्यूलेट किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is being circulated.

श्री उपाध्यक्ष : यह हो रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : "Provided further that बाकी का उसमें है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : १० बारानी भी, चाही भी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : To any holding. Any holding includes Barani, Chahi, irrigated by wells and irrigated by canals also.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Does your amendment now mean that the concession, आपने जो पिछली दफा कन्सेशन एनाउन्स किया था उसमें १५ एकड़ तक को १२ प्रतिशत रखा था । अब वह कन्सेशन भी जो आपने पहले एनाउन्स किया था वह भी बढ़ा दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Now it is the final thing which I have given to the hon'ble Members.

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो एमेन्डमेंट पेश किये हैं उसमें यह भी बतावें कि इससे राज्य सरकार को कितनी आमदनी होगी क्योंकि अभी जो इससे पहले था उससे २५ लाख की आय होगी । इस बिल को लेने से पहले मुख्य मंत्री या उप-मंत्री यह बतावेंगे कि वे इससे कितनी आय एक्सपेक्ट करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो एनाउन्समेंट किया है उसकी वजह से रिलीफ मिलेगा,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इसमें कोई शक नहीं। १० लाख कम हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : यह एमेन्डमेंट सक्यूलेट हो जावे।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक ये सक्यूलेट हो जावें तब तक के लिए इस बिल को डेफर कर दिया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अभी सक्यूलेट हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल डेफर कर देते हैं। और अगला बिल ले लेते हैं।

(४.२२ म० प०)

राजस्थान पशु मेला विधेयक, १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (पशु-पालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टेट केटल फेयर्स बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जावे।

आपकी आज्ञा से मैं पांच मिनट इसके सम्बन्ध में कह दूं, जिससे अगर कोई बहस भी हो तो ठीक ढंग से हो। पांच मिनट आपकी आज्ञा हो तो भूमिका के रूप में कुछ अर्ज कर दूं।

यह बिल इस सदन में एक बार पहले भी आया था और इस सदन की आज्ञा से यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था तो उस सिलेक्ट कमेटी ने यह बिल जिस रूप में रखा उसी रूप में सदन इसको पास नहीं कर सका। इसलिए दुबारा इस रूप में जिसको सिलेक्ट कमेटी ने पास किया था ठीक उसी रूप में इसको इन्ट्रोड्यूस किया है।

वैसे सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा प्रान्त कृषि प्रधान देश है और पशुधन के द्वारा ही ७५ परसेन्ट लोगों को अपनी रोटी-रोजी कमाने में सहूलियतें मिलती हैं। इसके लिए जो योजनाएं हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में चल रही है उसका जिक्र भी सदन के सदस्यों के सामने आ चुका है और बजट के समय माननीय सदस्यों ने इस पर विचार किया है। इसके लिए सबसे जरूरी मार्केटिंग चीज होती है। किसी भी चीज के विकास के लिए मार्केटिंग का सिस्टम अच्छा बने और सुचारू रुप से चले और ठीक तरह से उस पर कन्ट्रोल किया जावे, इसलिए इस बिल को पेश किया गया है। वैसे हमारे यहां राजस्थान में ५०० के करीब मेले पंचायतों के जरिये लगाये जाते और सरकार की तरफ से भी मेले लगाये जाते हैं। २००, २५० मेले पंचायतों और जिला परिषदों की तरफ से लगते हैं। अब इन मेलों को हम सरकार के जरिये नियंत्रण करने के लिए कानून बनाते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है और जो कुछ हम इन्तजाम करते हैं और फीस के रूप में वसूल करते हैं उसके लिए कानून की सैंक्शन होनी जरूरी है। इसलिए इसको इस सदन में पेश करने की कई अर्से से इच्छा थी, ताकि हम इसकी योजना अच्छी बना सकें। इसके लिए हमने खर्चे के लिए धन-राशि रखी है। हम चाहते है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को हो। मेले में पानी, बिजली, सफई

(श्री नाथूराम मिर्धा)
आदि का इन्तजाम हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जावे, जो वहां पर आवें । इसके लिए २० लाख की धनराशि रखी है और किसानों से सैल्स टैक्स मेले में जो पशु लावेंगे उसमें कुछ किसी में ८ आना और किसी में १० आने की वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे कुछ आमदनी होती है और जब हमने २० लाख खर्चा करने का प्रावधान किया है तो इस प्रकार से किसी जानवर पर एक रुपया, किसी पर दो रुपया और किसी पर आठ आना लिये जावेंगे । यह इसलिए कि मेले का विकास हो । इसके लिए शिड्यूल नं० २ में सब बताया है । शिड्यूल (१) में जो कुछ हम उनसे वसूल करते हैं वह किस प्रकार से होगा । इसके अलावा जो सदन के माननीय सदस्यों ने एमेंडमेंट रखे हैं उन्होंने ज्यादातर इस बात को ले कर रखे हैं कि मेले में इन्तजाम मेनेजिंग कमेटी के जरिये होना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेले की गाइडेंस के लिए हमने एडवाइजरी कमेटी का प्रावधान रखा है । कमेटी हर जगह इस प्रकार का इन्तजाम करे और इसके लिए माननीय सदस्य मांग करते हैं यह मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं होगा कि हर मामले को कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे । एग्जिक्यूटिव के पावर्स एक हों, बाकी कमेटी का प्रावधान मौजूद है ।

मैं इतने ही शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मेलों का जो पशुधन का मार्केटिंग की सबसे अच्छी व्यवस्था है, ठीक तरह से उसका विकास करें, ठीक ढंग से उसका प्रबन्ध कर सकें, इसलिए मैंने यह आपके सामने प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य इसको विचारार्थ लेकर पास करेंगे ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेरे इसमें एमेंडमेंट है । कुमारया गांव को आप इन्क्लूड कर लीजिए । वहां ४-५ साल से मेला लगता है । उसे ऐसी स्थिति में उप-मंत्री ऑर्गेनाइज कर रहे हैं । वहां पर बैकवर्ड एरिया है । आप इसको मेले की लिस्ट में एन्टर कर दें तो मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने को तैयार हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री): मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल के क्लॉज १९ को देखें । उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि गवर्नमेंट को अधिकार है कि किसी भी मेले को इसमें जोड़ सकती है । अब जिन मेलों को जोड़ने की आप बात करते हैं उसके इतिहास का मुझे पता नहीं । किस ब्रीड के जानवर हैं, आसपास किस किस्म के जानवर मिलते हैं आदि कई तरह की जानकारी व छान बीन करने के बाद उपयुक्त होगा तो मुझे कोई उसको मेले में शामिल करने में कोई संकोच नहीं होगा । बिना किसी जानकारी के मैं उसे जोड़ने की बात कह दूं, यह मेरे लिए उचित नहीं होगा ।

श्री विजयसिंह झाला : पशुओं की किसी प्रकार से उन्नति हो तो ऐसी स्थिति में उनकी उन्नति के लिए मेले प्रारम्भ किये हैं । उन्हें तो पंचायत समितियों की लेवल पर ले जाते । लेकिन वहां पर नहीं ले जाते हैं तो ७-८ साल से यहां पर मेला लग रहा है तो इसको शिड्यूल में एड कर दें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जयपुर) : अगर आप पब्लिक एडवाइजरी बॉडीज से लेना चाहते हैं तो आपको रूल्स में इस तरह से रखना है कि स्टैंडिंग कमेटी में पब्लिक एडवाइजरी कमेटीज से लिये जावेंगे तो ठीक होगा। एडवाइजरी बॉडीज को आप फोर्म करना चाहते हैं तो प्री-प्लान्ड स्कीम लेकर ही करना चाहिए और इसके लिए आप प्रोविजन रूल्स में रख देते हैं तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : The motion stands moved.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। प्रत्येक पंचायत को अपने क्षेत्र में पशुओं का मेला लगाने का कानूनी अधिकार है। जहां पुराने मेले लगते आये हैं उनके पड़ौस में ही नई पंचायतें बनती हैं और वे मेला लगाती हैं। तो इससे सरकार के समक्ष समस्या पैदा होती है। नई पंचायत कहती है कि हम नया मेल लगावेंगे, क्योंकि हमें कानूनन ऐसा करने का अधिकार है और जहां पुराने समय से मेला लगता आया है वह पंचायत कहेगी कि हमारे यहां तो पहले से लगता आया है। तो सरकार ने इसके लिये क्या सोचा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री) : पंचायतें मेला लगाती हैं वे लगावें, न इस कानून में उन पर रोक है और न मना किया है। इस बिल में यह किया है कि १३ मेले हम ले रहे हैं, इन मेलों के क्षेत्र में २० मील के रेडियस में पहले के २ महीने और बाद के २ महीनों में मेले नहीं लगायेंगे। यह इसमें किया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : १३ के लिये रखा गया है, पर दूसरी जगह यह समस्या है। एक पंचायत कहती है कि हमारे यहां नया मेला लगावेंगे, इससे २५-३० हजार की आमदनी होती है और दूसरी पंचायत कहती है कि हमारे यहां कदीम से मेला लगता आया है। तो इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या सोचा है ? जब एक कानून इस सम्बन्ध में एक्ट के फॉर्म में आता है और ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है तो इस सम्बन्ध में प्रावधान न रखने से नियन्त्रण नहीं रहता और पंचायतों में ऐसी समस्या होती है। इनके नियन्त्रण के लिए सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन परिषद् और पंचायत समितियों के कानून की धाराओं में इन मेलों का कैसे नियन्त्रण किया जायगा, यह सब व्यवस्था है, उन धाराओं के नीचे रूल्स बने हुए हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : जो मेले पहले से चलते आये हैं उनके लिए तो इसमें रोक नहीं है न ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने देख लिया है कि पहले वाले मेले इनमें आते नहीं हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : बिल में बताया है कि ऑक्ट्रोय लगेगा, इसमें ऑक्ट्रोय लगाने का प्रावधान रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेलों में ऑक्ट्रोय लगता ही है।

श्री अब्दुलजब्बार : मेला टैक्स, केटल फेयर टैक्स, म्यूनिसिपल लिमिट्स में मेला लगता है तो सेल्स टैक्स; ऑक्ट्रोय म्युनिसिपैलिटी भी लगायेगी अर

(श्री अब्दुल जब्बार)

आप भी ऑक्ट्रोय वसूल करेंगे और एक्साइज वाले सेल्स टैक्स वसूल करेंगे। तो क्या आपने मेले में आने वाले बैलों को दूध देने वाली गायें समझ रखा है, उनको कुछ मत खिलाओ पिलाओ, वे दूध देते ही रहेंगे? मेले लगते आये हैं और लगते हैं, फिर इनमें ऐसी क्या सुविधाजनक बात है, आप ऐसी कौनसी सुविधा दे देते हैं कि मेले में आकर बैल सोने का हो जाता है? म्युनिसिपैलिटी अलग लेगी, आप अलग लेंगे ऑक्ट्रोय तो आखिर आपने यह किस कानून के तहत रखा है? डबल-डबल ऑक्ट्रोय वसूल करना कहां तक न्याय है?

साथ ही साथ इस बिल में ड्यूज रखी गई है। मेला ६-७ रोज के लिये लगता है। उसके लिये मेला कमेटी ऑर्गेनाइज्ड है। अलॉटमेंट के निर्णयों के लिये दरख्वास्तें आती हैं और अलॉटमेंटस हो जाते हैं। फिर यह समेरी ट्रायल और ५००) रुपया का जुर्माना, यह सब क्या चीज है? लोगों को अननेसेसरी हैरेसमेंट और परेशान करने के लिये यह है। मेले में 'यूरिनल्स,' लेट्रिन्स वगैरह का क्या इन्तजाम होगा, जब कि बड़े-बड़े शहरों में इन्तजाम सरकार नहीं कर पा रही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग नालियों में टट्टी फिरते हैं। वहां मेलों में न लेट्रिन्स बनेंगी, न यूरिनल्स बनेंगे। तो इस तरह देहात की औरतों और बच्चों को जुर्माना देना पड़ेगा। आपने इसमें यह रखा है कि एरियर नहीं चुकाया जाय तो.......

"Is about to remove himself from the fair area,"

उसको गिरफ्तार कर लिया जाय। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे ड्यूज रहने का सवाल ही क्यों आये? या तो सरकार इस तरह के ड्यूज बढ़ाने की आदी है या इस तरह से लोगों को हैरेस करना चाहती है। साथ ही साथ इसमें इन्फेक्शन का रखा है। कानून बनाना चाहिये, पर इन्फेक्शन के आधार पर इस तरह के पॉवर्स न देने चाहिये। Health and Sanitary Committee already एग्जिस्ट कर रही है। खतरनाक बीमारियों के फैलने की हालत में पंचायत समितियों को, हैल्थ डिपार्टमेंट को अधिकार हैं, मेडिकल ऑफिसर को पॉवर्स हैं, इसमें और प्रोविजन रखा है कि बीमारियों को रोकने के लिये रुपयों का प्रावधान रहेगा, एनिमल हस्बेन्डरी का डाइरेक्टर मेला अफसर होगा, जब कि तीन दिन बाद ही दूसरी जगह मेला होने वाला है और Just after the interval of three days, it is not possible for an officer to leave for a certain Mela with his staff. क्या सरकार इसका अहसास नहीं करती? कलेक्टर, जिला परिषद् के प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान को एम्पॉवर कर दीजिये कि.........according to this Act इसको एम्पोवर किया जाता है कि मेला ऑफिसर होगा, इनको पूरे-पूरे अधिकार दे दिये जायं, वर्ना खयाल कीजिये कि आज एक मेला जयपुर में है और तीन दिन बाद ही टौंक में है तो वह सब सामान उठा कर वहां जायगा और तीन दिन बाद ही और जगह पर मेला है तो वह कैसे सारा सामान उठा कर वहां पहुंचेगा। तो यह सोचने समझने की बात है, इससे असुविधा पैदा होगी। सुविधा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये कि लोकल ऑथोरिटीज को ही पॉवर दे देने चाहिये।

(श्री अब्दुलजब्बार)

ऑक्ट्रोय भी आप लेंगे तो फिर पंचायतें कौनसा टैक्स लेंगी ? गाय, भैंस, बैल, मुर्गा, मुर्गी सब पर आप टैक्स लगा देंगे तो फिर पंचायतें क्या वसूल करेंगी ? विकेन्द्रीकरण किया है तो इसका भी विकेन्द्रीकरण करना चाहिये।

तो ये सब चीजें इसमें आपत्तिजनक हैं और ये विकेन्द्रीकरण के व्यूज को भी चुनौती देती हैं। खास तौर से ऑक्ट्राय के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह बिल्कुल बोगस है। सेल्स टैक्स और मेला टैक्स दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, २० सेल्स टैक्स लगा हुआ है और ५-१० रु० उसका ऊपर का और हो जायगा। तो इन गरीब लोगों पर इस तरह से भार डालना ठीक नहीं रहेगा। मेलों में मवेशियों के लिये ठीक सहूलियत देनी है तो ऑक्ट्राय और मेला टैक्स में से एक को ही रखना चाहिये। सरकार को तो वैसे ही इनकम हो जाती है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करता हूं कि इस किस्म के प्रोविज़न से पंचायत और म्युनिसिपेलिटियों को जो आघात पहुँचा है, उनको निकालने की कोशिश करिए।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw all my amendments as well as the proposal of the Select committee.

श्री उपाध्यक्ष : Anyone else ?

श्री रामकिशन (वैर) : मैं वापिस ले रहा हूं। गाय भैंसों के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री) : गाय तो आती नहीं। भैंस भी नहीं आती है। झोटे पर लेते हैं, पाड़े पर।

श्री रामकिशन : गाय भैंस पर नहीं लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री रामकिशन : छोटे बच्चे पर क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बैल और पाडे की तारीफ में आने वालों पर लगेगा।

श्री रामकिशन : दो हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : बैल पर ५) रुपया।

श्री रामकिशन : बछड़ा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बछडा क्या, बैल हो गया। जो गाय नहीं चूखता है।

श्री रामकिशन : जो चलने लग जाता है, तीन साल से ऊपर की उम्र का हो। गाय का जो दूध पीता है वह छोड़ दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : बैल हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : जो बछड़े की स्टेज से ऊपर है।

श्री रामकिशन : बैल बिकेगा ६००) रु० में और बछड़ा बिकेगा १५०) रु० में।

श्री नाथूराम मिर्धा : उस पर ५ रुपया है।

Page No 111

श्री रामकिशन : ज्यादा कीमत वाले पर और कम कीमत वाले पर, दोनों पर एक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर और ज्यादा हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं वे वापिस लिए गये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंत्री महोदय, ऑक्ट्रोय, फेयर टैक्स और सेल्स टैक्स हैं उनकी पोजीशन क्लीयर कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री) : ऑक्ट्रोय और सेल्स टैक्स का प्रावधान किया है मेले के अलावा और लेवीज़ की जावेंगी उसके लिये पॉवर है to impose। क्लॉज ७ है जिसका जिक्र कर रहा हूं। १३ मेलों का ही वरेश्चन है उनके अन्दर मेला अधिकारी को गाड़ी वगैरह आती है तो अधिकार है। सेल्स टैक्स का सवाल नहीं है। अलग से मेले में नहीं लिया जाता है। जो डीलर्स आते हैं, किराये पर दूकानें लेकर धन्धा करना चाहते हैं और ऑलरेडी सेल्स टैक्स के लॉ के नीचे सेल्स टैक्स देने के अधिकारी हैं, जिनका टर्न ओवर दिया हुआ है, मेले का भी जुड़ेगा। मेले का अलग लगता हो, ऐसी बात नहीं।

ऑक्ट्रोय के लिए म्युनिसिपैलिटीज़ आती हैं। उनको मेलों में हिस्सा देते हैं। उनकी आमदनी होती हैं, ऑक्ट्राय की रेट होती है, म्युनिसिपैलिटी को हिस्सा देते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : It all depends upon your reason. If you are anxious to give or to subscribe the dues which have been collected from octroi... ....

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दी में ही फरमाओ ना।

श्री अब्दुल जब्बार : आपको इकट्ठा अमाउन्ट ऑक्ट्रोय का मिला। नगरपालिका आपकी दया पर है कि उसमें से कुछ हिस्सा दें, कानून नहीं। चाहें तो दें, नहीं तो नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका और हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। जितनी उनकी आमदनी है वह हम दें।

श्री अब्दुल जब्बार : जानवरों पर वसूल करते हैं तो लीगल है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जानवरों पर कोई ऑक्ट्राय नहीं लगेगा।

श्री अब्दुल जब्बार : बैल–गाय पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेले में दूसरे बिकने जाते हैं तो उन पर लगेगा। कैटल पर कोई ऑक्ट्रोय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ बाई क्लॉज़

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जितने भी थे वे ऑलरेडी विद्ड्रॉ हो गये।

Page No 112

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of explanation, Sir....

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री) : जितने भी अमेन्डमेंटस थे वे विदड्रॉ कर लिए । मेरे ख्याल से अब कोई नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक एक्सप्लेनेशन का सवाल है । जो सरकार बैलों का निशान लेकर चुनावों में आती है वह बैलों पर टैक्स कैसे लेगी ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इसलिए कि वे हमारे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : [संशोधन इस प्रकार हैं :— Item 7 and 8 & of the schedule be omitted. मेरा संशोधन यह है कि (१) मेला कार्तिकचन्द्रभागा, झालरा पाटन, (२) मेला बैसाख गोमती सागर, झालरापाटन शिड्यूल नं० (१) में से हटा दिये जाय । झालरापाटन में उनकी आमदनी ४०, ४५ हजार रुपयों के करीब होती है । म्यूनिसिपल कमेटी झालरापाटन में बिजली और नल की योजना बनी है । ड्रेनेज की योजना नहीं है । म्यूनिसिपेलिटी को एक लाख का खर्चा है और एक लाख की ही आमदनी है । इन दोनों मेलों को State cattle fair में ले लेने से नगरपालिका को ४० हजार का नुकसान पड़ेगा । राज्य सरकार इसके लिए क्या विचार करती है ? दूसरा माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि नस्ल सुधार के लिए मेले State cattle fairs में लिए जाते हैं । पाटन तहसील में मालवी नस्ल के बैल पैदा नहीं होते हैं । गंगाधार व पिडा, पचपाड, हुडग, तहसीलों में माल वीयनस्ल के बैल ते हैं । पाटन तहसील में डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में मालवी नस्ल के बैल पैदा नहीं होते हैं । इसलिए उस नगरपालिका को ४०–५० हजार रुपयों के लगभग नुकसान पड़ेगा । दो वर्ष पहले ही नगरपालिका झालरा पाटन में नल बिजली की योजना बनी है । ड्रेनेज का इन्तजाम करना है । इस इन्तजाम से लगभग ४०–४५ हजार का नुकसान हो जावेगा । इसलिए इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री) : माननीय सदस्य से पहले भी बात हो चुकी थी और अभी मुद्दा उठाया, आपकी मार्फत मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो मेले, जिनके बारे में जीक्र कर रहे हैं कभी भी म्यूनिसिपेलिटि के पूरी तरह कब्जे में नहीं थे । गवर्नमेंट की तरफ से उस आमदनी में से कुछ हिस्सा दिया जाता रहा है दूकानों वगैरह से । जो आमदनी दस बीस वर्ष में की है और उसका अनुपात क्या रहा है, क्या आमदनी आई और क्या हिस्सा दिया जाता रहा है उसको देखते हुए उस खर्चे के लिए इस आमदनी में से हम देते रहेंगे । जैसा उन्होंने कहा कि मालवी बैल की ब्रीड उस जगह नहीं होती है और दूसरी जगह होती है । यह जरूरी नहीं है कि उस गांव या उस शहर में हो । आस-पास के इलाकों में मालवी ब्रीड होती है और इन मेलों के जरिये से हम उसको डेवलप करना चाहते हैं । अभी भी एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट करता है । आगे भी डेवलप करना चाहते हैं ।

अगर उसमें म्यूनिसिपेलिटी का क्लेम है तो वह डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी होगी, उनका हिस्सा किस प्रकार से रहा है, उसमें से कितना दिया जा सकता है, कितना दिया जाना चाहिये जो दिया जाता रहा है, उसको देते रहेंगे ।

Page No 113

श्री गोविंदसिंह (पिडावा) : जहां तक मालवी नस्ल को इम्प्रूव करने का सवाल है उसके लिए पंचायत समिति डग में राज्य सरकार ने ३०० एकड़ जमीन ले रखी है, वहां पर तो केटल ब्रीडिंग फार्म कायम नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए जमीन भी रिजर्व हो गई है। ऐसी हालत में नगरपालिका का हिस्सा जो नगरपालिका को सदा से मिलता आया है हड़प करना अनुचित है। अगर राज्य सरकार मालवी नस्ल को सुधारना चाहती है तो जो जमीन मालवी नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए रिजर्व कर रखी है उसको चालू करें।

यह भी सही है कि इन मेलों की कुछ आमदनी राज्य सरकार वसूल करती है और वह आमदनी राज्य सरकार की मानी जाती है जो शिड्यूल (२) के अनुसार है। इन्हीं मेलों की आमदनी जो भूमि टेक्स व चुंगी से आती है वह सदा से ही नगरपालिका की आमदनी मानी जाती रही है और नगरपालिक ही वसूल करती आई है। इस प्रकार शिड्यूल (२) से जो आमदनी होगी वह राज्य सरकार की होगी और म्यूनिसिपल कमेटी का सदा से जो, हिस्सा रहा है वह बदस्तूर नगरपालिका को दिया जाय, यह मैं आश्वासन चाहता हूं।

आप मालवी नस्ल को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए तीन सौ एकड़ जमीन ले रखी है उस पर तो एक पैसा ही खर्च न किया जाय और दूसरी तरफ ४०-५० हजार जो म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी होती थी उसको आप लेना चाहें, यह वाजिब नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने संशोधन को पेश करना चाहते हैं ?

श्री गोविंदसिंह : माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो आमदनी बदस्तूर मिलती रही है वह मिलती रहेगी। इस प्रकार का आश्वासन दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : So you would like to press your amendment ?

श्री गोविंदसिंह : No, Sir, I want assurance from the Hon. Member.

श्री नाथूराम मिर्धा (पशु पालन मंत्री) : काफी मैंने कह दिया है जो मिलती रही है कितना उसमें वाजिब है वह देते रहेंगे।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री गोविन्दसिंह को संशोधन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशु-पालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पारित किया गया।

(४.५४ म० प०)

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, ६६ के अधीन मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार एक बात सदन में कहना भूल गया था वह मैं निवेदन कर दूं। लैण्ड रेवेन्यू पर सैस और सरचार्ज के अन्दर जो एग्जेम्प्शन किया गया उससे गवर्नमेन्ट को फाइनेन्शियल लोस हुआ उसको कुछ हद तक मेक-अप करने के लिहाज से, जैसी कि सदन में बहुत दफा मांग की जाती रही है, जो चौधरी सिस्टम है उसको समाप्त करना चाहिये। राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय ले लिया है कि चौधरी सिस्टम समाप्त कर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फिर तो इस टैक्स की जरूरत ही नहीं रह जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपके इस आदर्श काम के लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : Before we take up any other business, I would announce the personnel of two Select Committees.

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ की प्रवर समिति के सदस्यों की घोषणा

राजस्थान साहूकार बिल, १९६३ जो प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया है उनके नाम निम्न प्रकार हैं:—

(१) श्री रामप्रसाद लड्ढा (सभापति)
(२) श्री धर्माराम आर्य
(३) श्री गणेशलाल
(४) श्री गणपतिलाल वर्मा
(५) श्री ज्ञानचन्द मोदी
(६) श्री हनुमानसिंह
(७) श्री माधोलाल खानपुरिया
(८) श्रीमती निर्मला देवी
(९) श्री फूलचन्द जैन
(१०) श्री भीमसेन
(११) श्री प्रतापसिंह
(१२) श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
(१३) श्री नाथूलाल करौल
(१४) श्री सांवलियाराम
(१५) श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
(१६) श्री दिग्विजयसिंह
(१७) श्री जुगलाल
(१८) श्री मोहरसिंह
(१९) श्री रूपाराम
(२०) श्री राधाकृष्ण गोयल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये नाम किनने प्रस्तावित किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिन मंत्री महोदय ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया था उन्हीं के द्वारा नाम प्रस्तावित किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो श्री रामप्रसाद लड्ढा अपने आप सभापति बन गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आसन की तरफ से निर्देश है।

राजस्थान भूमि-सुधार व भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक,' १९६३

श्री **उपाध्यक्ष** : राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्विजिशन ऑफ लेण्ड ऑनर्स एस्टेट्स विधेयक, १९६३ प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया; उस प्रवर समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैः—

(१) श्री रामप्रसाद लड्ढा (सभापति)
(२) श्री भगराज चौधरी
(३) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
(४) श्री दलपतसिंह
(५) श्री जयकृष्ण शर्मा
(६) श्री रघुनाथ विश्नोई
(७) श्री शीशराम श्रोला
(८) श्री पोहूमल
(९) श्री छोटूराम
(१०) श्री मुक्तिलाल मोदी
(११) श्री मथुरेशबिहारी माथुर
(१२) श्री अब्दुल जब्बार
(१३) श्री श्योपतसिंह
(१४) श्री हजारीलाल
(१५) श्री केदारनाथ
(१६) श्री रामकिशन
(१७) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
(१८) श्री अमरसिंह जसौल
(१९) श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(४.५८ म० प०)

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री **उपाध्यक्ष** : अब राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर जो संशोधन आये हैं उन पर विचार होगा।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : On a point of information, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, नये टेक्सेशन प्रोपोजल्स जो आये हैं और पहले जो आये थे उस पर मुख्य मंत्री महोदय ने बताया था कि इससे २५ लाख की आमदनी होगी। लेकिन जो अमेण्डेड प्रोपोजल्स आये हैं उससे अन्दाजन कितनी आमदनी होगी, यह मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**(मुख्य मंत्री) : मैंने पहले बताया था जिस समय पहले टैक्स प्रोपोजल्स आये थे उस समय इससे २५ से ५० लाख तक की आमदनी का अनुमान है........

श्री **भैरोंसिंह** : नये प्रोपोजल्स से कितनी होगी ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**(उप-मंत्री, राजस्व) : १५ के आसपास होगी।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : एग्जेक्ट फीगर्स तो मैं नहीं दे सकता। ५०) रुपये तक का जो रखा है उसमें एक्चुअल कितनी होल्डिंग्ज आयेंगी ओवर-ऑल कितने पर इफेक्ट होगा, यह कहना मुश्किल होगा। २० से २५ लाख तक भी हो सकता है। क्या होगा, यह तो बाद में कह सकते हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : चौधरी प्रथा खत्म करने से भी तो आपको आमदनी बढ़ेगी।

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन का समय जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय बढाया जाता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय मंत्री महोदय अमेन्डमेन्ट मूव कर लें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्थान) : I move that :—

"1. For the Table in new section 3 sought to be substituted by clause 2, substitute the following Table, namely :—

AMOUNT OF LAND REVENUE	RATE OF SURCHARGE
(a) Where the amount of land revenue payable is less than rupees fifty per annum.	Nil
(b) Where the amount of land revenua payable is rupees fifty or more, but less than rupees two hundred and fifty.	25nP. per rupee on the total amount of land revenue.
(c) where the amount of land revenue payable is rupees two hundred and fifty per annum or more.	50nP. per rupee on the total amount of land revenue.

2. In the proviso to sub-section (1) of new section 3, for the words "Provided that," substitute the following, namely :—

"Provided that nothing contained in this section apply to any holding the area of which does not exceed ten acres :

Provided further that."

(५ म.प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : एक क्लेरिफिकेशन है । यह जो आपने लिखा है कि—

"There shall be levied....on each instalment of land revenue payable on or after the first day of April, 1963, a surcharge calculated at the rates specified below,...."

तो "Land Rvenue payable on or after" आपने इसमें लिखा है । on का मतलब ६३ का, लेण्ड रेवेन्यू जो पेएबल था ६२ की कार्तिक की फसल का उससे है या क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फर्स्ट अप्रेल, ६३ का और आफ्टर वर्डस को जो पेएबल है उस पर सरचार्ज लगेगा । फर्स्ट अप्रेल से पहले वाले पर नहीं लगेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसे थोड़ा और स्पष्ट करिये । केटेगोरिकली बता दीजिए कि आपकी मंशा इससे क्या है ? कार्तिक की जो खरीफ की फसल अभी काट ली गई है उसके बाद रबी की फसल हो गई, उस पर यह लगेगी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं स्पष्ट कर दूं कि हर फसल की एक ड्यू डेट मुकर्रर कर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रखी है। उस डेट पर वह पेएबल मानी जाती है। अब अगर उस डेट को उसने किन्हीं कारणों से नहीं दिया और एरियर रह गया तब भी उसकी ड्यू डेट तो वही मुकर्रर की गई डेट ही मानी जावेगी। फिर पे वह अपने एरियर कभी करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह डेट कौन कौन सी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक जुलाई की पहली तारीख है और दूसरी जनवरी की पहली तारीख है। वे, ड्यू डेट कहलाती हैं।

It is payable on that date. For the purposes of calculation land revenue will be calculated on the whole year.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो स्पष्ट बताइये कैटेगोरिकली कि खरीफ की फसल पर लगेगा या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह एक लीगल फ्रेज्योलोजी है, "shall pay from Ist April" तो इसलिए कह दिया है कि इस डेट से फाइनेन्शियल इयर शुरू होता है। But when will it fall due; that will be the date on which it is payable.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २०१९ की रबी की फसल पर लगेगी कि नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस साल रबी की फसल कट गई है मार्च में; उस पर-तो लगेगा, क्योंकि उसका लगान एक जुलाई को ड्यू होगा पर गत कार्तिक की फसल है उस पर नहीं लगेगा। जिसकी ड्यू डेट एक अप्रेल से पहले की उस पर नहीं लगेगा। जनवरी में अगर होती है वह ड्यू डेट तो अप्रेल में उसको पेएबल नही मानते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रबी की काट रहे हैं फसल किसान, उस पर लगेगा कि नहीं; यह स्पष्ट बताएं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया न कि जिसकी ड्यू डेट १ अप्रेल या उसके बाद की होगी तो उस पर लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो कह रहे हैं उस पर नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लगेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ड्यू डेट्स पहली जनवरी खरीफ के लिए और पहली जुलाई रबी के लिए है। जनवरी की अप्रेल में ड्यू नहीं होती।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) :यह जो कुओं से सिंचाई करते हैं उस जमीन को आप सिंचित मानेंगे या क्या ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : यह तो कानून में साफ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं दो तीन मिनट में साफ करदूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): आपने अनाउन्स किया इसमें कि per annum आप वसूल करेंगे। इसमें ड्यू डेट्स आप बताते हैं दो; खरीफ की और रबी की अलग अलग, जब कि सरचार्ज लगा रहे हैं टोटल पर per annum; तो यह कैसे है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो क्लेरिफिकेशन है। It is a clarification.

मैं अर्ज कर रहा था कि इस क्लॉज से क्या सबस्टीट्यूट किया गया है वह मैंने पढ़ कर सुनाया।

साथ ही साथ जो प्रोविजो बढ़े हैं उनमें एक नया भी लगाया है। दो पहले के भी हैं। उनके रेफरेन्स में फाइनल पोजीशन क्या होती है, इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जैसा मैंने निवेदन किया कि ५०) रु० से जिस जमीन का लगान कम हो और चाही जमीन हो तो १५०) रु० से कम लगान हो तो उससे अधिक कोई किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं लिया जावेगा।

इसका मतलब है कि ५०) रु० से नीचे बारानी या दूसरी जमीन पर और चाही जमीन है तो १५०) रु० से नीचे तक पर कोई सरचार्ज नहीं लिया जावेगा।

साथ ही साथ यह भी है कि १० एकड़ चाहे किसी किस्म की जमीन हो, बारानी हो, चाहे केनाल से इरिगेटेड हो, चाही हो, किसी किस्म की हो, अगर उसका लगान ५०) रु० या १५०) रु० से अधिक है तो भी १० एकड़ की होल्डिंग पर सरचार्ज नहीं लिया जावेगा।

सेकिण्ड बात यह है कि ५०) रु० या इससे अधिक लगान हो, पर २५०) रु० से अधिक न हो तो २५ नये पैसे प्रति रुपया लगान पर सरचार्ज की दर रखी है। और २५०) रु० या इससे ऊपर कितनी ही हो उस पर ५० नये पैसे प्रति रुपया है।

साथ ही साथ इसके दो प्रोवीजो और हैं। एक है कि अगर कोई जमीन अन-इरिगेटेड है और इरिगेटेड है तो उसका क्या रेश्यो हो ? इसके सम्बन्ध का प्रोवीजो जो पहले था वही है। चाही के लिये केल्कुलेट करने के लिये चाही का लगान वन-थर्ड गिना जावेगा। इसी तरह ५०) रु० या इससे नीचे जहां है और चाही में १५०) रु० या इससे नीचे है वहां तक छूट है। (B) में ऊपर का स्लैब है। ऊपर रुपया ५०) रु० या इससे ऊपर है तो इसके अन्दर भी यही रेश्यो १।३ का चाही के लिये चलेगा।

इसी तरह (C) में भी चाही में चलेगा।

इस तरह से एक्चुअल पोजीशन यह हो जाती है कि १० एकड़ तक हर प्रकार की जमीन में लगान कितना ही हो तब भी कुछ भी सरचार्ज नहीं लिया जावेगा।

पर चाही है या बारानी है और ५०)रु० से कम बारानी या नहरी का और चाही जमीन का १५०) रु० से कम है तो उस सीमा तक कुछ नहीं लिया जावेगा। उससे ऊपर की जो रेट बताई है, अब इस एग्जिस्टिंग अमेन्डमेन्ट के जरिये से सरचार्ज की जो व्यवस्था थी उस पर जो असर पड़ता है वह मैंने निवेदन किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह पेरेनियल इरिगेशन किस फॉर्मूला में फिट होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस एकड़ में तो नहरी, चाही बारानी सब शामिल हैं।

इसके बाद में आप माननीय सदस्य चाहें कि गंगा केनाल, भाखरा और राजस्थान केनाल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
उस एकरेज से भी छूट कर लें तो फिर यह तो सम्भव नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो हम कहते भी नहीं है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह बतावें कि आपने जो २५०)का स्लैब रखा है उसमें फर्स्ट स्लैब है ५०) रु० से १५०) रु० का, सैकिण्ड आता है १५०) रु० से २५०) रु० और ५०) रु० से २५०) रु०....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसको भी तिगुना कर दीजिये ।

श्री भैरोंसिह : ५०) रु० से २५०)रु० का स्लैब है बारानी का और चाही का स्लैब इसके बजाय क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तिगुना हो जावेगा । २५०) के बजाय ७५०) हो जावेगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : अब आप समाजवाद के नजदीक आये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): राजस्थान में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां लगान में ईरिगेशन की रेट्स भी मिली हुई हैं । जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले के अन्दर ऐसी बकाया को स्टे किया है जहां पर ईरिगेशन रेट्स और लैण्ड रेवेन्यू दोनों मिला कर लैंड रेवेन्यू चार्ज हो रहा है । तो इस जगह पर इस कानून के मुताबिक सरचार्ज कैसे वसूल किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकारी रेकॉर्ड में लैंड रेवेन्यू के नाम से रकम जमा कराई जाती वह लैण्ड रेवेन्यू कही जावेगी, अब वह चाहे किसी कारण से मिला कर जमा कराई जाती हो ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सैटलमेन्ट में दोनों को मिला दिया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह मिली हुई है तो मिली हुई है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५०) तो फिर उन किसानों को नुकसान हो जावेगा । उनको तो ये सारी सहूलियतें प्राप्त नहीं हो सकेंगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समस्या का भी दूसरा हल है और जिस स्टेज पर कार्यवाही की जानी चाहिये वह हो रही है । माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कृपया इसका स्पष्टीकरण कर दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समस्या की जानकारी मेरे को है । उसका स्पष्टीकरण यहां पर जरूरी नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इस सम्बन्ध में क्या हम यह मान कर चलें कि जो भी न्यायोचित होगा वह किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बिल में इसके लिये कोई रिलीफ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर होगा ही ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह मिला हुआ १३) रु० से लेकर १७) रु० तक लगाने हैं । जब

(श्री उमरावसिंह ढाउरिया)
उनके इतना लगान है तो फिर उनको क्या रिलीफ मिलेगा ? आप कह दीजिये कि दोनों को अलग अलग कर दिया जावेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह सरचार्ज भी लेण्ड रेवेन्यू है और लेण्ड रेवेन्यू के नाम से जो चीज रेवेन्यू रेकॉर्ड् स में जमा होती है उसको स्टिल करने का मुझको अधिकार नहीं है, न उसको स्टिल-अप कराने का यह तरीका है । तो उसकी तहत कार्यवाही करके करली जाये, लेकिन surcharge is payable on land revenue and as long as that amonnt is land revenue surcharge will be charged on that land revenue.

श्री उपाध्यक्ष : जहां एबनोर्मल रेवेन्यू है वहां क्या कन्सीडरेशन करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझता हूं कि मैंने यह अमेन्डमेन्ट बिल पेश कर दिया और इसके ऊपर स्पष्टीकरण कर दिया और जो कुछ माननीय सदस्यों ने शंकायें प्रकट की उनके बारे में भी कुछ सफाई देने की कोशिश की । उसके बाद तो खुशी खुशी इसे जल्दी ही पारित किया जाये तो अच्छा रहेगा ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : एक मेरा संशोधन है जो मैं पेश करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने नया संशोधन····

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो स्पष्टीकरण कराना चाहें तो करा सकते हैं और अगर अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहें तो बात दूसरी है ।

श्री मनि ्न्द सुराणा (कोलायत): Point of order, इस पर तो अभी क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीड्रेशन नहीं हुआ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी कि तरमीम मूव करें और उस पर मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये ।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण कर दिया । क्लॉज २ पर सरकार की तरफ से जो संशोधन आया है वह मूव हो चुका है और अब उसी के ऊपर सारा स्पष्टीकरण हो रहा है और उसके बाद दूसरी कार्यवाही कर लेंगे । It is just a point of explanation.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of order Sir, जो अमेन्डमेन्ट गवर्नमेन्ट की तरफ से मूव किया गया है इसमें कुछ फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : गवर्नर की जो रिकमन्डेशन चाहिये, Government is well aware of this fact and they have obtained this sancton.

(श्री तेजराम गहलोत के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : If you want to move your amendment then I will have to ask others first.

तेजाराम गहलोत : ऐसा है कि····

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं स्पष्टीकरण से मतलब हल हो जाये तो ठीक है अन्यथा बाकायदा अमेन्डमेन्टस मूव करना चाहें तो और भी लिस्ट है ।

श्री तेजाराम गहलोत : स्पष्टीकरण से मतलब पूरा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : तो स्पष्टीकरण मांग लीजिए । On a Point of information you can ask anything.

श्री तेजाराम गहलोत : वह यह है कि इस नये संशोधन क्लॉज के नीचे........

श्री उपाध्यक्ष : So you want to press it.

श्री तेजाराम गहलोत : मैं उसमें प्रोविजो लगवाना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of Order, इससे पहले कि क्लज-बाई-क्लॉज कन्सीडरेशन शुरू करें, मेरा निवेदन है कि जिस समय माननीय मंत्री महोदय ने यह संशोधन पेश किया एक जनरल डिस्कशन का जवाब हो रहा था उसके बीच में उन्होंने अमेन्डमेन्ट मूव कर दिया और स्पष्टीकरण जिनको पूछना था वह पूछ चुके और अब इस संशोधन में जो प्रिन्सिपल्स इनवोल्ड हैं उनके ऊपर चर्चा की जानी आवश्यक है और ६७ जो हमारा नियम है उसके तहत प्रावधान है कि बिल के जनरल प्रिन्सिपल्स की चर्चा की जाये। जो इस संशोधन में नये सिद्धान्त रखे गये हैं उन सिद्धान्तों पर आपकी अनुमति से चर्चा करना चाहूंगा और उस बहस को कन्टीन्यू करना चाहूंगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): क्लॉज बाई क्लॉज की स्टेज हो चुकी है।

श्री मानिकचंद सुराणा : We want to discuss the amendment itself. S.r.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to Call the names one by one. अभी इस समय स्पष्टीकरण से यदि पूरी तरह से निकाल नहीं निकलता है तो यह क्लॉज २ मूव हुआ है उसके ऊपर उनका भी संशोधन प्रस्तावित है और अब उसके ऊपर दूसरा भी संशोधन मौजूद है, एक एक संशोधन करके सारे ही संशोधन रखे जा सकते है और उनके दौरान सारी बहस हो सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की अभी सदन छोड़ने की इच्छा नहीं है तो हम चल सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज-बाई-क्लॉज का प्रश्न तो अलग है। अभी तो जनरल प्रिन्सिपल्स जो इन्वोल्ड हैं........

श्री उपाध्यक्ष : वह हो चुका है–अभी क्लॉज २ में जो संशोधन आया है........

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो मंत्री महोदय का संशोधन है उसके ऊपर कहने का अधिकार होना चाहिए। अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने........

श्री उपाध्यक्ष : I think let other amendments be also moved and then we will discuss it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया और उसके बाद में एक तरीका यह हो सकता है कि और भी माननीय सदस्यों ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किये हैं वे मूव कर दें बाकी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है या जवाब की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I will do like this.

एक अमेन्डमेन्ट जो सरकारी पक्ष से आया है वह मूव हो चुका है। अब मैं दूसरे अमेन्डमेन्टस को भी मूव करा देता हूं। उसके पश्चात जो विदड्रा करेंगे वह कर लेंगे।

संशोधन इस प्रकार है;

(१) श्री दिग्विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)

4. The following explanation II be added to new section 3 sought to be substituted for section 3 of Rajasthan Act 16 of 1960 :—

"*Explanotion II.*—Where the land is occupied by two or more families, but in the land Revenue records it is mentioned in the name of one person then the provision of section 3 shall apply to that holding as if the partition of that land has been made between those families."

(२)श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

In clause (a) of sub section (1) of new section 3 (i) substitute the words "Seventy-five acres" for the words "forty-five acres" and (ii) substitute the words "One hundred rupees" for the words "rupees Fifty" in the column under the Heading "Area of holding and amount of land Revenue."

(३)श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

"Provided also that where there are more than one co-sharer in a holding, the area of holding in occupation of each and the land revenue payable by each shall separately betaken into consideration for purpose of clause (a) of the table given above."

(४) श्री भगराजचौधरी (रानीवाडा):

Substitute the following for the table of surcharge in sub-section (1) of section 3 :—

Area of holding and amount of land revenue	*Rate of surcharge*
(*a*) Where the area of a holding does not exceed eighty acres of un-irrigated land or the land revenue payable in respect of holding does not exceed rupees one hundred per annum.	Nil
(*b*) Where the area of a holding exceeds eighty acres of unirrigated land but does not exceed one hundred and twenty five acres of unirrigated land or the land revenue payable in respect thereof exceeds one hundred rupees but does not exceed rupees one hundred and fifty per annum.	15 n.P. per rupee on the total amount of land revenue.
(*c*) Where the area of a holding exceeds one hundred and twenty five acres of unirrigated land or the land revenue payable in respect thereof exceeds rupees one hundred and fifty per annum.	25 nP. per rupee on the total amount of land revenue.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(*i*) In the proposed section 3 in clause (a) of the table of surcharge for the word "and" appearing in the third line the word "or" shall be substituted and for the word "fifty" appearing in the sixth line the word "seventy five" shall be substituted.

(*ii*) for clause (b) of the table of surcharge the following clause (b) shall be substituted:—

"(*b*) Where the area of holding exceeds forty five acres of unirrigated land or the land revenue payable in respect thereof exceeds rupees seventy five.	Twelvenaya Paisa per rupee on the total amount of land revenue.

(*iv*) In explanation after the word "Chahi" the words "and Dehri or Talabi" shall be substituted.

Page No 123

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)

Clause (a) of the table of surcharge in the proposed section 3 delete the words "and the land revenue payable in respect thereof also does not exceed rupees fifty per annum".

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

In clause (a) of the table of surcharge in sub-section (1) of the proposed section 3 the words "and the land revenue payable in respect thereof also does not exceed rupees fifty per annum occurring after the words "unirrigated land" be deleted."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) मौखिक संशोधन निम्न रूप से प्रस्तुत किया गया :—

Substitute the word 'seventy five' in place of 'fifty' in clause (a) and of clause 2]

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष

श्री भीमसेन

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्योंकि मेरे संशोधन की मंशा पूरी हो गई है इसलिए मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं अपना एक अमेन्डमेन्ट तो मूव नहीं करूंगा और जो दूसरा अमेन्डमेन्ट है वह यह है कि ज्यादातर यह शिकायत है कि अपने यहां खाते रद्दोबदल नहीं हुए....

श्री उपाध्यक्ष: आप कौनसा मूव नहीं करेंगे ?

श्री विजयसिंह झाला : जो भीमसेन जी नहीं कह रहे हैं। [संशोधन इस प्रकार है ; तो जहां जोइन्ट फेमिली है और खाता एक आदम के नाम पर है और वह जमीन ३ फेमिलीज के द्वारा ऑकुपाइड है और क्योंकि वह जमीन ऑकुपाइड तो तीन फेमिलीज द्वारा है और रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में एक आदमी के नाम पर मेन्शन है। आज निम्बाहेड़ा में यही झगड़ा है और इन्तकाल के सात-सात हजार केसेज पेन्डिंग हैं तो ऐसी स्थिति में जो रिलीफ आप उनको देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिलेंगे और वह भी केवल पटवारियों के फॉल्ट की वजह से। इसलिए मैं कहूंगा कि चाहे लैण्ड रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में एक आदमी के नाम से है अगर वह अलग अलग फेमिलीज द्वारा ऑक्युपाइड है तो उसको अलग अलग मान लिया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा; मेरे मेन्शन करने से नहीं होगा। उस के लिए ऑलरेडी लॉ है। उसके तहत कोई कार्यवाही पार्टीशन कीय इन्तकाल की हो सकती है वह करें। अगर लॉ परमिट करता है तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सरचार्ज के कानून को डिफीट कर दें और यह चाहें कि सब को इजाजत हो जायेगी that I am not in a position to do.

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) अभी तो उनको देना पड़ेगा। तो जब ऑक्युपाइड डिफरेन्ट फेमिलीज द्वारा है और केवल उसके दादा के नाम से जमीन है और उसके दादा का इन्तकाल हो गया तो क्यों नहीं उसको कर देते ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वह तो पार्टीशन करा लेना चाहिए था।

Page No 124

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसको विथड्रा करने में एतराज नहीं है, लेकिन जो क्लेरिफिकेशन किया है, उसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं है। जब राजस्थान का एक डिपार्टमेंट सही मानता है, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं मानता, यह ठीक नहीं है। दोनों ही एक ही सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं; एक मानता है, दूसरा नहीं मानता है। तो मैं यह चाहूंगा कि जो इरिगेशन की रेट शामिल है उसको निकाल कर बाकी लैंड रेवेन्यू है उसको निकाल कर सरचार्ज लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to clarify ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : इसके लिये मैंने यह जो सेटलमेन्ट का निकाला है वहां तक इरिगेशन का पैसा··

श्री उपाध्यक्ष : If you clarify he migh' want to withdraw.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : For the sake of convenience I will repeat that whatever is termed as land revenue surcharge will be payable on that.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं विथड्रा करूं, उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। एक खेत पर ५ आदमियों का नाम है। ११५ ए के हिस्से में है, ११५ बी के हिस्से में है और कुल खेत मिलाकर ५० बीघा होता है तो हरेक के हिस्से में ५० का पांचवा हिस्सा आयेगा। तो हरेक के पास पांचवा हिस्सा है, यही मानना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : आप यदि उस कानून को जो पहले से है उसकी तरमीम की है उसके साथ पढते तो पता चल जाता। सवाल यह है, any person who is liable to pay land revenue pays land revenue, he will be liable to pay surcharge on the land revenue also. The position is quite clear.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Any person, का मतलब यह है कि उसके हिस्से में जितनी जमीन है उसी पर तो लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो रेवेन्यू पेएबल है, उस आमद पर जितना पेएबल है उस पर हमारा सरचार्ज है।

श्री विजयसिंह झाला : 'Any person.' का मतलब पट्टे पर नाम होगा उससे ले लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १०० हिस्से होंगे उसके नीचे तो कहां तक एक एक के पास जायेंगे। हमारे यहां रेवेन्यू रेकार्ड में जो liable to pay है उससे लेते हैं। उसी पर सरचार्ज है।

श्री विजयसिंह झाला : यह बहुत ज्यादा पड जाता है, एस. डी. ओ. के अनुसार।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कानूनी चीज है। कानून के अनुसार आप कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जहां १५ एकड़ से कम होल्डिंग हो जाता है तो पार्टीशन के लिये एस. डी. ओ. अलाउ नहीं करता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एस. डी. ओ. पार्टीशन के लिये अलाउ नहीं करता है, तो according to law नहीं हो सकता।

Page No 125

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
१५ एकड़ से नीचे इसलिये नहीं करता हूं। काफी एरियर्स चलते हैं। Division of holding करने से वसूली नहीं हो सकती। सरचार्ज के लिये डिविजन अलाउ कर दें that is not possible.

श्री विजयसिंह झाला : पार्टीशन नहीं होता है, लेकिन एक आदमी जितने हिस्से में खेती करता है उसके हिस्से में जो आयेगा उस पर क्यों नहीं लगाते ? उसके हिस्से में जो रकम आयेगी उसको वह चुकायेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That is not possible

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बरफा।

श्री चन्द्रसिंह बरफा : मैं इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेता हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधित क्लॉज में मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं और वह यह है कि जो प्रोविजन एड किया है उसके नीचे एक प्रोविजो और एड करना चाहता हूं। मैं अपना दूसरा अमेन्डमेन्ट पेश नहीं करता। प्रोविजो इस बारे का है ......

श्री उपाध्यक्ष : You are only pressing the proviso ?

श्री तेजाराम गहलोत : Yes Sir. "Provided also that where there are more than one co-sharer in a holding the area of holding in occupation of each and the land revenue payable by each shall separately be taken into consideration for purposes of clause (a) of the table given above."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रोविजो पेश करने का मतलब यह है कि जहां पर जोइंन्ट होल्डिग है, चाहे होल्डिग है उसमें हर आदमी का शेयर डिफाइन्ड है। किसी का एक आना है, किसी का दो आना है, किसी का चार आना है और हर आदमी अपने शेयर के माफिक रेवेन्यू पे करता है। लेकिन जैसा कि आपने सन् ६० के बाद, लैंड रेवेन्यू सरचार्ज एक्ट पास होने के बाद सरकार ने जो समय समय पर सर्क्यूलर्स निकाले हैं वे प्रिन्सिपल एक्ट की मंशा के खिलाफ निकाले हैं। प्रिन्सिपल एक्ट सन् १९६० में आया था और उसके aims and objects में साफ है कि हर आदमी के द्वारा लैंड रेवेन्यू पेएबल है उस पर लगाया है तो जो इम्पलीमेंटेशन हो रहा है सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध सर्क्यूलर्स निकाले हैं, मैं श्रीमान्, के सामने एक सर्क्यूलर जो सेक्रेटेरियट से निकला है वह पढ़ता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सर्क्यूलर्स का लब्बे लुबाब कह दीजिये।

श्री तेजाराम गहलोत : सरकार ने दो तरह से इंप्लीमेंट किया है। जोइंट होल्डिग में चाहे ८० या १०० की है, १० आदमियों के शेयर में है तो उसमें एक किसान मानकर टैक्स किया है और जहां एक आदमी न होकर २५-५० हो तो उसमें डिफरेंट होल्डर्स को काउण्ट किया है। मेरा मतलब यह है कि जब सरकार सेपरेट खेत में एक आदमी के नाम से टैक्स करके काउन्ट करती है तो जोइंट होल्डिग में हर काश्तकार अपने हिस्से पर काबिज

(श्री तेजाराम गेहलोत)

है तो यदि यह प्रोविजो आ जाता है तो उससे कानून की मंशा का स्पष्टीकरण होगा। इससे न तो सारों से टैक्स रियलाइज करना पड़ेगा और न छोडना पड़ेगा। यह कानून का स्पष्टीकरण है। कानून जितना सिम्पल होगा उतनी ही जनता को उससे सुविधा होगी। जो कानून बनाया जाय वह स्पष्ट तौर से बनाया जाय। जैसे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम उन काश्तकारों को टैक्स करना नहीं चाहते जो नहीं पे कर सकते। लेकिन इस घोषणा से उन काश्तकारों को भी फायदा होगा जो पहले टैक्स पे कर रहे थे। इससे तो हम उनको टैक्स करने जा रहे हैं जो पहले टैक्स नहीं देते थे। एक आने की जगह दो आना और दो आना की जगह चार आना हो जायगा। इसलिये स्पष्टीकरण होना जरूरी है।

जहां तक मंत्रीजी ने १० एकड़ तक का कन्सेशन दिया है उससे मैं समझता हूं। स्पष्ट तौर से उन इलाकों के किसानों को फायदा होगा जिनका एवरेज होल्डिंग १० एकड से कम है। उदयपुर डिविजन और कोटा डिविजन को पूरा का पूरा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर एवरेज होल्डिंग ७ एकड से कम है। कोटा डिविजन का भी यही हाल है। मुख्य मंत्रीजी ने संशोधन करने के साथ साथ इस बात का ख्याल नहीं रखा कि आखिर होल्डिंग कम है तो उनका अर्निंग उस होल्डिंग पर अधिक है और वे छोटे छोटे होल्डिंग्ज पर भी अपनी फेमिलीज का गुजारा कर सकते हैं। दूसरी ओर जैसलमेर के इलाके में और बीकानेर के इलाके में भी उन्होंने उतना ही कन्सेशन दिया है। वहां पर बारानी लैंड है, काश्तकार नेचर पर डिपेण्ड करते हैं। तीन-चार साल में बर्षा होती है तो कुछ खाने को मिलता है। जहां पर चाही है, जैसे उदयपुर में वहां पर कुंए जल्दी खुद जाते हैं। लेकिन जोधपुर डिविजन में पानी की कमी है; ८-१० किसान मिलकर मुश्किल से एक कुंआ खुदा पाते हैं और वे जोइंट काश्त करते हैं। यदि आप किसी एक काश्तकार को कहें कि कुंआ चलाओ तो न तो उसके पास चार पांच जोडी बैल हो सकते हैं और न वह कुंआ चला सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रोविजो के लगाने से इस कानून का स्पष्टीकरण होगा और ऐसे इलाकों में जहां ८-१० काश्तकार शामिल होल्डिंग्ज पर काश्त करते हैं उनको राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : Do you accept the proviso ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : No, Sir,

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मेरा निवेदन ऐसा है ....

श्री उपाध्यक्ष : Let others move first.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक ही सेण्टेन्स में कहना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा....

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रविशंकर याज्ञनिक।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवारा) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : आप विथ्ड्रा करते है या बहस

श्री रविशंकर याज्ञनिक : विथ्ड्रॉ करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा) : No, Sir माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने काश्तकार पर कर लगाये हैं । इसके बारे में तीन बार विचार किया है । तीन बार विचार करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि उन्हें ऐसा रिलीफ दें कि उत्पादक को खेती से कमाने का पूरा लाभ मिल सके । केवल जो ४५' एकड भूमि गैर आबपाशी थी, बारानी थी, उस पर पहले टैक्स नहीं लगता था, इतना एकरेज छोडते थे । अब पचास से कम जमीन हो, पचास से कम लैंड रेवेन्यू हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पचास से ऊपर लगेगा और वह पच्चीस परसेंट लगाया है । मैं सोचता हूं, पचास रुपये से कम की लागत की किसी काश्तकार के पास कोई जमीन है, जिसका लगान वह पचास रुपया नहीं देता हो, खास तौर पर जोधपूर का जहां तक मेरा चार-पांच जिलों में भ्रमण है, मैं भ्रमण करने में इन्टरेस्टेड हूं, और मैं कह सकता हूं कि जो रिलीफ दिया है सरकार ने वह पचास परसेन्ट को नहीं मिलने वाला है । जो रिलीफ दिया है सरकार ने वह उदयपुर, डूंगरपुर, चम्बल और माखरा एरिया में रिलीफ.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : भीलवाडा, जयपुर में ?

श्री भगराज चौधरी : लेकिन इन्हें इससे साफ रिलीफ मिलता है । मुख्य मंत्री ने अभी घंटा भर पहले बताया था कि अमुक अमुक जिलों की एवरेज एकरेज किससे शुरु होती है । उन्होंने बताया कि बाडमेर में ३५ से शुरू होती है । मेरा दावा है कि बाडमेर में पचास से होती है । उन्होंने बताया, वह बात गलत है । मैंने इन तहसीलों का दौरा किया है, मैंने काफी अध्ययन किया है । लेकिन मैं सारी बातों में न जाकर निवेदन करना चाहता हूं कि अमेंडमेंट पेश किया है कि गैर-आबपाशी की जमीन पर ८० एकड तक छूट मिलनी चाहिये, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिये और जहां तक··

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अब एकरेज का सवाल नहीं रहा ।

श्री भगराज चौधरी : एकरेज की बात को छोड दिया है तो मैं मांग नहीं करता । मैं मांग करता हूं कि जिस काश्तकार की १००) रु० से कम है उसको छूट मिलनी चाहिए । अगर नहीं देते हैं और विचार नहीं करते हैं तो यह केवल आई–वाश है, धोखा है । मेरा निवेदन है कि सही मायने में रिलीफ देना चाहते हैं तो १००) रु० तक रिलीफ दीजिये । अगर काश्तकार को रिलीफ नहीं देते हैं......

Page No 128

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह है असली किसान की आवाज।

एक माननीय सदस्य : किसान बोल रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके कंधों पर चढ कर बोल रहे हैं।

:

श्री उपाध्यक्ष : Order please, Yes, go on.

श्री मगराज चौधरी : सरकार ने जो अमेंडमेंट मूव किया है, जो रियायत दे रहे हैं उससे सरकार का कहना है कि २५ लाख की आमदनी होने वाली है। मेरी दलील है कि २५ लाख आप चन्दे के रूप में, किसी रूप में, ले लीजिये लेकिन इस प्रकार २५ लाख की बात करके २ करोड की आमदनी मत करिये। आपका यह असेसमेन्ट गलत है कि केवल ख की आमदनी होने वाली है।

दूसरे २५० कच्ची एकरेज पर २५ परसेंट से बढा कर ५० कर दिया है। २५० से ज्यादा पर ५० परसेन्ट लगाया गया है। इससे यह होगा कि जो काश्तकार पशुपालन का घन्धा करते हैं, जो गुजारा चलाने के लिए और भी साधन जुटाते हैं उनको फायदा उठाने के लिए ज्यादा जमीन रखनी पडेगी। आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे, बाडमेर में ५००-७०० एकड है। लेकिन वहां बर्षा ५-७ साल में होती है। उनकी खेती मानसून पर निर्भर है। सरकार ने यह ख्याल नहीं किया कि कभी कभी उनकी खडी फसल नष्ट होती है, कभी वहां बरसात नहीं होती है। इन सारे कारणों को लेकर चलें तो वे काश्तकार फायदे के अन्दर नहीं हैं। अपना पेट पालने के लिए धंधा करते हैं, कोई लाभ का धधा नहीं है। जब लाभ का धंधा नहीं है और पेट पालने का धंधा है तो इस पर हैवी टैक्स लेना न्याय-संगत नहीं है। इसलिए सरकार विचार करे कि जिनका १००) रु० का लैंड रेवेन्यू है और जो इस श्रेणी में काश्तकार आते हैं, उनके सरकार छूट दे। यह मेरे प्रस्ताव की मांग है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): यह बहुत अच्छी बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : He deserves to be Revenue Minister.

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपाल।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : He should replace the Dy. Minister.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें जो अमेण्डमेन्ट है वह यह है कि जो लिमिट ५०) रु० की है लगान की वह ७५) रु० कर दी जाय और जो सरचार्ज की दर है उसको २५ परसेण्ट से से घटा कर १२ परसेन्ट कर दिया जाय। इसके अलावा यह भी मेरा अमेण्डमेन्ट है कि जो डेफिनेशन है, बारानी लैंड के साथ जो चाही इसमें रखी है उसमें नहरी, तलाबी भी उसके साथ जोड दिया जाय।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो अमेण्डमेन्ट रखा गया है, उसके जरिये इस प्रकार की हवा बनाने की कोशिश की गई है, जैसे सरकार ने एक बहुत बड़ी रियायत इस कानून में, इस टैक्स के अन्दर दे दी है और जैसे कि राजस्थान के किसान का एक बहुत बड़ा तबका इस टैक्स से छूट जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बात तथ्यों से सही साबित नहीं होती। खुद राजस्थान सरकार के अपने आंकड़े हैं, जो १० एकड तक लगान को सरकार ने मुक्त करने की घोषणा की है वह पहले भी इस सरकार के संशोधन आने से पहले जो कानून था, उसके तहत वह पहले भी उतने ही लगान की उसमें छूट दी थी। इसके अलावा १० एकड तक की कुल जमीन राजस्थान में ६३,५१,४८१ एकड़ है, जब कि राजस्थान में कुल कल्टीवेटेड लैंड करीब सवा तीन करोड एकड़ है। तो उसमें से १।५, पिछडा हुआ हिस्सा, इस १० एकड पर सरचार्ज देने से बचेगा। बाकी लगभग २॥ करोड रहते हैं, उन पर अभी भी सरचार्ज लगता रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न यह है कि इस सरकार की जो टैक्सेशन लगाने की नीति है उसको जिन उसूलों पर आधारित करना चाहिए, जिन नीतियों को इस सरकार ने बार बार अपने मुख्तलिफ रिपोर्टों में दोहराने की कोशिश की है और उनमें यह कहा है कि हम सामान्य आदमी को, एक किसान को उसका सामान्य जीवन-निर्वाह करने के लिए इतनी आमदनी उसके पास छोड़ना चाहते हैं। तो आज मुख्य बात यह है कि क्या इस सरकार ने जो संशोधन रखा है यह संशोधन उस मापदंड के ऊपर सही बैठता है? क्या इस सरकार ने संशोधन रखा है वह उन किसानों के पास उतनी आमदनी छोड़ देगा जो कि उसको एक सामान्य जीवनयापन करने के लिए आवश्यक है? मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार बहुत अपने वायदों को याद करती है, कोई सरदार पटेल ने दिया जागीरदारों को, तो उन वायदों की दुहाई दी जाती है। हमारे लेट गोविन्दबल्लभ पन्त ने दिये उन वायदों की दुहाई दी जाती है। लेकिन जो वायदे कांग्रेस ने १९३१ में हिन्दुस्तान की जनता से किये, करांची में रिजोल्यूशन पास किया उसमें इस आधार को कहा कि जो अनइकोनोमिक होल्डिंग है......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): आज कांग्रेसी वह कांग्रेसी नहीं हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हां, यह तो अफसोस की बात है। इसके बाद कांग्रेस ने आम चुनावों के बाद मेनीफेस्टों के अन्दर इस बात दोहराया अपने इलेक्शन के मेनीफेस्टो के अन्दर कांग्रेस ने इस को दोहराया कि वे यह जो अनसाइण्टिफिक बेसिस रेण्ट का है, लगान का किसानों पर एसेसमेंट करने का उसको बदलेंगे और बदल कर इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे कि जिसमें आमदमी के आधार पर लगान लगाया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात दलील से समझ में आ सकती है कि सरकार को इतना समय नहीं मिला है कि वह इस आधार पर टैक्स लगाती। लेकिन यह समझ में नहीं आती कि इस सिस्टम को एबोलिश करने के बजाय इसको और जोरदार बनाया जावे, छोटे किसानों पर मध्यम वर्ग के किसानों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर इस तरह से बोझ डालते चले जावें। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि इस लगान के अन्तर्गत २ करोड़ ६५ लाख का टैक्स कल मंजूर करा चुके हैं। जिस समय इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, कहा था कि २५ लाख रुपये की आमदनी इस टैक्स के जरिये उम्मीद करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इससे और कुछ लोसेज़ होंगे। करीब १५ लाख रुपयों की आमदमी का अनुमान था। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। आप देखेंगे कि ८ लाख या १० लाख तो ६। प्रतिशत की रेट से वसूल हो गया है, जबकि ५ जिलों में वसूली नहीं हुई है। तो ७५) रु. के नीचे २५ परसेंट होते हैं, तो भी ४ गुना होता है। तो इस हिसाब से ४० लाख रुपया तो सीधा सीधा हो जाता है। अब सरकार ने २५०) से नीचे २५ प्रतिशत रखा है। यह सीलिंग ५०) रु. से हटाकर ७५) रु. रखा है। तो ५० और ७५ के बीच की होल्डिंग है उसका नये तरीके से टैक्स ले रहे हैं जो ५० २५) से आमदनी होगी वह एक्स्ट्रा होगी इसलिये यह सरकार १५ लाख की बात कह रही है, यह सही नहीं होकर यह लगान १ करोड़ के करीब पहुंचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह सरकार इस तरह के एमेन्डमेण्ट लाकर सदन की तमाम परम्पराओं को बदलना चाहती है और स्वस्थ परम्पराओं को छोड़ना चाहती है। इस गवर्नमेंट ने जो आम किसानों को राहत घोषित की थी आज सरकार उससे पीछे हट रही है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर ने आम बजट पर बोलते हुए सैस की बात कही थी कि १० एकड़ तक सैस नहीं ली जावेगी और १० से १५ एकड़ तक १२ प्रतिशत, १५ से ४५ एकड तक २५ परसेन्ट, आप उसका नाम सरचार्ज रख लीजिये। यह तय है कि वहां मुख्य मंत्री ने १० और १५ एकड़ के बीच की जमीन है उस पर १२॥ प्रतिशत की घोषणा की थी वहां अब २५ परसेन्ट लगाना चाहते हैं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की शर्म की बात वे न करें और वे अपने शब्दों को जो मुख्य मंत्री ने कहे उनको खुद खाने लगें और जो कमेन्ट्स दिये हैं उनको जुटाये जाने की कोशिश करें, यह सरकार के लिये शोभा नहीं देता।

उपध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अमेण्डमेन्ट पेश करके यह चाहते हैं कि इस अमेण्डमेन्ट से वास्तव में १५ लाख रुपयों से आप सेटिस्फाइड हैं तो तो मैं कहूंगा कि ७५) रु. के नीचे की सीलिंग कर दी जावे और रेट १२ परसेन्ट कर दी जावे तो १५ लाख से ज्यादा आमदनी होगी। जब ६ प्रतिशत से आपको १० लाख की आमदनी है तो मेरा अमेन्डमेण्ट है उसको आप मंजूर कर लें, तो आपको इससे २४ लाख आमदनी हो जावेगी। मगर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बराबर सरकार इस तरह से करवटें ले रही है और डिसिप्लिन में बांध कर गला घोटना चाहती है। मिनिस्ट्री में लोग इसको नहीं मानते तो यह कहा जाता है कि आप दूसरा लीडर चुन लें और यह धमकी देकर इसके लिये मजबर किया

Page No 131

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जाता है। अगर इनको फ्री छोड़ दिया जावे और कांग्रेस की तरफ से कोई व्हिप नहीं होगा और अगर सिक्रेट बैलट करा दिया जावे तो हमें मंजूर होगा, जो कुछ वे करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट मूव किये थे अब किसी ने उनको विथ्ड्रॉ कर लिया है लेकिन उनकी भावना इस सदन के सामने है। मैं अपना अमेण्डमेन्ट पेश करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार २॥ करोड़ टैक्स लगा चुकी है। उन्होंने सदन से पास नहीं कराया तो कोई कारण नहीं है कि और पैसे भी दे सकते हैं। फिर भी हम १५ लाख उनको जैसा वे कहते हैं देने को मंजूर करते हैं; फिर भी वे अपनी जिद्द रखना चाहते हैं और टैक्स लगावेंगे तो हम यहां उनका विरोध करेंगे। अन्दर करेंगे बाहर करेंगे और जब तक आप इसको वापिस नहीं लेंगे हम इसका विरोध करते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह ! आप विथ्ड्रॉ करते हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विथड्राअल से पहले यह कहूंगा कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ३५ के तहत यह सरचार्ज लगाया जा रहा है वह कान्ट्रेरी है। लगान के अलावा अन्य भुगतान का निषे ......

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) Surcharge is also a land revenue.

एक माननीय सदस्य : आपकी परिभाषा और होगी।

श्री दिग्विजयसिंह : किसी विपरीत रिवाज अथवा अनुबन्ध के होते हुए भी भूमि क्षेत्र के लगान या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त कोई भी भुगतान, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा या जाना जाता हो, न तो आसामी पर लगाया जावेगा, न उससे वसूल किया जावेगा। यह आपके कानून में लिखा हुआ है; फिर यह किस तरह से लगाया जाता है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैंने अमेण्डमेंट मूव किया है उससे स्पष्ट है कि सरचार्ज के लिये पहले जो आधार रखा था वह ४५ एकड़ की जमीन का आधार था लेकिन उसकी लिमिट तय करने का ५०) रु. लगान की शर्त तो मैंने अमेण्डमेन्ट में भी ५०) रु. को डिलिट करने की बात कही है।

आज की सरकार यह मान कर चल रही है, लगान के हिसाब से किसान की समृद्धिशालिता का अन्दाज लगाती है, जब कि सदन के दोनों तरफ से कहा गया है कि लगान की व्यवस्था साइन्टिफिक नहीं है। कहीं ज्यादा, कहीं कम लगान लगाया जाता है; यह सिद्धान्त के विपरीत है। इसके साथ ही जितनी जमीन है किसान के पास उस सब जमीन पर लगाना यह सरकार की दूषित नीति है। सरकार को किसान की आमदनी की तरफ निगाह रखनी चाहिये। आपको यह देखना पड़ेगा कि किसान के पास, जिसकी सारी जमीन पर आप लगान वसूल कर रहे हैं, जीवन-यापन का क्या साधन है ? ४५ एकड जमीन को आधार-

(श्री नत्थीसिंह)

मूत मान कर आगे चलें; जो जमीन उसके जीवनयापन के लिये आवश्यक है उस पर और लगान लगाना यह दूषित नीति है। जब सदन में कहा जाता है कि उसकी जमीन पर एडीशनल टैक्स लेना चाहते हैं तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो आपकी योजनाओं से शहरों में फायदा उठाते हैं, जिनकी सम्पत्ति की कीमतें बढ़ी हैं, उनसे आप टैक्स वसूल कीजिये। पर आप उनसे टैक्स वसूल नहीं करते, इनसे टैक्स वसूल करने की बात कहते हैं तो आप मौन साध कर रह जाते हैं। दूसरी तरफ किसानों से सरचार्ज लेना चाहते हैं और हमारे ऊपर अहसान करते हैं कि हमने अपने अमेंडमेंट के द्वारा १० एकड़ तक के किसान को एग्जेम्पट कर दिया है। सदन में मांग यह की गई थी कि १० एकड़ तक ही जमीन जिनके पास है उनसे किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाय, क्योंकि वह अनइकोनोमिक होल्डिंग की तारीफ में आती है। उसके बजाय आप कहते हैं कि इस पर सरचार्ज नहीं लगायेंगे। १० एकड़ को तो एग्जेम्पट कर रहे हैं पर साढ़े बारह परसेंट आप सैस के रूप में जिस पर लेना चाहते थे उस पर अब आप २५ परसेंट लेने जा रहे हैं। आपने कह तो दिया कि १० एकड़ तक के को छोडते हैं पर साढे बारह के बजाय २५ प्रतिशत लेने से जितना आप चाहते थे उससे ज्यादा आमदनी आपको होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसानों से ज्यादा टैक्स नहीं लें तो इसके लिये कोई न कोई माप-दण्ड जमीन का रखना पड़ेगा। मैंने ४५ एकड़ सजेस्ट किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कई इलाकों में ४५ एकड़ कम होता है। तो पहले आप असेस करें कि कहां कहां कितनी कितनी जमीन जीवन-यापन के लिये आवश्यक है। उसे छोड़ कर फिर टैक्स लगायें। अभी जैसा कर रहे हैं यह उचित नहीं है। पर जिनमें शक्ति है टैक्स देने की उनकी तरफ आप आंख उठाना नहीं चाहते, उन पर आप टैक्स लगाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ जिनके विषय में आपको मालूम नहीं है कि जीवनयापन की शक्ति उनमें है कि नहीं, उन पर आप आंख मींच कर टैक्स लगायें, यह उचित नहीं। यह जब तक आप असेस नहीं कर लें तब तक सरचार्ज लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सरचार्ज लगाने का आधार यही हो सकता है कि कितनी होल्डिंग ऐसी है जिससे किसान अपना, अपने परिवार का गुजारा चलाने के बाद भी अपने स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता रह सके, उस पर टैक्स की बात सोची जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसके क्लॉज २२ (ए) (बी) में ५०) रुपये के स्थान पर ७५ रुपये सब्स्टीट्यूट किये जायं, यह संशोधन मैं प्रस्तुत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू के बारे में हमारी सरकार का कोई स्पष्ट दिमाग नहीं है। यह बात इससे स्पष्ट हो गई है कि पहले सरकार लैंड पर सैस का बिल लाई और विरोधी दलों ने विरोध किया तो संशोधनों की घोषणा की और उन संशोधनों से भी संतोष नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी में तूफान खड़ा हुआ तो मुख्य मंत्री ने सारी लैंड रेवेन्यू सैस की माफी की घोषणा कर दी। इसके तीन दिन बाद ही लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज का बिल लाया गया और कहा गया कि ४५ एकड़ जमीन पर, जो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

५०) रुपया देते हैं उनसे २५ प्रतिशत टैक्स लेंगे। इसका विरोध हुआ तो संशोधन फिर आया और सरकार कहती है कि ५०) रुपये से नीचे जमीन का माफ है। ५०) रु० से ऊपर २५०) रु० तक २५ प्रतिशत टैक्स लेंगे, सरचार्ज लेंगे। तो एक सरकार एक ही सदन में, चार बार अपनी नीति में परिवर्तन कर दे, यह यहीं देखा है और कहीं नहीं देखा। लैंड सैस में परिवर्तन किया, इसका नैतिक आधार था तो सरकार को कोई अधिकार नहीं कि सैस के नाम को सरचार्ज के रूप में बदल कर दूसरा कानून ले आये और इस सदन में यह सुना कर, यह घोषणा करके दोनों ओर से तालियां पिटवा ले कि लैंड रेवेन्यू पर सैस नहीं लगेगा। राजस्थान के एक करोड़ किसानों ने मुख्य मंत्री की घोषणा को सुना होगा तो खुशी मनाई होगी कि हम पर सरचार्ज नहीं लगेगा, सैस नहीं लगेगा। फिर अब यह विधेयक पारित होता है तो उनको बडी निराशा होगी। इसके साथ ही कांग्रेस में आन्तरिक राजनैतिक परिवर्तन होते हैं, उसका इन कानूनों पर प्रभाव पडके इतना परिवर्तन नहीं होना चाहिये। कांग्रेस में तूफान आ जाय और मुख्य मंत्रीजी की कुर्सी को चुनौती मिले और उनको कई लोग कहें तो यह समझें कि यह उनमें अविश्वास पैदा किया जा रहा है और कह दिया कि नये नेता को चुन लीजिये; नये नेता को चुनने की, कुर्सी छोडने की धमकी देते हैं, हालां कि इच्छा कुर्सी छोडने की नहीं'। यहां घोषणा कर दी कि लैंड पर सैस माफ होगा और यह घोषणा करके कि सदन के इस और उस पक्ष से तालियां पिटवा लीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि वह घोषणा फरेब थी, एक धोखा थी या आन्तरिक दुख से निवृत्ति पाने के लिये एक चाल मात्र थी जो दोनों निन्दनीय हैं। मैं कडे शब्दों में उसका विरोध करता हूं।

इसके अलावा ५० से नीचे की घोषणा की है कि माफ रखेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ २५ लाख वसूल करना चाहते हैं ६ परसेन्ट थी तब ८ लाख की आमदनी होती थी अब २५ प्रतिशत के हिसाब से वसूल करें तो मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करने के बाद भी ५ लाख की आमदनी हो सकती है, १० एकड को को छोड दिया है तो भी १६ लाख की आमदनी इस एग्जेम्प्शन के बाद भी होती है। आपने जो असेसमेंट के आंकड़े दिये हैं वे गलत हैं, साफ तौर से प्राइमाफेसी मालूम पडता है कि आंकडे गलत दिये हैं। लैंड रेवेन्यू में आपने प्रिन्सिपल एनेसियेट किये थे उन प्रिंसिपल्स से आप खिलाफ जा रहे है। साढे बारह परसेंट के उसूल से खिलाफ जा रहे हैं लैंड सैस में जो परिवर्तन, संशोधन आपने किये उनमें जो प्रिंसिपल्स इन्वोल्व्ड थे उनसे ब्रेक-आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, साढे बारह परसेंट से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। १० एकड की छूट का प्रिन्सिपल बना रहे हैं। हम सब विरोधी दलों ने उसका स्वागत किया है पर, १५ एकड जमीन किसान के पास है उसको पहले सैस देनी पडती थी अब आपने उसका नाम बदल दिया है, सरचार्ज रख दिया है। तो यह साढे बारह परसेंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिये पर इस संशोधन से २५ प्रतिशत भार उस १५ एकड वाले किसान पर पड जायगा। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं।

फिर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा; वह यह है कि २५ लाख रुपया आप १४० लाख किसानों से वसूल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार, जिसने कल ही जवाब दिया कि २४ लाख स्पेशल पै के रूप में चुकाती है तो गरीब किसानों से २५लाख न वसूल करके यह जो अधिकारीयों को २४ लाख रुपया स्पेशल पै के रूप में देते हैं इसको ही क्यों नहीं खत्म कर देते ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
(१ म. प.)

क्या कारण है कि उस स्पेशल पे को खत्म नहीं करना चाहते ? जिन आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर्स को १,५००-२,२०० रु० तनख्वाह मिलती है उनको आप २५०) रु० और १५०) रु० स्पेशल पे के रूप में देते हैं। ५००, ६०० गजटेड ऑफिसर्स हैं। उनमें आप २५ लाख रुपया के लगभग साल भर का आप स्पेशल पे के रूप में बांटते हैं। उनकी स्पेशल पे को बन्द करने के लिए बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए कोई प्रोविज़न नहीं। संकट-काल की स्थिति में इसके लिए कुछ नहीं किया जाय और इसका प्रोविज़न किया जाय किन्तु संकट–काल की स्थिति में २५ लाख रुपया किसानों से वसूल करने की घोषणा कर सकते हैं लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर्स की तनख्वाह में कमी नहीं कर सकते हैं, उनकी स्पेशल पे कम नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस विवाद की पुनरावृत्ति न हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am precising the point.

उनको समाप्त करने का आपको अधिकार है। यह आड़ दी जाती है कि संविधान के अनुसार नहीं करना चाहते। मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं कि इसमें संविधान की अड़चन नहीं है और यह सरकार इसको एक घंटे में, एक दिन में समाप्त कर सकती है। यदि आपकी सरकार ऑफिसर्स की स्पेशल पे समाप्त नहीं कर सकती है, इसके लिए राजस्थान की कॉम्युनिस्ट पार्टी और सब पार्टियों ने विरोध किया है और वे सब इस बारे में एक मत है कि इस प्रकार जो स्पेशल पे के लिए २५ लाख का प्रोविज़न है वह नहीं रखना चाहिये और वह पैसा बचत करना चाहिये। सब पार्टियां इस प्रश्न पर अपने को किसी प्रकार सेपरेट नहीं कर सकती हैं। इस संशोधन का विरोध करता हूं और १० एकड़ भूमि की छूट दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन पर आपने संशोधन रखा है इसका अर्थ यह हुआ कि संशोधन स्वीकार किया है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to oppose the clause?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऑपोज़ कर रहा हूं। यहां पर प्रश्न एक उसूल का प्रश्न है। जनतन्त्र के अन्दर नैतिकता और आदर्श दो ही आधार रूप जनतन्त्र की खूबी हुआ करती हैं। यह नैतिकता का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में रखें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह उसूल का सवाल है। हम देखते हैं, विरोधी दल के जितने माननीय सदस्य हैं इस एक्ट का विरोध करते हैं। शासक दल के जितने सदस्य हैं उनमें से अधिकांश सदस्यों ने इसका विरोध किया है, टैक्सों का विरोध किया है। इसके माने यह हुए कि यह नैतिक मूल्यों का सवाल है, आदर्श और सच्चाई का सवाल है। इस सरकार को अधिकार नहीं है कि इन कुर्सियों

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पर जमी रहे। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जनतन्त्र में आस्था रखें, नैतिकता रखें, थोड़े से आदर्श शेष हैं, उनके मूल्य पर सरकार की नीतियों का इस पक्ष ने विरोध किया है, उस पक्ष ने भी विरोध किया है, इसलिए आपको सदन से कुर्सियां खाली कर देनी चाहिये। आपको इस्तीफा दे देना चाहिये। इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करते हुए नैतिकता और जनतन्त्रीय आदर्श के नाम पर मांग करूंगा कि फौरन इस्तीफा देकर कुर्सियां खाली कर दें और सदन को स्वच्छन्द छोड़ दें कि दूसरी व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप विरोध कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां। सरकार की ओर से जो संशोधन रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़ा संक्षेप में रखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : बोल लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री ने इस विधेयक में कुछ संशोधनों की घोषणा की तो सदन की सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने तालियों की घड़घड़ाहट में उसका स्वागत किया। उसके बाद जब १० एकड़ भूमि के मसले को लेकर उन्होंने घोषणा की तो दुबारा स्वागत किया गया। ये दोनों प्रकार के स्वागत यदि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य थोड़ी सी गंभीरता से स्वागत करने के पहले विचार करते तो शायद स्वागत करने की बात नहीं होती। १० एकड़ का एग्जेम्शन उन्होंने किया, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता कि मूल कानून में इस प्रकार की व्यवस्था थी और संशोधित विधेयक लाया जा रहा था तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी गई। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का व्यवहार किसानों के साथ एक व्यापारी जैसा हो रहा है। व्यापारी कोई किसी समय किसी वस्तु को खरीदने जाता है तो सबसे पहले उसकी कीमत ज्यादा बताता है और जब ग्राहक उस कीमत में उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता तो उसमें आने, दो आने की फिर कमी की जाती है और फिर जाने लगता है तो फिर कमी की जाती है। ग्राहक यह समझता है कि १५) रु० मूल्य बता कर १०) रु० में चीज दे रहा है, जैसे बहुत बड़ी रियायत कर रहा है। उसे यह पता लग जाय कि मूल कीमत ६) रुपया है और १५) रु. बता कर १०) ६) रुपया है और १५) रु० बता कर १०) रु० चार्ज किया जा रहा है; ४) रु० मुनाफा लेकर चल रहा है तो शायद वह उसकी तारीफ नहीं करेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य भी उस व्यापारी की चाल में फंस गये, जब जब व्यापारी ने कीमत कम की उन्हें रिलीफ मालूम होने लगा, उन्होंने व्यापारी की कीमत का स्वागत किया १० एकड़ के एग्जेम्प्शन का सवाल आता है तो, उप-मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कौनसी तहसील में कौनसी भूमि ऐसी है जो आपकी छूट में आती है.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (उप-मन्त्री, राजस्व) : कैनाल इरिगेटेड लैंड भी है।

—

श्री भैरोंसिंह : १० एकड़ वाली जमीन है उन पर २५) रु० एकड़ से चाही की रेट से ज्यादा हुआ तो २५०) रु० की लिमिट से होगा..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५०) रु०

श्री भैरोंसिंह : १५०) रु० आपकी तय रेट्स हैं सारी की सारी। टोंक में २५) रु० की रेट है। टोंक से कम होकर बाकी एक स्थान और है जहां २०) रु० की रेट है। फिर स्लेब गिरता है, ८) रु० पर आता है और नीचे जाता है। इसका मतलब यह है कि १-२ तहसीलों में २५) की रेट पर २५०) का स्लेब आता है उसमें शायद मुक्ति मिले। लेकिन राजस्थान के आम किसानों का, बारानी रेट है उसके हिसाब से, चाही रेट है उसके हिसाब से किसी प्रकार वह रिलीफ नहीं मिलने वाला है जो ५०) रु० लगान देने के उपरान्त मिल पाता है। बारानी के ५०) रु० और चाही का १५०) रु० यह रखने के बाद १० एकड की छूट देने के बाद १०० से अधिक ऐसे किसान नहीं आवेंगे जो १० एकड़ की मुक्ति का फायदा उठा सकें। बाकी तो कोई नहीं हैं। १० एकड़ की घोषणा से ऐसा लगा कि सारे राजस्थान के किसानों को रिलीफ मिल गया हो लेकिन हजारों की संख्या में भी किसानों को रिलीफ मिलने वाला नहीं ।

मैं उनसे निवेदन करूं, लन्ड युटिलाइजेशन कमेटी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बाड़मेर में ३५ एकड़ एवरेज होल्डिंग माना है। बीकानेर में ६६, चूरू में १० एकड़, जालौर में २३, झुंझनूं में १४, जोधपुर में ३२, नागौर में १०, और सीकर में १४। यह आपने एवरेज होल्डिंग मानी है। इसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा है वह भी देखें:—

"Even those holdings are not economical in all cases. As indicated in the next recommendation, it is considered that in the Barani areas less than 10 acres in Zone A and less than 10 acres in Zone B should not be encouraged......"

आपका मतलब यह है कि इस एवरेज तक की होल्डिंग है इन जोन्स ए व बी में इस प्रकार की होल्डिंग है वह अनइकोनोमिक है। आपने जो व्यवस्था की है अनइकोनोमिक होल्डिंग पर सरचार्ज लगाते हैं। आप एक तरफ तो यह कहते है अनइकोनोमिक होल्डिंग पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, उससे लगान हटाया जाना चाहिये लेकिन बदकिस्मती से आपने लगान हटाया नहीं, कम नहीं किया; बल्कि जो अनइकोनोमिक होल्डिंग है उस पर ऊपर से सरचार्ज और लगा दिया। अनइकोनोमिक होल्डिंग पर लगान आप माफ नहीं करना चाहते और उस पर सरचार्ज और लगाना चाहते हैं। यह जो सरकार का दृष्टिकोण है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग के कारण किसान की हालत खराब हो रही है उसको उससे बचाने के लिये इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर रिकमन्डेशन की है उनके जीवनयापन के लिये स्माल इन्डस्ट्रीज कॉटेज इन्डस्ट्रीज खोलकर उनको सहायता भी दी जानी चाहिये वह इसलिये कि उनके अनइकोनोमिक होल्डिंग होने के कारण उनकी आर्थिक अवस्था पहले ही खराब है। ऐसी हालत में लगान के अलावा उन पर जो सरचार्ज लगाना चाहते हैं यह उनकी पहले जो खराब हालत है उसको और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री महोदय ने, इस अधिभार से जो आमदनी होगी उसका जो असेसमेन्ट किया है

(श्री भैरोंसिंह)

वह १६ और २० लाख के बीच का किया है। २३५ लाख से घटाकर सरकार के कहने के अनुसार २५ लाख के ऊपर आप आये हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं १६ से २० लाख के बीच रहने वाली है। दो तरफ टैक्स बढ़ाया गया है—एक तरफ तो ७५) रुपये से ५०) रु० कर दिया। दूसरी तरफ ६। परसेन्ट से २५ परसेन्ट कर दिया। आप दो तरफ से बढ रहे हैं। एक तरफ तो आपने रेट चौगुनी कर दी और ७५) रु० से ५०) रु० कर दी, लगान आपने चौगुना बढा दिया। तो जो पहले आदमनी ८ लाख होती थी, उसको ४ गुना कर दीजिये, ३२ लाख तो आसानी से हो गई और ७५) रु० से ५०) रु० किया उससे आपको १७ लाख की आमदनी होगी। इससे मतलब यह हुआ जहां २५० लाख की आमदनी करना चाहते थे वहां ५० लाख रह गई। उसमें यह भी व्यवस्था की थी कि पंचायत समितियां सरचार्ज नहीं लगायें। अब पंचायत समितियां भी लगायेंगी और सरकार भी इम्पोज करेगी। वैसी हालत में आप किस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हैं, किस बात के लिये आपने मुख्य मंत्री के कथन का स्वागत किया, मैं तो समझ नहीं पाया। व्यापारिक मनोवृत्ति से टैक्स नहीं लगाये जांय। आपको लगान के स्टेन्डर्डाइजेशन के बारे में कहा। लेकिन उसके बारें में विश्वास नहीं दिलाया आपने जो टैक्स व्यापारिक मनोवृत्ति से लगाये हैं, दाम कम दिखाकर ज्यादा किस प्रकार से वसूल किये जायं, इसमें आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है।

१० एकड़ वाले किसान इससे मुक्त होंगे। लेकिन जिसके पास १०।। से ११ एकड़ जमीन है उस एक एकड़ ज्यादा जमीन वाले को पूरा टैक्स देना पडेगा। १० एकड़ तक अन-इकोनोमिक होल्डिंग मानी है लेकिन आधा बीघा आधा एकड अगर किसी के पास जमीन है तो उससे पूरा सरचार्ज वसूल करेंगे; यह किस प्रकार से न्याय होगा? आपको करना ही है तो स्लेबिंग सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करते। १० से २० तक वाले पर इतना लगेगा। स्लेब सिस्टम आप इन्ट्रोड्यूस करते तो लोगों को रियायत मिल सकती थी। उधर ५० से ५१ या ५२ हो गये, आपने टैक्स इम्पोज कर दिया। ऐसी हालत में मेरा निवेदन है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसको आप स्वीकार करें। इससे आपकी आमदनी अधिक होगी। १६ लाख करना है तो उससे किसानों पर भी अतिरिक्त भार नहीं आयगा। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री ने जो संशोधन पेश किया है उसका विरोध करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो क्लॉज २ के सम्बन्ध में तरमीम प्रस्तुत की उसके सम्बन्ध में कुछ बातें उठायीं। वे बातें वे ही थी जो हमने इस बिल पर जनरल डिस्कशन के समय चर्चा की

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके समर्थन में तो बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार तो है, लेकिन समय का भी ख्याल रखना पडता है, काफी विचार आचुके हैं।

श्री हरिराम चौहान : केवल ५ ही मिनट दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष :'केवल ५ मिनट' में आप बोलने का शौक ही पूरा नहीं करना है। जो तथ्यपूर्ण बातें कहनी थीं वे कही जा चुकी हैं। इसलिये में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय,.

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : On a point of order. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन का मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of order.

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : I have given that and it has been admitted.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It will be replied, if it has been admitted.

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ पर जो सरकार की ओर से तरमीम प्रस्तुत की गई उस सम्बन्ध में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने ज्यादातर वे ही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने इस बिल पर जनरल डिस्कशन के समय कहीं। में उन बातों का जबाब दूं उससे पेश्तर में उन दो-तीन बातें खास तौर से इस तरमीम के बारे में पेश की हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तरमीम प्रस्तुत की उसके अन्दर उन्होंने एक प्रोविज़ो बढाने की बात कही है। जिससे यह व्यवस्था हो जाय कि जो को-शेयरर्स हैं उनके हिस्से के मुताबिक उस रकम को लैण्ड रेवेन्यू में गिना जाकर सरचार्ज के सम्बन्ध में कन्सीडर किया जाय। सरचार्ज के सम्बन्ध में जो व्यवस्था कानून में है वह स्पष्ट है। साथ ही साथ जो दलील उन्होंने दी है उनसे मैं एकबात निवेदन करना चाहता हूं कि जो लैण्ड रेवेन्यू पेएबल होती है उस डिमाण्ड के आधार पर, डिमाण्ड स्लिप के आधार पर जमा कराते हैं। डिमाण्ड स्लिप उसके नाम पर इश्यू होती है, जिसके द्वारा लैण्ड रेवेन्यू पेएबल होता है और जिसके द्वारा पेएबल है तो कायदे के अनुसार वह स्लिप पाने का अधिकारी है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बीच में बोलने का प्रयत्न न करें। अगर डिमाण्ड स्लिप उसके नाम पर इश्यू नहीं होती है। जमीन एक शख्स के नाम पर है सारा कॉन्ट्रीब्यूशन एक आदमी देता है, एक आदमी की जमीन है तो वह उसकी रकम जमा करायेगा। डिमाण्ड स्लिप जो इश्यू होती है उसी को वह पे करना पड़ेगा। आपका प्राइवेट एरेन्जमेन्ट किसी भी प्रकार का हो, उसको, को-शेयरर्स को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। डिमाण्ड नोटिस जो इश्यू होता है और जो, पे करता है उसकी व्यवस्था तो इस एक्ट के तहत लाभ पाने की है, इसलिये इसका प्रश्न नहीं रहता।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी व्यवस्था तरमीम के जरिये चाही कि जो यह ५० रु० है इसके बजाय १००) रु० कर दिया जाय। इसका तो मतलब यह हुआ कि मूल विधेयक में जो ७५) रु० था उसको भी तरमीम कर दिया जावे। इस पर तो मैं अधिक कमेन्ट न करते हुए इतना ही कह सकता हूं कि इससे में असहमत हूं।

इसके बाद जो तरमीमें माननीय सदस्यों ने रखीं उनके सम्बन्ध में यही निवेदन करना

Page No 139

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

चाहता हूं कि सरकार उनसे सहमत नहीं है और उनको मानने को तैयार नहीं है।

जनरल बातें बहस के दौरान बताई गई। उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बताया गया कि स्टेन्डर्डाइजेशन ऑफ रेन्ट नहीं हुआ। सरलीकरण होना चाहिये, समानीकरण होना चाहिये। में इन सिद्धान्तों से इन्कार नहीं करता। स्टेन्डर्डाइजेशन होना चाहिये में मानता हूं; पर राजस्थान और दूसरे प्रान्तों की आप कल्पना करें तो राजस्थान में आप पावेंगे कि कितनी विविधताएं यहां हैं; कितनी तरह की जमीनें यहां हैं। एक किसी जिले की आप ले लीजिये। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, टोंक या बूंदी है, कोटा है, एक एक जिले में एक एक हजार से अधिक किस्म की जमीनें हैं और हर किस्म की जमीन का क्लासीफिकेशन अलग अलग होकर लेंड रेवेन्यू भी उनका अलग हो यह बड़ा कठिन काम है और समय की इसमें बहुत अपेक्षा है। फिर अन्य प्रान्तों से यह प्रान्त और भी विशेषताएं रखे हुए है। इसमें रेगिस्तान आता है, यहां विभिन्न परिस्थितियां रही हैं, खालसा और जागीर का सवाल रहा है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थितियां थीं, अपने अलग अलग तरीके थे, सेटलमेन्ट ऑफ रेन्ट उनका भिन्न भिन्न था। तो ऐसी समस्याओं से भरी हुई बातों को आप आसान समझते हैं और यह कल्पना करते हों कि ये तुरन्त हल हो जानी चाहियें तो यह सम्भव नहीं हो सकता। समय की इसमें अपेक्षा होगी। सरकार इस समस्या से अवगत है जागरूक और सचेष्ट है। इसकी ओर कदम उठाये गये हैं कि जिस तरह से यह गैप है मैक्जिमम का और मिनिमम का वह कम किया जा सकता हो, किया जावे। तो मैं इस बात को मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि यह उलझन भरी समस्या है पर साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम इसके प्रति प्रयत्नशील हैं।

फिर कोई यह समझे कि राजस्थान में ही सबसे अधिक सरचार्ज की रेटें हैं और कोई यह समझे कि यहां पर ही कम एक्सेप्शन हैं तो मैं यह अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो कुछ लेंड रेवेन्यू है उसकी केवल एक साइड को ६३-६४ के आइटम को मद्दे नजर रखकर कल्पना मत करिये। दूसरी बातों की तुलना करेंगे तो राजस्थान में आप पावेंगे कि पर-कैपिटा होल्डिंग का एवरेज हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा है। लेंड रेवेन्यू की दृष्टि से कल्टीवेटेड एरिया पर और ज्योग्राफिकल और एग्रीकल्चरल कन्डीशन्स पर और टोटल पोपूलेशन पर कुछ स्टेटों से कम है।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ़) : उत्पादन में कितना अन्तर है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यू. पी. पड़ोस में है। आपको आंकड़े बताकर साबित करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जेसलमेर में लगाओ फिर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पर-कैपिटा और बहुत ज्यादा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी निवेदन करना चाहता हूं वर्ना तो में इतना ही कह कर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
समाप्त कर सकता था कि अपने अमेंडमेन्ट्स को कृपया विद्ड्रा करें और इस बिल को पारित करें। पर आपके सन्तोष के लिये बताना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है।

मैं सबसे पहले यू. पी. की बात निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा मालूम होगा कि २१ करोड़ की लेंड रेवेन्यू है और पोपुलेशन और लेंड रेवेन्यू और उनका कल्टीवेटेब एरिया और पर-कैपिटा इन्कम जो लेंड से है यह बताना चाहता हूं। वहां पर लड रेवेन्यू पर-एकड़ ज्योग्राफिकल और एग्रीकल्चरल लेंड पर २.६५ वर्क-आउट की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वहां की डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यहां पर आदमी कम हैं, जमीन ज्यादा है। ज्यादा जमीन होने से लगान ज्यादा फिर अपने आप होगा और Other things will remain the same the net amount comes to 5.6 percapita पोपुलेशन का भाग देंगे तो निश्चित बात है कि कुछ रकम ज्यादा आवेगी। इसलिये यह तो कोई दलील नहीं हो सकती। पर यह कह सकता हूं कि कल्टीवेटेड एरिया जो कुछ है और अपने यहां उस पर क्या एवरेज आता है वह भी बताना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : Unceraintty of rigidity को भी फैक्टर काउन्ट करिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो नैट एरिया है ५८-६४ का उसमें ४.३० न. पैसे बताये हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि यू. पी. में क्या है। वहां के आंकड़े मैं स्वयं गया तब लेकर आया और उनके ऑथॉराइज्ड दस्तखतों से ये फिगर लाया हूं। उसमें उनके ५) ६ नये पैसे पर कल्टीवेटेड एरिया पर पर एकड लेंड रेवेन्यू है। पर-कैपिटा कोइन्सिडेन्स २.६ है। पोपुलेशन यू. पी. की ज्यादा है इस हिसाब से उनका एरिया पर-कैपिटा ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब ३ रुपया ६ आने आता है और राजस्थान का ०) ८४ नये पैसे आता है। इस तरह से भी फर्क है। अगर ३ रुपया ६ आने आता है जब कि सारी पोपुलेशन लें. .....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर), ये रौंग फिगर्स हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन पर थोड़ा ही पड़ता है। ३ रुपये ६ आने पर हैड आता और एग्रीकल्चरल पोपुलेशन अगर ले लें तो ३) रु० का फर्क आता है।

फिर पंजाब और यू. पी. का मुकाबला करके यह बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की ही ऐसी परिस्थिति हो कि यह सबसे गया बीता प्रान्त हो, पिछड़ा हो और लेंड रेवेन्यू इतनी हो, यह जो कहते हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां की तो हुकूमत गई बीती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरे प्रान्तों से बेटर स्थिति इस मामले में यहां की होते हुए भी ४ एकड़ पर-कैपिटा आती है ज्योग्राफिक और कल्टीवेटेड एरिया का ३ एकड आता है और यू. पी. में ०.७७ एकड एवरेज है ०.७७ एकड का पर-हैड का जहां एवरेज हो और जहां ४ ज्योग्राफिकल और ३ कल्टीवेटेड एरिया पर एवरेज हो फिर यह कहना कि यहां से वे बेटर हैं यह कहां तक ठीक है ?

श्री भैरोंसिंह : एक फिगर आप और बता दें। यू. पी. का पर एकरेज ईल्ड कितना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मतलब की बात नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फेसिलिटी इरिगेशन की कितनी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो चीज मुझे की है वह तो आपके पास है नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कल्टीवेटेड एरिया है अपने यहां से कुछ ही ज्यादा है और आपकी इनकम केवल ७ करोड़ कुछ लाख है और उस कल्टीवेटेड एरिया पर २१ करोड़ की आमदनी है । आपके यहां से तिगुना है और कल्टीवेटेड एरिया जो राजस्थान का है ३ गुना एरिया १५ परसेन्ट ज्यादा है । इससे उसकी तुलना मत करिये । यह कह सकते थे कि मिनीमम और मैग्जिमम में गैप अधिक है । पर यह तो दलील समझ में आ सकती है । पर यह दलील समझ में नहीं आसकती कि लैंड रेवेन्यू जितना राजस्थान में है उससे कम वहां है । लैंड रेवेन्यू एक चीज ही नहीं है । दूसरी चीजें भी बहुत सी हैं ।

लैंड रेवेन्यू के अन्दर इतनी बहस कर रहे थे कि यह १० एकड की छूट करने में क्या फायदा हुआ ? ६। परसेण्ट और १२॥ परसेण्ट के स्थान पर २५ और ५० कर दिया यह ज्यादा हो गया ।

मैं निवेदन कर दूं कि यहां इतनी छूट तो है, यू. पी. में एक पैसे की छूट नहीं है ; एक एकड़ की छूट नहीं है । हर लैंड रेवेन्यू पर जो पेएबल है २५ परसेण्ट का सरचार्ज है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां कौन दूसरे हैं, वहां भी आपके भाई बन्धु ही राज्य कर रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५०) रुपया से नीचे की चाही लगान पर छूट है । पंजाब में यह नहीं है, आन्ध्र में नहीं है, केरल में नहीं है , यू. पी. में नहीं है । तो आपको एक छोटी सी बात और याद दिलाना चाहता हूं....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आप यह बता सकते हैं कि गुजरात की सरकार अभी सरचार्ज का बिल लाई है और श्री जीवराज मेहता ने १० परसेण्ट से १५ परसेण्ट तक सरचार्ज लगाया था उसे सरकार ने वापिस ले लिया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपको यह भी बताऊं कि यू. पी. में ८ एकड़ तक एग्जेम्पशन मौजूद है । यदि सरकार को जानकारी न हो तो मेरे से लें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ८ एकड़ का लेजिस्लेशन किसी जमाने में पेश किया था, पर पेश होने के बाद भी पास नहीं किया । यू. पी. की एसेम्बली में विद्ड्रा कर लिया है: यह आपको मालूम नहीं है और विद्ड्रा करने के बाद नया विधेयक पारित हुआ है ३, ४ रोज पहले ही । उसकी जानकारी मालूम हो माननीय सदस्य को तो २५ परसेण्ट सरचार्ज पर एक सरचार्ज और लगाया है दूसरे नाम से कि कोई भी जमीन जिसकी कीमत ३,६००) रुपया से अधिक है उसकी जो रेट लगाई है उस रेट से एक्स्ट्रा टैक्स और होगा । सरचार्ज २५ परसेण्ट अलग है बिना किसी एग्जेम्पशन के और इसके अलावा यह है : ८ एकड़ का जो था वह विद्ड्रा हो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गया, वहां पर विघड़ा हो गया । पर राजस्थान सरकार ने १० एकड का एग्जम्प्शन इसमें दिया है । इसलिये आप यहां की यू.पी से तुलना मत करिये । पंजाब से भी करना चाहें तो लेंड रेवेन्यू पेएबल है उससे तिगुना से अधिक और चोगुना से कुछ कम सरचार्ज के रूप में वसूल किया जाता है ।

आज राजस्थान में ७ करोड का लेंड रेवेन्यू है । अगर पंजाब की रफ्तार पर चलते तो २५ करोड का सरचार्ज लगाते । लेकिन हम पंजाब की नकल नहीं करना चाहते हैं । यह तो मैंने केवल उदाहरण के लिये कहा है. .

श्री हरिराम चोहान : वहां भी कांग्रेस की ही सरकार है । यहां कुछ लिया जाता है और वहां कुछ लिया जाता है तो फर्क क्या है ? सरकार तो दोनों ही जगह कांग्रेस की है । यहां की गरीबी को देखते हुए, यहां के पिछडे-पन को देखते हुए, यहां का जो विकास नहीं हुआ है उसको देखते हुए यहां पर यह सरचार्ज नहीं लगाना चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो केवल यह कह रहा था कि वहां पर एक सरचार्ज नहीं, दो सरचार्ज नहीं, चार चार हैं । कोई एडीशनल सरचार्ज के नाम से है कोई स्पेशल सरचार्ज के नाम से है कोई असेसमेण्ट के नाम से दे रहे हैं । वहां भी किसान रहते हैं । उनकी होल्डिग की भी वही हालत है जो यहां है । तो मैं निवेदन कर रहा था कि पंजाब और यू. पी. का मुकाबिला हम नहीं करते सिर्फ वहां की तो मैंने जानकारी दी है । हिन्दुस्तान के अन्य प्रांतों मेंभी इसी प्रकर के सरचार्ज हैं । यू. पी के अन्दर साढ़े छः परसेण्ट लेंड रेवेन्यू के कलेक्शन का अलग लिया जाता है । पंजाब के अन्दर पचोतरा के नाम से अलग लिया जाता है । आपकी सरकार ने तो जो यहां पर पटवार सेस था उसको भी बन्द कर दिया और गवर्नमेंट की आमदनी को बन्द करके अब इस सस को नहीं लेते । यही नहीं, केवल टेक्स का ही सवाल नहीं है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान की जनता और यहां के किसान बहुत गरीब हैं । उनको इससे कोई रिलीफ नहीं मिली । सवाल यह है कि . . . . . .

श्री उमरावसिंह ढाबरियां (बनेड़ा) : उमर भर तो आपने वकालत की है । आप क्या जाने राजस्थान की किसान जनता के बारे में ? कांग्रेस में अभी अभी आये हैं आप ४७ में ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! सदन की व्यवस्था इस प्रकार नहीं रह सकेगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ४५ में आया हूं या ४७ में, यह कोई बात नहीं है ; लेकिन जो कुछ मैं इस बारे में कह सकता हूं उसको कहने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please hear him first.

(विराम)

(उप-मंत्री महोदय से) Please be brief.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I am closing

श्री उपाध्यक्ष : Don't make the debate un-ending please.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार का यह मकसद नहीं है कि · · · ·

श्री नत्थी सिंह : मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि किसानों के ऊपर अब तक कितने टैक्स हैं, यह बता दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक जमीन का सवाल है एक टैक्स है और ·· ला टैक्स है।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude your debate early.

श्री राम प्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्यों को शायद मालूम नहीं है कि राजस्थान सरकार तो भारत में पहली सरकार है जिसने मनु के सिद्धान्त को माना है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान के अन्दर काश्त कारों की फैली हुई आबादी ८० परसेण्ट है। तो निश्चित बात है कि इस टैक्स का असर जहां कहीं भी इस सीमा में पड़ते हैं उस फैली हुई आबादी पर पड़ सकता है। लेकिन जहां हम प्लान इकोनोमी के आधार पर, एक योजनाबद्ध विकास के जरिये देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारना चाहते हैं हम टैक्स लगाकर कोई चुप नहीं रह जाते हैं, हम इसके बदले में जनता को कुछ देते हैं। माननीय सदस्य भूल गये कि राजस्थान के अन्दर जैसे फैक्ट्स मैंने इकट्ठे किये हैं आज की तारीख तक एक फैक्ट को लेता हूं जिस फैक्ट से आप रियेलाइज़ कर सकते हैं उसकी कितनी आमदनी है। आज की तारीख तक १ लाख और कुछ हजार खाली भूमि पर, एग्रीकल्चरल लैंड पर, सरकारी एग्रीकल्चर लैंड पर और दूसरी नॉन-एग्रीकलचरल पर्पज़ के लिये किसी प्रकार का एन्क्रोचमेंट काश्तकारों द्वारा कर लिया गया है तो उसके लिये यह भी मान लिया जाये कि उसके अन्दर ५० परसेण्ट लैंड का एन्क्रोचमेंट गांवों में हुआ है तो हमने यह कुछ ही दिन पूर्व घोषणा की थी कि यह निःशुल्क रेगुलर कर दिया जायेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : संकड़ों बीघा जमीन आपने इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिये जागीरदारों को दे दी और वह एग्रीकल्चरल लैंड है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि मैं कोई उसके गिनाने की दृष्टि से नहीं कहता और गिनाने की आवश्यकता भी मैं महसूस नहीं करता। मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता था कि जब टैक्स के बारे में किसी भी प्रस्ताव के ऊपर विचार करना है तो सब मुद्दों को एक साथ रखते हुए रेफरेन्स टू दी कॉन्टैक्स्ट के साथ विचार करना चाहिये। एक्स-पार्टी विचार करने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। माननीय सदस्यों ने कहा कि इससे लाभ नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १० एकड़ का एग्ज़ेम्पशन है। यह कितने लोगों पर मार है ? आप कहते हैं कि १.५ पर है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि १० एकड़ की सीमा तक कितने आदमी हो सकते हैं। मैं कोई सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं कहता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि १३ लाख एकड़ भूमि का अलॉटमेन्ट भूमिहीन काश्तकारों को किया है। वह १० एकड़ के नीचे की होल्डिंग है। इसके अलावा हमारे यहां ५ लाख से ज्यादा कुंए हैं जिससे २५ लाख एकड़ भूमि सिंचित है वह भी इसमें आती हैं . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय से एक बात का उत्तर चाहता हूं। वे कृपया यह बतायें कि कौनसी बारानी जमीन है १० एकड़ जिसका ५० रुपये से ज्यादा लगान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें केवल बारानी ही नहीं है। Irrigated by canal हैं; चाही है, राजस्थान केनाल है, या छोटे-मोटे तालाब हैं उनसे सिंचित भूमि भी इसमें है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस पर कितना लगान आता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह जमीन भी इसमें शामिल है। कितना लगान आता है, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लैंड irrigated by canal भी है इसमें। कुंए वाली के लिए कह सकता हूं कि वह ५० से १०० के बीच में आंकी गयी। यह तो एग्जेम्पशन है १० एकड़ तक का, इसमें जो कुछ जमीन आ जाती है वह तो आ जाती है और जो इससे कवर नहीं होती है वह ५०) रू० में जाती है १५०) रू० में जाती है। तो अंत में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे माननीय सदस्यों को मेरी बात से संतोष न हुआ हो लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा संतोष दिलाने का प्रयत्न किया है। इसलिए जो एमेन्डमेन्ट मैंने रखा है उसको स्वीकार किया जाये और माननीय सदस्यों ने जो तरमीमें पेश की हैं उनसे मैं असहमत हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): एक स्पष्टीकरण चाहिये.......

श्री उपाध्यक्ष : Do we want to sit upto 12 in the night ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया; हमें गलतफहमी है। इससे हमारा अन्दाजा है कि ४ गुना सरचार्ज की रेट जो बढ़ रही है उससे ३२ लाख की आमदनी एक हो जायेगी और जो आपने ७५)रू० से ५०)रू० किया है उससे आमदनी बढ़ेगी और जो २५०)रू० से ऊपर ५०)रू० किया उससे आमदनी बढ़ेगी। आपका अन्दाजा १६-२० लाख का है तो आप इस फिगर पर कैसे अराइव होते हैं और जो हम कह रहे हैं वह कैसे गलत है; यह फरमा दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) मैं ६०-६१ के जो एक्च्युअल फिगर्स हैं वह प्रस्तुत कर देता हूं:

६०-६१	७ लाख ५८ हजार ७३६ वसूल हुए।
६१-६२	७,५५,७९९ वसूल हुए।
६२-६३	७,६६,००० वसूल हुए।

अभी एक महीना बाकी है।

Page No 145

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस हिसाब से कितना होगा, यह भी बता दीजिये ?

(श्री भैरोंसिंह खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह One plus. one one plus one,...........

श्री भैरोंसिंह : one plus one is equal to two. आपने पंजाब और यू. पी. की तुलना की । राजस्थान में लगान कम है, यह बात कही । राजस्थान के मुकाबले में पंजाब और यू. पी. की एवरेज रेन फॉल क्या है, पर एकड ईल्ड क्या है और इरिगेटैड लैंड राजस्थान के मुकाबले में कितनी आती है; इन आंकडों को मिलाकर देखें तो राजस्थान के बारे में जो किताब आज दी है उसके अनुसार यू. पी. के मुकाबले में दुगुना लगान हो जाता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जो निवेदन किया वह एकरेज पर किया, ईल्ड के बारे में निवेदन नहीं किया । फिगर्स जो बताये हैं उसके अनुसार कितना एरिया है, इतना कल्टीवेटैड है····

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! now I am putting the question.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : १२॥ परसैन्ट लगाया जाता है····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने क्लेरिफिकेशन के लिये सारे सदन का समय नहीं बिगाड सकते । यदि आपको किसी बात से संतोष नहीं है तो 'ना' पक्ष है ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानिकचन्द सुराणा ने सरकारी संशोधन पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सरकारी पक्ष से आया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

अनेक माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को पुन: रखता हूं ।

जो संशोधन सरकारी पक्ष से आया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

अनेक माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता ।

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से प्रश्न रखता हूं !

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सरकारी पक्ष से क्लॉज २ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'हां, पक्ष जीता'

अनेक माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता ।

(श्री उपाध्यक्ष)

हां' पक्ष वाले 'हां' लॉबी में जावें और 'ना' पक्ष वाले 'ना' लॉबी में जावें।

विभाजन के पश्चात्

Order ! Order !! विभाजन का नतीजा इस प्रकार है :

'हां' पक्ष ७३, 'ना' पक्ष ४५।

संशोधन स्वीकार किया गया।

(६.५० म.प.)

विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

"हां पक्ष"

श्री अलदाराम मेंण
श्री अमृतलाल यादव
श्री बालकृष्ण कौल
श्री भगराज चौधरी
श्री भरतलाल
श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल' कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्र पाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल वैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छोटूराम
श्री छुट्टनलाल
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गनेशलाल
श्री गंगाराम चौधरी
श्री गंगासिंह परिहार (हिण्डौली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिडावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
डा. हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम घारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरबड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री कानाभाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री किशनसिंह बाटड़
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
श्री मजलिसखां
श्री मनफूलसिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्री मोहनराज
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री नाथूराम (बागीडोरा)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री नाथूराम मिर्धा
श्रीमती निर्मला देवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
डा. पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञिक
श्री रावतराम
श्री शंकरलाल जाट
श्री शीशराम ओला
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
श्री तेजाराम गहलोत
कुमारी उमा माथुर

"ना पक्ष"

श्री ए. जब्बार
श्री बालूराम चौधरी
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री चन्द्रसिंह वर्फा
श्री चौथमल वर्मा
श्री छत्रसिंह
श्री चोसरसिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सौन
श्री दिग्विजयसिंह
श्री फतेहसिंह
वैद्य श्री गोविन्दसहाय
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री जयनारायण सालोदिया
ठा. श्री जीवराजसिंह
श्री जोधसिंह चौहान
श्री केदारनाथ
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री कुमारानन्द
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
श्री लक्ष्मीचन्द
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मथुरेशबिहारी माथुर
श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ)
श्री मोहरसिंह राठोड
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ)
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
राव श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी)
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन
श्री रामसिंह
श्री रूपाराम पंवार
श्री सागरमल
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री सौभागसिंह
श्री उमरावसिंह ढावरिया
श्री विजयपाल कटारा
श्री विजयसिंह झाला
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज २, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Page No 148

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज २, यथा-संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मूला टाइटल और प्रीएम्बल, विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल, टाइटल व इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू सरचार्ज (अमेंडमेंट) विधेयक, १९६३, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया, को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (संशोधन) बिल, १९६३, यथासंशोधित, पारित किया जाय।

जो 'हां' पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो 'ना' पक्ष में हों वे 'ना' कहें।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Let it be by secret ballot, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I will put it to vote again.

प्रश्न यह है कि लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) (अमेंडमेंट) विधेयक, १९६३, यथासंशोधित रूप में, पारित किया जाय।

(विराम)

'Ayes' to 'Ayes' lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby please.

(विभाजन के पश्चात्)

(७. म. प.)

विभाजन का नतीजा इस प्रकार है।

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे; शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order, please Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Point of Order, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Serious defect.

श्री उपाध्यक्ष : Sri Satischandra Agrawal, yes.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जिस समय हाउस में डिवीजन में जाते हैं तो रिजल्ट आउट होता उससे पहले कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी है आप बैठ जाइये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था है कि जब Voice vote हो उसके बाद डिसीजन चेलेंज किया जावे तो दो मिनट के लिये घन्टी बजावें और फिर प्रश्न को पुट-अप किया जावे। उसके बाद

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल) लॉबीज में जावें। इस नियम के अनुसार दो मिनट की घंटी बजनी चाहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि दो मिनट की घंटी आपने बजाई और दरवाजे बन्द कर दिये, इसलिये बहुत से लोग आ नहीं सके। इसलिये उसमें यह डिफेक्ट रह गया है। आप दो मिनट की घंटी बजावें और प्रश्न को हाउस में पुट करें। उसके बाद आप लॉबीज में भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ; order !!

(दो मिनट के लिये घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ यथा संशोधित पारित किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हाँ' पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : वॉइस वोट में 'ना' पक्ष जीत गया है, इसलिये अब लॉबीज में जाने की जरूरत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : 'ना' पक्ष वाले खड़े हो जावें।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। हम वाक-आउट करते हैं, घोर अन्याय है।

('किसानों के वोट से आये हैं किसानों के साथ घोर अन्याय है' कहते हुए विपक्ष के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : 'हाँ' पक्ष जीता।

(विराम)

विधेयक पारित किया गया।

अभी घोषणा बाकी है।

प्रवर समितियों को आज सुपुर्द किये गये विधेयकों में एक एक और माननीय सदस्य के नाम जोड़ने संबंधी घोषणा।

राजस्थान साहूकारी बिल, १९६३ की प्रवर समिति घोषित की गई, उसमें श्री गोविन्दसहाय का नाम और जोड़ा गया है और दूसरी प्रवर समिति राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑनर्स एस्टेट्स विधेयक, १९६३ घोषित की गई उसमें श्री विजयसिंह झाला का नाम और बढ़ाया गया है।

(विराम)

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ७ बजकर १० मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई)

Page No 150

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६३)

स्तम्भ संख्या

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६३८५

भीलवाडे में म्युनिसिपल कर्मचारियों व व्यापारियों में झगडा

अस्पताल, प्रसूती गृह तथा बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर-चौकड़ी गंगापोल, जयपुर

नहर के कारण रास्ते का रुक जाना–ग्राम अयाना, तहसील इटावा

लैन्ड रेवेन्यू की अधिक वसूली व बेदखल किये गये व्यक्तियों के मामले

सिरसका शिकारगाह

पंचायत समिति चाकसू के भवन निर्माण एवं उद्घाटन पर व्यय

डग-गंगाधर के काश्तकारों को बागड के लिए झाड़ एवं कांटे

नगरपालिकाओं एवं नगरपरिषदों को उधार दी गई धनराशि

कुशलगढ़ क्षेत्र में बांध बनाने की योजना

विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर के श्रमिकों की बकाया का भुगतान

श्रमदान द्वारा नहर खोदने का कार्य-सालेरा तालाव, तहसील गंगरार

जगर बांध से सिंचाई हेतु नहर योजना

नगरपालिकाओं के चुनाव

गांवों में पीने के पानी की समस्या

सेटलमेन्ट विभाग के सरप्लस कर्मचारी

रणछोड़ धर्मशाला, बाड़मेर की भूमि

गंदा नाला-सीमेन्ट कम्पनी, लाखेरी

सैनिकों को आवंटन हेतु सुरक्षित भूमि

नगरपालिका कुचामन की भूमि के किराये की वसूली

लकड़ी से आमदनी–बारां क्षेत्र

मोई कलां, तहसील सांगोद में सिंचाई व्यवस्था बढाने की योजना

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट पर व्यय–पंचायत समिति, निम्बाहेडा

हनुमानगढ़ की नई मंडी के किसानों की जमीन का नाली एरिये में तवादला

सफाई के साधन तथा पक्के रास्ते बनाने की योजना-जयपुर

विकास विभाग द्वारा लगाई गई सरकारी रकम–ग्राम रांवठा, तहसील लाडपुरा

ग्राम पंचायत नूनियां के सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव

केवला वाला तालाव का कार्य

आयुर्वेद फार्मेसियों द्वारा तैयार की जाने वाली औषधियां

Page No 151

बाडमेर जिले में विकास कार्य

प्राइवेट वैद्य को आर्थिक सहायता—ग्राम मोरिजा, तहसील आमेर

तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र-पंचायत समिति मकराना

जिलों में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

विजयनगर शुगर मिल को ५ लाख के कर्जे की सरकार द्वारा गारंटी

प्राथमिक भूमि बन्धक बेंक की बैठक जिला सीकर

आयुर्वेद विभाग में नर्सों की नियुक्ति

विशिष्ट पंचायतों व पंचायत समितियों द्वारा लगान की वसूली

अलवर जिले में सिंचाई कार्य तथा सिंचाई कर से आय

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, कुचामन नगर-पालिका द्वारा मनमाना खर्चा

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट

सोजत रोड नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति

तालाब बनाने की योजना ग्राम चंदेसरा, तहसील मावली

श्री माधोपुर के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

जिला जालोर में सरकारी दफ्तर

अमर वावडी, तहसील भीम की एनीकट का अधूरा कार्य

केनाल में आई जमीनों के मुआवजे—तहसील खानपुर, जिला झालावाड

विस्थापित-यडी-मालिकों (अजमेर) हेतु बाजार

स्थगित प्रश्न

(२२-३-६३)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति को राज्य सेवाओं में संरक्षण]

स्थगित प्रश्न

(२८-३-६३)

पंचायत समिति रायसिंहनगर की जीपें

स्थगित प्रश्न

(६-३-६३)

राज्य में चेचक की रोक-थाम]

Page No 152

(शुक्रवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६३)

स्कम्भ ६४६१

२. सदन की मेज पर रखे गए पत्र

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गए :—

(१) सचिव, राजस्थान विधान सभा ने इस सत्र में पारित निम्न विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखा जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी :—

(१) राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३।

[The Rajasthan Appropriation (No.1) Bill, 1963]

(२) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३।

[The Rajasthan Approipration (No.2) Bill, 1963].

(३) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२।

[The Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment,] Bill,62

(४) राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२।

[Thd Rajasthan Sales Tax (Amenmdnet) Bill, 1962].

(५) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३।

[The Rajasthan Appropriation (No.3)Bill, 1963.

(२) श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने वित्त (रेवेन्यू एण्ड इकानोमिक एफेयर्स) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ७ (द) ई. एण्ड टी.।६०, दिनांक २४ जनवरी, १९६३ को सदन की मेज पर रखा।

(३) श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री, ने टैक्नो-इकनोमिक सर्वे आफ राजस्थान Techno-Economic Survey of Rajasthan की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

(४) श्री भीखाभाई, मंत्री, समाज-कल्याण विभाग, ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियों के आयुक्त की दसवीं रिपोट, १९६०-६१ (भाग १ व २) सदन की मेज पर रखी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना स्कम्भ ६४६१

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, जिल भीलवाडा (राजस्थान) में सेमी-कन्डक्टिंग रौक (Semi Conducting rock) की खोज से सम्बन्धित विषय पर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामप्रसाद लड्डा, उप-मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ६४६८

(१) राजस्थान के कवियों की मद्रास पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, एवं

(२) करौली सब-डिविजन में डकैती के सम्बन्ध में श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिये।

स्तम्भ
६४७८

विधायी कार्य

(क) प्रवर समितियों के सपुर्द किये गये विधेयक,

निम्नांकित विधेयक प्रवर समितियों के सुपुर्द किये गये :—

(१) राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड एक्विजीशन ऑफ लैंड ओनर्स एस्टेट्स विधेयक, १९६३

प्रवर समिति के सदस्य

(१) श्री रामप्रसाद लड्ढा (सभापति)
(२) श्री भगराज चौधरी
(३) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
(४) श्री दलपतसिंह
(५) श्री जयकृष्ण शर्मा
(६) श्री रघुनाथ विश्नोई
(७) श्री शीशराम ओला
(८) श्री पोहुमल
(९) श्री छोटूराम
(१०) श्री मुक्तिलाल मोदी
(११) श्री मथुरेशबिहारी
(१२) श्री अब्दुलजब्बार
(१३) श्री श्योपतसिंह
(१४) श्री हजारीलाल
(१५) श्री केदारनाथ
(१६) श्री रामकिशन
(१७) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
(१८) श्री अमरसिंह जासोल
(१९) श्री दुर्गालाल बाढदार
(२०) श्री विजयसिंह झाला

(२) राजस्थान साहूकार, विधेयक, १९६३ प्रवर समिति के सदस्य

(१) श्री रामप्रसाद लड्ढा (सभापति)
(२) श्री धर्माराम आर्य
(३) श्री गणेश लाल
(४) श्री गणपतिलाल वर्मा
(५) श्री ज्ञानचन्द मोदी
(६) श्री हनुमानसिंह
(७) श्री माधोलाल खानपुरिया
(८) श्रीमती निर्मलादेवी
(९) श्री फलचन्द जैन
(१०) श्री भीमसैन
(११) श्री प्रतापसिंह
(१२) श्री स्वरूप नारायण पुरोहित
(१३) श्री नाथूलाल करौल
(१४) श्री सांवलियाराम
(१५) श्री सम्पत्तिलाल
(१६) श्री दिग्विजयसिंह
(१७) श्री जुगलाल
(१८) श्री मोहरसिंह
(१९) श्री रूपाराम
(२०) श्री राधाकृष्ण गोयल
(२१) श्री गोविन्द सहाय

(ख) विचारार्थ लिये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक सदन द्वारा विचारार्थ लिये जाकर पारित भी किये गये :—

(१) राजस्थान पशु मेला विधेयक, १९६३।

(२) राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३।

सदन की बैठक ७ बजकर १० मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३२ का उत्तर देखिये)

Government of Rajasthan
(Revenue B Department)

To,
All Collectors
(with spare copies for S.D.Os. and Tehsildars).

Jaipur, Sept. 31, 1962.

No. F. 3 (66) *Rev./B/Gr.II*/62.—
Dated Jaipur the 1 st September 1962.

SUB:—Unauthorised occupation of Govt. agricultural lands Regularisation of.

Ref:—Continuation this Deptt. circulars No. F.3(48) Rev. B/60, dated 9-3-60, 17-4-61 and 23-9-61.

The above question was discussed in the Ninth Senior Officer's Conference, 1962 held at Jaipur from 8th to 11th May, 1962 and after considering the recommendations of the Conference in this behalf Government has taken the following decisions. For purpose of these instructions the trespassers will be divided into two categories:—

1. Trespassers on un-irrigated or Barani lands in non-project areas,

2. Trespassers in Medium or Minor Irrigation Projects areas.

2. Barani lands—

(a) *Trespassers who have been regularly paying land revenue for the land under their unauthorised occupation.*

Such trespassers should be granted khatedari rights provided the total holding under their unauthorised possession did not exceed 15 acres of Barani lands in all districts of Rajasthan except the former Bikaner Division. In the former Bikaner Division not commanded by the Bhakra Canal, Rajasthan Canal and the Gang-Canal, the total area will not be more than 50 acres of land. The persons who will be holding land in excess of the ceiling mentioned above will be dispossessed from the land in excess of the ceiling.

(b) *Trespassers who have not paid land revenue.*

Their cases may be regularised after charging penalty at the rate of one time of the annual rent subject to the ceiling mentioned above.

3. From such trespassers, rent at the sanctioned rent rate will be recovered. Where no such rent rate exists then at the rate which may be prevalent in the neighbouring contiguous area.

4. Medium and Minor Irrigation Projects—

(i) (a) All trespassers who have been occupying Govt. land before 2-12-1953 and who have been paying land revenue would be granted Khatedari rights, provided they pay the reserve price of the land and

their total holdings do not exceed five acres irrigated or fifteen acres of un-irrigated.

(i) (b) Trespassers in Medium and Minor Irrigation Project Areas, who have not paid land revenue and have been in occupation before 2-12-1953 may be granted khatedari rights after charging the reserve price plus a penalty at two times the annual land revenue, subject to the ceiling of five acres irrigated or fifteen acres un-irrigated land.

(ii) (a) Trespassers in Medium and Minor Irrigation Project areas, who have been inunau horised occupation subsequent to 2-12-1953 and who have paid land revenue may be granted khatedari rights after charging the reserve price plus double the Annual land revenue subject to the ceiling of land as laid down in (i) (a) and (i) (b) above.

(ii) (b) Trespassers in Medium and Minor Irrigation Project areas, who have been in unauthorised occupation after 2-12-1953 and who have not paid land revenue may be entitled to get their cases regularised on payment of a penalty at three times of the Annual land revenue plus the reserve price of the land subject to the ceiling limit mentioned above.

(iii) (a) Trespassers who have been in unauthorised occupation after 1955 and who have been paying land revenue may get their cases regularised upto t ceiling limit as laid down above after paying the reserve price plus three times of the Annual land revenue.

(iii) (b) Trespassers, who have been in unauthorised occupation after 1955 but who have not paid land revenue, may get their cases regularised upto the above ceiling limit after paying the reserve price plus a penalty at four times the Annual land revenue.

5. In the above cases the reserve price will be the average price of the area for five years preceding the date on which the allotment rules for barani lands as well as for Medium and Minor irrigated areas came into force respectively. The assessment of land revenue in all cases in Medium and Minor irrigated areas, where revised enhanced rates have not come into force will be on the basis of rates in existence now.

6. Cases of unauthorised occupation upto 31st Dec., 1961 should be taken into consideration for this purpose. All persons having unauthorised occupation of Govt. agricultural lands should apply for regularisation of their cases in the form appended to this circular by the 30th Sept., 1962. Thereafter no such application shall be entertained.

7. In the above categories the arrears of land revenue for the period of unauthorised occupation

of Government. lands will be recovered in two instalments :—

(i) The land revenue of the current year plus the arrears of first four years will be recovered in the first year, and

(ii) The land revenue and the remaining arrears in the next year.

(iii) The price of the land will be payable in five years by annual instalments.

8. All those persons having in their occupation land in excess of the ceilings mentioned above should be ejected and a penalty at six times of land revenue plus the land revenue for the period they remained in unlawful possession be realised from them.

9. These instructions will be subject to the provisions of sections 15, 15A, 15AA, 15B and 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

10. The above decisions for regularising unauthorised occupations will not apply to the districts of Alwar and Bharatpur till such time as the problem of pasture land is not decided. In respect of Sikar district, these decisions will come into force after the problems arising out of the absence of any siwai chak land are suitably solved and alternative solutions are found, for which the Collector, Sikar, will please intimate action.

11. The Collectors will kindly personally see that action in accordance with the above instructions is taken immediately. All cases of trespassing should be finally disposed of by the 30th April, 1963.

12. The first progress report of the action taken will be sent by the Collectors to the Board of Revenue by the end of November, 1962 in the pro forma already prescribed. Thereafter a monthly progress report will be sent to the Board by the 10th of the following month. The Registrar, Board of Revenue will please furnish to Government a monthly report by the 15th of each month.

R. K. CHATURVEDY,
Secretary to Government.

Copy forwarded to :—

1. The Secretary to Govt. Irrigation Deptt., Jaipur. (with 5 copies).

2. The Settlement Commissioner, Rajasthan, Jaipur.

3. The Registrar, Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer, (with 2 copies.)

4. The Dy. Secretary, Cabinet Sectt., Jaipur, with ref. to Order-in-Council No. 226/62 dated 14-8-62.

5. The O.S.D. (Rev.) (with 2 copies.)

6. The O. & M. Section-Codification Branch.

7. The Section Officer's Guard File.

Sd/—
Section Officer.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ का उत्तर देखिए)

सन् १९६२-६३ में निम्न नगरपालिकाओं को सरकार द्वारा निम्न राशि ऋण के रूप में दी गई:—

	नगरपालिका का नाम	ऋण की राशि	जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया	पुराने ऋण की बकाया किश्तें
		रु०		रु०
१.	बीकानेर ..	९४,०००)	सडक मरम्मत	२,८२,२४४)
२.	मेड़ता ..	१,००,०००)	पावर हाउस	१,२३,१०८)
३.	सिरोही ..	१४,४६४)	बिजली	—
४.	उदयपुर ..	१,००,०००)	टाउन हाल	४०,०००)
५.	छापर ..	६१,०६०)	सड़क व पानी हेतु	—
६.	फलोदी ..	३०,०००)	सड़क मरम्मत	—
७.	परबतसर ..	६,०००)	,,	—
८.	नाथद्वारा ..	४३,४७४)	,,	१५,८९८)
९.	उदयपुरवाटी ..	२०,०००)	मंडी बनाने हेतु	—
१०.	सवाई माधोपुर	२०,०००)	जल योजना हेतु	—
११.	नैनवा ..	१०,०००)	पावर हाउस हेतु	—
१२.	पिलानी ..	३६,०००)	मण्डी बनाने हेतु	५,०००)
१३.	पाली ..	४०,०००)	बस स्टैण्ड	—

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८५२ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति निम्बाहेडा द्वारा किये गये औद्योगिक विकास कार्यों का विवरण

क्र सं.	औद्योगिक सहकारी समिति का नाम	संख्या	ऋण जो दिया गया	सहायता दिलाई गई
			रु०	रु०
१.	तेल घाणी सहकारी समितियां ..	३	१९,०४२.५०	३,६९७.२७
२.	चर्म उद्योग	५	८,८६२.५०	१,६००.००
३.	कृषि एवं लौह उत्पादक सहकारी समिति	१	१,०११२.५०	९००.००
४.	गुड खांडसारी सहकारी समिति ..	१	—	—
५.	रेडीमेड वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति	१	५,०००.००	—
६.	श्रमिक ठेका सहकारी समिति ..	१	९६०.००	—

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया
१.	दरी गलीचा	६०
२.	सिलावटी	४५
३.	कुम्हारी	६
४.	चर्म रंगाई	१६

नोटः—वर्तमान में दरी गलीचा व सिलावटी प्रशिक्षण केन्द्र ही चल रहे हैं व इनमें २२ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

औद्योगिक विकास पर हुवा खर्चा

१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
११,५१९.६९	२२,८४४.४३	१२,५५१.६९

परिशिष्ट ४

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

केवला वाला तालाब का कार्य

८५८. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या लसाड़िया, जिला उदयपुर में तालाब नामी केवलावाला का कार्य गत जनवरी-फरवरी माह में शुरू करके उसकी नीवें खोदकर अधूरा छोड दिया गया और इस वर्ष पूर्ण किया जाना था ? यदि हां, तो क्या इस साल उसका कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

१. यह तालाब समाज कल्याण विभाग के स्पेशल इंजीनियर ने शुरू करवाया था माह मई, सन् ६२ में यह काम अधूरी हालत में सिंचाई विभाग को सौंपा गया। अब इस पर काम शुरू करवा दिया है और बरसात के पहले खत्म हो जावेगा।

आयुर्वेद फार्मेसियों द्वारा तैयार की जाने वाली औषधियां

८५९. **श्री छोटूराम** (नीम-का-थाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि आयुर्वेद फार्मेसी में जो औषधियां तैयार की जाती हैं, उनको प्रमाणित करने के लिये फार्मेसी में कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि स्वर्णयुक्त तथा वंशलोचन युक्त औषधियां फार्मेसी में तैयार नहीं की जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) फार्मेसी में कितने रस, भस्म, आसवारिष्ट, पाक, अवलेह, क्वाथादि तैयार किये जाते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) सब साधन उपलब्ध हैं।

(२) जी नहीं।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट

सूची

राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला में निर्माण होने वाली औषधियों की सूची।

क्रम संख्या	नाम औषध	मात्रा औषध निर्माण वर्ष ६१–६२	६२-६३ फरवरी तक
	रस औषधि		
१.	आनन्द भैरव	२७८-८५० ग्राम	४८२-७०० ग्राम
२.	कृमि मुदगर रस	७२-३०० ग्राम	२८८-८०० ,,
३.	नवायस लौह	८४-५०० ,,	१८५-३५० ,,
४.	मृत्युन्जय रस	३४५-७५० ,,	४५५-२५० ,,
५.	पून्नवामंसूर	२९-००० ,,	६०-६०० ,,
६.	रस पर्पटी	३७-००० ,,	७४-०५० ,,
७.	रामवाण रस	११-८०० ,,	९०८-६५० ,,
८.	वमनकुठार रस	४६-६८० ,,	१८५-८०० ,,
९.	प्रताप लुकेश्वर	..	६४-९०० ,,
१०.	श्वास कुठार रस	३२२-५०० ,,	२७२-७६४ ,,
११.	सवज्वर हर लौह	४-५०० ,,	३८-००० ,,
१२.	त्रिमुवन कीर्ति रस	१९५-०५० ,,	१९०-१०० ,,
१३.	गंधक रसायन	८९४-००० ,,	८१३-००० ,,
१४.	श्वेत पर्पटी	..	३७-५०० ,,
१५.	बृग्राराप्र रस	..	७-१०० ,,
१६.	अग्नी तुण्डवटी	१५४-८०० ,,	४९४-४५ ,,
१७.	कस्तूरी भैरव	..	०-२०० ,,
१८.	कर्पूररस	६२-६५० ,,	५६-१०० ,,
१९.	चन्द्रामृतावटी	१०९-००० ,,	२११-५५० ,,
२०.	लक्ष्मीविलास	२०-६०० ,,	९८-२०० ,,
२१.	अर्कवटी	३३३-७५० ,,	२७७-८५० ,,
२२.	अमर सुन्दरी	१३१-००० ,,	२१७-७५० ,,
२३.	इच्छा भेदी रस	..	१६८-२०० ,,
२४.	आरोग्य वर्धनी	३६-९०० ,,	१३९-७०० ,,
२५.	करंजादीवटी	४०३-०५० ,,	३९५-००० ,,
२६.	गंधकवटी	२०२०-५०० ,,	१२१६-५०० ,,
२७.	चन्द्रप्रभावटी	१३९-६०० ,,	३०३-६०० ,,

१	२	३	४
२८.	रज प्रवर्तीवटी	२६३-००० ग्राम	..
२९.	लवंगादिवटी	७२५-७०० ,,	७५०-४०० ग्राम
३०.	व्योषादिवटी	९२७-६०० ,,	१६१८-२५० ,,
३१.	संजीवनीवटी	६६१-३०० ,,	४९९-२५० ,,
३२.	सुख विरोचनी	..	३३-२४० ,,
३३.	पथ्यादि गुग्गल	१३५-०० ,,	..
३४.	गोक्षरादि गूगल	४०१-००० ,,	४३०-२५० ,,
३५.	योगराज गूगल	६८९-८५० ,,	५४७-६५० ,,
३६.	अर्श कुठार रस	८-०००६ ,,	३२-५०० ,,
३७.	चन्द्रोदयवटी	६८-५५० ,,	८२३-१०० ,,
३८.	दुग्धवटी	..	५६-५०० ,,
३९.	विकास वटी	..	४१२९-५०० ,,
४०.	रससिन्दूर	२१-५९२ ,,	९-२७० ,,
४१.	मलसिन्दूर	१२४ तोला	०-२०० ,,
४२.	समीरपन्नग रस	..	..
४३.	रस माणिक्य	६४-२०० ग्राम	५४-४५० ,,
४४.	स्वर्ण सिन्दूर	१२-००० ,,	..
	भस्म		
४५.	गोदन्ती भस्म	१९०२-७९० ,,	२९७६-१०० ,,
४६.	कपर्दिका भस्म	१४३८-००० ,,	१०६२-५०० ,,
४७.	मंडूर भस्म	५९-००० ,,	१७१-००० ,,
४८.	विषण भस्म	२१३२-३५० ,,	२००७-५०० ,,
४९.	भंग भस्म	१७७५-७०० ,,	५-४०० ,,
५०.	शंख भस्म	१५१८-९५० ,,	३९०३-००० ,,
५१.	स्वर्ण माक्षिक भस्म	३२-००० ,,	..
५२.	स्फटीक भस्म	२०८-९५० ,,	१८०-७०० ,,
५३.	सोभाग्य भस्म	४२०-००० ,,	७५६-६४२ ,,
५४.	प्रवाल भस्म	१६४१-६०० ,,	२८४-६०० ,,
५५.	मुक्ताशुक्ति भस्म	१२८८-४५० ,,	२८९-००० ,,
	पिष्टी		
५६.	प्रवालपिष्टी	११९-१०० ,,	२००-१०० ,,
५७.	हरिताश्मपिष्टी जहरमोहरा खताई ..	८०-००० ,,	१८२०-५०० ,,

१	२				३	४
५८.	घृताष्मपिष्टी	..	..	..	१५९-००० ग्राम	४७-१०० ग्राम
५९.	अकीक पिष्टी	..	..	..	५०-००० „	३७४-२०० „
	तेल					
६०.	पंचगुण तेल	..	..	..	११०० „	१७१५-२२१ „
६१.	जात्यादि तेल	..	..	..	४६०-२०० „	१८०२-५५० „
६२.	सोनादि तेल	..	..	..	२४१-००० „	१६८-००० „
६३.	नारायण तेल	..	..	..	३४-००० „	७१-२०० „
६४.	लाक्ष्यादि तेल	..	..	..	..	४०-००० „
	आसवारिष्ट					
६५.	अशोकारिष्ट	..	..	..	..	८०-००० „
६६.	अर्जुनारिष्ट	..	..	..	१८६-००० „	..
६७.	द्राक्षारिष्ट	..	..	..	४७८-००० पौंड	५५०-००० पौंड
६८.	दशमुलारिष्ट	..	..	..	..	..
६९.	कुमार्यासव	..	..	..	४७९-००० पौंड	३६१ पौंड
७०.	वेदनानाशक	..	..	..	४००१-००० „	२०४० ११२ „
७१.	नेत्र बिन्दू	..	..	..	९६२-५०० ग्राम	१७६१ पौंड
७२.	कपूरधारा	..	..	..	२६४-००० „	२५२-८४४ ग्राम
७३.	अगरादि धूप	..	..	..	१८६५-७५० „	४०५-००० „
	मरहम					
७४.	कृष्ण मरहम	..	..	..	१५३८-००० „	२८९१-००० „
७५.	लाल मरहम	..	..	..	४२२-००० „	४०९-००० „
७६.	पामाहर लेह	..	..	..	१२२२-५५० „	२४६२-००० „
७७.	दशांक लेप	..	..	..	३९३-५०० „	८०९-००० „
७८.	दद्रुदावानल लेप	..	..	..	४५१-९५० „	१३४७-९५२ „
	चूर्ण					
७९.	दशनसंस्कार चूर्ण		..	..	३००-२०० „	६६८-५०० „
८०.	अविपत्तिकर चूर्ण		..	..	६२२-५०० „	..
८१.	गोक्षरादि चूर्ण	..	..	..	५२२-००० „	२७०-५०० „
८२.	तालिसासद	..	..	..	१६५५-००० „	२६४५-५०० „
८३.	नायिका चूर्ण	..	..	..	५२-००० „	..

Page No 163

१	२	३	४
८४.	पुष्यानर चूर्ण	१८३-५०० ग्राम	..
८५.	नागकेसर चूर्ण	२९०-४५० ,,	२०२-७५० ग्राम
८६.	बालतारचद्रीका .. .	७३-०००	..
८७.	लवणभास्कर चूर्ण	४८६०-२०० ,,	३६४५-००० ,,
८८.	सुदर्शन चूर्ण	३३४-२०० ,,	३९९-००० ,,
८९.	हिंग्वाष्टिक चूर्ण	२०३६-००० ,,	२३७२-००० ,,
९०.	सारस्वत चूर्ण	१००-००० ,,	..
९१.	त्रिफला चूर्ण	१०४५-५५० ,,	३१८०-००० ,,
९२.	लवंगादि चूर्ण	११८-००० ,,	९३०-५०० ,,
९३.	तरुणीकुसुमाकर	५१९-००० ,,	६८७-५०० ,,
९४.	अग्निसंदीपन चूर्ण	५०२५-०५० ,,	५७६८-५०० ,,
९५.	शांतिवर्धक चूर्ण	..	५३७-५०० ,,
९६.	प्रवाही कातक चूर्ण	१०७४-६०० ,,	११९३-००० ,,

क्वाथ

९७.	रसनासप्तक क्वाथ	१११३-५०० ,,	१७९९-००० ,,
९८.	पुनर्नवादि क्वाथ	१६५६-००० ,,	८६३-००० ,,
९९.	धान्यपचक क्वाथ	१०२१-००० ,,	१२०६-७०० ,,
१००.	गोजिव्हादि क्वाथ	२१२९-१०० ,,	३६०७-५०० ,,
१०१.	दशमूल क्वाथ	२५८४-०९० ,,	१२४१-६५० ,,
१०२.	तगरादि क्वाथ	१८८-००० ,,	१०८२-००० ,,
१०३.	जन्मघूटी क्वाथ	८३३-५७५ ,,	८३४-००० ,,
१०४.	तृणपचमूल क्वाथ	४२५-००० ,,	५६३-००० ,,

एकौषधि चूर्ण

१०५.	अश्वगंधा चूर्ण	६५५-००० ,,	२३४-५०० ,,
१०६.	बिल्व चूर्ण	१८-००० ,,	८१६-२५० ,,
१०७.	छोटी पीपल क्षश चूर्ण	१९-००० ,,	..
१०८.	हरड़र चूर्ण	..	५५५-५०० ,,
१०९.	नोसादर चूर्ण	..	७४६-००० ,,
११०.	बहेरा चूर्ण	..	६७८-००० ,,
१११.	पीपलामूल चूर्ण	..	२००-८०० ,,
११२.	आवला चूर्ण	४१-२५० ,,	७१७-२५० ,,

१	२	३	४
११३.	सतावरी चूर्ण	६६-२५० ग्राम	५४५-५०० ग्राम
११४.	मदनफ चूर्ण	..	३१-४७५ ,,
११५.	सर्फ गंधा चूर्ण	१८-००० ,,	१०४-००० ,,
११६.	सोमन्ता चूर्ण	..	३०७-५०० ,,
११७.	कुटकी चूर्ण	..	४३१-७५० ,,
११८.	पुष्कर मूल चूर्ण	..	३०७-००० ,,
११९.	नागा चूर्ण	१८-५०० ,,	५५६-२०० ,,
१२०.	ईसबगोल भुसी	२१७-००० ,,	४४-००० ,,

बाड़मेर जिले में विकास कार्य

६६०. रावल श्री अमरसिंह (पच-पदरा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. (अ) बाड़मेर जिले में विकास के निमित्त गत वर्ष में per capita Investment कितना हुआ ?

(ब) राजस्थान राज्य में इसी समय में सबसे अधिक विकास कार्य में किस जिले में और किस मात्रा में और सबसे कम per capita investment किस जिले में और कितना हुआ ?

२. बाड़मेर जिले में विकास कार्य प्रायः नहीं के बराबर करने का क्या कारण है ?

३. (अ) अन्डर डेवलप्ड क्षेत्रों की उन्नति के निमित्त विदेशी सहायता में से राजस्थान सरकार को क्या कोटा प्राप्त हुआ ?

(ब) बाड़मेर क्षेत्र को सरकार पिछड़ा हुआ इलाका मानती है या नहीं ?

(स) यदि हां, तो प्राप्य मात्रा में ऐसे फण्ड का बाड़मेर क्षेत्र में लगाना आवश्यक समझती है या नहीं और आज दिन तक सरकार का ध्यान इस ओर किस कारण से नहीं गया ?

(द) बाड़मेर क्षेत्र की उन्नति के निमित्त सरकार के ध्यान में क्या प्रोग्राम है और कब तक कार्यान्वित करने की आशा की जा सकती है और यह कार्य फौरन ही हाथ क्यों न लिया जाय ?

४. इस क्षेत्र में चमड़े की रंगाई, हड्डी का कारखाना, मिल्क इन्डस्ट्री, ऊन के कारखाने, नमक से पैदा होने वाले कई एक केमिकल वगैरह, कई एक छोटे मोटे उद्योग जारी करने की potentialities होते हुए भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित क्यों नहीं हुआ व कब तक योजना बनाई जाकर कार्यान्वित करने की आशा की जा सकती है ?

५. (अ) बाड़मेर जिला एक पशु-पालक क्षेत्र है ? यहां पशु-धन के वैज्ञानिक तरीके से सुधार एवं सुरक्षा के निमित्त क्या योजना कार्यान्वित की गई ? यदि नहीं, तो कब तक ऐसा करने का विचार है ?

(ब) क्या कुछ वर्ष पूर्व इस संबंध में जो बासु कमीशन की नियुक्ति हुई थी उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव दिये और उन सुझावों को किस प्रकार योजना-बद्ध किया गया है ? यदि कोई कदम इस ओर नहीं उठाया गया तो किस कारण से ? क्या बासु कमीशन की रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ।

उत्तर

१. प्रति व्यक्ति Investment से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । प्रति व्यक्ति औसत व्यय १९६१-६२ में ४.६२ रुपये है । Per capita investment के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कुल खर्च किये गये रुपये की दृष्टि से सर्व प्रथम नाम गंगानगर जिले का आता है जहां १९९.६३ लाख रुपये खर्च हुए और सबसे अन्त में जैसलमेर का जहां ६.५१ लाख रुपये खर्च हुए । प्रति व्यक्ति

की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यय कोटा में २१.१४ रुपये तथा सबसे कम व्यय जालौर में ४.३६ रुपये हुआ। कुछ बडी सिंचाई व विद्युत् योजनाओं की वजह से जिलेवार व्यय के आंकड़े में विशेष अन्तर आ जाता है और यह अन्य विकास कार्यक्रम का सही आधार नहीं बन सकती।

२. इसका प्रश्न ही नहीं उठता। बाडमेर जिले में भी अन्य जिलों की भांति विकास-कार्य परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार किये जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने १९६१-६२ में बाडमेर जिले में ३१.९६ लाख रुपया विभिन्न विकास कार्यों में व्यय किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	क्षेत्र	व्यय १९६१-६२
		(लाख रुपये)
१.	कृषि उत्पादन ..	०.०७
२.	लघु सिंचाई ..	०.३३
३.	भूसंरक्षण ..	०.१०
४.	पशुपालन ..	०.१९
५.	वन ..	०.१०
६.	सहकारिता ..	१.४४
७.	सामुदायिक विकास	६.५०
८.	पंचायत ..	३.६०
९.	ग्राम तथा लघु उद्योग	१.३७
१०.	सडकें ..	६.५२
११.	शिक्षा ..	२.६४
१२.	आधुनिक चिकित्सा ..	१.२२
१३.	आयुर्वेद ..	०.०६
१४.	जलप्रदाय ..	४.४२
१५.	गृह निमार्ण ..	०.७६
१६.	पिछडी जातियों का कल्याण	०.३४
	योग ..	३१.९६

३. (अ) राजस्थान को भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। भारत सरकार को कहां कहां से विदेशी सहायता प्राप्त होती है इसका विवरण यहां उपलब्ध नहीं है।

(ब) नहीं। 'बाडमेर क्षेत्र' backward शब्द की टैक्निकल परिभाषा में नहीं आता है। बाडमेर क्षेत्र को हम एरिड जोन में शामिल करते हैं।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

(द) इस जिले में वे सब योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में अन्य जिलों में परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार लागू की गई हैं।

४. सभी उद्योग धन्धों के लिये जो बाडमेर जिले में चलाये जा सकते हैं सरकार सजग है। इस समय बाडमेर में निम्नलिखित ४ सहकारी समितियां हैं जो उनके समक्ष बताये गये धन्धे (उद्योग) चला रही हैं :—

क्रम सं.	समिति का नाम	उद्योग जो समिति चला रही है
१.	खत्री रंगाई छपाई सहकारी समिति लिमिटेड	केलिको प्रिंटिंग
२.	मजदूर उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	बढ़ईगिरी
३.	प्रजापति उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	मिट्टी के बर्तन बनाना
४.	प्रजापत उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड मनीपारस	"

Page No 167

५ (अ) इस जिले में भी अन्य जिलों की भांति पंचायत समितियां निम्नलिखित योजनायें पशु सुधार एवं सुरक्षा हेतु कार्यान्वित हैं :

१. उन्नत पशु वितरण ।
२. जानवरों को बधिया करना ।
३. जानवरों के टीके लगवाना ।
४. जानवरों की चिकित्सा करना ।
५. पशुपालन फार्म खोलना तथा उन्हें ऋण सहायता देना आदि ।

(ब) जी हां । सुझाव रिपोर्ट के पृष्ठ ३६-५५ तक दिये गये हैं । ये सुझाव केवल बाड़मेर जिले के लिये ही नहीं अपितु अन्य जिलों के लिये भी हैं । सरकार ने arid zone में दो Pilot Projects खोलने का निर्णय ले लिया है । जिसमें से एक बाडमेर जिले में खुलेगा तथा दूसरा बीकानेर जिले में । इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग १२ लाख रुपया व्यय किया जायगा । जिला परिषदों व पंचायत समितियों को इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं । चौथी पंच वर्षीय योजना बनाते समय वसु कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा । रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(संलग्न पुस्तक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राइवेट वैद्य को आर्थिक सहायता ग्राम मोरीजा, तहसील आमेर

८६१. श्री बाबूराम चौधरी (फतहपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मोरीजा, तहसील आमेर में गत वर्ष नया राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां एक प्राइवेट वैद्य को भी आयुर्वेदिक विभाग से आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो कितने रुपये मासिक ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां । ५० रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र पंचायत समिति मकराना

८६२. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मकराना पंचायत समिति में १९६१-६२ और १९६२-६३ में कितनी धन-राशि किसानों को तकावी देने के लिये स्वीकृत हुई ?

(२) तकावी लेने के लिये कितने प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी के पास प्रस्तुत हुए और इनमें अनुसूचित जाति के कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र पेश हुए और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तकावी दी गई ?

उत्तर

(१) सन् १९६१-६२ में ४१,२००) रु० व १९६२-६३ में १,५७,६००) रु० किसानों को तकावी देने के लिये स्वीकृत हुए हुए ।

(२) २३० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । २८ अनुसूचित जाति के लोगों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । उनमें से १० लोगों को तकावी दी गई ?

जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

८६३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं जिनके अनुसार कुछ जिलों में एल. डी. सी. या यू. डी. सी. के रहने के लिये क्वार्टर बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस २ जिले में कितने २ क्वार्टर बनाये गये तथा उनमें अभी कौन रहता है ?

(२) क्या चित्तौड में जो इस प्रकार के क्वार्टर बनाये गये उनमें कोई ऑफिसर रहता है ? यदि हां, तो कौनसे क्वार्टर में, कौन ऑफिसर रह रहा है तथा क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि कुछ जगह सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनाये हैं ? यदि हां, तो कहां २ तथा कितने ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या उन क्वार्टरों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं रह कर यू. डी. सी. या एल. डी. सी. भी रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास गृह बनवाये हैं और नियमों के अनुसार जिस प्रकार मुमकिन होता है आवास गृह वेतन स्तर के अनुसार यू. डी. सी. व एल. डी. सी. को भी एलॉट किये जाते हैं।

जिलेवार आवास गृहों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जी हां। एक एफ. टाइप क्वार्टर में सिविल जज, चित्तौडगढ रहते हैं और दूसरे एफ टाइप में एसिस्टेन्ट इंजीनीयर भवन व पथ रहते हैं। इसी प्रकार एक जी टाइप क्वार्टर में सैशन्स जज, प्रतापगढ (चित्तौडगढ) रहते हैं और दूसरे में जूनियर इंजीनियर भवन व पथ रहते हैं।

चूंकि चित्तौडगढ में मकानों की कमी है इसलिए ऊपर की कैटेगरी के अफसरों के उपयुक्त मकान नहीं होने की वजह से नीची कैटेगरी के मकान दिये गये हैं।

(३) जी हां। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) चित्तौडगढ, झालावाड, सीकर, झुन्झुनू एवं गंगानगर जिलों के अतिरिक्त इन क्वार्टर्स में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही रहते हैं। चित्तौडगढ में ऐसे क्वार्टर्स में एक तहसीलदार और एक यू. डी. सी. रहते हैं। इसी प्रकार झालावाड में एक क्वार्टर में प्रसार अधिकार सहकारी दफ्तर है तथा सीकर जिले के श्रीमाधोपुर व नीम का थाना में क्लर्क्स रहते हैं। गंगानगर जिले के हनुमानगढ तहसील में ऐसे कुछ क्वार्टर्स में एल. डी. सी. आदि रहते हैं।

क्योंकि इन स्थानों पर सरकारी मकानों की कमी है इसलिये ऊपर की कैटेगरी के राज्य कर्मचारियों को उनके लिये उपयुक्त मकान न होने की वजह से, नीची श्रेणी के मकान दिये गये हैं। जहां तक हनुमानगढ तहसील का प्रश्न है क्योंकि वहां पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने निजी मकान होने के कारण, सरकारी मकान नहीं लेना चाहते थे, अतः ये क्वार्टर्स एल. डी. सी. आदि को एलॉट किये गये हैं।

सूची

जिले का नाम १	विभिन्न टाइप के क्वार्टर्स की संख्या २	रहने वाले कर्मचारी का पद ३
१. नागौर	२ जी. टाइप	२ यू. डी. सी. ।
२. अलवर	१ एफ. टाइप	श्री भीमसिंह, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर।
	१ जी. टाइप	श्री एस. एन. सिंह, एसिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अलवर।
		जिस समय ये क्वार्टर्स एलॉट किये गये, उस समय किसी मिनिस्टीरियल स्टाफ का इनके लिये आवेदन-पत्र नहीं था।
३. भीलवाडा	११ जी. टाइप	आठ में नॉन-गजेटेड और तीन में गजेटेड मकानों की कमी के कारण तीन क्वार्टर्स गजेटेड अधिकारियों को दिये गये हैं।
४. डूंगरपुर	कोई नहीं।	
५. चूरू	१० जी. टाइप	इनमें वे ही कर्मचारी रहते हैं जिनके लिये ये बनाये गये हैं।
६. अजमेर	१०० जी. टाइप	ये नियमानुसार ही एलॉट किये गये हैं।
७. बाड़मेर	११ जी. टाइप	ये नियमानुसार ही एलॉट किये गये हैं।
८. पाली	कोई नहीं।	
९. बूंदी	५ जी. टाइप	तीन में यू. डी. सी. रहते हैं और दो मिले हुए क्वार्टर्स में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट रहते हैं। जब एलॉटमैन्ट किया गया उस समय, किसी मिनिस्टीरियल स्टाफ का इनके लिये आवेदन-पत्र नहीं था।
१०. बीकानेर	कोई नहीं।	

Page No 170

१	२	३
११. जयपुर	३२४ एफ. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
	१५१ जी. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
१२. भरतपुर	कोई नहीं।	
१३. जैसलमेर	१	क्लर्क
१४. चित्तौड़गढ़	२ एफ. टाइप २ जी. टाइप	एक एफ. टाइप में सिविल जज और दूसरे में एसिस्टेन्ट इंजीनियर भवन व पथ रहते हैं। इसी प्रकार जी. टाइप क्वार्टर्स में से एक में सेशन्स जज, प्रतापगढ़ और दूसरे में जूनियर इंजीनियर भवन व पथ रहते हैं।
१५. कोटा	५ जी. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
१६. झालावाड़	१ एफ. टाइप	अभी बन रहा है।
१७. जालौर	२ एफ. टाइप २ जी. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
१८. उदयपुर	१ एफ. टाइप १ जी. टाइप	अभी बन रहे हैं।
१९. जोधपुर	७५	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
२०. सीकर	२ एफ. टाइप	एक में मजिस्ट्रेट व दूसरे में एम्प्लॉयमेन्ट ऑफिसर रहते हैं।
	२ जी. टाइप	एक में ओवरसियर व दूसरे में सहायक अभियंता रहते हैं।
२१. टौंक	६ एफ. टाइप ८ जी. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
२२. सिरोही	१५	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
२३. झुंझुनू	४ एफ. टाइप ११ जी. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
२४. बांसवाड़ा	२ एफ. टाइप	एक में तहसीलदार रहते हैं व दूसरा अभी बन रहा है। नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।

१	२	३
२५. सवाई माधोपुर	४७ एफ. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
२६. गंगानगर	११ एफ. टाइप १७० जी. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।

एच. टाइप क्वार्टर्स की जिलेवार सूची, जिनका एलॉटमेन्ट उन कर्मचारियों को किया जाता है जिनका वेतन ६०) रु० माहवार से कम होता है

क्रं सं.	जिले का नाम	क्वार्टरों की संख्या	रहने वाले कर्मचारी का पद
१	२	३	४
१.	नागौर	२ एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
२.	अलवर	१ एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी
३.	भीलवाडा	१ एच. टाइप	बन रहा है।
४.	डूंगरपुर	१० एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
५.	चूरू	११ एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
६.	अजमेर	४८ एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
७.	बाड़मेर	१२ एच. टाइप	१० में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व २ में ड्राइवर रहते हैं। एलॉटमेन्ट नियमानुसार है।
८.	पाली	१० एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
९	बूंदी	२ एच. टाइप	अभी बन रहे हैं।
१०.	बीकानेर	कोई नहीं	
११.	जयपुर	१७० एच. टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं।
१२.	भरतपुर	कोई नहीं	
१३.	जैसलमेर	१९ एच. टाइप	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
१४.	चित्तौडगढ़	२ एच. टाइप	एक में तहसीलदार और दूसरे में यू. डी. सी. भवन व पथ।
१५.	कोटा	१ एच. टाइप	अभी बन रहा है।
१६.	झालावाड	६ एच. टाइप	५ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व एक में प्रसार अधिकारी, सहकारी दफ्तर है।

१	२	३	४
१७.	जालौर	२ एच.टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
१८.	उदयपुर	१ एच.टाइप	अभी बन रहा है।
१९.	जोधपुर	७० एच.टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।
२०.	सीकर	१९ एच.टाइप	१३ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा ६ में क्लर्क्स रहते हैं
२१.	सिरोही	७ एच.टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।
२२.	टोंक	२ एच.टाइप	चौकीदार
२३.	झुंझुनू	२ एच.टाइप	१ में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी व दूसरे में एल.डी.सी.
२४.	बांसवाडा	कोई नहीं	
२५.	सवाई माधोपुर	२५ एच.टाइप	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
२६.	गगानगर	१२० एच.टाइप	नियमानुसार एलॉट किये गये हैं। केवल हनुमानगढ़। तहसील में कुछ एल. डी. सी. इत्यादि इन क्वार्टर्स में रहते हैं।

विजयनगर शुगर मिल को ५ लाख के कर्जे को सरकार द्वारा गारन्टी

८६४. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विजयनगर शुगर मिल विजयनगर को राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से कर्जा दिलाने के लिये ५ लाख रुपये तक की गारन्टी दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि कम्पनी द्वारा अपना कर्ज न चुका सकने पर राज्य सरकार को कम्पनी के बदले ३ लाख ८५ हजार रुपये चुकाने पड़े ?

(३) राज्य सरकार ने इस रकम की वसूली के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) रकम की वसूली पी. डी. आर. एक्ट के मातहत की जा रही है।

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक की बैठक जिला सीकर

८६५. श्री **रामचन्द्र** (श्री माधोपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला सीकर में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक कब से स्थापित है ? इस बैंक के कुल कितने सदस्य हैं व राज्य सरकार ने इस बैंक के लिये ऋण देने के लिए अब तक कुल कितनी धन-राशि निर्धारित की है ?

(ख) अब तक कितने सदस्यों को इस बैंक से कुल कितना ऋण दिया जा चुका है ? इस वक्त बैंक के ऋण की कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ? विचाराधीन दरख्वास्तों पर अब तक ऋण न मिलने के क्या कारण हैं ?

(ग) इस बैंक की साधारण सभा की कितनी बैठकें अब तक हो चुकी हैं ?

उत्तर

(क) जिला सीकर में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक लि०, सीकर दिनांक २-९-६० से स्थापित है।

सीकर प्राथमिक संघ भूमि बन्धक बैंक लि० सीकर के कुल १६७ सदस्य हैं।

सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि०, सीकर के लिये राज्य सरकार द्वारा ऋण देने के लिये कोई धन-राशि निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि०, सीकर से अब तक कुल ९ सदस्यों को ? १२,१५५) रु० ऋण दिया जा चुका है।

इस सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० सीकर में ऋण देने हेतु ९०. आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

वर्ष ६०-६१ में प्रथम संचालक मंडल का मनोनयन किया गया और एक निरीक्षक सहकारी समितियों को प्रति-नियुक्ति पर दिया गया और इस ही साल में कार्यालय आदि लेने की व्यवस्था की गई। बाद इसके गतिविधियों का प्रचार किया गया ।

वर्ष ६१-६२ में गतिविधियों के प्रचार व प्रसार को क्षेत्र में बढ़ाया जा सका, सदस्य संख्या बढ़ाई गई व ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये । भिन्न भिन्न स्थानों से भार प्रमाण-पत्र व अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त किये गये ।

वर्ष ६२-६३ में ही ६ काश्तकारों को ऋण दिया जा सका । बकाया ऋण प्रार्थना-पत्रों में से अधिकांश अब अंतिम स्तर तक पहुंच गये हैं। गत वर्षों के श्रम व अनुभव का लाभ बैंक को तथा सदस्यों को अब मिल सकेगा ।

(ग) दो बैठकें हुई हैं जो निम्न प्रकार हैं:—

१. दिनांक २०-५-६० को प्राथमिक साधारण सभा व

२. दिनांक १५-९-६१ को साधारण सभा की बैठकें हुई हैं।

आयुर्वेद विभाग में नर्सों की नियुक्ति

८६६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आयुर्वेद विभाग में नर्सों की भिन्न भिन्न श्रेणी में नियुक्ति-हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता क्या है ?

(२) वर्तमान संचालक महोदय द्वारा कार्य-भार संभालने से अब तक किस २ योग्यता की कितनी २ नर्सों को नियुक्त किया गया है ?

(३) क्या वर्तमान संचालक द्वारा मिडिल से कम योग्यता की नर्स की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) छठी कक्षा तक निर्धारित है ।

(२) कुल १०८ नर्सें अब तक नियुक्त की गई हैं, जो उपर्युक्त योग्यता कम से कम पास ही हैं ।

(३) जी हां, ६ठी कक्षा न्यूनतम योग्यता रखने के परिणाम स्वरूप मिडिल से न्यूनतम योग्यता की धात्रियां नियुक्त की गई हैं ।

विशिष्ट पंचायतों व पंचायत समितियों द्वारा लगान की वसूली

८६७. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने लगान वसूली का कार्य कुछ विशिष्ट पंचायतों व पंचायत समितियों को सुपुर्द करने की नीति की घोषणा की थी ?

(२) लगान वसूली के कार्य में मदद देने वाले लम्बरदारों को लगान के ५ प्रतिशत के हिसाब से कुल कितनी धन-राशि भत्ता अथवा तनख्वाह के रूप में सरकार को प्रति वर्ष देनी पड़ती है ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील कार्यालयों में लगान वसूली का हिसाब ठीक तरीकों से न रख जाने के फलस्वरूप किसानों के एक वर्ष का लगान एक से अधिक बार वसूल कर लिया जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि पाली जिले में देसूरी तहसील के ग्राम सांवलता के काश्तकार मगा पुत्र सवा सीखी से मोजा एलाणी स्थित ख. नं. २०७ का वार्षिक लगान सन् ५७ में पटवारी ने जमा किया और वहीं लगान दुबारा सन् ५८ में बावजूद विरोध के

जबरन जरिये कुर्की वसूल किया गया और अभी तक दुबारा वसूल रकम लौटाई नहीं गई ।

उत्तर

१. जी हां,

२. लगभग २४,६६,१०० रुपये ।

३. जी नहीं ।

४. देसूरी, जिला पाली के ग्राम सांयलता के काश्तकार मगा पुत्र सवा सीखी से मौजा एलाणी स्थित खसरा नं० २०७ का वार्षिक लगान तारीख १५।१।५८ को तहसील में आकर जमा करवाई जब कि उसकी मांग २८-८-५८ को मंजूर की गई थी । फिर ता. २८-८-५८ को श्री मानमल सोहनराज ने रकम जमा करवाई जो इसी खाते में बाद दी गई है । रकम रिफन्ड या एडजस्ट करने सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अलवर जिले में सिंचाई कार्य तथा सिंचाई कर से आय

८६८. श्री **नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) अलवर में सन १९६१–६२ में सिंचाई कर से कितनी धन-राशि की आय हुई ?

(२) लक्ष्मणगढ तहसील (अलवर) में प्रति बीघा क्या सिंचाई कर (टैक्स) लिया जाता है तथा यह रेट कब से है ?

(३) इस वर्ष इस तहसील में कितनी बीघा सिंचाई की गई है और इससे कितनी आय सरकार को हुई ?

(४) रूपारेल नदी (तहसील लक्ष्मणगढ अलवर) से कितनी बीघा जमीन की इस वर्ष सिंचाई हुई ?

(५) क्या यह सही है कि इस वर्ष इसका पानी निश्चित समय पर नहीं रोका गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(६) इस नदी का पानी कौनसी तारीख को प्रति वर्ष भरतपुर जाने से घाट पर रोक दिया जाता है ?

(७) क्या सरकार ने इस नदी के पानी को घाट पर हमेशा के लिये भरतपुर जाने से रोकने का विचार किया था और इसकी सर्वे भी की गई थी ? अगर हां, तो अब उस विषय में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) अलवर जिले में २५०० एकड से अधिक सिंचाई करने वाले बांधों से जिन पर आबयाना इस विभाग द्वारा कायम किया जाता है सन् १९६१–६२ में १,०६,३७४ रु० की सिंचाई कर से आय हुई है । २५०० एकड से कम सिंचाई करने वाले बांधों का आबयाना कायम होकर, रेवेन्यू विभाग से अभी इस विभाग में नहीं आया है, अत: उनकी आय अभी नहीं बताई जा सकती ।

(२) सिंचाई शुल्क की सूची सदन में प्रस्तुत है; ये दरें ५८-५९ में लागू की गई थीं।

(३) इस वर्ष इस तहसील में घाट नहर से जो केवल एक मात्र बांध सिंचाई कर कायम करने के लिये चार्ज में हैं फसल खरीफ में लगभग ९८ बीघा की सिंचाई हुई । रबी में लगभग १२०० बीघा की

सिचाई हो चुकी है। रबी की खतौनी तैयार हो जाने पर आय का पता चल सकेगा।

(४) रूपारेल नदी से इस वर्ष में करीब १३०० बीघा की सिंचाई हुई है।

(५) जी नहीं।

(६) घाट नदी का पानी प्रतिवर्ष दशहरे के आस-पास कृषकगण की मांग आने पर रोक दिया जाता है।

(७) जी नहीं।

परिशिष्ठ

सूची

PART V (B)

Rates (Per Bigha) in respect of old tanks of the former state of Alwar.

S. No.	Name of Crops	Rate	Remarks
1.	Sugarcane	10.00	per Bigha.
2.	Garden Pan (Betels)	7.60	-do-
3.	Vegetable and singharas	7.60	-do-
4.	Lucern Tobacco and poppy	6.20	-do-
5.	Rice	5.40	-do-
6.	Except Zeera spices and oil seeds ..	4.40	-do-
7.	Wheat, Barley, Gojra, Gochani and Bejhara	4.80	-do-
8.	Maize, Cotton and Gram	4.40	-do-
9.	Bajra, Gaor, Til, Moth, Pulses, Fooder and other crops	3.20	-do-
10.	Palewa not followed by crops	1.80	-do-
11.	Rates on Sairabi and Izabi Dehri areas of former Alwar State—		
	(a) Sairabi	3.20	nP. per acre.
	(b) Izabi Dehri	2.40	nP. per acre.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, कुचामन नगरपालिका द्वारा मनमाना खर्चा

८६९. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नगरपालिका कुचामन ने वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में बजट के विरुद्ध हजारों रुपया मनमानी तौर पर खर्च किया है?

(२) क्या यह सही है कि इस संबंध में समय समय पर सदस्य नगरपालिका व अन्य नागरिक तार एवं पत्रों द्वारा निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर को बराबर जानकारी देते रहे हैं?

(३) यदि हां, तो निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बजट के विरुद्ध इस प्रकार का खर्चा करने से आज तक क्यों नहीं रोका, और इस अवैधानिक कार्यवाही के लिये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, कुचामन नगरपालिका के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(१) स्वीकृत राशि से ज्यादा व्यय किया गया।

(२) जी हां।

(३) हिसाब की जांच हो गई है। नियामानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट

८७०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के कौन २ सदस्य हैं और इस बोर्ड को अब तक किस किस कार्य के लिये किस किस वर्ष में कितनी कितनी ग्रान्ट–इन-एड के रूप में तथा अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता दी गई है?

(ख) क्या इस बोर्ड के हिसाब ऑडिट हुए हैं और ऑडिट रिपोर्ट सरकार को पेश की गई है? यदि हां, तो किस किस वर्ष की और कब २?

(ग) किन २ ऑडिट रिपोर्ट्स में हिसाब किताब की गड़बड़ पाई गई? क्या यह सही है कि इन गड़बड़ियों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो कृपया ऐसी ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिनमें हिसाब संबंधी अनियमिततायें पाई गई हों।

उत्तर

(क) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के वर्तमान सदस्यों और बोर्ड के अबतक विभिन्न मदों के अन्तर्गत जो धन-राशि प्राप्त हुई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) राज्य बोर्ड के हिसाब सन् ६१-६२ तक के महालेखापाल कार्यालय द्वारा ऑडिट किये जा चुके हैं और सरकार को महालेखापाल द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। महालेखापाल ज्योंही बोर्ड का ऑडिट करते हैं, राज्य बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट देने के साथ साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार १९६१–६२ तक की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(ग) राज्य बोर्ड के हिसाब में कोई गड़बड़ियां नहीं पाई गई हैं। अतः उनको दुरुस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की सूची

१.	श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया	अध्यक्षा
२.	श्री भगवतसिंह मेहता, मुख्य सचिव, जयपुर	सदस्य
३.	श्रीमती कमला श्रोत्रिय, उदयपुर	सदस्या
४.	श्रीमती डा० कान्ता बैन पटेल, अजमेर	सदस्या
५.	श्रीमती कमला बेनीवाल, जयपुर	सदस्या
६.	श्री के. एल. बोर्डिया, उदयपुर	सदस्य
७.	श्रीमती रामा कोचर, जयपुर	सदस्या
८.	श्रीमती गौरी पुनिया, जोधपुर	सदस्या
९.	श्रीमती शन्नोदेवी, सुजानगढ़	सदस्या
१०.	श्रीमती नगेन्द्रबाला, कोटा	सदस्या
११.	श्री गौरीशंकर आचार्य, सरदारशहर	सदस्य
१२.	श्रीमती आशा रानी, जयपुर	सदस्या
१३.	कुमारी लीला त्रिपाठी, धौलपुर	सदस्या
१४.	श्री संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर	सदस्य

STATE SOCIAL WELFARE BOARD, RAJASTHAN, JAIPUR.

Statement of grants received by the Board from various sources during the period from 1954 to 1962.

S. No.	Name of the year	Amount received from the Central Board.				Amount received from	
		Board office	Projects	Buildings	Institutions	State Government.	Development Department
						Board Office.	Projects
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1954-55 ..	4950.00	..	..	..	..	..
2.	1955-56 ..	9000.00	77600.00	..	..	..	37200.00
3.	1956-57 ..	8500.00	153000.00	..	..	16842.44	29624.32
4.	1957-58 ..	6000.00	152000.00	..	..	16251.87	122744.69
5.	1958-59 ..	10000.00	147000.00	..	..	19281.98	154840.08
6.	1959-60 ..	16659.30	293500.00	5500.00	..	20000.00	249191.92
7.	1960-61 ..	23000.00	326500.00	105500.00	..	..	376472.00
8.	1961-62 ..	35000.00	364000.00	25000.00	186200.00	..	..
9.	1962-63 ..	23000.00	255400.00	5600.00	248432.00	..	85000.00

सोजत रोड नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति

८७१. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक ५–२–६२ जो २१–२–६२ को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हुआ है उसके द्वारा सोजत रोड को नगरपालिका घोषित किया है ?

(२) क्या यह भी सच है कि अभी तक उक्त नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई है जिससे स्वायत्त शासन अव्यवस्थित हो गया है व जन स्वास्थ्य को खतरा बढ़ गया है क्योंकि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है ?

उत्तर

(१) सोजत रोड की नगरपालिका घोषित किये जाने के संबंध में एक विज्ञप्ति दिनांक ५–२–६२ को जारी की गई है जो राज-पत्र दिनांक २१–२–६३ में प्रकाशित हो चुकी है।

(२) जी हां। प्रशासक की नियुक्ति की जावेगी।

तालाब बनाने की योजना ग्राम चंदेसरा, तहसील मावली

८७२. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चंदेसरा ग्राम, मावली तहसील में तालाब बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी व कब तक पूरी होगी ? इस पर कितना खर्च आयेगा व कितने बीघे में सिंचाई होगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) सर्वेक्षण करने के पूर्व यह नहीं कहा जा सकता कि सिंचाई की दृष्टि से इसे बांधना आवश्यक है या नहीं।

श्री माधोपुर के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

८७३. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १९६१ में श्री माधोपुर में नियत तहसीलदार, श्री भीमसिंह के विरुद्ध सरकार को गबन तथा अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें मिली थीं ?

(२) क्या उन्हें सस्पेण्ड किया गया था ? यदि हां, तो किन आरोपों पर और उसके जांच परिणाम क्या रहे ?

(३) क्या सब मामलों में जांच हो चुकी है अथवा अभी कुछ मामले पैण्डिंग हैं ? पैण्डिंग हैं तो कितने ?

(४) क्या यह सही है कि इन्होंने जयपुर में कोई एक लाख रुपये की लागत का बंगला तैयार करवाया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उनके सोर्स ऑफ इनकम की जांच करने का औचित्य स्वीकार नहीं करती ?

(५) आम चुनावों से कितने दिन पहले इन्हें बहाल किया गया है ?

(६) क्या बहाली के समय सब मामलों की जांच पूरी हो चुकी थी ?

(७) क्या सरकार मोअत्तिली, बयान जांच तथा बहाली की तिथि बताने का कष्ट करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, राजस्व मंडल को ऐसी शिकायतें मिली थी।

(२) जी हां। उनके विरुद्ध अयोग्यता, अकर्मण्यता, बिना आज्ञा तहसील हैंड क्वार्टर छोडने, गैर हाजिर रहने, झूंठे व गलत टी. ए. व डी. ए. के बिल बना कर रुपया वसूल कर सरकार को धोखा देने, सरकार को धोखा देने की नियत से सरकारी रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज करने, अधिकारियों की अवज्ञा करने, अपने स्वार्थ के लिये अपने पद का दुरुपयोग करने, तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों की समात करने व सरकारी कागजों को अपनी स्वार्थपूर्ति के कारण नष्ट कर देने के आधार पर श्री भीमसिंह को निलम्बित किया गया था। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(३) जी नहीं। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है, तथा इनके विरुद्ध दो और जांच चल रही है।

(४) जी हां। इन्होंने लगभग ८१ हजार की लागत का एक भवन जयपुर में बनाया है। जी हां, इस सम्बन्ध में कुछ जांच तो राजस्व मण्डल ने कर भी ली है।

(५) इन्हें १-१-६२ को बहाल किया गया था।

(६) जी नहीं।

(७) पूछी गई तिथियां निम्न प्रकार हैं:—

(क)	निलम्बित	७-७-६१
(ख)	बयान	१-१-१९६२
(ग)	जांच	जांच अभी जारी है।
(घ)	बहाली	१-१-६२

अमर बावड़ी, तहसील भीम की एनीकट का अधूरा कार्य

८७५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में अमर बावड़ी की एनीकट का काम अधूरा पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो कितने महीनों से और क्यों ?

(३) यह काम कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(१) कार्य चालू है।

(२) केवल वर्षाकाल में बन्द रहा।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

केनाल में आयी जमीनों के मुआवजे—तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

८७६. श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न

का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में हींचर और भीमसागर बांध से निकाली जाने वाली कैनाल में आई हुई जमीनों के मुआवजों के लिये सम्बन्धित किसानों ने सरकार के समक्ष यह प्रार्थना प्रस्तुत की है कि उन्हें चम्बल क्षेत्र में दिये जाने वाले मुआवजे के अनुसार ही मुआवजा दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

इस प्रकार की मांग की सरकार को कोई जानकारी नहीं है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विस्थापित थड़ी मालिकों (अजमेर) हेतु बाजार

६८७७. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर): Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state :—

(1) Whether the Government intends to provide markets to refugee Cabin-holders at Ajmer before dislocating them ?

(2) If yes, where and when these markets will be built ?

(3) Has the Government sanctioned the amount and site plan for the same ?

(4) What objection the Government has to allow cloth merchants at Gandhi Bhawan to build their pucca shops at their original place ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) योजनाओं के स्वीकृत होने पर बाजार कचहरी रोड खाई लैंड इम्पीरियल रोड एवं पड़ाव क्षेत्र में बनाये जायेंगे ।

(३) कचहरी रोड की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा कार्य हो रहा है । पड़ाव क्षेत्र एवं खाई लैंड की योजना सरकार के विचाराधीन है । कोई धनराशि जैसा कि प्रश्न में अंकित किया है, योजनाओं के कार्यान्वित करने के लिये मंजूर नहीं की जाती ।

(४) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

स्थगित-प्रश्न

(२८-३-६३)

पंचायत समिति रायसिंहनगर की जीपें

६६८. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक पंचायत समिति रायसिंहनगर की जीपों पर कितना खर्च हुआ, कितना पैट्रोल पर तथा कितना रिपेयर्स पर ? वर्षवार आंकड़े दें तथा निर्धारित व्यय भी बतायें ।

(२) २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक पंचायत समिति की जीप कितने मील चली, वर्षवार आंकड़े दें, २ अक्टूबर, १९५९ से आज तक प्रति वर्ष जीप का मिलोमीटर कितने कितने समय बन्द रहा—वर्षवार सूचित करें ?

(३) क्या समिति क्षेत्र के बाहर भी जीप का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां—२ अक्टूबर, १९५९ से आज तक के वर्षवार आंकड़े दें ।

(४) क्या जीप का प्रयोग प्रधान तथा बी. डी. ओ. द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिये भी किया गया है ?

(५) क्या इस सम्बन्ध में १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ की ऑडिट रिपोर्ट में एतराज भी हुए हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? इन ऑब्जेक्शन के बाद सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी हां । निम्न एतराज हुए हैं:—

१. जीप का जिला हैडक्वार्टर पर बिना स्वीकृति के अनियमित रूप से जिला परिषदों की बैठक में भाग लेने के लिए ले जाना ।

२. माइलोमीटर बन्द होने की हालत में जीप चलाना ।

३. जीप का मजिस्ट्रेट द्वारा शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के काम में उपयोग करना ।

इन आपत्तियों को दुरुस्त कर व्यय नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट

सूचियां

सन् १९५९ से अब तक पंचायत समिति रार्यासहनगर द्वारा जीपों पर किये गये व्यय की सूची:—

क्र.सं.	वर्ष	निर्धारित व्यय	पैट्रोल पर व्यय	रिपेयर्स पर व्यय	कुल व्यय
१.	१९५९-६०	३०००)	१८०३.९७	१२०२.५३	३००६.५०
२.	१९६०-६१	६०००)	५९७२.१९	२२८८.७१	८२६०.९०
३.	१९६१-६२	६०००)	४१९९.२८	२१६६.७७	६३६६.०५
४.	१९६२-६३	६०००)	४९७२.१९	२२८८.७१	७२६०.९०

जीपों के चलने व उनके मिलोमीटर खराब होने की सूची

क्र.सं.	जीप नं.	वर्ष	कुल जितनी मील चली	मीलोमीटर खराब होने की अवधि
१.	३११५	१९५९–६०	७६३०	खराब नहीं हुआ।
२.	,,	१९६०–६१	११८२८	१५–७–६० से २–९–६०, ३–१२–६० से, ३०-१२-६० एवं १४-१-६१ से ३–३–६१
३.	,,	१९६१–६२	९५८१	१–४–६१ से १२–४–६१; १–८–६१ से १८–८–६१ एवं १७–३–६२ से ३१–३–६२।
४.	,,	१९६२–६३	१३११८	१–४–६२ से आज तक।
५.	३२१६	१९५९–६०	२०९३	खराब नहीं हुआ।
६.	,,	१९६०–६१	६४३१	२०–६–६० से १५–९–६०
७.	,,	१९६१–६२	५१०७	—
८.	,,	१९६२–६३	४९२५	१२–५–६२ से २०–१०–६२ और ३१–१०–६२ से १–११–६२।
९.	३२२९	१९५९–६०	..	..
१०.	,,	१९६०–६१	२६०७	मीटर खराब है।
११.	,,	१९६१–६२	१०६८	,,
१२.	,,	१९६२–६३	४५	,,

परिशिष्ट

जीप के पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर उपयोग किये जाने की सूची:—

क. सं.	जीप नं०	दिनांक	जाने का स्थान
१	२	३	४
१.	३११५	१४–१०–५६	गंगानगर
२.	,,	७-११-५६	पदमपुर
३.	,,	१०–११–५६	गंगानगर
४.	,,	१०–११–५६	पदमपुर
५.	,,	१६–११–५६	गंगानगर
६.	,,	४–१२–५६	,,
७.	,,	७–११–५६	,,
८.	,,	१८–१–६०	,,
९.	,,	२०–१–६०	पदमपुर
१०.	,,	२१–१–६०	गंगानगर
११.	,,	२४–१–६० से २५–१–६०	एस. डी. एम. गंगानगर कोर्ट सूरतगढ़ में रही ।
१२.	,,	१३–२–६०	,,
१३.	,,	२५–२–६० से २६–२–६०	,,
१४.	,,	४–४–६०	पदमपुर
१५.	,,	१२–४–६०	गंगानगर
१६.	,,	२५–५–६० से २६–५–६०	,,
१७.	,,	६–६–६०	,,
१८.	,,	१०–६–६०	,,
१९.	,,	११–६–६०	,,
२०.	,,	२४–६–६०	,,
२१.	,,	३०–६–६०	,,
२२.	,,	१–७–६०	,,
२३.	,,	१५–७–६०	,,
२४.	,,	१६–७–६०	,,
२५.	,,	१७–७–६०	,,
२६.		२३–७–६०	,,

१	२	३	४
२७.	३११५	२४–७–६०	गंगानगर
२८.	,,	२७–७–६० से २९–७–६०	,,
२९.	,,	२–१०–६०	सादूलशहर
३०.	,,	६–१०–६०	गंगानगर
३१.	,,	२७–११–६०	,,
३२.	,,	१५–१२–६०	,,
३३.	,,	७–१–६१	,,
३४.	,,	९–३–६१	,,
३५.	,,	१४–३–६१	बीजवादूला
३६.	,,	१५–३–६१	,,
३७.	,,	७–४–६१	गंगानगर
३८.	,,	६–७–६१	,,
३९.	,,	१३–७–६१	,,
४०.	,,	८–८–६१	,,
४१.	,,	९–८–६१	,,
४२.	,,	२८–८–६१	,,
४३.	,,	८–१०–६१	,,
४४.	,,	१६–१०–६१	,,
४५.	,,	१७–१०–६१	,,
४६.	,,	२–११–६१	,,
४७.	,,	१४–११–६१	,,
४८.	,,	२६–१२–६१	,,
४९.	,,	२७–१२–६१	
५०.	,,	३–१–६२ से १९–१–६२	,,
५१.	,,	६–३–६२	,,
५२.	,,	७–३–६२	,,
५३	,,	२–५–६२	,,
५४.	,,	३–५–६२	,,
५५.	,,	२१–५–६२	,,
५६.	,,	२६–५–६२	सूरतगढ़

१	२	३	४
५७.	३११५	२७-५-६२	हनुमानगढ
५८.	,,	८-६-६२ से १३-६-६२	गंगानगर
५९.	,,	२५-६-६२ से २७-६-६२	,,
६०.	,,	१६-७-६२ से १७-७-६२	,,
६१.	,,	२-८-६२	,,
६२.	,,	३-८-६२	,,
६३.	,,	१०-८-६२	,,
६४.	,,	११-८-६२	,,
६५.	,,	१८-८-६२	,,
६६.	,,	२८-८-६२	,,
६७.	,,	४-९-६२	,,
६८	,,	५-९-६२	,,
६९.	,,	२४-९-६२	,,
७०.	,,	२५-९-६२	,,
७१.	,,	१८-१०-६२	हनुमानगढ़
७२.	,,	१८-१०-६२	नोहर
७३.	,,	१९-१०-६२	हनुमानगढ़
७४.	,,	२०-१०-६२	,,
७५.	,,	२१-१०-६२	गंगानगर
७६.	,,	३-११-६२	,,
७७.	,,	२४-११-६२	,,
७८.	,,	१२-१२-६२ से २४-१२-६२	,,
७९.	,,	१७-१-६३	,,
८०.	,,	२८-२-६३ से २-३-६३	,,
८१.	३२१६	१८-५-६०	,,
८२.	,,	२०-८-६१	,,
८३.		१-१०-६१	,,

१	२	३	४
८४.	३२१६	१२-६-६२	गंगानगर
८५.	,,	२८-११-५६ से ३०-११-५६	,,
८६.	,,	१३-१२-५६	सूरतगढ़
८७.	,,	२-४-६० से ३-४-६०	गंगानगर
८८.	,,	१७-४-६० से १८-४-६०	,,
८९.	,,	१७-५-६० से २०-५-६०	,,
९०.	,,	२६-५-६०	,,
९१.	,,	१६-६-६०	करनपुर
९२.	,,	१-७-६०	पदमपुर
९३.	,,	२-७-६०	गंगानगर
९४.	,,	३-७-६०	,,
९५.	,,	२०-८-६०	हनुमानगढ़
९६.	,,	१५-९-६० से १७-९-६०	गंगानगर
९७.	,,	२२-१०-६०	,,
९८.	,,	४-११-६०	,,
९९.	,,	५-११-६०	,,
१००.	,,	२३-१०-६१ से २४-१०-६१	,,
१०१.	,,	४-१२-६१	,,
१०२.	,,	३-१-६२	,,
१०३.	,,	११-१-६२	,,
१०४.	,,	२२-१-६२ से २५-२-६२	,, जिलाधीश के पास चुनाव संबंधी कार्य पर रही।
१०५.	,,	१३-३-६२	,,
१०६.	,,	१९-३-६२ से २०-३-६२	,,

१	२	३	४
१०७.	३२१६	२३-३-६२	गंगानगर
१०८.	,,	२५-३-६२ से २६-३-६२	,,
१०६.	,,	३१-३-६२	,,
११०.	,,	३-४-६२	,,
१११.	,,	६-४-६२	,,
११२.	,,	४-६-६२	,,
११३.	,,	३-८-६२ से ५-८-६२	,,
११४.	,,	२७-११-६२	,,
११५.	,,	२८-११-६२	,,
११६.	,,	१-१-६३ से २२-३-६३	आपत्तिकाल समय में जिलाधीश महोदय के पास रही ।
११७.	३२२६	६-१०-५८	गंगानगर
११८.	,,	१३-११-५६	पदमपुर
११६.	,,	२७-११-५६	गंगानगर

स्थगित प्रश्न

(६–३–६३)

राज्य में चेचक की रोक-थाम

१६४. श्री रामकिशन (वैर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में चेचक की रोक-थाम के लिये कितने बच्चों को वर्ष [६२-६३ में चेचक का टीका लगाया गया है ?

(२) क्या चेचक के टीके में दी जाने वाली दवाई का निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

(३) क्या यह सत्य है कि चेचक का टीका ले लेने वाले बच्चों को भी चेचक का शिकार होना पड़ा है ?

(४) कितने बच्चे चेचक से मर गये हैं ?

(५) रोग की रोक-थाम के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है और कब तक इस पर काबू पा लिया जायेगा ?

उत्तर

(१) ४,५७,६९५

(२) यह दवा पटवा-डांगर (यू. पी.) से विशेषज्ञ द्वारा जांच करने के बाद ही भेजी जाती है।

(३) टीका लगने के बाद भी चेचक निकलने की संभावना हो सकती है, लेकिन बहुत कम।

(४) सन् १९६२ में ८५० व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है, इनमें बच्चों की संख्या अलग नहीं बताई गई है।

(५) रोग की रोक-थाम के लिये वर्तमान वैक्सीनेशन स्टाफ के अतिरिक्त रोग के उन्मूलन के लिये एक राष्ट्रीय योजना (माता के रोग के उन्मूलन की योजना) राज्य में ७–१–६३ से चालू कर दी गई है। जिसके लिये ७ यूनिट का निर्माण हो चुका है और तीन यूनिट का अगले वर्ष सन् १९६४-६५ में काम शुरू किया जायेगा। यह कार्य अगले दो-तीन वर्षों में पूरे राजस्थान में पूरा करना है।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक, ५ अप्रेल १९६३)

स्कम्भ सं. १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
६३८६	२	य पारियों	व्यापारियों
६३८७	अंतिम से ५	नेकस्ट	नेक्स्ट
६३९१	५	किय	किया
६३९३	२३	श्री रामप्रसाद लडढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६३९४	१७	,, ,,	,, ,,
,,	२२	श्री वियसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
६४००	१०	इतनी घनी	इतनी घनी
६४०१	शीर्षक	–२५ अप्रेल,	–५ अप्रेल,
,,	७	ग्राम वार्डन	गेम वार्डन
,,	१६	फौरन	फॉरिन
६४०३	१५	काश्तरों	काश्तकारों
६४०४	६	श्री निरंजनलाल आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
६४०६	१०	क्षेत्र में	क्षेत्र में
,,	अंतिम से ४	के अन्दर	१९६२ के अन्दर
६४११	१–२	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना,:	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना):
,,	२१	कया	किया
६४१२	३	रहें हे ?	रहे हैं ?
,,	२५	स पर	उस पर
६४१३	१४	डेजिग्रेशन	डेजिग्नेशन
,,	२२	डिक्र	डिक्री
६४१४	१०	Nex	Next
६४१५	१९	असपास	आसपास
,,	२५	नहो	नहीं,
,,	अंतिम से ४	श्री दिनेशरा डांगी	श्री दिनेशराय डांगी
६४१६	३	होत	हवेत
,,	अंतिम से २	श्री अगवलाल	श्री श्रवणलाल
६४१७	१२	श्री दिनेशय डांगी	श्री दिनेशराय डांगी
६४२०	अंतिम से ५	सर-लस	सरप्लस
,,	अंतिम	,,	,,
६४२३	अंतिम	नहीं ईहु	नहीं हुई
६४२५	१	श्री सतीशमद्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६४३१	३	उप-मंत्री, पंचायत	उप-मंत्री, पंचायत
६४३२	१८–१९	लगतार इन ३२ असामियो	लगातार इन ३२ आसामियों
६४३७	२४	बाला	वाला
६४३८	अंतिम से २	का	को
६४३९	१७	बोर्ड को	मोर की
,	१९	ऐस	ऐसी

१	२	३	४
६४४०	१७	ी	मी
,,	१८	वजूद	बावजूद
,,	१९	पूछा	नहीं पूछा
६४४५ से ६४५६	शीर्षक	तारांकित–५ अप्रेल,–१९६३ –स्थगित प्रश्न	तारांकित प्रश्नोत्तर–५ अप्रेल, १९६३ –तारांकित प्रश्नोत्तर
६४४६	२१	२२ मर्च,	२२ माच,
६४५०	अंतिम से २–१	सेवा आयोग चैयरमेन १ डा. बी. एल. रावत, सदस्य, जन	१. डा. बी. एल. चेयर- रावत, सदस्य, जन-- मैन सेवा आयोग
६४५१	अंतिम से ५	श्रीमीत प्रभा मिश्रा	श्रीमती प्रभा मिश्रा
६४५५	९	शिड्यूल्ड	शिड्यूल्ड
६४५७	शीर्षक	अनुमति प्राप्त विधेयक,–५ अप्रेल, १९६३–वित्त अधिसूचना	तारांकित प्रश्नोत्तर–५ अप्रेल, १९६३–अनुमति प्राप्त विधेयक
,,	१	श्री केदारनाथ गंगानगर):	श्री केदारनाथ (गंगानगर) :
६४५८	१५	(वित्त रेवेन्यू	वित्त (रेवेन्यू
,,	२२	वित्त रेवन्यू	,,
६४६१	२४	सन्बन्धी	सम्बन्धी
६४६२	१	(उप-न्मत्री, खनिज)	(उप-मंत्री, खनिज)
६४६४	१	(आधे घंटे के वाद–विवाद संबंधी)	आधे घंटे के वाद विवाद संबंधी
६४६७	स्कम्भ	६४६	६४६७
,,	अंतिम	wa t	want
६४६९	शीर्षक	–५अप्रेल, १९६-३ के	–५ अप्रल, १९६३-के
,,	२२	दरख्वास्तें	दर्ख्वास्तें
६४७१	८	श्री राजा श्री मानसिह	राजा श्री मानसिंह
,,	११	irresponsble	irresponsible
६४७४	अन्तिम से२	pc sei	please !
६४७८	२२	औचित्य प्रश्न	विषयक औचित्य प्रश्न
६४८१	शीर्षक	विधेयक–	विधेयक, १९६३
,,	१५	विधयक	विधयक
६४८२	अन्तिम	अध्यक्ष पोठ के	अध्यक्ष-पीठ के
६४८५	२४	श्री भैरासिह	श्री भैरोंसिह
६४८७	अन्तिम से २	T ere	Th re
६४९५	अन्तिम से २	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
६५०६	१०	श्री विजयसि झाला	श्री विजयसिह झाला
६५१३	शीर्षक	५ अप्रेल-१९६३	–अप्रेल, १९६३-
६५१५	शीर्षक	–अप्रेल, १९६३	–५ अप्रल, १९६३-
६५१६	१२	२ ३ आ० ह०	२ ह० ३ आ०
,,	३१	bas c	basic
६५१७	१९	श्री रामप्रसाद लड ा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६५२३	१८	ग था	गया था
६५३१	१२	अंग्रेजों	अंग्रेजों
६५३४	अन्तिम से २	हैं आ	हैं और

१	२	३	४
६५३५से ६५४४	शीर्षक	–५ अप्रेल १९६३	–५ अप्रेल, १९६३
६५३५	४	छोटी हैं	छोटी हैं,
,,	अन्तिम से ५	रिपोर्ट हैं	रिपोर्ट है
६५३६	१७	राज्य रारकार	राज्य सरकार
६५५०	२२	एक्सण्लेनेशन	एक्सप्लेनशन
६५५०	२३	श्री मुकुटबिहा ी लाल	श्री मुकुटबिहारी लाल
६५५३	३	श्री सतीशकुमा रशर्मा	श्री सतीशकुमार शर्मा
,,	४	अघ नग्न	अर्ध नग्न
६५५५	अन्तिम से २	कियाारर को	सरकार को
,,	अंतिम	दु याना	दुनिया
६५५६	१९	एक मानर्नय सदस्य	एक माननीय सदस्य
६५५७	अन्तिम से २	श्री सभापति	श्री उपाध्यक्ष
६५६१	३	बीघा	बीघा
,,	१३	नरह का	तरह का
६५६२	१	तब त	तब तक
६५६३	शीर्ष	(सतीशकुमार शर्मा)	(श्री सतीशकुमार शर्मा)
६५६५	शीर्षक	विधेयव, १९६	विधेयक, १९६३
६५६७	शीर्षक	विधेयका	विधेयक
,,	अन्तिम	न	उन
६५६८	१	अज	आज
६५६९	शीर्षक	–५ अप्रेल, ६२	–५ अप्रेल, ६३–
६५७१	अन्तिम से ६	मजदूर,	मजदूरों
६५७३	शीर्ष	(श्री योगेन्द्र नाथ हाडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
६५७६	१	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा	श्री योगन्द्रनाथ हांडा
६५७९	शीर्ष	(मोतीलाल चौधरी)	(श्री मोतीलाल चौधरी)
६५८१	१,२	थ्योरी	थ्योरी को
,,	२२	नहीं कर लकते	नहीं कर सकते
६५८३	शीर्ष	(श्री मोतीलाल चौधरी)	(श्री मोतीलाल चौधरी)
,,	१३	श्री **मोहनलाल सुर्खाडया**	**श्री मोहनलाल सुखाडिया**
,,	अन्तिम से ४	श्री **मानिकजन्द सुराणा**	**श्री मानिकचन्द सुराणा**
,,	अन्तिम से ३	मं दुवारा	मैं दुवारा
६५८४	६	श्री **सेपाध्क्ष**	**श्री उपाध्यक्ष**
६५८५	शीर्षक	५ अप्रेल (संशोधन)	५अप्रेल, १९६३–(संशोधन)
६५८७	शीर्षक	५– अप्रेल ६३–	–५ अप्रेल,६३–
६५८९	शीर्ष	(श्री मोहमलाल सुखाडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
६५९१	३	माव से	मात्र से
६५९२	२१	read it 2.	read it ?
६५९३	९	ffty	fifty
,,	१८	s	is
६५९४	२२	श्री **मानियचन्द** सुराणा	श्री **मानिकचन्द** सुराणा

१	२	३	४
६५९६	अन्तिम	सफई	सफाई
६५९८	३	श्री विजयसिह् झाला	श्री विजयसिंह् झाला
,,	४	गांव	गांव
,,	७	आइर्गेनाइज	ऑर्गेनाइज
,,	२०	है	हैं
६६००	१५	जिन परिषद्	जिला परिषद्
,,	अन्तिम	अर	और
६६०१	शीर्ष	(श्री अब्दुल जब्जार)	(श्री अब्दुल जब्बार)
६६०३	२३	म्युनिसिपैलिटियों	म्युनिसिपैलिटियों
६६०७	अन्तिम से ३	माल वीयनस्ल	मलावीय नस्ल
६६०७	अन्तिम से २	ते हैं पाटनो तहसील	होते हैं पाटन तहसील
६६०९	१	श्री गोवंदसिंह	श्री गोविंदसिंह
६६१०	१	श्री गोविदसिंह	श्री गोविंदसिंह
६६११	शीर्ष	(श्री अपाध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	३-४	राजस्थान भू-राछस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, ९६	राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ के
६६१३	शीर्षक	भूमि-सुधरा	भूमि सुधार
,,	१ व २	राजस्थान भूमि-सुधार व भ-स्वामियों की भ-सम्पदा अवाप्ति विधयक, १९६३	राजस्थान भूमि–सुधार व भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधयक, १९६३
६६२२	अन्तिम से ६	की रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६६२३	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह् ढाडरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
६६२४	१	श्री म नि चन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	अन्तिम से ९	श्री उपाअध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से ६	तजाराम गहलोत	श्री तेजाराम गहलोत
,,	अन्तिम से २	और भो	और भी
६६२५	अन्तिम से ३	S r	Sir
६६२७	प्रथम	संशोधन इस प्रकार है:	[शोधन इस प्रकार हैं:
६६२९	१३	af er the	after the
,,	२८	श्री उपाध्यक्ष श्री भीमसेन	श्री उपाध्यक्षः श्री भीमसेन
६६३०	१	एक आदम	एक आदमी
,,	१८	कीय	की या
६६३४	अन्तिम से ११	श्री तेजाराम गलोत	श्री तेजाराम गहलोत
६६३८	शीर्षक	विधेयक ६	विधेयक, १९६३
६६३९	९	श्री मगराज चोधरी	श्री मगराज चौधरी
,,	१७	केवल ख	कवल २५ लाख
६६४० से ६६५६ तक	शीर्षक	विवेयक	विधेयक, १९६३
६६४०	१५	श्री रमानद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
६६४२	२	दगा	दूंगा
६६५०	१४	रहेह।	रहे हैं ।
६६५३	२४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह

१	२	३	४
६६५४	अन्तिम से २	श्री रामप्रसद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६६५५	५	श्री भरोंसिंह्	श्री भैरोंसिंह
६६५८	११	किया ह	किया है
६६६०	२	रेवेन्यु	रेवेन्यू
,,	११	श्री रामसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६६६५	६	श्री रामप्रसाद ड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६६७१	शीर्षक	–राजस्व अधिमार)	–राजस्व (अधिमार)
६६७५	४	वमाजन के पश्चात्	विमाजन के पश्चात्
,,	१०	विमाजन सूचियों के मनुसार 'हा'	[विमाजन सूचियों के अनसार 'हां'
६६७६	१३	सशोधित	संशोधित
६६८३	शीर्षक	राजस्थान भू- राजस्व (अधिमार) -५ अप्रेल, १९६३–(सं ोधन) विधेयक १९६३ संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त-विवरण (शुक्रवार दिनांक ५ अप्रेल, १९६३)
,,	२,३	स्कम्म संख्या	स्कम्म
		तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६३८५	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६३८५
६६८६	१५	सेवाओं	सेवाओं में
६६८७	स्कम्म	६८७	६६८७
६६८७	शीर्षक	राजस्थान भू-राजस्व (अधिमार) -५ अप्रेल ११६३-संशोधन विधेयक १९६३ (शुक्रवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६३)	संक्षिप्त–विवरण -५ अप्रेल ६३-संक्षिप्त–विवरण
६६८९	२	सपुर्द	सुपुर्द
६६९०	११	श्री फलचन्द जैन	श्री फूलचन्द जैन
६७०२	२५	Invesfment	Investment
६७१०	अन्तिम से २	गगानगर	गंगानगर
६७११	१५	वसली	वसूली
६७२७	१		परिशिष्ट